खण्ड–31, अंक–06
गुरूवार, 03 चैत्र, शक संवत्, 1933
(24 मार्च, 2011 ई0)

उत्तराखण्ड विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(द्वितीय विधान सभा)
(प्रथम सत्र, 2011)

(खण्ड 31 में 09 अंक हैं)

उत्तराखण्ड विधान सभा, सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तराखण्ड (भारत)
2012

मूल्य

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थिति	"क"
विपक्ष द्वारा आमरण अनशन पर बैठे सम्मानित विधान सभा सदस्य से वार्ता की माग	1
प्रश्नोत्तर	1–43
विपक्ष द्वारा आमरण अनशन में बैठे सम्मानित विधान सभा सदस्य से वार्ता की पुन: माग	43–44
नियम–300 के अन्तर्गत सूचनाए	44–45
जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट के ग्राम लैबुराल जोशी के निवासी श्री लक्ष्मण राम टम्टा की दिनांक 18 मार्च, 2011 को हत्या किये जाने एवं पीड़ित परिजनों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध मे नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	45
प्रदेश में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के चयन हेतु 2 वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी परीक्षाएं न होने पर व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	45–46
जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड चौखुटिया तथा स्याल्दे की लगभग 25 पेयजल विहीन ग्राम सभाओं हेतु असुरगढ़ी पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध मे नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	46
जनपद हरिद्वार के तहसील लक्सर क्षेत्र में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से प्रभावित गन्ना किसानों को उचित मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध मे नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	46–47
जनपद हरिद्वार के कस्बा मंगलौर मे पेयजल संकट के सम्बन्ध मे नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	47
विधान सभा क्षेत्र रुड़की में नगर पालिका की जगह नगर निगम बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–300 के अन्तर्गत सूचना	47–48
सदन मे प्रस्तुत नियम–300 की सूचनाओं का उत्तर समय से न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	48–49

विषय	पृष्ठ–संख्या
विधान सभा सत्र के उपवेशन की तिथि में सोमवार का दिन सम्मिलित न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न...	49–51
नियम–310 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के विषयों पर चर्चा कराये जाने की मॉंग	51–52
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग का नवम् वार्षिक प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	52
द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का स्पष्टीकरण ज्ञापन (सदन के पटल पर रखा गया)	52
उत्तराखण्ड विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2009–10) का प्रथम प्रतिवेदन (प्रस्तुत)	52
नियम–66 के अन्तर्गत समाचार पत्र 'उत्तराखण्ड आज' के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना	52–55
नियम–66 के अन्तर्गत दिनांक 23 फरवरी, 2010 को दी गई सूचना पर श्री अध्यक्ष का ध्यानाकर्षण	55
उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2011 (पुर:स्थापित)	56
उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2011 (पुर:स्थापित)	56
उत्तराखण्ड कराधान तथा भू–राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 (पुर:स्थापित)	56–57
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाए	57–82
वित्तीय वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक पर सामान्य चर्चा (समाप्त) ...	82–171
उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011 (पारित) ...	171–174
उत्तराखण्ड जल सम्भरण सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2011 (पारित)	174–176
उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2011 (पारित)	176–179

विषय	पृष्ठ–संख्या
वित्तीय वर्ष 2007–08 व 2008–09 में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के तहत प्रदेश को स्वीकृत धनराशि में से खर्च की गई धनराशि विषयक नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा (समाप्त) ...	178–185
नियम–53 के अन्तर्गत सूचनाए	185
जनपद देहरादून के सहस्रधारा रोड में गोविन्दनगर से एम0डी0डी0ए0 एन्क्लेव होते हुए गुरु रामराय स्कूल तक 01 किमी पेयजल लाईन के पुनरोद्धार के सम्बन्ध में श्री दिनेश अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पेयजल मंत्री का वक्तव्य	186
राज्य में घरेलू गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति हेतु बिक्री केन्द्रों का विस्तार न होने के सम्बन्ध में श्रीमती अमृता रावत, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	186–189
जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में वैकल्पिक ऊर्जा विभाग द्वारा निर्माणाधीन लघु जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब किये जाने के सम्बन्ध में श्री शेर सिंह गढ़िया, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य	189
टिहरी गढ़वाल मोटर ओनर्स कारपोरेशन लिमिटेड की बसों को उत्तरकाशी से नगुण–भवान–सुवाखोली–मसूरी नया मार्ग एवं पुराने मार्गों से वाया मसूरी देहरादून तक परमिट न दिये जाने से बस मालिकों, चालकों व परिचालकों के साथ ही जनता में उत्पन्न आक्रोश के सम्बन्ध में श्री केदार सिंह रावत, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य	190
नत्थियां	191–195

'क'

उपस्थिति

1—श्री अजय टम्टा
2—श्री अरविन्द पाण्डे
3—श्री अनिल नौटियाल
4—श्रीमती अमृता रावत
5—श्रीमती आशा
6—श्री ओम गोपाल
7—श्री करन माहरा
8—सुश्री कैरन मेगर
9—श्री केदार सिंह रावत
10—श्री केदार सिंह फोनिया
11—श्री खजान दास
12—श्री खड़क सिंह बोहरा
13—श्री गगन सिंह
14—श्री गणेश जोशी
15—श्री गोपाल सिंह
16—श्री गोपाल सिंह रावत
17—श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल
18—श्री गोविन्द सिंह बिष्ट
19—श्री चन्दन राम दास
20—श्री जोगा राम टम्टा
21—श्री जोत सिंह गुनसोला
22—हाजी तसलीम अहमद
23—श्री तिलक राज बेहड़
24—श्री दिनेश अग्रवाल
25—श्री दिवाकर भट्ट
26—श्री दिवान सिंह
27—श्री नारायण पाल
28—काजी मो0 निजामुद्दीन
29—श्री पुष्पेश त्रिपाठी
30—श्री प्रकाश पन्त
31—कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
32—श्री प्रीतम सिंह
33—श्री प्रेम चन्द अग्रवाल
34—श्री प्रेमानन्द महाजन
35—श्री बलवन्त सिंह भौर्याल
36—श्री बलवीर सिंह नेगी
37—श्री बिशन सिंह चुफाल
38—श्री बंशीधर भगत
39—श्री बृज मोहन कोटवाल
40—श्री शेर सिंह गढ़िया
41—मे0ज0(अ0प्रा0) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, ए0वी0एस0एम0
42—श्री मदन कौशिक
43—श्री मनोज तिवारी
44—श्री मयूख सिंह
45—श्री महेन्द्र सिंह माहरा "महूँ भाई"
46—श्री मातबर सिंह कण्डारी
47—श्री कुलदीप कुमार
48—श्री यशपाल आर्य
49—श्री यशपाल बेनाम
50—मो0 यशवीर सिंह
51—श्री रणजीत रावत
52—डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"
53—श्री राजकुमार
54—श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी
55—श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा
56—श्री विजय सिंह (गुड्डू पंवार)
57—श्रीमती वीना महराना
58—श्री शहजाद
59—डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
60—श्री शैलेन्द्र सिंह रावत
61—श्री सुरेन्द्र राकेश
62—श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
63—श्री सुरेश चन्द जैन
64—डा0 हरक सिंह रावत
65—श्री हरभजन सिंह चीमा
66—श्री हरिदास
67—श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत

गुरूवार, दिनांक 24 मार्च, 2011 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री हरबंस कपूर के सभापतित्व में आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

विपक्ष द्वारा आमरण अनशन पर बैठे सम्मानित विधान सभा सदस्य से वार्ता की मॉंग

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित विधान सभा सदस्य आमरण अनशन पर विधान सभा के बाहर बैठे हैं। मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ कि सरकार को निर्देशित करें कि सरकार ऐसा असंवैधानिक कार्य न करे जिससे हमारे सम्मानित साथी जो बाहर आमरण अनशन पर बैठे हैं, कहीं उनके जीवन को खतरा न हो जाय। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि सरकार को निर्देशित करें। यह बहुत ही गम्भीर विषय है। इससे गम्भीर विषय हो नहीं सकता।

(व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

माननीय अध्यक्ष जी, इससे बड़ा गम्भीर विषय और क्या हो सकता है कि हमारे सम्मानित सदस्य बाहर अनशन पर बैठे हैं। सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। न सरकार उनसे बात कर रही है, न वार्ता कर रही है। उनका क्या होगा ? माननीय सदस्य के स्वास्थ्य में गिरावट आ रही है। यह प्रश्नकाल से भी महत्वपूर्ण है। मान्यवर, सरकार को निर्देश दे दीजिए।

(व्यवधान)

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहने लगे)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल के बाद देख लेंगे। कृपया स्थान ग्रहण करें।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित प्रश्न

परिवहन निगम में मृतक आश्रितों का सेवायोजन

**1–श्री जोत सिंह गुनसोला, श्री प्रीतम सिंह एवं श्री मयूख सिंह–

क्या परिवहन मंत्री अवगत हैं कि परिवहन निगम मुख्यालय में मृतक आश्रितों को सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में मृतक आश्रितों का समूह 260 दिन से अभी तक आन्दोलनरत है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार मृतक आश्रितों को नौकरी प्रदान करने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री बंशीधर भगत)–

जी हाँ।

सम्प्रति प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

निगम की आर्थिक स्थिति ऋणात्मक होने के कारण।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार 260 दिन से अधिक आंदोलनरत मृतकाश्रितों के प्रति किस तरह से चिंतित है यह जवाब में देखा गया है और मृतकाश्रितों को नौकरी न देकर आप ये कहते हैं कि परिवहन निगम की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। परिवहन निगम की आर्थिक स्थिति कभी भी ठीक न हो तो क्या मृतकाश्रितों के अधिकारों का हनन किया जायेगा ? दूसरा क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि परिवहन निगम बोर्ड की बैठक मे पूर्व मे निर्णय लिया जा चुका है कि मृतकाश्रितों को सेवायोजित किया जाए। जिसमें आपके द्वारा मान्यवर, 409 मृतकाश्रित हैं और 20 को उसी परिधि में नौकरी मे समायोजन किया गया है। अन्य लोगों को कब तक और कैसे समायोजित करेगी सरकार इसका जवाब दें।

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री गुनसोला जी ने इस पर चिन्ता व्यक्त की है निश्चित रूप से मैं उस चिन्ता पर स्वयं भी चिन्तित हूँ। बहुत ही गम्भीर मामला है कि मृतकाश्रित इतने दिनो से आंदोलनरत है और वे सब हमारे परिवार के ही सदस्य है। मैं चाहता हूँ कि उनकी जितनी सेवा मैं कर सकता हूँ मैं करूँ। लेकिन जब मैं अपनी जेब की स्थिति देखता हूँ या अपने निगम की स्थिति देखता हूँ मुझे इसमें पीड़ा होती है। जहाँ तक इन्होंने कहा कि 20 को रखने का प्रश्न है या बोर्ड ने कोई निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि 20 को रखने का निर्णय या बोर्ड का कोई निर्णय ऐसा नहीं है कि इनको रख दिया जाए। सरकार ने जरूर बोर्ड से आग्रह किया था कि इनको रखने मे सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। जो 20 लोगों को रखा गया वह उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने निर्णय लिया था वर्ष 2004 में। मान्यवर, वर्ष 2003 में जब निगम का गठन हुआ तो बैठक मे निर्णय लिया गया कि वर्ष 2000 तक के मृतक आश्रितो को नियुक्ति दी जाए, जो पात्रता रखते हों और जब सर्वे उसमें करवाया गया तो वर्ष 2000 तक के मृतक आश्रितों की संख्या के बाद से वर्ष 2004 के बीच में 171 लोगो की संख्या थी तो कुल मिलाकर 243 लोग मृतक आश्रित मे आते थे और वर्ष 2000 तक के लोगो को नियुक्ति दी जाए, यह बैठक में निर्णय लिया गया।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, कौन से सन् तक के लोगों को नियुक्त किया ?

श्री नरेन्द्र नगर–

मान्यवर, सन् 2000 तक की बात है, 22 जनवरी, 2000 तक के मृतक आश्रितों को नियुक्ति दी जाए, यह निर्णय सन् 2004 में सरकार में बैठे लोगों का है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैंने इसीलिए पूछा कि यह सन् 2000 तक के लोगों का है ?

श्री नरेन्द्र नगर–

मान्यवर, जी हाँ 22 जनवरी, 2000 तक के पूर्व के लोगों को नियुक्ति दी जाए। इस प्रकार का निर्णय सन् 2004 में हुआ और जब उसमें परीक्षण कराया गया तो सन् 2000 से पूर्व के लोगों में मात्र 20 लोग उस परिधि में आते है जिसको कहा जा सकता है कि नियुक्ति दी जाए। तो उसमें उस समय जो थे तो कहा गया कि जो पात्रता रखते हो, तो ऐसे 20 लोग थे, जिसमें लोगों को रखा और तब से अब तक कोई ऐसा आदेश नहीं हुआ। सरकार की बैठकें, वार्ता का क्रम यह सब चलता रहा, लेकिन कोई ऐसा आदेश नहीं है कि जिसके क्रम में कहा जाए कि इनको नियुक्ति दी जाए। नियुक्ति नहीं देने के पीछे मैंने बताया अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में और निगम को हम सलाह दे सकते हैं कि वे अपने को सक्षम समझते है तो वे कोई निर्णय लें पर कहीं कोई ऐसा निर्णय नहीं हुआ कि इनको नियुक्ति दी जाए। मेरी पूरी सहानुभूति है उनके साथ और मैं कहना चाहता हूँ कि आज अगर उनको नियुक्ति दे दें तो उनका एक महीना पूरा होने के बाद वेतन भी देना होगा और आज स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि.........।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, इसको सुधारेंगे नहीं ?

श्री नरेन्द्र नगर–

मान्यवर, सुधारने का प्रयास भी किया है, कई बार किया है। लेकिन हमारे कुछ क्षेत्र की स्थिति ऐसी है कि हमें बहुत बड़ा घाटा उठाना पड़ता है, उस घाटे की पूर्ति कैसे की जाए। अगर यह पूर्ति होती तो निश्चित रूप से कोई रास्ता निकालते। आज स्थिति यह है कि जो पिछली देनदारी, लगभग 180 लाख पुरानी देनदारी है, आज के दिन इनको नौकरी देते हैं तो लगभग 8 सौ करोड़ रूपये का और भार पड़ रहा है। हमारी उनसे कोई जातीय दुश्मनी नहीं है, मन में कोई ऐसी बात नहीं है कि हम उनको न रखें। हम रखना चाहते हैं, लेकिन हम जब देखते हैं आर्थिक स्थिति तो अन्य प्रदेशों से सर्वे करवाया, 6 प्रदेशों से हमने इस बात की जानकारी करनी चाहिए, दो प्रदेशो ने उत्तर प्रदेश ने....

(बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने लगे)

(घोर व्यवधान)

श्री शहजाद–

मानानीय अध्यक्ष जी, नियम–310 में सूचना दी थी। दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल होने दें।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने सूचना दी है, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण नहीं है, दलित महिला के साथ बलात्कार हुआ है, दलित के साथ अत्याचार हो रहा है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, ऐसे तो यह बहुत गम्भीर विषय है, लेकिन दलीय नेताओं की बैठक में तय हुआ कि प्रश्नकाल के बाद होगा।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, यह गम्भीर विषय है, हम भी आपके साथ हैं। कृपया इस विषय को प्रश्नकाल के बाद लेने का कष्ट करें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत ही गम्भीर विषय है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर बैठ गये)

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बताया कि जो निगम का घाटा है, आज की तारीख में वह प्रतिवर्ष वैसे ही बढ़ रहा है और यदि हम इतने लोगों को बढ़ाते हैं तो फिर 8 करोड़ के लगभग का घाटा हमारे ऊपर फिर बढ़ेगा। आज की तारीख में ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही है कि हम कोई ऐसा निर्णय लें कि इनको रख सकें। लेकिन मैंने कहा कि हम पूरी सहानुभूति उनके ऊपर रखते हैं। मान्यवर, जिस दिन निगम की माली स्थिति ठीक होगी, यह स्थिति कैसे ठीक होगी उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। यदि कोई ऐसी स्थिति

आती है तो फिर हम विचार कर सकते है, हमने उनको ऑफर दिया है और हमने उनसे कई दौर की बातचीत की है। हमने कहा कि हम कान्ट्रेक्ट बेस पर रख रहे है आप कान्ट्रेक्ट बेस पर फिलहाल आ जाईये, तो हम इनको कान्ट्रेक्ट बेस पर रख लेंगे। कान्ट्रेक्ट बेस पर हम उनको रखने के लिए तैयार है, लेकिन रेगुलर नियुक्ति के लिए अभी हमारे संसाधन और आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम इनको रख सकें।

श्री प्रीतम सिंह–

मानानीय अध्यक्ष जी, अभी जो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया उसमें एक शासनादेश है, 1 नवम्बर, 2007 का। यह शासनादेश सचिव, उत्तराखण्ड शासन का है, जिसमें इन्होंने अपने शासनादेश में कहा है कि मृतक आश्रितों का सेवायोजन एक ऐसा विषय है जिन पर निर्णय लेने के लिए निगम का निदेशक मण्डल सक्षम है, इसमें शासन की कोई भूमिका नही है और न ही इसमें शासन की कोई रोक है।

श्री अध्यक्ष–

यह तो माननीय मंत्री जी ने बता दिया है।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बात माननीय मंत्री जी ने कही है। इसी परिप्रेक्ष्य में दिनांक 10–5–2005 को निदेशक मण्डल की बैठक हुई, जिस बैठक में एक प्रस्ताव हुआ और उस प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निदेशक मण्डल द्वारा सैद्धान्तिक सहमति देते हुए यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 31–3–2005 तक के समस्त अर्ह मृतक आश्रितों के प्रकरणों पर शासन की स्वीकृति के उपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जाय। मान्यवर, एक ओर सरकार कह रही है कि सरकार का नियुक्ति पर कोई अधिकार नही है, निदेशक मण्डल का अधिकार है। मान्यवर, निदेशक मण्डल अपनी बैठक में स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहा है कि वर्ष 2005 तक के जितने भी मृतक आश्रित हैं, जो अर्ह हैं, उनको नियुक्ति दे दी जायेगी। मान्यवर, मैं समझता हूँ कि जो निदेशक मण्डल का निर्णय है क्या सरकार उसको मानेगी, यह पहला प्रश्न है। मान्यवर, दूसरा प्रश्न है जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि जो अर्ह मृतक आश्रित हैं उनको नियुक्ति दे दी गयी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि कितने अर्ह मृतक आश्रित इस समय नौकरी से वंचित हैं और कितने अनर्ह हैं, जो वंचित हैं, इनकी कुल संख्या बता दीजिए।

श्री बंशीधर भगत–

माननीय अध्यक्ष जी, मृतक आश्रितों की कुल संख्या आज की तारीख में 409 है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने यह कहा कि अर्ह कितने है और अनर्ह कितने हैं ? अर्ह मे कितनो को आपने नियुक्ति दे दी और कितनो को नहीं दी ?

श्री नशीधर गगत–

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2000 तक जो अर्ह थे और जिनको हमने नियुक्ति दी, उनकी संख्या 20 थी। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न है कि अर्ह कितने हैं और अनर्ह कितने हैं और अर्ह जो हैं इनमें कितनो को नौकरी दी गयी है और कितनो को नहीं दी गयी है ? (व्यवधान)

श्री नशीधर गगत–

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2000 में इनकी कुल संख्या 72 थी। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सन् की बात नहीं कर रहा हूं। प्रश्न क्या किया है। मैंने कहा कि पूरे प्रदेश में कितने अर्ह हैं और कितने अनर्ह हैं इनकी कुल संख्या कितनी हैं ?

श्री नशीधर गगत–

माननीय अध्यक्ष जी, आज तक की कुल संख्या 409 है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पूछा पूरे प्रदेश में कुल कितने अर्ह है और कितने अनर्ह है ? इनकी कुल संख्या कितनी है ?

श्री नशीधर गगत–

मान्यवर, कुल 273 शिक्षित श्रेणी में हैं और 133 अशिक्षित हैं। कुल योग पुरुषों का 309 और महिलाओं का 90 है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, यह तो उत्तर को गोल–मोल करने की बात है। (व्यवधान) मैं पूछ रहा हूं कि कुल संख्या कितनी है और उसमें कितने अर्ह हैं और कितने अनर्ह हैं ? (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी वही बता पायेंगे जितने इनके पास आवेदन आए है, उसमें कितने शिक्षित हैं और कितने अशिक्षित हैं। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं यही तो कह रहा था। अब माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं। हमने यह नहीं पूछा। कितने अर्ह हैं और कितने अनर्ह ? (व्यवधान)

श्री नशीघर गगरा–

मान्यवर, अर्ह 276 और अनार्ह 133 हैं। कुल 409 हैं। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैंने यही कहा कि निदेशक मण्डल ने जो फैसला लिया, क्योंकि शासन के शासनादेश के अनुसार निगम के निदेशक मण्डल को अधिकार है कि नियुक्ति कर लें। मैं जानना चाहता हूँ कि निगम ने जो निर्णय लिया क्या सरकार उसके अनुसार नियुक्तियां देगी या नहीं ?

श्री नशीघर गगरा–

मान्यवर, सरकार ने निगम को कहा कि वह अपने निर्णय लेने के लिए स्वयं स्वतन्त्र हैं। यह नहीं कहा कि आप नियुक्ति दें। निगम को यह कहा कि आप नियुक्ति का निर्णय लेने के लिए स्वयं स्वतन्त्र हैं और निर्णय वे अपनी स्थिति को देखते हुए लेंगे।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने भी कहा कि शासनादेश में यही बात कही गयी है। निदेशक मण्डल ने जो फैसला लिया है, उसमें कहा है कि दिनांक 31–03–2005 तक समस्त अर्ह मृतक आश्रितों के प्रकरणों पर शासन की स्वीकृति के उपरान्त ही नियुक्ति देंगे। अब एक ओर शासन कह रहा है कि हमारा कोई प्रतिबन्ध नहीं है तो या तो निदेशक मण्डल और सरकार में आपसी समन्वय नहीं है। आप कह रहे है कि निगम का संचालक मण्डल अपने आप में स्वतन्त्र है और निगम कह रहा है कि हम शासन की स्वीकृति के बिना नियुक्ति नहीं देंगे। यह तो विरोधाभास हो रहा है।

श्री नशीघर गगरा–

मान्यवर, कोई विरोधाभास नहीं है। मैंने कहा कि हम उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं। (व्यवधान) लेकिन हमारे सामने दिक्कत यह है कि यदि हम उनको रखते तो वेतन देना पड़ेगा। उनको वेतन देने की हमारी स्थिति नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, जो रिकमण्डेशन निगम के निदेशक मण्डल की है क्या सरकार उसके अनुरूप नियुक्ति देगी या नहीं, यह बता दीजिए। हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। (व्यवधान)

श्री नशीघर गगरा–

मान्यव, मैंने बताया कि निगम की आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी तो हम कर्मचारियों को वेतन देंगे। (व्यवधान)

श्री मयूख सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूँ कि पिछले 4 सालों में निगम ने अभी तक कितने लोगों को संविदा पर रखा है ? इनमें कितने मृतक आश्रित है ? क्या आप संविदा पर रखने में मृतक आश्रितों को प्राथमिकता देंगे ?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, कुल मृतक आश्रितों की संख्या 409 है। (व्यवधान) मान्यवर, 4362 रेगुलर हैं। संविदा पर चालकों की संख्या 357 और परिचालकों की 242 है। कुल मिलाकर 599 हैं। (व्यवधान)

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि पिछले 4 साल में संविदा पर कितनी नियुक्तियां दी गयी है ?

श्री बंशीधर भगत–

मान्यवर, 4 साल के आंकड़े तो अभी निकाले नहीं हैं। (व्यवधान)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

यह अल्पसूचित प्रश्न है।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, एक अल्पसूचित प्रश्न पर 20 मिनट लग गया है।

श्री अध्यक्ष

माननीय मंत्री जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, इससे तो प्रश्न की गम्भीरता ही खत्म हो गई।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष–

इसका जवाब अल्पसूचित प्रश्न में नहीं आ सकता है।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने यही तो पूछा कि संविदा पर कितने लोगों को चार साल में रखा गया है ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने इसका उत्तर दे दिया है। वर्षवार इसका उत्तर नहीं आ सकता है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री नरेन्द्र नगर–

मान्यवर, उनको कान्ट्रेक्ट पर लेने के लिये हमने खुला ऑफर दिया हुआ है, लेकिन वह आना नहीं चाह रहे हैं।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, क्या आप उनको कोई प्राथमिकता नहीं देंगे, मृतक आश्रितों की तो प्राथमिकता होनी चाहिये।

श्री नरेन्द्र नगर–

मान्यवर, हम उनको 100 प्रतिशत प्राथमिकता देंगे, आप उनको कल भेज दीजिये, हम कल ही उनको कान्ट्रेक्ट पर रख लेंगे।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, क्या जब पद रिक्त होंगे तो उनको नियुक्ति में प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्री नरेन्द्र नगर–

मान्यवर, जब हम रेगुलर नियुक्ति करेंगे तो उस समय हम उनको प्राथमिकता देंगे।

स्थगित तारांकित प्रश्न

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम 40(2) के अन्तर्गत स्थगित तारांकित प्रश्न

जनपद उत्तरकाशी अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी में निर्मित टिकोची से दुचाणू रोपवे का पुनर्निर्माण

*1–श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा–

क्या उद्यान मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड मोरी में निर्मित टिकोची से दुचाणू रोपवे 02 सितम्बर, 2009 को चालू किया गया ?

क्या यह सत्य है कि तीन दिन पश्चात् दिनांक 05–09–2009 को रोपवे की तार टूट गयी थी ?

यदि हाँ, तो उक्त रोपवे के तार टूटने के क्या कारण है ?

क्या सरकार रोपवे के पुनर्निर्माण के लिए कोई कार्यवाही कर रही है ?

क्या सरकार कार्यदायी संस्था के खिलाफ कोई कार्यवाही करने पर भी विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि, उद्यान एवं पशुपालन मंत्री (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)–

जी हाँ।

रोपवे की तार ट्रायल के समय दिनांक 07–09–2009 को टूट गयी थी।

जाँच प्रचलित है।

जी हाँ।

कार्यवाही कर दी गयी है।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इस रोपवे की लागत क्या थी और इस रोपवे के टूटने के क्या कारण है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, रोपवे के टूटने के कारणों की जाँच चल रही है, लेकिन जो प्राथमिक जाँच आई है, उसके अनुसार उसके डिजायन में दोष बताया गया है। लेकिन अभी उच्च संस्थाओं को उसकी जाँच दी गई है, क्योंकि उसका डिजायन आई0आई0टी0 द्वारा तैयार किया गया था। इसलिये उसकी पुनः जाँच के लिये कहा गया है और जिलाधिकारी उसकी जाँच कर रहे हैं।

श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा–

मान्यवर, मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसकी लागत क्या थी ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, इसकी लागत 19.9 लाख रुपये है।

श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा–

मान्यवर, इसे टूटे हुये लगभग दो साल हो गये है और इसकी जॉच रिपोर्ट अभी तक नहीं आ पाई है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, एक जॉच हमारे सामने आई है और उसमें इसके डिजायन में दोष पाया गया है। .... (व्यवधान)

श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा–

मान्यवर, जिन्होंने डिजायन बनाया ...। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय राजेश जुवांठा जी, आपने प्रश्न पूछ लिया है, माननीय मंत्री जी उसका उत्तर दे रहे हैं, आप प्रश्न पूछ कर अपने स्थान पर बैठ जायें और माननीय मंत्री जी को जवाब देने दीजिये।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, चूँकि उच्च संस्था ने इसका डिजायन बनाया था, इसलिये इसकी पुनः जॉच कराई जा रही है।

श्री राजकुमार–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जनपद उत्तरकाशी के नौगॉव, भटवाड़ी, नैटवाड़, मोरी और आराकोट क्षेत्र में सेब और नाशपाती पर्याप्त मात्रा में होती है, लेकिन सड़क न होने के कारण यह फल सड़ जाते हैं। यहाँ पर रोपवे बनाये जाने की आवश्यकता है तो क्या सरकार रोपवे बनाने जा रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि उत्तरकाशी जनपद में हमारे 12 रोपवे प्रस्तावित हैं और इनके लिये धन आवंटन भी हो चुका है, जिनमें से 7 रोपवे का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने जिस स्पेसिफिक एरिया के लिये प्रश्न किया है, क्या वहाँ पर भी यह रोपवे बनाये जा रहे है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, यह उसी क्षेत्र के रोपवे हैं।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि उत्तरकाशी जनपद में जो रोपवे हैं, यह कब स्वीकृत हुये और कब तक यह पूर्ण हो जायेंगे ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, पूर्ण तो ये 06 महीने में हो जायेंगे। वर्ष 2007–08 में इनकी स्वीकृति हुई है।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, इनके निर्माण में कितना समय लगता है ? अभी आपने कहा कि 06 महीने में हो जायेंगे। क्या इसके निर्माण में 06 महीने का समय लगता है या कितना समय लगता है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, ऐसा है कि इसमें जो एजेन्सी थी, कार्यदायी संस्था थी, जब कार्यदायी संस्था काम नहीं कर पायी तो उसे बदला गया। अब कार्य तेजी से हो रहा है।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, पहले कौन सी कार्यदायी संस्था थी और कार्यदायी संस्था कब बदली गयी ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, पहले गढ़वाल मण्डल विकास निगम इसकी कार्यदायी संस्था थी। इसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। 11 मार्च, 2011 को इसे बदला गया है।

श्री केदार सिंह रावत–

मान्यवर, अब कौन सी कार्यदायी संस्था है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, कुछ में मण्डी परिषद कर रही है, कुछ में सिंचाई विभाग कर रहा है। जो 14 रोपवे हैं, ये 06 माह में तैयार हो जायेंगे। बाकी 10 पर भी कार्य चल रहा है।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जो आप ये रोपवे लगाते हैं तो हमारा जो लोकल प्रोडक्ट होता है जब उसको ट्राली में हम लोग रखते हैं क्योंकि हमारे यहाँ भी आगराखाल में एक रोपवे बना हुआ है, लेकिन उसमें कोई सामान अगर हमको लाना होगा तो उसके दूसरी तरफ पत्थर या अन्य भारी चीज सामान

के वजन के बराबर उसमें रखनी पड़ती है, ताकि दूसरा सामान आ सके। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या आप वहाँ पर जनरेटर की व्यवस्था करायेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा कठिनाई वहाँ के काश्तकारों को हो रही है तो क्या आप जनरेटर की व्यवस्था करवायेंगे रोपवे चलाने के लिए ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि जनरेटर या पावर फेंज बनाते हैं तो उसके लिए प्रारम्भ से ही उस तरह से प्लानिंग करनी होती है। यदि ऐसी कहीं पर आवश्यकता होगी तो उसका परीक्षण करा लिया जायेगा।

श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि रोपवे लगाने की क्या प्रक्रिया है, क्या इसमें टेण्डर करते हैं और जो रोपवे लगा रही है, ये कौन सी कम्पनी है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, कम्पनी तो बताया जा सकता है, लेकिन वैसे टेण्डर के माध्यम से किया जाता है। जो भी कम्पनियाँ आती है, उनको टेण्डर दिया जाता है।

श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा–

मान्यवर, ये रोपवे किस कम्पनी का है और इस कम्पनी के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है ?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

उसके खिलाफ कारवाई होनी चाहिए।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, इसको जी0एम0वी0एन0 बना रहा था और उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है।

प्रदेश में कीटनाशक सल्फास से हो रही आत्महत्या को रोकने हेतु सल्फास पर प्रतिबन्ध

*2–श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

क्या कृषि मंत्री जी अवगत है कि प्रदेश में आत्महत्या के लिए सर्वाधिक सल्फास नाम के कीटनाशक का दुरूपयोग किया जा रहा है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार सल्फास जैसे खतरनाक कीटनाशक से बढ़ रही आत्महत्या दर को रोकने के लिए सल्फास पर प्रदेश व्यापी प्रतिबन्ध लगायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

प्रदेश में विगत तीन वर्षों में आत्महत्या के कुल 1263 मामलों में से विषाक्त पदार्थ के सेवन से आत्महत्या के 503 मामले प्रकाश में आये, जिनमें से 44 मामलों में सल्फास का प्रयोग किया गया है।

कीटनाशी अधिनियम 1968 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा सल्फास की 10 एवं 20 टैबलेट वाली ट्यूब का उत्पादन एवं मार्केटिंग प्रतिबन्धित (Resticted) है। जो राज्य में भी लागू है। केवल निम्न पैकिंग के सल्फास की बिक्री को प्रतिबन्धित नहीं किया गया है।

(i) एल्यूमिनियम फास्फाइड टैबलेट की 3 ग्राम के केज (Cage) पैकिंग की बिक्री।

(ii) एल्यूमिनियम फास्फाइड पाउडर की पैकिंग पाउच–इन–पाउच में जिसका प्रयोग चूहों के बिलों (Burrows) में चूहों से रोकथाम हेतु किया जाता है।

फसल सुरक्षा के दृष्टिकोण से अग्रेत्तर प्रतिबन्धित करना उपयुक्त नहीं है।

श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या एल्यूमिनियम फास्फाइड टैबलेट की केवल कृषि विभाग द्वारा ही बिक्री की जाती है या खुले बाजार में भी इसकी बिक्री की जाती है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, इसकी बिक्री कृषि विभाग द्वारा ही की जाती है।

श्री शैलेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी द्वारा अवगत कराया गया कि कृषि विभाग द्वारा ही इसकी बिक्री की जाती है, जहाँ तक ऐसा देखने में पया गया कि इसकी बिक्री खुले बाजार में हो रही है। मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि इसका क्यों न एक बार परीक्षण आपके माध्यम से करवाया जाय कि कहाँ–कहाँ इसकी बिक्री की जाती है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है निश्चित रूप से कहीं पर भी इस तरह की बात आती है कि खुले बाजार में बेची जा रही है तो निश्चित रूप से इसकी जाँच की जायेगी और उसके खिलाफ कारंवाई की जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को एक सूचना देना चाह रहा हूँ कि पुरकुल यूथ डेवलेपमेंट सोसाइटी पुरकुल विलेज के 43 छात्रों को आज विधान सभा की कार्यवाही देखने के लिए यहाँ पर उपस्थित होना है, जिसमें से 20 छात्र प्रथम पाली में उपस्थित है, उनके साथ दो अध्यापक भी हैं जो दर्शक दीर्घा में बैठे हैं।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में बागवानी (फलों) एवं सब्जी की फसलों का जिलेवार क्षेत्रफल व वर्षवार उत्पादन की जानकारी

*1–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि बागवानी एवं सब्जी की फसलों का प्रदेश में जिलेवार क्षेत्रफल क्या है ?

तथा फल एवं सब्जी का उत्पादन राज्य गठन के बाद प्रतिवर्ष कितना किया गया ?

क्या सरकार प्रदेश में फलों व सब्जियों के शोधित बीज व फलों की नर्सरी जिलेवार स्थापित कर काश्तकारों को सस्ते एवं उचित बीज व फलों की पौध उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

प्रदेश में बागवानी (फलों) एवं सब्जी की फसलों का जिलेवार क्षेत्रफल निम्न प्रकार है :–

वर्ष 2009–10			
क्र0 सं0	जनपद	फलों के अन्तर्गत क्षेत्रफल (है0)	सब्जी के अन्तर्गत क्षेत्रफल (है0)
1	2	3	4
1.	नैनीताल	25304	8469
2.	ऊधमसिंह नगर	6520	6010
3.	अल्मोड़ा	23996	4182
4.	बागेश्वर	3561	1416
5.	पिथौरागढ़	14514	4540
6.	चम्पावत	11092	3660

1	2	3	4
7.	देहरादून	25336	8791
8.	पौड़ी	19340	4765
9.	टिहरी	19894	6393
10.	चमोली	14286	2795
11.	रुद्रप्रयाग	2770	884
12.	उत्तरकाशी	13136	3030
13.	हरिद्वार	14038	3516
	योग	193787	58451

राज्य गठन के उपरान्त फल एवं सब्जी का वर्षवार उत्पादन निम्नानुसार किया गया :-

क्र0 सं0	वर्ष	फल उत्पादन (मै0टन)	सब्जी उत्पादन (मै0टन)
1	2	3	4
1.	2001–02	345339	492785
2.	2002–03	486894	392386
3.	2003–04	449401	345431
4.	2004–05	667040	503254
5.	2005–06	692450	461073
6.	2006–07	716527	524244
7.	2007–08	735161	560442
8.	2008–09	747009	575040
9.	2009–10	723554	564281

विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद में राजकीय एवं व्यक्तिगत क्षेत्र में पंजीकृत पौधालय स्थापित किये गये है। इन पौधालयो मे मानक के अनुसार फल एव सब्जी पौध के साथ ही सब्जी बीज तैयार कर शोधन उपरान्त अनुदानित दर पर कृषकों को उपलब्ध कराया जाता है।

खरीफ एवं रबी फसलों के बीज/पौध किसानो को प्रति वर्ष समयानुसार उपलब्ध कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, मै माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि किन–किन जिलो मे कौन सी प्रजाति के फल व सब्जियों का उत्पादन किया जाता है, और कितना–कितना उत्पादन अलग–अलग सब्जियो और फलों का होता है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मानानीय अध्यक्ष जी, माननीय गुनसोला जी ने जो प्रश्न किया उसके बारे में बताना चाहता हूँ, फलों के क्षेत्रफल का विवरण जिलेवार बताऊँ .....।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, क्षेत्रफल आ चुका है और मी0टन में उत्पादन भी आ चुका है। मैं जानना चाहता हूँ कि प्रत्येक जिले में कितना–कितना अलग–अलग फलों और सब्जियों का उत्पादन होता है ?

श्री अध्यक्ष–

श्री गुनसोला जी, यह अनुपूरक प्रश्न की परिधि से बाहर है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, यह बहुत विस्तीर्ण प्रश्न है, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ कि नैनीताल जनपद में फलों का जो उत्पादन है, उसमें जो हमारा सेब है वह 7804 हैक्टेयर में उत्पादन हो रहा है।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

मान्यवर, कौन सा फल और कितना उत्पादित हो रहा है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, नैनीताल जनपद में सेब का उत्पादन 30 हजार 35 मी0टन, नाशपाती का उत्पादन 20042 मी0टन, आडू 11 हजार 421 मी0टन, पुलम 4 हजार 179 मी0टन और खुमानी है 2 हजार 492 मी0टन।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी, एक जिले का बता दें।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, मंत्री जी से जानना चाहूँगा बागवानी और फलों का सरकार ने आने वाले समय में लक्ष्य क्या रखा है और बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ? किसानों को प्रभावित करने के लिए सरकार की क्या–क्या योजनायें है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, जहाँ तक बागवानी और फलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन की बात है, वर्ष में दो बार कृषक महोत्सव का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर लगाते हैं। उसमें कृषि वैज्ञानिक, किसान और विभागीय अधिकारी आते है, जो किसानों को उत्पादन बढ़ाने

सम्बन्धी जानकारी देते हैं और उनको प्रोत्साहित करते है कि उनको कौन सी फल–सब्जी लगानी चाहिए और उसकी खेती मे उनको किस तरह से क्या लाभ होगा इसके बारे मे किसानों को बताया जाता है। इसके साथ ही किसानों को बाहरी राज्यों मे भी भेजा जाता है और राज्य के अन्दर भी जहाँ अच्छे किसान है, वहाँ जाकर देखें कि वहाँ के किसान किस प्रकार से उत्पादन बढा रहे है। किसानो के लिए टूर प्रोग्राम भी आयोजित किया जाता है ताकि वे प्रेरित हो सकें और वह देख सकें कि प्रैक्टिकल क्या होता है ? जहाँ तक लक्ष्यों को बढाने का सवाल है, बागवानी का हमारा लक्ष्य 5 हजार है0 प्रतिवर्ष बढाने का है।

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, जनपद ऊधमसिंह नगर और जनपद हरिद्वार मे आम की खेती बहुतायत मे होती है। कितने क्षेत्र में आम की खेती है और कितना आम जनपद हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर मे पैदा होता है और कितना हमारे प्रदेश में खपत होता है और कितना बाहर जाता है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, जनपद हरिद्वार मे आम की खेती 23 हजार 690 मी0टन है और इसका क्षेत्रफल 5 हजार 185 है0, जनपद ऊधमसिंह नगर में आम का उत्पादन 24 हजार 167 मी0टन और क्षेत्रफल 3 हजार 621 है0 है।

श्री गोपाल सिंह–

मान्यवर, कितना आम हमारे प्रदेश में खपत होता है और कितना बाहर जाता है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, प्रश्न बहुत विस्तीर्ण हो जायेगा। माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही है उसे मैं उनको उनके चैम्बर में उपलब्ध करा दूँगा।

श्री जोत सिंह गुनसोला–

माननीय अध्यक्ष जी, पंजीकृत व्यक्तिगत नर्सरी कितनी हैं और क्या वह सीड को किसी एजेन्सी से, जो बीज को प्रमाणित करती है उससे प्रमाणित करा कर ही पौधों को तैयार करते हैं ? अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत बडा धोखा काश्तकारो के साथ होता है और दूसरा प्रश्न मै माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि प्रदेश के अन्दर फलो का बहुत उत्पादन होता है, क्या प्रसंस्करण की कोई इकाई सरकार स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर रही है या करने जा रही है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, जहाँ तक फल संरक्षण इकाई की अनुमति की बात है उसके लिए दरवाजे खुले हैं और सरकार उसके लिए तैयार है और उसमें सब्सिडी भी दी जा रही है और अनुदान भी है। जहाँ तक नर्सरी की बात है हम जो भी पौधे या वृक्ष किसानों को उपलब्ध कराते है, सरकार द्वारा जो पंजीकृत नर्सरी हैं उन्हीं से पौधों की सप्लाई की जाती है और वह पौधे प्रमाणित होते हैं। ऐसी लगभग 200 के करीब हमारी नर्सरी है, जो पौधो की सप्लाई का काम कर रही हैं।

*2–श्री मयूख सिंह–

तृतीय सोमवार के तारांकित–09 में स्थानान्तरित।

जनपद हरिद्वार में किसानों की कृषि फसलों का बीमाकरण

*3–कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार में किसानों की कृषि फसलों को बीमाकृत किया गया है ?

यदि हाँ, तो किस वर्ष से उक्त बीमा हेतु किसानों के खाते से प्रीमियम जमा किया जा रहा है ?

क्या सरकार द्वारा इस वर्ष आई प्राकृतिक आपदा से कृषि फसलों को पहुंचे अत्याधिक नुकसान की भरपाई फसल बीमा से करायी जायेगी ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जी हाँ।

हरिद्वार जनपद में फसल धान एवं गेहूँ को भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना में संसूचित किया गया है।

वर्ष 2006–07 से।

जी हाँ।

जनपद हरिद्वार में खरीफ 2010 में संसूचित फसल धान के अन्तर्गत बोये गये अनुमानित क्षेत्रफल 16523 है0 में से 10694 है0 (64.72 प्रतिशत) का बीमा 9671 कृषकों द्वारा कराया गया है। इन 9671 कृषकों में से 9116 कृषकों को ₹ 687.61 लाख का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा कम्पनी के मुख्यालय से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जनपद हरिद्वार मे वर्ष 2006–07 से वर्ष 2010–11 तक, लगभग 4 साल बैठते हैं। मान्यवर, 9671 कृषकों द्वारा कुल कितना प्रीमियम जमा कराया गया ? दूसरा जो ₹ 687.61 लाख का प्रस्तावित भुगतान है, उसमें से 555 किसानों का क्या दोष था जिनको इससे वंचित किया जा रहा है ? क्या वे वांछित अर्हता पूर्ण नहीं कर रहे हैं या बगैर किसी मापदण्ड के सरकार की मनमानी चल रही है ? तीसरा अभी भी सरकार की संवेदनहीनता बनी हुई है। चूंकि 6 माह का समय भीषण प्राकृतिक आपदा को आये बीत गया है और किसान बरबादी की कगार पर जा चुका है, लेकिन यह कहना अतिशयोक्ति नही होगा कि 'रोम वाज बर्निंग एण्ड नीरो वाज प्लेइंग फ्लूट'। उसी प्रकार आज यह सरकार बिल्कुल भी चिन्तित नहीं है और निन्द्रा मे विलीन है और जो आपने इसमें एग्रीकल्चर इश्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया लिमिटेड उद्धृत किया है और आप उसकी बाट जोह रहे हैं। क्यो सरकार एक स्पष्ट निर्देश देकर ए0आई0सी0टी0आई0एल0 को बाध्य नहीं कर रही है कि अतिशीघ्र उनका भुगतान किया जाय ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, जहाँ तक भुगतान की बात है वह अप्रैल माह में पूर्ण कर लिया जायेगा।

कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

मान्यवर, किसानो को 6 माह बीत चुके है खून के आसू रोते हुए। उनका हिसाब कौन देगा ? हरिद्वार जनपद में जाकर देखें।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय सदस्य को बहुत कष्ट है, उनके कष्ट मे हम भी सहभागी हैं। लेकिन मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अप्रैल माह में किसानों का भुगतान कर दिया जायेगा। माननीय सदस्य ने जहाँ तक पूछा है कि जो ये 555 किसान हैं जिनको छोड दिया है। ये वे किसान है जो मानक के अन्तर्गत नहीं आ रहे थे। मानक ये है कि न्याय पंचायत में नुकसान दस प्रतिशत से अधिक होना चाहिए वे ही किसान इश्योरेन्स के मानक में आते हैं। दूसरी बात न्याय पंचायत उनका आधार क्षेत्र है, जैसे पहाडों मे तहसील है, वैसे ही मैदान में न्याय पंचायत है।

कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन'–

मान्यवर, क्या चार साल इन्होंने प्रीमियम जमा किया था ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय कुँवर साहब, पूरी बात आने दें।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, जिन किसानों ने प्रीमियम जमा किया है और जो इस क्राइटेरिया मे आते है। जिन किसानो का नुकसान हुआ है, उनको देने के लिए बाध्य है और उनको दिया जा रहा है।

कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन'–

मान्यवर, मतलब चार साल में 555 किसानो ने प्रीमियम नही दिया। आप इतना बता दें। मान्यवर, इनके अधिकारों का हनन हो रहा है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

कहीं पर 10 प्रतिशत से अगर कम लॉस हुआ है तो वो उस क्राइटेरिया में नही आते हैं, उनका भुगतान नहीं किया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय 'चैम्पियन' जी, आपकी बात आ गयी है।

कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन'–

मान्यवर, चार साल मे मैं जानना चाह रहा हूँ कि 9671 कृषकों द्वारा कुल कितना प्रीमियम दिया गया ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, कुल का 90 प्रतिशत।

कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन'–

मान्यवर, मैंने यह नही पूछा, मै धनराशि पूछ रहा हूँ। क्योंकि वे 555 किसान मेरे दरवाजे पर आने वाले हैं, पूछेंगे मुझसे।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, वर्ष 2007–08 में जो बीमित क्षेत्र था 258.7 हैक्टेयर और बीमित धनराशि ₹ 185.44 लाख है। यह खरीफ में था। कुल 544 किसान थे। चार साल में जो प्रीमियम आया है वह है ₹ 74.14 लाख रू0 प्रीमियम आया है और बीमित राशि है ₹ 3275.31।

कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन'–

क्या जनपद हरिद्वार में जो रबी की फसल वर्ष 2010 की आने वाली है और वहाँ फसल नहीं बोई जा रही है उसके बारे में आपने अपेक्षा की है जैसे ग्राम मथाना में महेन्द्र सिंह के खेत में, ड़ोढकी में जनेश्वर पंडित जी के खेत में 20 बीघे में गड्ढे हो गये हैं, 17–18 फिट के गड्ढे मान्यवर। उनकी भूमि में यह जगह नहीं बची कि कहाँ फसल बोयें। नदी का रेत जिसको पग बोलते हैं पांगी इतनी ज्यादा आ गयी है कि वहाँ गेहूँ नहीं बो सकते हैं आप। उसके विषय में आपने कुछ किया और अगर किया है तो क्या किया है ? उसके बाद विगत चार वर्ष में जनपद हरिद्वार में प्रति वर्ष कितने किसानों को खरीफ और रबी फसलों की क्षतिपूर्ति दिलायी है यह भी जरा बता दें।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, यह प्रश्न तो दूसरा हो गया, यह आपदा से सम्बन्धित है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बताया कि अप्रैल में पूरा भुगतान किया जायेगा, अभी नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय ''चैम्पियन'' जी, आप डायरेक्ट बात मत करिये, आप यहाँ बात करिये।

कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन'–

खरीफ में चावल आ गया और रबी में गेहूँ आ गया। रबी में आपने चार साल में क्या किया ? मैं यह जानना चाह रहा हूँ।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

यह अलग–अलग है। मैं आपको अलग–अलग बता दूँ। रबी की फसल में हरिद्वार जनपद में वर्ष 2006–07 में जो बीमित धनराशि थी ₹ 1.2 लाख और प्रीमियम जो मिला वह है ₹ 0.20 लाख, कोई क्षतिपूर्ति उसमें नहीं है। वर्ष 2007–08 में जो प्रीमियम आया ₹ 2.93 लाख आया और क्षतिपूर्ति की गयी ₹ 5.56 लाख और लाभान्वित कृषक हैं 389। वर्ष 2008–09 में प्रीमियम आया ₹ 1.78 लाख और क्षतिपूर्ति उसमें कोई नहीं की गयी। वर्ष 2009–10 में प्रीमियम आया है वह है ₹ 6.89 और क्षतिपूर्ति की गयी ₹ 9.77 लाख।

कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन'–

यह तो रबी की फसल का हुआ और खरीफ की ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मैं खरीफ की बता देता हूँ। वर्ष 2010–11 में मान्यवर, 687.61 की क्षतिपूर्ति की गई और जो प्रीमियम आया था वह 50.37 था और 9116 किसान इससे लाभान्वित हुये थे, अब खरीफ की बता देते हैं।

कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन'–

मान्यवर, मैंने कहा कि जहाँ रबी बोई नहीं जायेगी वर्ष 2010–11 में, तो आपने बताया क्या ? जहाँ गड्ढे हो गये हैं खेत में।

श्री अध्यक्ष–

आप डाइरेक्ट सवाल जवाब न करें।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहता हूँ कि जो बीमा होता है वह फसलों का होता है, जमीन का बीमा नहीं होता है और इसलिए फसलों का जो प्रीमियम किसान जमा करते हैं उसका भुगतान किया जाता है।

कुँवर प्रणव सिंह 'चैम्पियन'–

मान्यवर, सरकार की संवेदनशीलता होनी चाहिए, किसानों से सम्बन्धित मामला है, किसानों का कैसे होगा, जवाब नहीं आ रहा है।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से जानना चाहूँगा, सर्वप्रथम मैं धन्यवाद दूँगा कि हमारे यहाँ अदरक बहुत तादात में होता है और उसका आपने बीमा करवाया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और साथ ही मेरा प्रश्न यह है कि अदरक के जो किसान हैं, उस अदरक में एक ऐसा कीडा लग चुका है सारा अदरक सड चुका है और जो बीमा कम्पनी है उन्होंने बीमा करवाया है और प्रीमियम राशि वहाँ के किसानों ने दी है, और अदरक खराब हो गया है लेकिन उन्होंने अभी तक उनको लाभान्वित नहीं किया है, बीमा राशि नहीं दी, अदरक खराब हो गयी है और बीमा कम्पनी जो भरपाई करती है उस भरपाई का पैसा अभी तक नहीं दिया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र टिहरी के जो अदरक प्रधान क्षेत्र नरेन्द्र नगर व उसके आस–पास के गाव घाटी तक का आपको विधिवत ज्ञात है तो आप उसका भुगतान कब तक करवायेंगे ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, इसकी जाँच करवा ली जायेगी और बीमित जो किसान है उनको शीघ्र भुगतान कराये जाने की कार्यवाही होगी।

प्रदेश में फूलों की खेती को बढ़ावा देने हेतु नीति

*4–श्री प्रीतम सिंह–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कोई नीति है ?

यदि हाँ, तो उसका प्रारूप क्या है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जी हाँ।

व्यावसायिक दृष्टि से लाभदायी फूलों जैसे कि गुलाब, कारनेशन, ग्लेडीओलाई, गेंदा, ट्यूबरोज, जरबेरा, आरकीड, लिलियम आदि के उत्पादन हेतु विशेष कार्यक्रम चलाये जायेंगे तथा इनके पोस्ट हार्वेस्ट प्रबन्धन पर विशेष बल दिया जायेगा।

फूलों के निर्यात हेतु आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि दैवीय आपदा हुई, क्या उससे फूलों की खेती प्रभावित हुई ? यदि फूलों की खेती प्रभावित हुई तो कुल कितने की हानि हुई ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, सामान्यतः जो फूलों की खेती हमारे यहाँ हो रही है, जितना भी कट फ्लावर है। ....

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, आप हाँ या ना में जवाब दें कि क्या दैवीय आपदा से फूलों की खेती प्रभावित हुई, यदि हुई तो कितने क्षेत्रफल में प्रभावित हुई और उससे कितने की हानि हुई ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से जब दैवीय आपदा आती है तो उसमें कोई भी चीज बचती नहीं है, फल–फूल का भी नुकसान होता है, भूमि का भी नुकसान होता है।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जब उद्यान पर बजट आयेगा तब बताइयेगा, अभी आप टु दि प्वाइण्ट जवाब दीजिए। क्षति हुई तो कितनी हुई ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, क्षति हुई है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, कितनी हुई है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, उसका डेटा आपको उपलब्ध करा दिया जायेगा। फूलों की जो खेती है, जैसे मैंने कहा कि पॉली हाऊस में होती है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मुझे पता है कि फूलों की खेती कैसे होती है, ओपन स्पेस में भी होती है और पॉली हाऊस में भी होती है, मुझे यह बता दें कि दैवीय आपदा से फूलों की खेती प्रभावित हुई है ?

श्री अध्यक्ष–

बता तो रहे हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, कहाँ बता रहे हैं।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताने को तैयार हूँ। माननीय प्रीतम सिंह जी, आप थोड़ा धैर्य तो रखिये। यदि आप थोड़ा सा धैर्य रखते तो अब तक आपका उत्तर पूरा आ जाता। मैं आपको थोड़ा धैर्य की सलाह दूंगा, क्योंकि आप हमारे सर्वश्रेष्ठ विधायक हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारी फूलों की खेती होती है, यह ज्यादातर पॉली हाऊस में होती है और यह ज्यादातर मैदानी क्षेत्रों में होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में भी यह खेती है, लेकिन कम मात्रा में होती है। माननीय रणजीत सिंह जी कह रहे हैं मैं भी करता हूँ, मैं उनकी भावना को समझ रहा हूँ। मान्यवर दैवीय आपदा का प्रभाव पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा हुआ है, इसलिए मैदानी क्षेत्रों से अभी तक इस तरह की बात या इस तरह की कोई भी शिकायत हमारे पास नहीं है।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि पॉलीहाऊस आधारित जो फूलों की खेती प्रदेश में हो रही है, पिछले दो वर्षों में उसके उत्पादन में कितनी बढ़ोत्तरी या कितनी घटोत्तरी हुई है ? जो दूसरी बात माननीय मंत्री जी ने रखी पोस्ट हार्वेस्टिंग की तो प्रदेश सरकार द्वारा चूंकि ट्रांसपोर्टेशन इन फूलों का मण्डी तक करना एक अहम प्रश्न है, इसलिए मैं चाहूँगा कि कितने वातानुकूलित वाहन प्रदेश सरकार द्वारा संचालित किये जा रहे हैं ताकि ये फूल कृषकों के खेत से मण्डी तक पहुंचाये जा सकें ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सम्मानित सदस्य को बताना चाहता हूँ कि अभी तक जो वातानुकूलित वाहन की बात है, ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक राज्य में नहीं की गयी है।

लेकिन अभी राज्य सरकार द्वारा काशीपुर में एक टर्मिनल मण्डी के लिए भूमि की व्यवस्था हो गयी है और देहरादून मण्डी में इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। जहाँ तक प्रोडक्शन की बात है तो लगभग 100 करोड से अधिक के फूलों की हमने इस वर्ष में बिक्री की है और जिसमें पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 40 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

श्रीमती अमृता रावत–

मानानीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि पिछले चार वर्षों में कितने काश्तकारों को सब्सिडी उपलब्ध करायी गयी है और कितने काश्तकारों के आवेदन अभी तक लम्बित पडे हुए हैं और कितने वर्षों से काश्तकारों की सब्सिडी रोकी हुई है ? और जिस प्रकार से माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि आधारभूत व्यवस्थाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। इसमें मैं यह जानना चाहती हूँ कि इन आधारभूत व्यवस्थाओं की क्या व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है यह बतायें ? मान्यवर, क्या सरकार काश्तकारों के खेत से ही फूलों को उठाने की कोई व्यवस्था करेगी या नहीं ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मानानीय अध्यक्ष जी, जहाँ तक स्वीकृत प्रस्तावों की बात की गयी है तो चार वर्षों में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा जो कुल स्वीकृत प्रस्ताव हैं वह 597 हैं और जो स्वीकृत धनराशि है वह ₹ 1077.45 लाख है और जो फूलों के प्रस्ताव है वह 483 है और धनराशि ₹ 982.43 है। मान्यवर, जो राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत राशि 533 है और जो मैचिंग ग्रांट राज्य सरकार द्वारा दी गयी है, उसका जो विवरण है ₹ 1126.68 लाख है और जो लम्बित प्रस्ताव हैं वह 50 हैं, जिसकी धनराशि लगभग ₹ 450 लाख है।

श्रीमती अमृता रावत–

मानानीय अध्यक्ष जी, काश्तकारों की सब्सिडी कब से रोकी गयी है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मानानीय अध्यक्ष जी, इसमें एक दिक्कत है, जिसके कारण एक समस्या राज्य सरकार के सामने खडी हुई है। मान्यवर, जो बडे काश्तकार हैं, वे दिल्ली से अपनी स्वीकृति करा लेते हैं और राज्य में जो हम वित्त की व्यवस्था करते हैं, हमारा एक सिस्टम है, उसकी वजह से कुछ विलम्ब होता है, लेकिन उसको राज्य सरकार देती है। मान्यवर, ये 50 मामले अभी हमारे लम्बित हैं।

श्रीमती अमृता रावत–

मानानीय अध्यक्ष जी, इसको जरा दिखवा लें।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मानानीय अध्यक्ष जी, ठीक है इसको दिखवा लेंगे।

श्री रणजीत रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार भी किया कि पर्वतीय क्षेत्रों में फूलों का उत्पादन अभी पॉली हाऊसों के माध्यम से कम है। क्या पर्वतीय क्षेत्रों में पुष्प उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने कोई कार्य योजना बनायी है ? और दूसरा, जो पर्वतीय क्षेत्रों की विषम भौगोलिक परिस्थिति है, वहाँ पॉली हाऊस के लिए खेत को लैण्ड लेवलिंग में लगाते हैं, चाहे 560 स्क्वायर मीटर में लगाएं, चाहे 1120 स्क्वायर मीटर में लगाए, उसके लिए ज्यादा खर्च आता है। वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्च ज्यादा है। वहाँ पर कुशल कारीगरों को भी बाहर से लाना पड़ता है। इन सबकी वजह से वहाँ पर कॉस्ट बढ़ जाती है। क्या पर्वतीय क्षेत्रों में सब्सिडी बढ़ाने का सरकार का कोई विचार है ? ये दो चीजें मैं जानना चाहता हूँ। पिन प्वाइंटेड हैं।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ तक सब्सिडी बढ़ाने का सवाल है। अभी हमारी मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान विकास योजना जो चलाई जा रही है, उसमें 50 प्रतिशत के अनुदान पर पॉली हाऊस किसानों को दिये जा रहे हैं। इसमें विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्र के किसानों का ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि पहाड़ों में खेत छोटे हैं इसलिए 100 मीटर, 200 मीटर और 300 मीटर के हिसाब से व्यवस्था की गयी है ताकि पहाड़ो में भी फूलों की संरक्षित खेती कर सकें।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पिछले वित्तीय वर्ष में कितने फूलों का निर्यात किया गया और उससे कितना लाभांश प्राप्त हुआ ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, जो लूज फ्लावर हैं, वह लगभग 1041 मीट्रिक टन और जो कट फ्लावर हैं, ये 3414 करोड़ फूलों का उत्पादन किया गया।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैंने पूछा कि कितना निर्यात हुआ और उससे कितना लाभांश प्राप्त हुआ ? (व्यवधान)

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, निर्यात अभी नहीं हो रहा है। अभी हॉलैण्ड को हमारे सैम्पल भेजे गये हैं। (व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या–6 पुकारे जाने पर)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का पूरा जवाब नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष–

जवाब आ गया है। मंत्री जी ने बताया कि सैंपल भेजे गये हैं।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, सैम्पल हॉलैण्ड भेजे गये हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, क्या वह सैम्पल पास हो गया है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, अभी भेजे गये हैं।

*5–श्री जोत सिंह गुनसोला– स्थगित।

प्रदेश में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित सड़कों के रख रखाव एवं सुधारीकरण की नीति

*6–श्री महेन्द्र सिंह माहरा 'मदूं भाई'–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित सडकों के रख–रखाव एवं सुधारीकरण के लिए कोई नीति बनाई है ?

यदि नहीं, तो उक्त मोटर मार्गों को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण करने का कोई प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जी नहीं। मण्डी परिषद् द्वारा निर्मित सडकों के रख–रखाव एवं सुधारीकरण के लिये कोई नीति नहीं है। उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् के संचालक मण्डल की द्वितीय बैठक दिनांक 06–06–2001 में अनुमोदित अतिरिक्त प्रस्ताव 1 में नये सम्पर्क मार्गों का निर्माण करने के साथ–साथ पूर्व निर्मित सम्पर्क मार्गों की मरम्मत (जहाँ जैसी आवश्यकता हो) के अनुरूप व्यय करने की व्यवस्था है।

वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। फिर भी सम्यक् महत्व के कारण इस पर विचार किया जायेगा।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मद्दू भाई"–

मानीनीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या मण्डी परिषद् द्वारा सड़कों को चिन्हित किया गया है कि कितनी सड़कें मरम्मत योग्य है ? यदि हाँ, तो कितने किलोमीटर और किस–किस जनपद में ये चिन्हित हैं ? दूसरा, विगत 3 वर्षों में सड़कों के सुधारीकरण हेतु कितने धन का प्राविधान था और वर्षवार कितना धन खर्च हुआ ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जहाँ तक सुधारीकरण का प्रश्न है तो उसमें ऐसा कोई प्राविधान नहीं है लेकिन आवश्यकता के अनुसार, माँग के अनुसार उसमें समय–समय पर प्राविधान किया जाता है। जो मरम्मत योग्य सड़कें हैं, इनकी लिस्ट बहुत लम्बी है।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मद्दू भाई"–

मान्यवर, आपने जनपदवार चिन्हित तो किया होगा ?

त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं वही बता रहा हूँ, मरम्मत के लिये 29 नाग हैं, जिसकी लम्बाई 37,474 किलोमीटर है और इसकी लागत ₹ 431.37 लाख है। मान्यवर, जो सम्पर्क मार्ग हैं, मैं मण्डी क्षेत्र के हिसाब से बताना चाहता हूँ कि हल्द्वानी में एक किलोमीटर, इसे तो अब जोड़कर बताना पड़ेगा, क्योंकि अलग–अलग योजना के अनुसार हैं।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मद्दू भाई"–

मान्यवर, आपने जनपदवार तो चिन्हित किया होगा, तो मेरा प्रश्न है कि किस–किस जनपद में इन सड़कों की लम्बाई कितनी है, जो आपने जनपदों में चिन्हित किये है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मण्डी का अपना–अपना क्षेत्र होता है और मण्डी क्षेत्र के हिसाब से योजनायें बनाई जाती है और स्वीकृतियां होती है। वर्ष 2001–02 में ऐसी हल्द्वानी में चार योजनाये है, किच्छा में एक योजना है। वर्ष 2002–03 में हल्द्वानी में तीन योजनाये है, किच्छा में एक योजना है, सितारगंज में एक योजना है। वर्ष 2005–06 में खटीमा में एक, हल्द्वानी में वर्ष 2008–09 में एक योजना है और वर्ष 2009–10 में कोई योजना नहीं है। (व्यवधान) मान्यवर, मैं इसे माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा। (व्यवधान)

श्री गणेश जोशी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि मण्डी परिषद द्वारा सड़कों को बनाये जाने के मानक क्या हैं ? मान लीजिए कहीं पर 100 मीटर सी0सी0 मार्ग बनना है, तो उसकी क्या कॉस्ट होती है और लोगों द्वारा शिकायत

किये जाने पर मण्डी परिषद् द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है ? मसूरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बिष्ट गांव में एक सड़क मण्डी समिति द्वारा बनाई गई थी, उसकी शिकायत वहाँ के स्थानीय लोगों ने की थी, उसके खिलाफ अभी तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मण्डी परिषद् द्वारा जो सड़कें बनाई जाती हैं, उसके लिये मानक लोक निर्माण विभाग के ही होते हैं। जहाँ तक 100 मीटर या 200 मीटर सड़क बनाये जाने का प्रश्न है तो वह उस क्षेत्र की परिस्थिति और भौगोलिक संरचना के आधार पर इस्टीमेट बनाये जाते हैं। जहाँ तक मानक की बात है तो लोक निर्माण विभाग के मानकों के आधार पर ही सड़कों का आगणन तैयार किया जाता है। माननीय सदस्य ने योजना विशेष के सम्बन्ध में अवगत कराया तो हमारे पास इसकी शिकायत आयेगी तो निश्चित रूप से उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मदू भाई"–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में लिखा है कि लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण करने का कोई भी प्रस्ताव शासन में विचाराधीन नहीं है। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि जो सड़कें मण्डी परिषद् से निर्मित है, उनमें वाहन चलाने के लिए आर०टी०ओ० द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिया जाता है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें वैसे तो आर०टी०ओ० से सम्बन्धित सवाल है फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि जो सड़कें पी०डब्ल्यू०डी० के मानक के अनुसार बनती हैं, उन पर परमिट की व्यवस्था है।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मदू भाई"–

मान्यवर, परमिट की व्यवस्था कहाँ है, जितनी मण्डी परिषद् की सड़कें बनी हैं, आज तक कहीं आर०टी०ओ० से वाहनों के लिए स्वीकृति नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मण्डी परिषद् यह व्यवस्था करे कि आर०टी०ओ० के यहाँ से जितनी सड़कें मण्डी से निर्मित हो चुकी हैं, उनमें वाहन चलाने के लिए क्या मण्डी परिषद् यह व्यवस्था करेगी कि आर०टी०ओ० से उनकी गाड़ी पास हो जाय ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूँ कि कुछ मानक होते हैं और मानक के अनुसार अगर सड़क बनी होगी तो उसको आर०टी०ओ० को भेजने में कोई दिक्कत नहीं है। आर०टी०ओ० को इसके लिए बोला जायेगा।

डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, आवासीय कॉलोनी में सड़कें बनायी जा रही है मण्डी समिति द्वारा जहाँ कोई कृषि उत्पाद नहीं चलता। आवासीय कॉलोनी कट रही है उसमें मण्डी समिति के पैसे

से सडकें बनायी जा रही हैं। ये बहुत बड़ा घोटाला है मान्यवर कि बिल्डर कॉलोनियॉं काट रहे हैं और मण्डी समिति से वहॉं पर सडकें बन रही हैं। वहॉं पर किसी प्रकार का कृषि उत्पाद नहीं चलता। ये बिल्कुल बिल्डर से मिलकर मण्डी समिति वाले, (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

ये आपने कहॉं से बोलना शुरू कर दिया। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान) कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मदू भाई"–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि जितनी निर्मित सडकें आपकी पर्वतीय अंचल में हैं, उसकी व्यवस्था तो आप आर0टी0ओ0 से परमिट देने की या उन सडकों को पास करवाने की करवा ही सकते है। ये करेंगे तो कब तक करवा देंगे ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, हमारे पास ज्यों ही आप कोई योजना विशेष तो ..... (व्यवधान)

श्री महेन्द्र सिंह माहरा "मदू भाई"–

मान्यवर, विवरण तो सारा मण्डी परिषद् में है जितनी पर्वतीय अंचल में ..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय माहरा जी, आप अपना प्रस्ताव दीजिए ना। माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम करेंगे। बताईये कौन सी सडक चाहते है आप ?

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, मेरा यह कहना था कि जो आवासीय कालोनियॉं बन रही है उसके अन्दर मण्डी समिति के द्वारा विभिन्न आर0सी0सी0 रोडें बनायी जा रही हैं। क्या ये उसके मानक में आती हैं ? और यदि नहीं आती है तो उस पैसे को वसूलने का, जो सडकें बनी है, आवासीय कालोनी में किसानों का हित नजरअंदाज किया गया है, क्या उस पैसे की रिकवरी मण्डी समिति के द्वारा जो सम्बन्धित मण्डी समिति है, उससे करेगी, सरकार करेगी ? मैं ये जानना चाह रहा हूँ।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में मण्डी परिषद् द्वारा जो सडकें बनायी गयी हैं, आप आर0टी0ओ0 को वाहन संचालन के लिए लिखेंगे तो हमको कोई आपत्ति नहीं, इसे किया जायेगा। दूसरी जो आवासीय कालोनी वाली बात सम्मानित डा0 साहब ने कही हैं, वास्तव में ये यदि ऐसा मसला है तो इसकी जॉंच की जायेगी और उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

सौर ऊर्जा प्रकाश स्तम्भों के आवंटन की नीति

*7—श्री रणजीत रावत—

क्या वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार की विधान सभा क्षेत्रवार सौर ऊर्जा प्रकाश स्तम्भों के आवंटन की कोई नीति है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

वैकल्पिक ऊर्जा, पंचायती राज एवं होमगार्ड मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी)—

जी नहीं।

सौर ऊर्जा प्रकाश स्तम्भों की योजना केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। इस वित्तीय वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा इस योजना हेतु 90% या ₹ 270 प्रतिवाट (दोनों में से जो भी कम हो) वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है, शेष धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। प्रति संयंत्र रख-रखाव हेतु ₹ 5000 की धनराशि एक बार ग्राम सभा से प्राप्त की जाती है। जिन ग्राम सभाओं द्वारा उक्त धनराशि उपलब्ध कराने की सहमति दी जाती है, उन ग्राम सभाओं के प्रस्ताव स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित किए जाते हैं।

श्री रणजीत रावत—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या ग्राम सभा के अलावा भी ये जो सोलर लाइटें (प्रकाश स्तम्भ) लगायी जा रही हैं, दूसरी एजेन्सियों द्वारा इनको लगाने का प्राविधान है ? उत्तर में माननीय मंत्री जी ने कहा है कि ₹ 5 हजार रख-रखाव के लिये ग्राम सभा द्वारा देने पर, अगर प्रस्ताव आयेगा, लगायी जाएंगी। क्या इसके अलावा भी अन्य एजेन्सियों द्वारा लगायी जा रही हैं और दूसरा जो प्रकाश स्तम्भ विधायक निधि से लगाये जा रहे हैं, क्या विधायक दूसरे क्षेत्र में भी उनको लगा सकते है ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी—

मान्यवर, केवल ₹ 5 हजार जमा करने की इसमें निधि है, क्योंकि जो इसकी बैटरी है, वो 4 साल, 5 साल मे रिप्लेसमेंट हो जाती है और उसकी कास्ट लगभग ₹ 6 हजार, ₹ 7 हजार आती है। 5 हजार जिन ग्राम सभाओं से पैसा जमा होगा केवल वहीं पर ये स्ट्रीट लाईट दी जायेंगी और अगला प्रश्न विधायक निधि का सीमित कार्यक्षेत्र है, केवल विधायक अपने ही क्षेत्र मे इस पैसे को दे सकते हैं। जो 05 हजार मार्जिन मनी जमा करेगा, वह अपने क्षेत्र में लगा सकता है।

श्री रणजीत रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिन स्ट्रीट लाइटों को दूसरे विधान सभा क्षेत्रों में लगाया गया है और उन पर बकायदा बोर्ड लगाये गये है, लिखे गये हैं। क्या आप उसको मिटाने का काम करेंगे क्योंकि रख–रखाव का पैसा आपने ले रखा है ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, यह विधान सभा क्षेत्रवार आवंटन है और इसमें ग्राम्य विकास का जी0ओ0 भी जारी है।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, मैं कह रहा हूँ जो लगाये गये हैं, वह आपके विभाग द्वारा लगाये गये है। मेरी विधान सभा क्षेत्र में लगाये गये हैं, उनमें लिखा गया है माननीय विधायक फला और माननीय जिला पंचायत उपाध्यक्ष द्वारा, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा, मैं स्ट्रीट लाईट हटाने की बात नहीं कह रहा हूँ। क्या आप इन बोर्डों को मिटाने का काम करेंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक केस होगा तो उसकी जाँच करवा दी जायेगी।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, स्पेसिफिक मैंने बता दिया कि मेरी विधान सभा क्षेत्र में हैं। आप उनको मिटाने का काम करेंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, पहले हम इसका संज्ञान ले लेंगे अगर ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप से इसमें कार्यवाही की जायेगी।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपने इसी सदन में पिछली बार जब मैंने प्रश्न किया था तो आपने मुझे आश्वस्त भी किया था कि जो बछेलीखाल में कई वर्ष पुराना हमारा पवन ऊर्जा केन्द्र स्वीकृत है उसे बनवाने हेतु आपने मेरे को आश्वासन दिया था कि हम वहाँ पर तीन महीने के अन्दर काम शुरू कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, यहाँ स्ट्रीट लाईट की बात हो रही है तो पवन ऊर्जा की बात कहाँ से आ गयी।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, आपने आश्वासन भी दिया था लेकिन वहाँ पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि आप वहाँ पर काम कब शुरू करवायेंगे ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, यह प्रश्न पवन ऊर्जा से सम्बन्धित है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था।

श्री अध्यक्ष–

आश्वासन दिया था तो यह मामला आश्वासन समिति को चला गया होगा।

श्री मयूख सिंह बोहरा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि स्ट्रीट लाईट के अलावा सोलर फैन्सिंग की कोई योजना व्यक्तिगत रूप से दी जाती है ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, हमारे यहाँ ऐसा कोई प्राविधान नहीं है।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि जो भी विधायक पाँच हजार रुपया लाईट के लिए जमा करायेगा वह स्ट्रीट लाईट अपने क्षेत्र में लगा सकेगा। मान्यवर, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि मैं जानना चाहता हूँ कि अगर आज आप वैकल्पिक ऊर्जा विभाग से कहते हैं कि मेरे क्षेत्र में लाईट लगनी है तो जवाब आ रहा है कि यह अटल आदर्श गाँवों में लगाये जायेंगे, इसके अलावा अगर आपने कहीं लगानी है तो 27 हजार देना पड़ेगा।

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, ऐसा नहीं है, पहला जो हमारा टार्गेट है कि जो हमारे अटल आदर्श गाँव हैं उनमें यह योजना लागू होगी। उसके अलावा जो ग्राम सभायें ₹ 05 हजार जमा करना चाहती हैं उनके प्रस्ताव निश्चित रूप से भारत सरकार को जायेंगे।

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि पिछले चार वर्षों में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्रवार कितने सौर ऊर्जा प्रकाश स्तम्भ लगाये गये हैं, और पिछले चार वर्षों में उत्तराखण्ड में कितने प्रकाश स्तम्भ खराब हुए हैं और कितने प्रकाश स्तम्भों को ठीक किया गया है ?

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, एक तो उत्तर दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गई है।

*8–श्रीमती अमृता रावत–

चतुर्थ सोम० के तारांकित प्र०सं०–04 में स्था०।

अतारांकित प्रश्न

विकास खण्ड कोट तथा पुसगली में पशुचिकित्सालय बड़ूढ का संचालन अन्यत्र विकास खण्ड में किये जाने के कारण एवं प्रस्ताव पत्रों पर की गई कार्यवाही

1–श्रीमती अमृता रावत–

विधान सभा के प्रथम सत्र 2010 के तृतीय गुरुवार को उत्तरित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या–07 के सन्दर्भ में पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्राम बड़ूढ, विकास खण्ड कोट तथा स्थान पुसगली, विकास खण्ड पौड़ी के अन्तर्गत स्थित है ?

यदि हाँ, तो पशुचिकित्सालय बड़ूढ का संचालन स्वीकृत स्थान के बजाय दूसरे विकास खण्ड में किये जाने के क्या कारण हैं ?

नोट–तारां० प्रश्न सं०–07 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि पशु चिकित्सालय बड़ूढ को सम्बन्धित ग्राम सभा के अन्तर्गत संचालित करने के सम्बन्ध में क्षेत्र पंचायत कोट (गढ़वाल) तथा ग्राम सभा गेण्ड के द्वारा विभाग को कब–कब प्रस्ताव/पत्र प्राप्त हुए है और उक्त प्रस्तावों/पत्रों पर अब तक की गई कार्यवाही का विवरण क्या है ?

क्या उक्त पशुचिकित्सालय का स्वीकृत स्थान तथा विकास खण्ड से बाहर संचालित करने के सम्बन्ध मे ग्राम सभा गेण्ड की सहमति ली गई है ?

यदि हाँ, तो कब ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जी हाँ।

पशुचिकित्सालय हेतु स्वीकृत स्थान ग्राम बड़ूढ में भूमि/भवन की उपलब्धता न होने के कारण ग्राम बड़ूढ के समीपस्थ स्थान घुसगली में जलागम द्वारा निर्मित निष्प्रयोज्य भवन पशुपालन विभाग को हस्तान्तरित होने के कारण संचालित किया जा रहा है।

पशुचिकित्सालय बड़ूढ को सम्बन्धित ग्राम सभा के अन्तर्गत संचालित किये जाने के सम्बन्ध में प्राप्त पत्रों एवं कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है :–

1–प्रमुख, क्षेत्र पंचायत कोट के मुख्य पशुचिकित्सा अधिकारी, पौड़ी को सम्बोधित पत्रांक–मैमो दिनांक 2 जुलाई, 2010, जिसमें यह अवगत कराया गया है कि बड़ूढ गांव में पशुचिकित्सालय हेतु जमीन का चयन किया जा रहा है, जमीन चयन होने पर भवन निर्माण की कार्यवाही शीघ्र करने एवं तब तक उक्त पशुचिकित्सालय को घुसगली में ही संचालित करने का अनुरोध किया है।

2–प्रधान ग्राम सभा पौड़ी (बड़ूढ) के पत्र दिनांक 28–6–2010 में यह अवगत कराया है कि जब तक बड़ूढ में पशुचिकित्सालय का भवन निर्माण नहीं होता है तब तक पशुचिकित्सालय घुसगली में ही यथावत रहने दिया जाय।

3–प्रधान, ग्राम सभा गेण्ड का पत्र 29 मई, 2010 जो मा० सतपाल महाराज, संसद सदस्य (लोक सभा) को सम्बोधित है, जो दिनांक 16 जून, 2010 के माध्यम से प्राप्त हुआ, जिसमें पशुचिकित्सालय बड़ूढ को पूर्व माध्यमिक विद्यालय के भवन में संचालित करने का अनुरोध किया गया है।

प्रधान, ग्राम सभा गेण्ड के उक्त पत्र के अनुसार उपरोक्त पशुचिकित्सालय को पूर्व माध्यमिक विद्यालय में संचालित करना व्यवहारिक न होने के कारण वर्तमान में उक्त पशुचिकित्सालय घुसगली मे संचालित किया जा रहा है तथा स्वीकृत स्थान बड़ूढ मे पशुचिकित्सालय संचालित किये जाने हेतु भूमि की उपलब्धता के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वीकृत स्थान ग्राम बड्डू में पशुचिकित्सालय की स्थापना हेतु भूमि/भवन की उपलब्धता न होने के कारण ग्राम–बड्डू के समीपस्थ स्थान घुसगली में, जहाँ पर पशुचिकित्सालय हेतु राजकीय भवन उपलब्ध था, उक्त पशुचिकित्सालय संचालित करते हुये स्थानीय पशुपालकों को विभाग द्वारा समस्त सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। पशुचिकित्सालय को घुसगली में संचालन हेतु क्षेत्र प्रमुख पंचायत कोट एवं ग्राम प्रधान घीड़ी द्वारा अनुरोध किया गया है।

जनपद पौड़ी अन्तर्गत कार्यरत पशुधन प्रसार अधिकारियों के रिक्त पदों पर तैनाती

2–श्रीमती अमृता रावत–

क्या पशुपालन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत कार्यरत पशुधन प्रसार अधिकारियों के रिक्त पदों पर कब तक तैनाती की जायेगी ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

पशुधन प्रसार अधिकारियों के 118 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों का 02 वर्षीय विभागीय प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त प्रदेश के समस्त जनपदों की आवश्यकतानुसार ही पशुधन प्रसार अधिकारियों के पदों पर तैनाती की जायेगी।

जनपद रुद्रप्रयाग, बागेश्वर तथा चम्पावत में होमगार्ड्स जिला कमाण्डेन्ट कार्यालय की स्थापना व बीमा की सुविधा

3–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या कारागार मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रुद्रप्रयाग, बागेश्वर तथा चम्पावत में होमगार्ड्स जिला कमाण्डेन्ट कार्यालय की स्थापना की जा चुकी है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार ने होमगार्ड बीमा प्रीमियम का भुगतान कर दिया है। तथा कुल कितने होमगार्डों का बीमा करवाया गया है तथा कितने समय तक बीमा करवाया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ।

राज्य के 6411 होमगार्ड्स स्वयं सेवकों का दुर्घटना बीमा किया गया है, जिसकी समयावधि दिनांक 04–02–2011 से 03–02–2012 तक है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में राज्य कीट का चयन करने की घोषणा।

4–श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड राज्य मे राज्य वृक्ष, पशु, पक्षी, तथा पुष्प की ही भांति पारिस्थितिकी तंत्र में कीटों की महत्वपूर्ण भूमिका को दृष्टिगत रखते हुये राज्य कीट का चयन करने हेतु सरकार विचार कर रही है ?

यदि हॉ, तो सरकार किस कीट को राज्य कीट घोषित करेगी ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के मोहान नामक स्थान पर वर्षों से बन्द पशु मेला का पुनः संचालन

5–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या पशुपालन मंत्री अवगत है कि जनपद अल्मोड़ा के मोहान नामक स्थान पर वर्षों से पशु मेला संचालित होता रहा है जिसके फलस्वरूप गढ़वाल व कुमाऊँ के क्रेता व विक्रेता कृषक पशुओं के खरीद फरोक्त के साथ ही समय–समय पर प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से काफी रोजगारपरक योजनाओं का सृजन होता था ?

यदि हॉ, तो क्या सरकार वर्षों से बन्द हुए इस मेले को पुनः संचालित करने पर विचार करेगी ? यदि हॉ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जी हॉ।

शासनादेश सं0 2722/XV–1/10/7(59)/08, दिनांक 22–12–2010 के द्वारा पशु मेला आयोजन हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं तथा वर्तमान में उक्त शासनादेश के अनुसार पशु मेलो के आयोजन पर किसी प्रकार की कोई रोक नही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्र सरकार द्वारा लागू पशु नस्ल सुधार योजना के द्वारा पशु प्रजातियों में सुधार हेतु प्रयोग

6–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या पशुधन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि केन्द्र सरकार द्वारा लागू पशु नस्ल सुधार योजना के अन्तर्गत प्रदेश में किन–किन पशुओं की प्रजाति में सुधार हेतु यह प्रयोग अब तक किया गया है ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय गौ एवं महिषवंशीय पशु प्रजनन (एन0पी0सी0बी0बी0बी0) योजनान्तर्गत राज्य में गाय तथा भैंस प्रजाति में सुधार हेतु योजना वर्ष 2001–02 से लागू की गई है। इस योजना में गौ तथा महिषवंशीय प्रजाति में सुधार हेतु यह प्रयोग किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2010–11 तक ब्लाक मुख्यालय में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना तथा लाभ

7–श्री जोत सिंह गुनसोला–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2010–11 तक कुल कितने जिलों के ब्लाक मुख्यालय में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गई ?

क्या किसानों को इसका लाभ मिल रहा है ?

यदि हाँ, तो किस सीमा तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2010–11 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रत्येक जनपद में एक–एक कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना की है, जो सम्पूर्ण जनपद हेतु उत्तरदायी है न कि केवल ब्लाक हेतु।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उद्देश्यों के अनुरूप कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा पूरे जनपद के किसानों को फसल प्रदर्शन, प्रशिक्षण, आन फार्म परीक्षण किसान मेला, कृषि सम्पर्क, कृषक गोष्ठी एवं कृषक महोत्सव आदि के माध्यम से कृषि की नवीनतम तकनीकी जानकारी एवं उन्नतशील बीजों एवं फल पौधों को उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उद्यान नीति के अन्तर्गत उद्यानों का सृजन व जनपदवार विवरण

8—श्री जोत सिंह गुनसोला—

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्तमान उद्यान नीति के अन्तर्गत कुल कितने उद्यानों का सृजन किया गया है ?

क्या मंत्री जी प्रत्येक उद्यान का जनपदवार विवरण उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत—

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड के अधीन वर्तमान में कुल 90 राजकीय उद्यान/पौधालय स्थापित हैं।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के राजकीय उद्यानों/पौधालयों का जनपदवार विवरण संलग्न है।†

होमगार्ड्स का मानदेय बढ़ाने पर विचार

9—श्री केदार सिंह रावत—

क्या कारागार मंत्री अवगत है कि होमगार्ड्स के जवानों से पुलिस थानों में पूरा कार्य लिया जाता है ?

क्या यह सत्य है कि इनका मानदेय बहुत कम है ?

यदि हाँ, तो क्या सरकार होमगार्ड्स का मानदेय बढ़ाने पर विचार कर रही है ?

यदि हाँ, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी—

जी हाँ, होमगार्ड्स के स्वयं सेवकों से पुलिस थानों में 8 घण्टे कार्य लिया जाता है।

वर्तमान में होमगार्ड्स के स्वयं सेवकों को ₹ 150/— प्रतिदिन ड्यूटी भत्ते का भुगतान दिनांक 01—04—2010 से किया जा रहा है।

जी हाँ। प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

---

† (देखिये आगे नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या 191—194 पर)

'राष्ट्रीय उद्यान मिशन' योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007 से 2011 तक स्वीकृत धनराशि का जनपदवार विवरण व व्यय राशि का ब्यौरा

10–श्री दिनेश अग्रवाल एवं श्री किशोर उपाध्याय–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ''राष्ट्रीय उद्यान मिशन'' योजना प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है ?

यदि हाँ, तो इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2007–08, 08–09, 09–10, 10–11 में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि का जनपदवार विवरण क्या है तथा प्रत्येक जनपद में इस स्वीकृत धनराशि में से प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक कितनी धनराशि व्यय की गई है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जी हाँ।

कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित एच0एम0एन0ई0एच0 योजनान्तर्गत केन्द्र द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2007–08 से वर्ष 2010–11 (माह फरवरी, 2011 तक) तक स्वीकृत एवं व्यय की गई धनराशि का जनपदवार विवरण संलग्न है।†

जनपद चम्पावत के तहसील लोहाघाट मुख्यालय में कृषि मण्डी न खुलने के कारण

11–श्री महेन्द्र सिंह माहरा ''महू भाई''–

क्या कृषि मंत्री अवगत है कि जनपद चम्पावत के तहसील लोहाघाट मुख्यालय में मण्डी खोलने हेतु वर्ष 2003–04 में जमीन का चयन कर औपचारिकता पूरी कर ली गई थी ?

यदि हाँ, तो अभी तक मण्डी न खोलने का क्या कारण है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

जी हाँ।

वर्ष 2003–04 में उप मण्डी स्थल, लोहाघाट के निर्माण हेतु दिनांक 15–01–2003 को भू–चयन समिति की बैठक में भूमि चयनित कर ली गई थी।

वन भूमि हस्तान्तरण की स्वीकृति प्राप्त होनी शेष है।

---

† (देखिये आगे नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ संख्या 195 पर)

प्रदेश में तराई व भावर क्षेत्र में सिंचित भूमि व असिंचित भूमि का विवरण

12–श्री मनोज तिवारी–

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करें कि प्रदेश में तराई व भावर क्षेत्र में कितना कृषि योग्य क्षेत्रफल है ? उक्त कृषि योग्य भूमि में कितना क्षेत्रफल सिंचित भूमि की श्रेणी मे आता है व कितना क्षेत्रफल असिंचित भूमि में आता है ?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

उत्तराखण्ड के तराई एवं भावर मैदानी क्षेत्रों मे कृषि योग्य क्षेत्रफल 233381 हेक्टेयर है, जिसमें से 190224 हेक्टेयर क्षेत्रफल सिंचित है व 43157 हेक्टेयर असिंचित है।

जनपद अल्मोड़ा के भिकियासैंण ब्लॉक समिति की दिनांक 28 05 2011 की बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों पर कार्यवाही

13–श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकारी दिशा निर्देशों के बावजूद जनपद अल्मोड़ा के भिकियासैंण ब्लॉक समिति की बैठक में दिनांक 28–05–2010 को कितने अधिकारी अनुपस्थित थे ?

क्या सरकार अनुपस्थित अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ?

यदि हॉं, तो कब तक ?

यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी–

जनपद अल्मोड़ा के भिकियासैंण ब्लॉक समिति मे दिनांक 28–05–2010 को (1) ग्राम्य विकास विभाग से जिला विकास अधिकारी (2) पंचायती राज विभाग से जिला पंचायत राज अधिकारी (3) समाज कल्याण विभाग से जिला समाज कल्याण अधिकारी (4) कृषि विकास से मुख्य कृषि अधिकारी (5) विद्युत विभाग से अधिशासी अभियन्ता (विद्युत) (6) सिंचाई विभाग से अधिशासी अभियन्ता (सिंचाई) (7) उद्यान विभाग से जिला उद्यान अधिकारी एवं (8) दुग्ध विभाग से प्रबन्धक दुग्ध विकास अल्मोड़ा उपस्थित नहीं थे। इस प्रकार कुल 08 विभागों के अधिकारी अनुपस्थित पाये गये हैं।

जी हॉं।

अनुपस्थित अधिकारियों से मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा के कार्यालय पत्रांक–606 (1)/पं०/क्षे०पं०वि०/2010–11, दिनांक 16 सितम्बर, 2010 द्वारा स्पष्टीकरण प्राप्त होने के पश्चात अनुपस्थित अधिकारियों को भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति के लिये चेतावनी दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता है।

विपक्ष द्वारा आमरण अनशन में बैठे सम्मानित विधान सभा सदस्य से वार्ता की पुनः मांग

श्री प्रीतम सिंह–

मानानीय अध्यक्ष जी, हमारे एक साथी विधायक आमरण अनशन पर बाहर बैठे हैं। आपने कहा था कि प्रश्नकाल के बाद बात करेंगे।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समस्त सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर जोर–जोर से अपनी बात को कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय विधायक जी की बात कर रहा हूँ। कृपया स्थान ग्रहण करें। वास्तव मे यह अपने आप में एक चिन्ता का विषय है। इस सम्बन्ध मे हमने बार–बार माननीय विधायक जी से अनुरोध भी किया कि कृपया जो उनका निर्णय है उस पर वे पुनर्विचार करें, परन्तु उनका इस विषय पर कहना था कि यह उनका संवैधानिक अधिकार है, अपनी बात को रखने का, आंदोलन करने का। तो निश्चित रूप से मैं पुनः भोजनावकाश में फिर निवेदन कर लूंगा और वर्तमान में मैंने उनकी आज मेडिकल रिपोर्ट भी मंगवाई थी उसमें कोई एबनॉरमैलिटी नहीं है। भोजनावकाश में फिर अनुरोध करूँगा।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय विधायक जी अपने क्षेत्र की मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह चिन्ता का विषय है और यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

*काजी मो० निजामुद्दीन–

मान्यवर, जब कोई एबनॉरमैलिटी हो जायेगी तभी डिसीजन लेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

मैं भोजनावकाश के समय उनसे पुनः निवेदन करूँगा।

* सदस्य ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री प्रीतम सिंह–

मानानीय विधायक जी अपने क्षेत्र की मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे है और खासतौर से रानीचौरी में जो विश्वविद्यालय था, उसको स्थानान्तरित करने के मामले को लेकर।

श्री अध्यक्ष–

यह विषय बार–बार आ चुका है।

(व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, सुन तो लें। इस परिप्रेक्ष्य में श्रीवास्तव आयोग का गठन किया गया था इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए। सरकार संख्या बल के आधार पर उस विश्वविद्यालय को टिहरी से स्थानान्तरित करने का काम कर रही है। यह उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

यह विषय तो आ चुका है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि भोजनावकाश के समय वार्ता कर लेंगे।

नियम 300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–300 के अन्तर्गत पहली सूचना हाजी तस्लीम अहमद, दूसरी सूचना श्री बिशन सिंह चुफाल, तीसरी सूचना श्री जोगाराम टम्टा, चौथी सूचना श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, पाचवीं सूचना कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'', छठी सूचना श्री पुष्पेश त्रिपाठी, सातवी सूचना काजी मौ0 निजामुद्दीन, आठवीं सूचना श्री सुरेन्द्र राकेश, नौवीं सूचना श्री नारायण पाल, दसवीं सूचना श्रीमती अमृता रावत तथा 11वीं सूचना श्री सुरेश चन्द जैन की, इस प्रकार कुल 11 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से पहली सूचना श्री बिशन सिंह चुफाल, दूसरी सूचना श्री जोगाराम टम्टा, तीसरी सूचना श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, चौथी सूचना कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'', पांचवी सूचना श्री पुष्पेश त्रिपाठी, छठी सूचना काजी मौ0 निजामुद्दीन, सातवीं सूचना श्री सुरेश चन्द जैन की, इस प्रकार कुल 7 सूचनाओं को नियम–300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनायें अस्वीकार हुई।

काजी मौ0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, नियम–299 की सूचना है।

श्री अध्यक्ष–

यह भी लेते हैं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री बिशन सिंह चुफाल का नाम पुकारे जाने पर वे सदन में उपस्थित नहीं थे)

जनपद पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट के ग्राम लैचुराल जोशी के निवासी श्री लक्ष्मण राम टम्टा की दिनांक 18 मार्च, 2011 को हत्या किये जाने एवं पीड़ित परिजनों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना।

श्री जोगा राम टम्टा–

[मान्यवर, मेरी विधान सभा के अन्तर्गत तहसील गंगोलीहाट के ग्राम पंचायत चौली के गाव लैचुराल जोशी के निवासी श्री लक्ष्मण राम टम्टा की दि0 18–03–2011 को अपराह्न में पीट–पीटकर हत्या कर दी गयी। श्री लक्ष्मण राम टम्टा, उम्र करीब 55 वर्ष, अनुसूचित (शिल्पकार) जाति के व्यक्ति थे। वह अपने बड़े भाई की अंत्येष्टि कर घर लौट रहे थे। उनके घर के पास ही समीप के गांव के सवर्णों द्वारा जातिगत भेदभाव/विद्वेष के कारण पीट–पीटकर हत्या कर दी गयी। अपने पीछे वह पत्नी, दो लड़कों एवं एक लड़की को छोड़ गये हैं। ग्रामीण क्षेत्र होने की वजह से राजस्व पुलिस ने तुरन्त कार्यवाही कर आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। यह प्रचारित किया जा रहा है कि आरोपी युवक नशे की हालत में थे, ताकि उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही न हो सके। यह मामला अत्यन्त गम्भीर है। संवैधानिक व्यवस्था एवं अन्य कानूनों के होते हुए भी जातिगत भेदभाव के आधार पर ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं।

इस अत्यन्त अफसोसजनक मामले में मैं सरकार का ध्यान आकर्षित कर अनुरोध करता हूँ।]

प्रदेश में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के चयन हेतु 2 वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी परीक्षायें न होने पर व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

[मान्यवर, सरकार द्वारा वर्ष 2008 में ग्राम पंचायत विकास अधिकारियो के पदो हेतु विज्ञप्ति निकाली गयी थी जिसमें ₹ 100 का बैंक ड्राफ्ट जमा करने की अन्तिम तिथि 21 जुलाई, 2008 थी। उसके उपरान्त इस हेतु परीक्षाओं की व्यवस्था थी पर लगभग 2 वर्ष 8 माह बीत जाने के उपरान्त भी अभी चयन हेतु परीक्षायें आदि आयोजित नहीं होने से युवाओं में भारी असन्तोष व्याप्त हो रहा है जो गम्भीर आन्दोलनों का कारण बन सकता है।

नोट:– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के तात्कालिक प्रश्न पर सरकार से माग करता हूँ कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों पर विज्ञप्ति के अनुरूप अविलम्ब चयन प्रक्रिया शुरू करें। इससे जहाँ युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे वहीं राज्य में इस प्रकार के कार्मियों की कमी भी दूर होगी।]

(व्यवधान के मध्य)

जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड चौखुटिया तथा स्याल्दे की लगभग 25 पेयजल विहीन ग्राम सभाओं हेतु असुरगढ़ी पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, जनपद अल्मोड़ा के वि०ख० चौखुटिया तथा स्याल्दे में आज भी बहुत सारी ग्राम सभायें सुरना, रेखाड़ी, बग्वालीखेत, गोपालगांव सुरना, फडिका, जाला चौना, जैला, जालूरी तथा धन्याल, कलछीपा, मगरूआ, तामाडौन सहित 25 ग्राम सभायें पेयजल के भारी संकट से गुजर रही हैं। इन सभी ग्राम सभाओं के प्राकृतिक जल स्रोत या तो सूख चुके हैं अथवा सूखने के कगार पर हैं। जीवन यापन की गम्भीर समस्या पैदा हो गई है। इस कारण सभी ग्रामवासियों में भारी निराशा एवं रोष है।

अतः सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रभावी कार्यवाही की मांग करते हुए इन ग्राम सभाओं हेतु रामगंगा नदी में असुरगढ़ी पम्पिंग योजना के निर्माण की अपेक्षा करता हूँ।

जनपद हरिद्वार के तहसील लक्सर क्षेत्र में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से प्रभावित गन्ना किसानों को उचित मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना।

कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"–

मान्यवर, उत्तराखण्ड राज्य के जनपद हरिद्वार में तहसील लक्सर का खादर क्षेत्र है, जो पूर्व दिशा में गंगा नदी एवं पश्चिम दिशा में सौलानी नदी के मध्य का अत्यधिक जल प्लावन प्रभावित क्षेत्र है। जैसा कि प्रति वर्ष बरसात के दौरान खादर क्षेत्र में बहुत जल भराव हो जाता है, जिससे गन्ने की फसल सर्वाधिक नष्ट हो जाती है और जैसा विगत सितम्बर, 2010 के दौरान अतिवृष्टि से बाढ़ के कारण लगभग 85 प्रतिशत गन्ना नष्ट हो गया। उक्त परिवेश में किसान बहुत परेशान हो जाते हैं। जैसा कि गन्ने की सामान्यतः उगाई जाने वाली शीघ्र एवं देर से पकने वाली प्रजातियां, इस खादर के जल प्लावन प्रभावित क्षेत्र में नाकामयाब हैं, इसलिए मात्र दो गन्ने की प्रजातियां क्रमशः (1) बी०ओ०–91 एवं (2) "फुलंनिया"–92423 ही यहाँ पर कामयाब हैं, लेकिन इन दो प्रजातियों

में चीनी की कम मात्रा के कारण, चीनी मिलें इनको निषिद्ध कर देती हैं। अतः जनहित में, सरकार इस क्षेत्र के शोषित किसानों की दुर्दशा को दृष्टिगत रख विशेष नीति बनाकर कुछ कम दर पर इनका मूल्य निर्धारित कर खादर क्षेत्र में उक्त दोनों प्रजातियों को प्रोत्साहन प्रदान करे एवं चीनी मिलों को भी सहयोग हेतु राजी करे।

अतः लोकहित के इस महत्वपूर्ण विषय पर मैं सरकार का ध्यानाकर्षण कर उचित कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने की माँग करता हूँ।

जनपद हरिद्वार के कस्बा मंगलौर में पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

काजी मो0 निजामुद्दीन–

[मान्यवर, कस्बा मंगलौर, जनपद हरिद्वार में इस समय भारी पेयजल संकट है। कस्बे में इस समय एक ओवर हैड टैंक (ओ0एच0टी0) है, जो कि जर्जर अवस्था में है। यह घनी आबादी में स्थित है और इसको पेयजल विभाग द्वारा अप्रयोज्य घोषित कर दिया गया है। यदि यह ओ0एच0टी0 गिर गया तो जान माल की भारी हानि होने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त कस्बे में इस समय पेयजल विभाग द्वारा माँग के सापेक्ष 25 प्रतिशत जल की आपूर्ति की जा रही है। मंगलौर में यथाशीघ्र पुराने ओ0एच0टी0 के स्थान पर नए ओ0एच0टी0 के साथ–साथ एक अतिरिक्त ओ0एच0टी0 की आवश्यकता है। मंगलौर में स्थापित पेयजल नलकूप आए दिन खराब पड़े रहते हैं। कस्बे के अन्दर घनी आबादी में पाइप लाइन का भारी अभाव है। घनी आबादी क्षेत्रों में पाइप लाइन स्थापित करना यथाशीघ्र अत्यन्त आवश्यक है। कस्बा मंगलौर में पेयजल सुचारू करने के लिए दो ओ0एच0टी0, नलकूपों की मरम्मत और घनी आबादी में पाइप लाइन की यथाशीघ्र आवश्यकता है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करता हूँ।]

विधान सभा क्षेत्र रुड़की में नगर पालिका की जगह नगर निगम बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेश चन्द जैन–

[मान्यवर, रुड़की विधान सभा क्षेत्र का रुड़की शहर अपने आप में एक अन्तर्राष्ट्रीय शहर है। रुड़की के आस–पास आबादी की दृष्टि से क्षेत्र का काफी विस्तार हो चुका है। रुड़की शहर में कई महत्वपूर्ण विभाग, बी0ई0जी0 सेन्टर एवं कई इन्जीनियरिंग

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* सदस्य ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कालेज जैसे आई0आई0टी0 एवं सी0बी0आर0आई0 तथा एन0आई0एच0 आदि हैं। रुड़की शहर में पूरे देश से ही नहीं विदेशों से भी लोग आते रहते हैं। लेकिन जिस तरह रुड़की एक अपने आप में अन्तर्राष्ट्रीय पहचान वाला शहर है, परन्तु उसके अनुरूप जिस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए वह नहीं हैं। रुड़की नगर पालिका के साधन सीमित होने के कारण वह उस तरह से रुड़की का विकास करने में सक्षम नहीं है। इसलिए रुड़की शहर में नगर पालिका की जगह नगर निगम बनाया जाना जनहित में अतिआवश्यक है।

अतः जनहित में इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की मॉग करता हूँ।]

सदन में प्रस्तुत नियम 300 की सूचनाओं का उत्तर समय से न दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

काजी मो0 निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था का एक बड़ा गम्भीर विषय है कि ध्यान आकर्षण के नियम–300 के अन्तर्गत जितने विषय इस सदन के अन्तर्गत उठाये जाते है। सरकार को कई बार पीठ से निर्देशित किया जा चुका है कि एक माह के अन्दर सम्बन्धित सदस्य को जवाब दे दिया जाय। जबकि उत्तर प्रदेश में माननीय अध्यक्ष की पीठ से जो यह व्यवस्था है वह 15 दिन के अन्तर्गत जवाब दे, कई बार दी जा चुकी है। मान्यवर, यहॉ इसका पालन नहीं हो रहा है। एक माह तो क्या 6 महीने में भी जवाब नहीं दिया जा रहा है। मान्यवर, एक विशेष बात यह है कि कोई भी विषय इस सदन में आपकी अनुमति से उठाया जाता है। वह किसी व्यक्ति विशेष की सम्पत्ति न होकर, वह पूरे सदन की सम्पत्ति होती है। मेरा आपसे आग्रह है कि ऐसी व्यवस्था दें कि नियम–300 के अन्तर्गत जो भी विषय उठाये जायं, सभी माननीय सदस्यों को उसके जवाब उपलब्ध कराये जायं। विशेषकर पन्द्रह दिन या ज्यादा से ज्यादा एक महीने में जवाब उपलब्ध होने चाहिए। मान्यवर, आपके आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है और सरकार पीठ के निर्देश का उल्लंघन कर रही है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, जो भी नियम–300 की कार्यवाही होती है ....।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, कार्यवाही नहीं, जवाब उपलब्ध नहीं किये जाते हैं।

श्री अध्यक्ष–

आपने अपनी बात कह दी है और अब आप माननीय मंत्री जी का जवाब सुनें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, सरकार ने नियम–300 के अन्तर्गत क्या कार्यवाही की है, किस सूचना मे की है, उसकी सूचना से सम्मानित सदन को अवगत कराया जाता है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य की जो चिन्ता है कि माननीय सदस्यों को एक महीने के अन्दर कृत कार्यवाही की सूचना से अवगत कराया जाय और जो प्राविधान है उसका पालन नहीं हो रहा है।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, अगर ऐसा किसी स्पेसिफिक विषय पर हो रहा हो। मै पुनः इसके लिए निर्देश जारी कर दूंगा और एक महीने के अन्दर सभी माननीय सदस्यो को जो सूचना लगाते हैं मान्यवर, उनको सूचना दे दी जायेगी और सम्मानित सदन को ए0टी0आर0 लेकर दे दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है। माननीय मंत्री जी, इसे सुनिश्चित करा दीजिए।

विधान सभा सत्र के उपवेशन की तिथि में सोमवार का दिन सम्मिलित न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–299 के अन्तर्गत काजी मो0 निजामुद्दीन जी की सूचना मुझे प्राप्त हुई है। आप इसको व्यवस्था के रूप में उठा लीजिए।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2011 का प्रथम सत्र है इस सदन का और ऐसा लग रहा है हो सकता है आखिरी साल इस सरकार का हो। मान्यवर, 14 तारीख को पहली बार सत्र आहूत किया गया था, पहला दिन था सत्र का, जो कि मंगलवार का दिन था। मान्यवर, अब हम दूसरे सप्ताह में चल रहे है सत्र के, लेकिन दोनो सप्ताहों में सोमवार का दिन बचा दिया गया। मान्यवर, सत्र शुरू होने से कुछ दिन पहले हमेशा की तरह हमें विधान सभा से एक पत्र प्राप्त होता है और नियमावली के तहत उस पत्र मे यह उल्लेख किया हुआ होता है, विधान सभा की तरफ से वार आवंटन माननीय मंत्रिगणों का होता है कि किस दिन किस मंत्री का दिन है प्रश्नोत्तर काल का। मान्यवर, सोमवार का दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का है और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास बड़े अहम विषय के

साथ-साथ हर एक पोर्टफोलियो गम्भीर है, लेकिन गृह, ऊर्जा, सामान्य प्रशासन आदि-आदि दर्जनों विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हैं। मान्यवर, ऐसा प्रतीत होता है कि सत्र की तिथियाँ कुछ इस तरह से रखी गयी है ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी के विभागों को बचाकर चला जाए। मान्यवर, यह पहली बार नहीं हो रहा है, पिछले सत्रों में भी ऐसा होता चला आ रहा है कि सोमवार का दिन बचाकर चला जा रहा है। मान्यवर, यह बड़ा गम्भीर विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस सदन के प्रति जवाबदेह हैं और यह सदन और हम सभी मिलकर जनता के प्रति जवाबदेह हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य निजामुद्दीन जी, हम सब अवगत हैं कि जो सदन की कार्यवाही का संचालन या कार्यक्रम जो निर्धारित होता है कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा होता है। निश्चित रूप से कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक मेरे ख्याल से आज भी होनी सम्भव है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो कह दीजिए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)-

माननीय अध्यक्ष जी, चूँकि जो माननीय सदस्य ने नियम-299 के तहत नोटिस दिया है। श्रीमन्, इस नोटिस के आधार पर और ग्राह्यता पर बोलते हुए माननीय सदस्य ने बताया कि सरकार सोमवार का दिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए निर्धारित है उसको बचाना चाहती है। श्रीमन्, मैं स्पष्ट कर दूँ कि यह विषय निश्चित रूप से सत्य से परे है। (व्यवधान) आप तो पुराने सदस्य हैं, कम से कम आपने जो विषय नियम-299 के तहत रखा है उसके सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देने दीजिए, उसके बाद माननीय अध्यक्ष जी अपना विनिश्चय देंगे और उसको सभी को स्वीकार करना होगा। श्रीमन्, चूँकि संविधान के अनु0 174(1) के तहत सत्र आहूत किया जाता है और जब सत्र आहूत होता है तो हमारे नियमावली के अनुसार सत्र आहूत करने के लिए श्रीमन्, महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा अधिसूचना जारी की जाती है और 14 मार्च से उन्होंने सत्र आहूत करने की सूचना दी और नियमावली के नियम-36 के तहत श्रीमन्, प्रश्नों के उत्तर दिये जाने के लिए वार आवंटन की प्रक्रिया है और वह वार आवंटन माननीय विधान सभा द्वारा किया जाता है और इस वार आवंटन करने के लिए श्रीमन्, जो वार निर्धारित किये गये उसमें जैसा कि अवगत कराया गया कि सोमवार का दिन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय बलवन्त भौर्याल जी का और माननीय खजान दास जी का और इसके साथ-साथ श्रीमन्, एक टेन्टेटिव एजेण्डा जब सत्र आहूत किया जाता है तो टेन्टेटिव एजेण्डा भी, अनन्तिम कार्यक्रम भी प्रस्तावित किया जाता है और उस अनन्तिम कार्यक्रम में हर सम्भव प्रयास किया जाता है कि सभी माननीय मंत्रिगणों के वार उसके अन्तर्गत समाहित हो जाए और यह जो टेन्टेटिव कार्यक्रम है उसमें 28 तारीख सोमवार का दिन निर्धारित किया गया

है और उस अनन्तिम कार्यक्रम के तहत सोमवार का दिन तथा सभी बार उसके अन्तर्गत निर्धारित किये गये हैं ताकि सभी माननीय सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर इसमें आ जाएं। इसके साथ–साथ इस कार्यक्रम के पश्चात कार्य–मंत्रणा समिति कार्य विन्यास करती है कि कौन सा कार्य किस दिन लिया जायेगा और कितने दिन तक सदन चलेगा। चूँकि सत्र आहूत हो गया है सत्रावसान हुआ नहीं है और इस मध्य जो कार्य किया जायेगा वह कार्य मंत्रणा तय करती है और यह माननीय विधान सभा की एक महत्वपूर्ण समिति है जो इस कार्य विन्यास का कार्य करती है। मान्यवर, इसलिए इसमें कहीं सरकार का कोई हस्तक्षेप हो ऐसा विषय नहीं है, इसलिए इस सूचना को अग्राह्य किया जाए।

श्री अध्यक्ष–

माननीय काजी मो0 निजामुद्दीन जी और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

नियम 310 के अन्तर्गत दी गई सूचनाओं के विषयों पर चर्चा कराये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–310 के अन्तर्गत कुल 6 सूचनायें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से पहली सूचना माननीय श्री तिलक राज बेहड़ की है जो कि सन् 1996 में पूर्वी तराई वन प्रभाग हल्द्वानी के पूर्वी जौला रेंज में हरे वृक्षों को काटे जाने में लिप्त दोषियों को दण्डित किये जाने विषयक है। दूसरी सूचना माननीय सदस्य श्री रणजीत सिंह रावत, श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, श्री महेन्द्र सिंह माहरा एवं श्री प्रीतम सिंह की है जो कि उत्तराखण्ड के सुदूरवर्ती असेवित अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र में स्थानीय जनता द्वारा संचालित अशासकीय विद्यालयों को अनुदान सूची में शामिल किये जाने विषयक है, तीसरी सूचना माननीय सदस्य श्री पुष्पेश त्रिपाठी, काजी मो0 निजामुद्दीन, चौ0 यशवीर सिंह, श्री रणजीत सिंह रावत की है जो प्रदेश में ऊर्जा नीति के अभाव में उत्पादन पर कुप्रभाव से सम्बन्धित है, चौथी सूचना माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री शहजाद एवं श्री प्रेमानन्द महाजन की है जो जनपद हरिद्वार के थाना मंगलौर में 14 वर्षीय लिब्बरहेड़ी निवासी दलित बालिका के शारीरिक शोषण (बलात्कार) विषयक है, पाँचवी सूचना माननीय सदस्य काजी मो0 निजामुद्दीन, श्री रणजीत सिंह रावत, चौ0 यशवीर सिंह की है जो अस्पष्ट ऊर्जा उत्पादन पर पड़ रहे कुप्रभाव से सम्बन्धित है तथा छठी सूचना माननीय सदस्य कुँवर प्रणव सिंह "चैम्पियन" की है जो जनपद हरिद्वार के विकास खण्ड खानपुर में ग्राम आलमपुरा में बाढ़ नियंत्रण हेतु वायर क्रेट स्टेड का निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में है। मैं इनमें से माननीय सदस्य श्री तिलक राज बेहड़ एवं श्री सुरेन्द्र राकेश की सूचना को नियम–58 में ग्राह्यता पर सुन लूँगा और शेष सूचनाये अस्वीकार की जाती हैं।

श्री प्रीतम सिंह–

मानानीय अध्यक्ष जी, मेरी सूचना गम्भीर है।

(कई माननीय सदस्यों के अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, ऊर्जा प्रदेश बनाने की बात हो रही है, बड़ा गम्भीर विषय है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग का नवम् वार्षिक प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 323(2) के अधीन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के नवम् वार्षिक प्रतिवेदन (01 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 तक) को सदन के पटल पर रखता हूँ।

द्वितीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का स्पष्टीकरण ज्ञापन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243–झ (4) के अन्तर्गत द्वितीय राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज एवं नगरीय स्थानीय निकाय) की संस्तुतियों पर राज्य सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का स्पष्टीकरण ज्ञापन सदन के पटल पर रखता हूँ।

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2009–10) का प्रथम प्रतिवेदन

सभापति (श्री जोगाराम टम्टा)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड द्वितीय विधान सभा की प्राक्कलन समिति (2009–10) का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

नियम 66 के अन्तर्गत समाचार पत्र 'उत्तराखण्ड आज' के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी विशेषाधिकार हनन की सूचना है।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना प्राप्त हो गयी है, इसका परीक्षण करवा रहे हैं, इससे आपको अवगत करा दिया जायेगा।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, बिल्कुल मेरा चरित्र हनन हुआ है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना प्राप्त हुई है। (व्यवधान)

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, इसकी लगभग 5000 प्रतियां मेरे क्षेत्र में घर–घर वितरित की गयी हैं। (पेपर की प्रति हाथ में लहरायी)

श्री अध्यक्ष–

आप अपनी सूचना को पढ़ लीजिए।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अध्यक्ष जी, 'उत्तराखण्ड आज' साप्ताहिक देहरादून, बुधवार 19 जनवरी, 2011, वर्ष 5, अंक 10 के मुख्य पृष्ठ पर छपी भ्रामक व झूठी खबर प्रकाशित करने से विशेषाधिकार हनन के नियम–65 के अन्तर्गत सूचना मैंने आपको दी है। मान्यवर, दिनांक 19 जनवरी, 2011 को वर्ष 5, अंक 10 'उत्तराखण्ड आज' साप्ताहिक पत्र के मुख्य पृष्ठ पर शास्त्रीनगर लेन नम्बर–2 एस0बी0आई0, ए0टी0एम0 के ऊपर हरिद्वार रोड, देहरादून स्थित कार्यालय से प्रकाशित भ्रामक व झूठी खबर प्रकाशित करने से मेरी प्रतिष्ठा पर भारी आघात लगा है और प्रतिष्ठा को धूल–धूसरित करने की साजिश रचकर छवि को खराब कराने का षडयंत्र किया गया है। मान्यवर, नागल इण्टर कॉलेज विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में ही नहीं, बल्कि जनपद टिहरी गढ़वाल में इस नाम का कोई इण्टर कॉलेज नहीं है और जो वाहन मेरे पास उपलब्ध है उसकी मासिक किश्त का भुगतान वर्ष, 2007 से ₹ 17650, 17500 एवं कभी 17250 ऋण खाता संख्या 30145821779 भारतीय स्टेट बैंक धर्मपुर, देहरादून में प्रतिमाह किया जाता है, जिसकी पुष्टि बैंक से की जा सकती है। मान्यवर, मैं अपनी पूरी बैंक की पासबुक यहाँ पर लेकर आया हूँ, वर्ष 2007 से मेरी जिस पास बुक में इंट्री हो रही है।

मान्यवर, उक्त साप्ताहिक समाचार पत्र के सम्पादक द्वारा मनगढ़न्त झूठी व भ्रामक बातें प्रकाशित कर मेरा चरित्र हनन किया गया और मेरे विरोधियों द्वारा 5000 प्रतियां मेरी विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में प्रसारित की गयीं जिससे मेरी प्रतिष्ठा पर भारी

धक्का लगा है एवं छवि धूमिल हुई है। राजनीतिक व सामाजिक प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भारी अवमानना हुई है, जिससे विशेषाधिकार हनन किया गया है। मान्यवर, यथाशीघ्र उक्त पत्र के सम्पादक के प्रति कठोर कार्यवाही की जानी आवश्यक है, ताकि निकट भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न हो सके। अतः विशेषाधिकार हनन की सूचना पर उक्त सम्पादक के प्रति कठोर कार्यवाही करने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष जी, यह पेपर (माननीय अध्यक्ष जी की ओर पेपर लहराते हुए) है। इस पत्र में हैड लाइन छपी है "विधायक हैं कि हॉस्टल का चौकीदार", "किसकी है टाटा सफारी" है और अनाप-शनाप मनगढ़त बातें छापी गयी हैं। मान्यवर, इस पत्र की 5000 प्रतियां मेरे क्षेत्र में बांटी गयी। इस पर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। ऐसी स्वतन्त्रता ऐसे तथाकथित पेपर को नहीं होनी चाहिये। मैं मानता हूँ लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ पत्रकारिता को माना गया है, लेकिन इस तरह से चरित्रहनन वाली बातें करेंगे, लिखेंगे तो कहाँ से यह स्तम्भ पर लोगों का भरोसा होगा। इस तरह के तथाकथित भ्रष्ट पत्रकार पर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए तथा इसकी एजेंसी बन्द होनी चाहिए। मान्यवर, मैं यदि विधायक नहीं होता, अगर हम पहले जैसे उत्तराखण्ड आंदोलनकारी वाले तेवरों में आ गये, मैं अपनी मर्यादा में रहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, हमको लोन गाड़ी लेने के लिए मिलता है, मैं मासिक किस्त भर रहा हूँ और ये अनाप-शनाप और भ्रामक बातें हैं। इतनी स्वतन्त्रता भी किसी पत्रकार को नहीं होनी चाहिए, जो कि सत्य से परे हो। पूरी प्रतिष्ठा मेरी धूमिल की गयी है। घर-घर ये पत्र बंटवाये गये हैं। माननीय अध्यक्ष जी, यदि मैं विधायक नहीं होता तो [* * *] लेकिन मैं एक सम्मानित सदन का विधायक हूँ, अपनी मर्यादा में रहता हूँ इसलिए सम्मान करता हूँ, इसलिए आज तक मैं इसके खिलाफ कुछ बोला नहीं हूँ। (व्यवधान)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह गम्भीर विषय है, असंसदीय भाषा का प्रयोग हुआ है। इनके मालिकों को ब्लैकलिस्टेड किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री ओम गोपाल-

माननीय अध्यक्ष जी, हम इतने पंगु भी नहीं है। हम इन्सानों के साथ रह रहे हैं। मैंने किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया तो ऐसी अनाप-शनाप बातें क्यों लिखी गयीं। ये हमें इतना कमजोर भी न समझें। ये अनाप-शनाप बातें रोजाना छापते रहते है और हम चुप बैठे रहेंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसके खिलाफ मैं सख्त से सख्त कार्यवाही की मांग करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आपका हमें संरक्षण चाहिए, आप हमारे संरक्षक हैं। ऐसे भ्रामक पत्रकारों और पत्रिकाओं पर तत्काल रोक लगनी चाहिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, मैं इसकी मांग करता हूँ।

नोटः- [* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय ओम गोपाल जी की सूचना का संज्ञान लेते हुए इसका परीक्षण करके इस पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

नियम 66 के अन्तर्गत दिनांक 23 फरवरी, 2010 को दी गई सूचना पर श्री अध्यक्ष का ध्यानाकर्षण

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरे द्वारा 23 फरवरी, 2010 को एक सूचना अवमानना की दी गयी थी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सुरेन्द्र सिंह जीना जी, मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि इस सम्बन्ध में हमने सूचना मंगवाई है, इसमें परीक्षण हो रहा है तथा एक प्रयास और किया जा रहा है। अभी तक हमें सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, एक साल से ज्यादा का समय निकल गया है।

श्री अध्यक्ष–

एक अवसर और दे रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बिल्कुल असत्य घटना थी, सत्य से इसका कोई लेना–देना नहीं है। विजिलेंस की रिपोर्ट भी आ गयी है।

श्री अध्यक्ष–

वास्तव में यह सूचना अपने आप में बहुत गम्भीर है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

माननीय अध्यक्ष जी, एक वर्ष से अधिक समय हो गया है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसका नतीजा यह हुआ कि दूसरे माननीय सदस्यों को भी इस तरह ब्लैक मेल किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। मैंने आपसे अनुरोध किया है कि इसका परीक्षण करवा लेंगे। (व्यवधान)

उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2011

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2011

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करता हूँ।

उत्तराखण्ड कराधान तथा भू-राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 2011

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड कराधान तथा भू–राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड कराधान तथा भू–राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तराखण्ड कराधान तथा भू–राजस्व विधि (संशोधन) विधेयक, 2011 को पुरःस्थापित करता हूँ।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–58 के अन्तर्गत पहली सूचना हाजी तस्लीम अहमद, दूसरी सूचना श्री बलबीर सिंह नेगी, तीसरी सूचना डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, श्री मयूख महर, श्री जोत सिंह गुनसोला तथा श्री दिनेश अग्रवाल, चौथी सूचना श्री गोपाल सिंह राणा, पांचवी सूचना श्री हरिदास, छठी सूचना श्री जोत सिंह गुनसोला तथा कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'', सातवीं सूचना श्री यशपाल बेनाम, आठवीं सूचना श्री रणजीत सिंह रावत, नवीं सूचना श्री केदार सिंह रावत, दसवीं सूचना श्री ओम गोपाल रावत, ग्यारहवीं सूचना श्री नारायण पाल, बारहवीं सूचना श्रीमती अमृता रावत, तेरहवी सूचना श्री सुरेन्द्र राकेश तथा चौदहवीं सूचना श्री तिलक राज बेहड की, कुल 14 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से 1–श्री बलबीर सिंह नेगी, 2–श्री हरिदास, 3–श्री यशपाल बेनाम, 4–श्री सुरेन्द्र राकेश तथा 5–डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, श्री मयूख महर, श्री जोत सिंह गुनसोला तथा श्री दिनेश अग्रवाल की सूचनाओं को नियम–58 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

*श्री रणजीत रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, पुरानी किताबों पर नया जिल्द लगाकर बेचा जा रहा है। जिस कम्पनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया है, उसी को फिर से टेण्डर दिया गया है।

(माननीय सदस्य श्री रणजीत रावत अपने स्थान पर खड़े होकर एक पुस्तक दिखाने लगे तथा माननीय सदस्य श्री मनोज तिवारी, श्री गोपाल सिंह राणा, हाजी तस्लीम अहमद अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी–अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

सभी सूचनायें अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। कृपया, स्थान ग्रहण करें।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े हो गये और माननीय सदस्य श्री रणजीत रावत, श्री मनोज तिवारी, श्री प्रीतम सिंह, श्री जोत सिंह गुनसोला एवं श्री केदार सिंह रावत ''वेल'' में आ गये और अपनी–अपनी बात कहने लगे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

कल इसका परीक्षण कर लेंगे, कृपया, स्थान ग्रहण करें। जब तक माननीय सदस्य अपने स्थान पर वापस नहीं जाते, तब तक उनकी किसी बात का संज्ञान नही लिया जाय।

("वेल" में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी बात कहते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

माननीय रणजीत सिंह रावत जी, आप अवगत है कि नियमो के अनुसार एक दिन मे नियम–58 के तहत पांच ही सूचनायें ली जाती हैं, लेकिन आज मै सात सूचनायें ले रहा हूँ। कृपया, स्थान ग्रहण करें।

("वेल" में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी बात कहते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

इस पर जो भी होगा, कल देख लेंगे, कल फिर से परीक्षण कर लेंगे। कृपया स्थान ग्रहण करें।

("वेल" में खड़े माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर वापस चले गये)

श्री बलबीर सिंह नेगी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम–58 के अन्तर्गत मेरी सूचना को स्वीकार किया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, विगत वर्षों से अशासकीय असहायिक मान्यता प्राप्त विद्यालय संगठन के बैनर तले अपनी एक सूत्रीय मॉंग सरकार से करते आ रहे हैं। लेकिन सरकार आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं कर रही है। इन विद्यालयो को अनुदान प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी, किन्तु आचार संहिता प्रारम्भ होने के कारण कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी। उक्त अधिकांश विद्यालय पर्वतीय क्षेत्रों के हैं, जहाँ प्रत्येक युवा वर्ग विपरीत परिस्थितियो का सामना कर शिक्षा ग्रहण कर सेवा/नौकरी की उम्मीद लगाये बैठा है। परन्तु ऐसे विद्यालय में 15–20 वर्षों से अल्प मानदेय के सहारे मुश्किल से जीवन यापन करने वाले कर्मचारियों की स्थिति देखकर निराशा मे मैदान की ओर पलायन कर रहा है। श्रीमन्, इस सरकार द्वारा पिछले चार वर्षों से इनको झूठे आश्वासन दिये जा रहे है। मान्यवर, हमारा यह कहना है कि फोड़े का सही इलाज झूठे आश्वासनो की मरहम पट्टी से नहीं होगा, रोग के लक्षण के बजाय मूल कारण को समाप्त करना होगा।

मान्यवर, कहावत है कि खुदा रोजा नहीं देखता, रोजा रखने वाले की नीयत को देखता है। अशासकीय विद्यालयों के मामले में इस सरकार की नीयत साफ नहीं है, हमारे

प्रदेश का लोकतंत्र ऐसे कंधों पर टिका है, जो कमजोर मिट्टी के बने हैं। श्रीमन्, अशासकीय असहायिक विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित न किये जाने से जन सामान्य में घोर असन्तोष व्याप्त है। अतः इस लोक महत्व की अविलम्बनीय सूचना पर नियम–58 के अन्तर्गत सदन की कार्यवाही स्थगित कर चर्चा किये जाने की मांग करता हूँ।

*विद्यालयी शिक्षा मंत्री (श्री गोविन्द सिंह बिष्ट)–

मानवीय अध्यक्ष जी, अशासकीय असहायिक मान्यता प्राप्त विद्यालयों को शासकीय अनुदान सूची में सम्मिलित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–303/XXVII(1)/2010, दिनांक 08 जून, 2010 के अनुसार मंत्रिमण्डल की बैठक दिनांक 15 अक्टूबर, 2008 में वित्तीय प्रबन्धन के सुदृढ़ीकरण एवं प्रशासनिक व्यय भार में मितव्ययिता बरतने के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय के सम्बन्ध में प्रसंगगत बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श हेतु मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार मंत्रिमण्डल की उप समिति का पुनर्गठन किया गया है। प्रदेश के अशासकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों को शासकीय अनुदान सूची में सम्मिलित किए जाने के सम्बन्ध में माननीय मंत्रिमण्डल की उप समिति की संस्तुति प्राप्त होने पर ही अशासकीय असहायिक मान्यता प्राप्त विद्यालयों को शासकीय अनुदान सूची में सम्मिलित किए जाने पर नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही किया जाना सम्भव होगा। समिति में माननीय मंत्री बंशीधर भगत, अध्यक्ष, माननीय प्रकाश पन्त जी सदस्य, माननीय राजेन्द्र सिंह भण्डारी जी सदस्य इस प्रकार समिति का गठन किया गया है और इसकी संस्तुतियों पर विचार किया जायेगा। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि इस सूचना को अग्राह्य कर दिया जाय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री बलबीर सिंह नेगी जी एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

*श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम–58 में बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ। वर्ष 2006 से जिन विद्यार्थियों ने बी०एड० किया था, आज जो सरकार है वर्ष 2011 में इस सरकार ने एक नियम बना दिया कि जिन छात्र–छात्राओं के अंक 50 प्रतिशत से कम होंगे उनको विशिष्ट बी०टी०सी० में वरीयता नहीं दी जायेगी। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि जो छात्र–छात्राएं इसी भरोसे पर बैठे है कि हमारी नौकरी लगेगी और उनको उस टाईम पर बी०एड० करवा दी गयी थी और उन्हे विशिष्ट बी०टी०सी० में बैठने का मौका नहीं मिल रहा है। तो माननीय अध्यक्ष जी, ये बड़ा गम्भीर विषय है कि उनकी जीविका का सवाल है, उनकी पूरी उम्र का सवाल है, उनके बच्चों

* वक्ताओं ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

का सवाल है, उन्होंने भी अपने अन्दर ख्वाब पाले थे कि हमें नौकरी मिलेगी, लेकिन सरकार ने सिरे से उनको खारिज कर दिया है। ऐसी स्थिति में स्थिति कभी भी विस्फोटक हो सकती है और इसमें यही नहीं हरिद्वार के, पूरे प्रदेश के युवा आस लगाये बैठे हैं, लेकिन सरकार ने सिरे से उनको खारिज कर दिया है कि जो 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करे विद्यार्थी होंगे उनको ही विशिष्ट बी0टी0सी0 में मौका मिलेगा।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मानानीय अध्यक्ष जी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के द्वारा प्राथमिक शिक्षकों की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता के निर्धारण हेतु भारत सरकार द्वारा अधिकृत संस्था एन0सी0टी0ई0 ने दिनांक 23–08–2010 को जारी अधिसूचना के द्वारा प्राथमिक शिक्षकों की शैक्षिक एवं प्रशिक्षण योग्यता का निर्धारण किया है और मान्यवर, अधिसूचना के बिन्दु–3 (क) एवं (ख) के अनुसार बी0ए0/बी0एस0सी0 में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा बी0एड0/बी0एड0 (विशेष शिक्षा)/डी0एड0 विशेष शिक्षा अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों हेतु दिनांक 01–01–2012 तक सहायक अध्यापक प्राथमिक के पदों पर सीधी नियुक्ति के प्राविधान किये गये हैं। प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे अभ्यर्थी नियुक्ति के पश्चात् एन0सी0टी0ई0 द्वारा अनुमोदित केवल 06 माह का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। चूँकि वर्तमान में बी0एड0 प्रशिक्षण में प्रवेश हेतु स्नातक में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों की ही आवश्यकता होती है। अतः एन0सी0टी0ई0 की उक्त अधिसूचना द्वारा निर्धारित व्यवस्था से ऐसे अभ्यर्थी जिनके अंक 50 प्रतिशत से कम है, के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश/शिथिलता प्रदान करने हेतु एन0सी0टी0ई0 से अनुरोध कर दिया गया है व राज्य सरकार के अनेक बार अनुरोध करने के बाद भी अभी एन0सी0टी0ई0 द्वारा छूट प्रदान नहीं की गयी है। अतः मेरा अनुरोध है कि इस सूचना को अग्राह्य कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

एक बार पुनः अनुरोध कर दीजिए।

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, हम तीन बार आग्रह कर चुके है और भी प्रयास करते रहेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री हरिदास एवं माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

*श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–58 में आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। उत्तराखण्ड के हरिद्वार जनपद के साथ–साथ अन्य जनपदों में भी उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने सन् 1973 और सन् 1976 में गरीब अनुसूचित जाति के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

परिवारों को, गरीब सामान्य जाति के परिवारों को आसामी पट्टे दिये थे और उन पट्टों पर यह निर्धारित नहीं किया गया था कि यह पाँच साल की अवधि तक के लिए आपको दिये गये हैं। इसी का परिणाम है कि वह गरीब व्यक्ति, जो बहुत ही खराब भूमि थी लगातार कई वर्षों तक उस भूमि को सुधार कर उन गरीब लोगों ने अपने बच्चों का भरण-पोषण करने का काम किया और अब उन गरीब व्यक्तियों की जमीन को, अधिकारियों के द्वारा 32 साल बाद उन पट्टों को निरस्त किये जाने का काम किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने जो बहुत ही ऊबड़ खाबड़ जमीन थी, उसमें कुछ उपज नहीं हो सकती थी, अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने उस जमीन को इस योग्य किया कि उसमें अनाज उत्पन्न हो सके, उसमें बाग लगाया जा सके, कुछ किसानों ने उसमें अमरूद और आम के बाग भी लगाये हैं। मान्यवर, एक क्षेत्र ऐसा है इब्राहिमपुर मसाई क्षेत्र और सिगरौंडा क्षेत्र में जो पट्टे थे उसमें उन्होंने अपने बाग भी लगा दिये है। माननीय अध्यक्ष जी, जब उत्तराखण्ड उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, सन् 1975 से पहले के जो आसामी पट्टे थे उत्तर प्रदेश में 23 मई सन् 1997 को उन्हें सीरदारी के पट्टे घोषित कर दिया गया था। जब उत्तराखण्ड बना और हरिद्वार जनपद उसमें सम्मिलित हुआ, लेकिन हमारे जो मजदूर किसानों को पट्टे दिये गये थे उन्हें सीरदारी घोषित नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री सुरेन्द्र राकेश जी, मैं आपको ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ, आप अपनी बात संक्षेप में रखिये।

श्री सुरेन्द्र राकेश-

मान्यवर, 132 की जमीन को छोड़कर 1997 में उत्तर प्रदेश में सीरदारी के पट्टे कर दिये गये। यही अधिनियम यहाँ उत्तराखण्ड में भी लागू होता है। वर्ष 1975 से पहले के जो पट्टे थे उनमें पाँच वर्ष की शर्त नहीं दी जाती थी और वर्ष 1975 के बाद जो पट्टे गरीबों को आवंटित किये गये उसमें पाँच वर्ष की शर्त निर्धारित की जाती है कि आपको पाँच वर्ष के लिए आसामी पट्टे दिये जा रहे हैं वह पाँच वर्ष बाद अपने आप असंक्रमणीय हो जायेंगे। जब हमारे 32 साल तक के पट्टे हो गये है, सिविल एक्ट में एक कानून ऐसा है कि जब 30 साल तक का कब्जा किसी अनुसूचित जाति का है तो उसे सीरदारी का हक दे दिया जाता है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस गम्भीर विषय पर उन गरीब परिवार के लोगों की रोजी रोटी को ध्यान में रखते हुए जिन्हे सरकार ने रोजी रोटी देने के लिए पट्टे दिये थे, यह उत्तराखण्ड के कई जिलों का मामला है, उन लोगों को सीरदारी का हक दिया जाय, यह मांग मैं आपसे करता हूँ और यह अपेक्षा करता हूँ कि आप सरकार को निर्देशित करें कि कानून के तहत जो सिविल एक्ट में भी प्राविधान है इन लोगों को सीरदारी का हक दिया जाय।

राजस्व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री (श्री दिवाकर भट्ट)–

मानगीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा जिला हरिद्वार में गरीब अनुसूचित जाति के परिवारों को वर्ष 1973–74 में आसामी पट्टे दिये जाने तथा संक्रमणीय अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में जो सूचना दी गई और साथ ही माननीय सदस्य का जहाँ तक यह कहना है कि यह पट्टे पाँच साल के लिए दिये हैं और 30 साल हो गये हैं, सवाल इस बात का नहीं है, धारा–176 में बहुत साफ व्यवस्था है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को जानकारी देना चाहता हूँ कि आवंटित भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–132 के अनुरूप ऐसी भूमि पर भूमिधरी का अधिकार दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, धारा–132 को छोड़कर कहा है मैंने।

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, उसके बारे में, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि धारा–176 में भी यह साफ लिखा है कि प्रतिबन्ध यह है कि किसी आसामी को पाँच वर्ष से अधिक अवधि के लिए पट्टा नहीं दिया जा सकता है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, यह व्यवस्था 1975 के बाद की है। और यह पट्टे वर्ष 1973 व वर्ष 1976 के हैं।

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, यह सभी पर लागू है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, आपने मेरी बात नोट ही नहीं की जो बात मैंने आपको बताई। आप तो यह लिखा–लिखाया ही पढ़ रहे हैं।

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, अब अगर मैं अलग से बोलूँगा तो आप कहेंगे अलग बोल रहे हैं। इसलिए मैंने वही बोला जो नियम है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, मैंने जो अवगत कराया है वर्ष 1975 से पहले यह कानून लागू नहीं होता है। (व्यवधान)

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, ऐसा नहीं है। सूचना के अनुसार जो आपने चाहा है वह मैंने आपको बताया है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, वर्ष 1975 के पहले नहीं दिया गया है। मान्यवर, इसकी जाँच करवा लें।

श्री दिवाकर भट्ट–

ठीक है। इसकी जाँच करवा लेंगे।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, वर्ष 1975 के बाद में दिया गया है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि ऐसी कोई बात होगी तो इसकी जाँच करवा लेंगे। माननीय श्री सुरेन्द्र राकेश और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ। (व्यवधान)

श्री शहजाद–

मान्यवर, यह मुद्दा कई बार सदन मे आया है। हर बार मंत्री जी गोलमोल जवाब देकर टालना चाहते हैं।

(बहुजन समाज पार्टी के श्री शहजाद, श्री सुरेन्द्र राकेश और श्री हरिदास द्वारा "वैल" के निकट आकर जोर–जोर से बोलने से सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह तो दिया है कि जाँच करवा लेंगे।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, जाँच कराने के बाद कार्यवाही क्या होगी ?

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री दिवाकर भट्ट–

मान्यवर, नियमानुसार जो कार्यवाही होगी वह की जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

बात आ तो गई है अब आप क्या चाहते हैं। मैं अग्राह्य कर चुका हूँ। विनिश्चय आ चुका है। माननीय मंत्री जी ने कह दिया है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मानानीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बार–बार यह विषय उठा रहे है। पिछली बार भी चर्चा के दौरान यह विषय उठा था और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने धारा–176 के बारे में अवगत कराया इसके अनुरूप जो आसामी पट्टे दिये जाते है, वह पाँच वर्ष के लिए दिये जाते हैं।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, यही तो मै भी कह रहा हूँ कि वर्ष 1975 से पहले नहीं दिये जाते थे। यह धारा वर्ष 1975 के बाद आई है।

श्री प्रकाश पन्त–

मानानीय अध्यक्ष जी, वर्ष 1976 में 40 पट्टे दिये गये और तहसील रुड़की मे 3422 आसामी पट्टे स्वीकृत किये गये और निर्धारित अवधि पूर्ण हो जाने के बाद कुछ पट्टे निरस्त किये गये। इनके सम्बन्ध में वाद न्यायालय में विचाराधीन है और जब तक वाद न्यायालय में विचाराधीन है तब तक हम लोग कैसे निर्णय ले सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, निरस्त तो आप ही कर रहे हैं। वाद कोई हाईकोर्ट में थोड़े ही चल रहे हैं। एस0डी0एम0 के यहाँ निरस्त किये जा रहे हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है। सक्षम न्यायालय विचार कर रहा है। न्यायालय से जब निर्णय आ जायेगा उस निर्णय के आधार पर सरकार कार्य करेगी।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, निरस्त तो सरकार कर रही है। एस0डी0एम0 कर रहा है।

श्री अध्यक्ष–

वह भी न्यायालय ही है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, एस0डी0एम0 का न्यायालय हो, जिला कलेक्ट्रेट का न्यायालय हो। न्यायालय तो न्यायालय है। उसकी अपनी परिधि है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सुरेन्द्र राकेश जी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

*डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, दिनांक 14 मार्च को प्रदेश के सरकारी एवं गैर सरकारी चिकित्सकों द्वारा प्रदेशव्यापी हड़ताल की गयी, जिससे प्रदेशवासियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मान्यवर, इस हड़ताल का मुख्य कारण चिकित्सकों एवं उनके संस्थानों में आये दिन मरीजों के रिश्तेदारों द्वारा मार–पीट एवं तोड़फोड़ की घटना के प्रति रोष होना रहा। इसी प्रकार की घटनायें हाल ही में श्रीनगर राजकीय मेडिकल कॉलेज में भी हुई और मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में भी हुईं। इससे परेशान होकर वहाँ के अनेक प्रोफेसर और मेडिकल शिक्षकों द्वारा सामूहिक इस्तीफा दिया गया। आये दिन जो गम्भीर मरीज होते हैं डाक्टर उनका इलाज नहीं कर पा रहे हैं। वहीं चिकित्सा शिक्षा में भी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। मान्यवर, 15 अप्रैल से इन डाक्टरों द्वारा सरकार को नोटिस दिया गया है कि वे अनिश्चितकालीन हड़ताल में जायेंगे और उनकी माँग रही है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए चिकित्सकों की सुरक्षा हेतु 'वाइलेंस अगेन्स्ट मेडिकल परसनेल्स एण्ड डैमेज टू प्रोपर्टी एक्ट' लागू करने की तुरन्त आवश्यकता है। मान्यवर, यहाँ यह बताना चाहूँगा कि देश के 11 मुख्य प्रदेश है जहाँ पर यह एक्ट लागू हो चुके हैं और यहाँ भी इसको तुरन्त लागू किया जाय। मान्यवर, मैं सरकार से यह भी जानना चाहूँगा कि अभी कैबिनेट द्वारा भी इस पर निर्णय लिया गया। मान्यवर, क्या इस सत्र में इस तरह का एक्ट पारित किया जायेगा जिससे इस सदन के माध्यम से एक अच्छा संदेश राज्य के चिकित्सकों में जायेगा और मरीजों को भी परेशानी नहीं होगी। चिकित्सकों में भी आत्मविश्वास पैदा होगा और हिंसक घटनाओं में भी रोक लगेगी। मान्यवर, अतः मैं इस लोक महत्वपूर्ण के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा की माँग करता हूँ।

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर, 14 मार्च को प्रदेशव्यापी हड़ताल प्रदेश में हुई, वह निश्चित रूप से एक चिन्ता का विषय है कि ऐसे लोगों को भी हड़ताल में जाना पड़े, उससे चिन्ता स्वाभाविक है। चूंकि डाक्टरों का पेशा ऐसा पेशा है जो जीवन को सुरक्षित रखने में हमारी मदद करता है। इस हड़ताल का मुख्य कारण यह रहा है कि डाक्टरों के साथ आये दिन और उनके रिश्तेदारों के साथ मारपीट होती रही है। चाहे वह देहरादून का दून अस्पताल हो या श्रीनगर का मेडिकल कॉलेज हो या अन्य प्राईवेट संस्थानों में हो इस प्रकार की घटनायें होती रही है। मान्यवर, इसमें एक स्वाभाविक रूप

* सदस्य ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से भाव आना चाहिए कि जो इस प्रोफेशन के लोग हैं वे सुरक्षित है और उनकी सुरक्षा का ख्याल सरकार रखेगी। समाज से ऐसा कार्य नहीं होगा उनके प्रति जिससे इनके मन मे कोई भावना न बैठ जाय की हम असुरक्षित हैं। इसलिए आज डाक्टर इस्तीफा दे रहे है। वे नहीं चाहते हैं कि वे हमारे प्रदेश मे सेवा दें। यह भी एक चिन्ता की बात है। मै आपसे कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से डाक्टर सिंघल ने कहा है कि 'वाइलेंस अगेन्स्ट मेडिकल परसनेल्स एण्ड डैमेज टू प्रोपर्टी एक्ट' इसको इस प्रदेश में लागू करने की आवश्यकता है। सरकार इस पर कदम उठाये और इसको लागू करे। यदि हम उनको भरोसा दे दे की आपके साथ यहाँ की सरकार और यहाँ के लोग खडे है तो उनमे एक विश्वास पैदा होगा और वे अच्छी सेवा इस राज्य को दे पायेंगे। अतः मै इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा की माँग करता हूँ।

श्री मयूख सिंह–

मानानीय अध्यक्ष जी, मै अपने आपको दो पूर्व वक्ताओं के साथ सम्बद्ध करता हूँ और आपका ध्यान 14 मार्च, 2011 की घटना और इसी के परिप्रेक्ष्य में 15 मार्च को दी गयी चिकित्सीय वार्निंग की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। आज पूरे प्रदेश मे चिकित्सको और उनके कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार एक आम बात बन चुकी है। कही भी प्रदेश मे कोई भी चिकित्सक अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है जिसका दुष्परिणाम उनके मनोबल और उनकी कार्य कुशलता पर पड रहा है और उनकी कार्य कुशलता घटने से उसका दुष्परिणाम हमारे रोगियों को झेलना पड रहा है। जिससे कि उनके उपचार में समुचित व्यवस्था नही की जा सकती है। अतः मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि इस पर 'वाइलेंस अगेन्स्ट मेडिकल परसनेल्स एण्ड डैमेज टू प्रापर्टी एक्ट' लागू करें। क्योंकि इस एक्ट को लागू करने में राज्य सरकार पर कोई भी आर्थिक भार नही पड रहा है और इसको लागू करने के उपरान्त चिकित्सकों का मनोबल बढेगा। चूँकि हमारे प्रदेश में चिकित्सकों की भारी कमी है और हमारे चिकित्सको का सरकारी नौकरियो में जाने से मोह भग हो रहा है इससे उसको बढावा मिलेगा और आने वाले समय में एक अच्छी परम्परा कायम की जा सकेगी। अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा कराने की, मैं माँग करता हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

मानानीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, माननीय सदस्य श्री जोत सिंह गुनसोला, माननीय सदस्य श्री दिनेश अग्रवाल, माननीय सदस्य श्री मयूख सिंह जी द्वारा अति महत्वपूर्ण विषय पर ध्यानाकर्षण करने की दृष्टि से नियम–58 के तहत सूचना दी गई है। इसके सम्बन्ध मे अवगत कराना है श्रीमन्, कि सरकार इस विषय पर अति गम्भीर है। चूँकि प्रदेश में जो शासकीय और गैर–शासकीय चिकित्सक हैं उनको

सुरक्षा प्रदान किये जाने विषयक वाइलेंस अगेन्स्ट मेडिकल परसनेल्स एण्ड डैमेज टू प्रापर्टी एक्ट, राज्य के अन्तर्गत बनाए जाने के सम्बन्ध में आपने ग्राह्यता पर बोलते हुए अपने विचार रखे हैं। चूँकि विगत दिनों कतिपय क्षेत्रों में चिकित्सकों और उनके संस्थानों में तोड़-फोड़ की घटना की शिकायतें प्राप्त हुई थी। उन शिकायतों को तत्काल प्रभाव से स्थानीय प्रशासन को निर्देशित किया जा चुका है कि गम्भीरता से ऐसी शिकायतों को लिया जाए। चूँकि भारतीय दण्ड संहिता की धारा-332 के तहत इस प्रकार की किसी भी घटना से सम्बन्धित प्रावधान सुसंगत नियमों में किये गये हैं। लेकिन इसके बावजूद भी सभी जो शासकीय और गैर-शासकीय चिकित्सक हैं उनके माध्यम से भी प्रत्यावेदन इस सम्बन्ध में मिलते रहे है और उनको सुरक्षा दिये जाने सम्बन्धी अन्य राज्यों में क्या प्रावधान किये गये हैं, अतिरिक्त से क्या व्यवस्था की गयी है इसका अध्ययन राज्य सरकार के माध्यम से किया जा रहा है और इसके सभी पहलुओं का अध्ययन करते हुए श्रीमन्, सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार इन प्रावधानों को प्रभावी तरीके से किस प्रकार से लागू किया जाए, इसके सम्बन्ध में विचार कर रही है और शीघ्र ही सम्यक विचारोपरान्त हम कोई निर्णय ले पायेंगे। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूँ कि राज्य की वर्तमान सरकार इस होली और नोबल प्रोफेशन के सभी बन्धुओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के प्रति कृत-संकल्प है और इसलिए इस सूचना के माध्यम से जो कार्य-स्थगन का प्रस्ताव माननीय सदस्यगणों ने दिया है उसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मैं माननीय सदस्य डा० शैलेन्द्र मोहन सिंघल, माननीय सदस्य श्री दिनेश अग्रवाल, माननीय सदस्य श्री जोत सिंह गुनसोला, माननीय सदस्य श्री मयूख सिंह और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

*श्री तिलक राज बेहड़-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम-58 में बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, सन् 1996 में पूर्वी तराई वन प्रभाग हल्द्वानी के पूर्वी जौला रेंज में 427 हरे वृक्षों का कटान हुआ था और कटान होने के बाद जब यह मामला प्रकाश में आया तो तब से लेकर इसकी जाँच हुई और जाँच होने के बाद कई अधिकारी इसके अन्दर दोषी पाये गये हैं और लगातार उत्तर प्रदेश से अब तक, उत्तराखण्ड बने हुये 10 वर्ष हो गये हैं और अब ग्यारहवां वर्ष चल रहा है और उस जाँच की जो रिपोर्ट आई है उस पर कार्यवाही नहीं हुई। मेरे पास जाँच रिपोर्ट भी है, इसमें कई अधिकारी जैसे श्री जे०एस० स्वाहा पूर्वी तराई के ये दोषी पाये गये और भी कई अधिकारी इसके अन्तर्गत दोषी पाये गये हैं और इसमें ₹ 7 लाख 78 हजार 200 की क्षति इस रिपोर्ट के अन्दर मानी गई है और सरकार उन अधिकारियों का प्रमोशन भी कर रही है। जितने भी अधिकारी इसके अन्दर दोषी पाये गये हैं उनका लगातार प्रमोशन हो रहा है और इस

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फाइल को दबा दिया गया है अधिकारियों के साथ मिलकर। इस फाइल पर कार्यवाही होनी चाहिए, अब तक इस फाइल पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाए।

श्री प्रकश पन्त–

मान्यवर, यह कौन सी सूचना है ?

श्री अध्यक्ष–

यह माननीय श्री तिलक राज बेहड जी की सूचना है जो नियम–310 में दी है और यह नियम–58 में परिवर्तित हुई है।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री तिलक राज बेहड जी द्वारा जो महत्वपूर्ण सूचना दी गई है, क्योंकि आपने जितनी भी बातें यहाँ पर रखी हैं, उन सभी बातों का संज्ञान लिया जायेगा और चूँकि यह प्रकरण बहुत पुराना है वर्ष, 1996 का प्रकरण है, लेकिन यह मामला आपने जिस तरह से ग्राह्यता पर बोला है तो यह गम्भीर प्रकरण प्रतीत हो रहा है और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ और माननीय सदन को आश्वस्त करता हूँ कि इस पर प्रभावी कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री तिलक राज बेहड और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि बहुत ही जरूरी मुद्दे पर आपने नियम–310 की सूचना को नियम–58 में सुनने की कृपा की। माननीय अध्यक्ष जी, आज यह घटना जनपद हरिद्वार के थाना मंगलौर की लिबरहेडी गाँव की है, लेकिन दलित अत्याचार से जुडी घटना है। मान्यवर, आज हम अगर पूरे प्रदेश पर गौर करें और देखें चाहे वह गंगोलीहाट पिथौरागढ की घटना हो या पिथौरागढ जिला पंचायत अध्यक्ष की घटना हो या खजानदास जी के क्षेत्र की हो, या किसी उस पद पर बैठे व्यक्ति की घटना हो। मान्यवर, दलित होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन आज गरीब का जीवन जीना इस सरकार में दूभर हो गया है। पूरे प्रदेश में दलितों पर बेतहाशा अत्याचार बढ़े हैं। मान्यवर, एक ही घटना घटित नहीं हुई, बल्कि मैं चाहता हूँ कि दलित अत्याचार पर आज नियम–58 के अन्तर्गत समूचे सदन की कार्यवाही स्थगित करते हुए, इस पर चर्चा करायी जाय और चर्चा से प्रदेश हित में कोई मतलब निकले और अपराधों पर अंकुश लगे।

मान्यवर, सभी सदस्य इस पर बोलना भी चाहते हैं, जब हमने मुद्दा उठाया तो काफी सदस्यों ने कहा कि हम भी इस पर आपके साथ हैं और इस पर हम भी कुछ बोलना चाहते है। इस प्रदेश में बेतहाशा अत्याचार हुए हैं चाहे वह सोना देवी भोजन माता का मसला हो, अनेक मुद्दे ऐसे हैं जो कहीं न कहीं इस प्रदेश को गलत दिशा की ओर संकेत करते हैं। मान्यवर, आज लिबरहेड़ी गांव में मोनिका नाम की लड़की के साथ जो रेप की घटना घटी है। मान्यवर, यह केवल एक घटना नहीं है, ऐसी अनेक घटनाएं हैं, इन घटनाओं पर जोर देते हुए मॉग करता हूँ कि इस पर अन्य सदस्य भी बोलना चाहते है, इस पर चर्चा करना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि नियम-58 के अन्तर्गत इस पर चर्चा करायी जाय, इस पर आप अपना विनिश्चय दें, ऐसी मैं आपसे मॉग करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

आप अपने आप में, अपनी पूरी बात रखने में सक्षम हैं तो मैं समझता हूँ कि नियम-58 की ग्राह्यता पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। (व्यवधान)

श्री शहजाद-

मान्यवर, पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। दलितो पर अत्याचार हो रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप ग्राह्यता पर अपनी पूरी बात रखें। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र राकेश-

मान्यवर, पूरे प्रदेश में दलितो पर अत्याचार हो रहे है। इस पर चर्चा होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें। आपके दल के नेता बोल रहे हैं। कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय शहजाद जी, आप अपनी बात बहुत अच्छी तरीके से रख रहे हैं, आप अपने भाषण का क्रम जारी रखें। आप विस्तार में और कुछ कहना चाहते है तो कह दीजिए।

श्री शहजाद-

मान्यवर, दलित अत्याचार की घटनाएं, पिछली बार भी हमने हरिद्वार की एक घटना रखी थी कि एक दलित बालिका जिसकी उम्र 11 साल थी, उसके साथ रेप हुआ

था और आज 14 साल की बालिका है। मान्यवर, पिथौरागढ़ की है, टिहरी की है, जसपुर की है, जिसका कत्ल हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहता हूँ यह एक सुनियोजित घटना है इस पर चर्चा होनी बहुत आवश्यक है, मैं इस पर चर्चा की माँग करता हूँ। इसमें हमें आपका संरक्षण चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी बात को ग्राह्यता पर सुन रहा हूँ।

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, पिथौरागढ़ की कौन सी घटना है, थोड़ी जानकारी तो दीजिए ? (व्यवधान)

श्री शहजाद–

मान्यवर, जिला पंचायत अध्यक्ष वाली घटना है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात विस्तार से आ चुकी है।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जो विषय माननीय नेता बसपा रख रहे हैं, यह स्पेसिफिक घटना नहीं है और उसकी पूरी जानकारी मंगा कर कल मैं सदन में उसका वक्तव्य दे दूंगा, लेकिन जहाँ तक कि आप कह रहे हैं कि बिल्कुल सरकार अपराधों को बढ़ावा दे रही है तो इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि सरकार पूरी तरह से गम्भीर है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) सरकार नागरिकों के हितों के संरक्षण के लिए गम्भीर है, लेकिन यदि कोई स्पेसिफिक घटना हुई है तो उसकी जानकारी लेकर वक्तव्य सदन के सम्मुख रखा जाता है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही 3.00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही 3.00 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री तिलक राज बेहड़–

मानानीय अध्यक्ष जी, बी0टी0सी0 वालों पर पानी की बौछार हो रही है, उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। वे अपनी मांगों को रख रहे हैं। जिस तरह से सरकार उन पर लाठियाँ चला रही है। एक–एक को पकड़ कर पीटा जा रहा है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर एक साथ अपनी बात कहने लगे, जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, नियम–310 की सूचना जो नियम–58 में परिवर्तित की गयी थी, जिसमें माननीय शहजाद जी ने अपने विचार रखे थे। उसका जवाब दे दीजिए। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, बहुत छोटी–छोटी बालिकाएं हैं, उन पर पानी की बौछार कर अन्याय किया जा रहा है। बहुत दुर्दशा है बाहर, लाठियाँ भांजी जा रही हैं, बी0टी0सी0 वालों पर। (व्यवधान)

*नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)–

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत तात्कालिक विषय है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जो विषय चल रहा है। उसे चलने दीजिए। यह विषय भी तात्कालिक है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, इससे ज्यादा तात्कालिक नहीं हो सकता। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, नियम–310 का उत्तर आ जाने दीजिए।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आज सदन के सारे कार्य रोक कर इस पर चर्चा करायी जाय। हमारे नवयुवकों और नवयुवतियों पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। उन पर पानी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

छोड़ा जा रहा है, वहाँ पर भगदड़ मच गयी है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं विनम्र शब्दों में आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, जिस तरह से लाठी चार्ज किया गया है, लोकतांत्रिक तरीके से हमारे नौजवान धरना दे रहे थे। मैं और माननीय तिवारी जी स्वयं उनके धरना स्थल पर गये थे। इतने शांतिपूर्ण ढंग से वे अपनी बात को कहना चाहते थे। उनकी मॉग जायज है।

श्री अध्यक्ष–

जब तक माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं बैठेंगे, इनकी किसी बात का संज्ञान नहीं लिया जाएगा।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) आपकी बात आ गयी है। (व्यवधान)

(माननीय नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य "वेल" में आकर अपनी बात कहने लगे)

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

("वेल" में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री गोविन्द सिंह बिष्ट–

मान्यवर, केन्द्र सरकार के नियम हैं, आप उनको समझाओ। .....

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, कृपया स्थान ग्रहण करें। जब तक माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं चले जाते, किसी भी बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

कृपया स्थान ग्रहण करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार की लाठियों से तो आप भी बच गये, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां वहाँ पर बन गई थीं और जिस तरह से भगदड़ मच गई थी,

आप तो माननीय विधायक श्री किशोर उपाध्याय जी से मिलने गये थे। अगर आप गाड़ी से विधान सभा के अन्दर नहीं आ जाते तो आज विधान सभा के माननीय अध्यक्ष के साथ भी कोई अनहोनी घटना हो सकती थी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जब तक माननीय सदस्य अपने स्थान पर नहीं चले जाते, किसी भी बात का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

("वेल" में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् अपनी–अपनी बात कहते रहे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया, स्थान ग्रहण करें।

("वेल" में खड़े माननीय सदस्य नारे लगाने लगे)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, जिस घटना के सम्बन्ध में माननीय नेता प्रतिपक्ष और अन्य माननीय सदस्यों ने सूचना दी है, मैंने अभी उसकी सूचना मंगाई है, उसके अनुसार आज लगभग 02.30 बजे ....। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं।

("वेल" में पूर्ववत् खड़े माननीय सदस्यगण अपनी–अपनी बात कहते रहे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर चले जाएं, उसके बाद आप अपनी बात रखें।

("वेल" में खड़े माननीय सदस्यगण अपने–अपने स्थान पर जाकर बैठ गये)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, अगर ये नियम–310 वालों को पहले पूरा कर लेते।

श्री अध्यक्ष–

हाँ, इसे पहले पूरा कर लेते हैं। ये भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है।

डा0 हरक सिंह रावत–

नहीं माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रदेश के नौजवानों पर लाठीचार्ज हुआ है, इससे बड़ा और कोई मुद्दा नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष–

एक दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ है।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, नियम–310 क्यों बना है।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, नियमों के हिसाब से अगर नियम–310 पर चर्चा चल रही है, उसको बीच में रोक करके तो उचित नहीं है। उस पर चूँकि ग्राह्यता पर माननीय सदस्य ने बोला है, उस पर सरकार का वक्तव्य आ जाय, उसके बाद उस पर निर्णय हो जाय, तब आपकी सूचना ले ली जाय। न कोई लिखित सूचना आपने दी है, न कोई, इस तरह से केवल हंगामा करने से (व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, हम पीठ के संज्ञान में लाये हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, पीठ के संज्ञान में लाये है तो उसमें एक व्यवस्था के तहत ही तो होगा। (व्यवधान) कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है। चूँकि माननीय अध्यक्ष जी भी थे, मैं भी था, माननीय दिनेश अग्रवाल भी थे, कहीं कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसी सम्बन्ध में तो अवगत कराना चाह रहा हूँ कि ढाई बजे लगभग 300–400 बी0टी0सी0 प्रशिक्षित जो शिक्षक, शिक्षिकाएं हैं, उन्होंने बैरीकेटिंग तोड़ने का प्रयास किया है, जूते, चप्पल और पत्थर फेंकने का प्रयास भी किया है श्रीमन्। लेकिन हमारी पुलिस ने पूरी तरह से शान्तिपूर्वक तरीके से उनको रोका है श्रीमन्, और ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं हुआ है कि लाठीचार्ज हो गया हो, वो घायल हो गये हों। अभी तक की स्थिति में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। आप स्वयं गवाह हैं श्रीमन्, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ, कोई ऐसा विषय नहीं आया श्रीमन्, और अनावश्यक सदन का कार्य व्यवधानित किया जा रहा है। हम स्वयं वहाँ पर थे।

श्री अध्यक्ष–

कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, जिस समय वहॉं पर लोग आये, मैं, अध्यक्ष जी और पन्त जी वहॉं से निकल गये थे, उसके बाद ये घटनाक्रम हुआ।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, उसके बाद आप तो थे नहीं वहॉं और ऐसी कोई घटना वहॉं हुई नहीं। अभी जो सूचना मैंने मंगाई है, उसके आधार पर कोई ऐसा लाठीचार्ज वहॉं पर नहीं हुआ है। आधिकारिक रूप से श्रीमन्, कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

डा0 हरक सिंह रावत–

अध्यक्ष जी के सामने हुआ माननीय अध्यक्ष जी, बेहड जी के सामने हुआ। सौ से अधिक लोग घायल हैं।

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, इस सदन में जो कहा जाता है वो सत्य कहा जाता है। सत्य से परे विषय नहीं बोला जाता है।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, जिस तरह आप सत्य से परे नहीं कहते हैं उसी तरह हम भी सत्य से परे नहीं कहते है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

कृषि, उद्यान एवं पशुपालन मंत्री (श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत)–

मान्यवर, विपक्ष सदन को गुमराह कर रहा है। आप स्वयं वहॉं पर थे और मुझे लगता है कि इनमें आपस में ही लाठियां चल रही है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। जो प्रश्न चल रहा था, उसके ऊपर जब तक निर्णय नहीं आ जाता, कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ। किसी भी बात का संज्ञान न लिया जाय। (व्यवधान) (नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत के कुछ कहे जाने पर) मैंने अनुमति नहीं दी है कृपया किसी बात का संज्ञान न लिया जाय।

डा0 हरक सिंह रावत–

मान्यवर, यह सरकार तानाशाही तरीके से, दमनकारी नीतियों और पुलिस के बलबूते पर सरकार चलाना चाहती है, यह सरकार गरीब लोगो, निर्बल वर्ग के लोगों, नौजवानों और किसानों की आवाज को दबाना चाहती है। इसलिए मैं और मेरा दल सदन से वाकआउट करता है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, नियम–310 के तहत माननीय सदस्य श्री शहजाद जी, माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश जी, माननीय सदस्य श्री प्रेमानन्द महाजन जी ने जो सूचना दी थी जिसे आपने सदाशयतापूर्वक नियम–58 में ग्राह्यता पर सुना है। इस विषय पर अवगत कराना है कि दिनांक 22 मार्च, 2011 की रात लगभग 11.30 बजे श्री भगत सिंह पुत्र श्री इन्द्रपाल सिंह ने थाना मंगलौर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी कि उनकी भतीजी जो सलीम नाम के व्यक्ति की चर्खी पर मजदूरी का कार्य करती है। दिनांक 22 मार्च, 2011 को लगभग 4.00 बजे सांय कब्ज की शिकायत होने पर वह काम छोडकर जंगल गई, तभी उसके पीछे सोनू पुत्र लतीफ ग्राम लिब्बरहेडी द्वारा उसका मुंह कपडे से बन्द करने के कारण वह बेहोश हो गयी और बाद में उक्त सोनू ने पीडिता के साथ बलात्कार किया। पीडिता ने घर आने पर सोनू के द्वारा उसके साथ बलात्कार किये जाने की बात बतायी। इस तरह की रिपोर्ट थाना मंगलौर में रात्रि लगभग 11.30 बजे, दिनांक 22–03–2011 को दर्ज कराई गई। उक्त सूचना थाना मंगलौर में प्राप्त होते ही अभियुक्त सोनू के विरूद्ध धारा 105/2011 धारा 376/506 तथा एस0सी0एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया तथा सूचना मिलते ही अभियुक्त को पकडने का प्रयास किया गया और तत्काल प्रभाव से उसे पकड लिया गया तथा पीडिता का चिकित्सा परीक्षण भी करा लिया गया है। श्रीमन्, एक बात जानकारी में आयी है कि इन दोनों के मध्य विगत एक वर्ष से एक ही चर्खी में काम करने के कारण अंतरंग सम्बन्ध थे, इसके बावजूद भी वह नाबालिग है और अनुसूचित जाति से सम्बन्धित है तो इन दोनों ही दृष्टिकोण से मुकदमे कायम हो चुके हैं और अभ्युक्त गिरफ्तार किया जा चुका है।

अभ्युक्त की गिरफ्तारी के तुरन्त बाद पीडिता के धारा–164 के बयान भी ले लिये गये हैं, लेकिन जो बात जानकारी में आयी है उसमें पीडिता ने दोनो ही बातो से इन्कार

किया है कि न ही मेरे साथ बलात्कार हुआ और न जान से मारने की धमकी दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी श्रीमन्, चूंकि दोनों अलग–अलग समुदाय के हैं, जो सोनू है वह मुस्लिम समुदाय का है और पीड़िता अनुसूचित जाति की होने के नाते इस प्रकरण की घटना की संवेदनशीलता को स्वीकार करते हुए इस पर तत्काल प्रभाव से हमारी सरकार ने कार्यवाही की है। डी0एस0पी0 के माध्यम से इसकी विवेचना प्रारम्भ कर दी गई है, अभ्युक्त गिरफ्तार हो चुका है, धारा–164 में बयान हो चुके हैं। जितनी त्वरित कार्यवाही सरकार ने की है, उतनी त्वरित कार्यवाही तभी सम्भव हो सकती है जब कोई सरकार संवेदनशील हो। इसलिए यह सूचना ग्राह्य करने योग्य नहीं है। क्योंकि सरकार इस विषय पर पहले से गम्भीर है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर वापस आ गये)

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बताया कि अंतरंग सम्बन्ध थे, यह सूचना माननीय मंत्री जी के पास कहाँ से आ गई ? कैसे आरोप लगा सकते हैं। माननीय मंत्री जी सदन के अन्दर झूठ बोल रहे हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, धारा–164 के बयान हैं। (घोर व्यवधान)

(बहुजन समाज पार्टी के समस्त सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर जोर–जोर से अपनी बात को कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

मान्यवर, धारा–164 के बयान है, उसके बावजूद भी गिरफ्तार किया, विवेचना चल रही है। मुकदमा दर्ज हो गया है। मामला रफा–दफा किया जा रहा है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, गलत बयान दे रहे हैं। माननीय मंत्री जी के पास कहाँ से सूचना आई है ? धारा–164 में कोई बयान नहीं दिया गया है।

श्री प्रकाश पन्त–

क्या आपको जानकारी है कि धारा–164 में बयान नहीं दिये गये है ?

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

सुरेन्द्र राकेश जी, यह आपका व्यवहार ठीक नहीं है। विषय आ चुका है। कृपया स्थान ग्रहण करें। गिरफ्तारी हो गई है, विवेचना तो आने दीजिए।

(बहुजन समाज पार्टी के समस्त माननीय सदस्य ''वेल'' में आकर जोर–जोर से अपनी बात को कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, विवेचना चल रही है। विवेचना होने के बाद स्पष्ट हो जायेगा।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

सारा विषय आ चुका है। गिरफ्तारी हो चुकी है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय शहजाद और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, माननीय सदस्य अनावश्यक तूल दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

(बहुजन समाज पार्टी के माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर जाकर बैठ गये)

श्री अध्यक्ष–

मानानीय शहजाद जी, बजट पर अपनी बात रखनी है। बजट पर बोलने से पहले मेरा एक निवेदन है कि समय को देखते हुए जो दलीय नेता हैं उनके लिए 15 मिनट और माननीय सदस्यों के लिए 10–10 मिनट निर्धारित कर रहा हूँ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री यशपाल बेनाम–

माननीय अध्यक्ष जी, सुबह नियम–58 मे मेरा नाम आया था।

श्री अध्यक्ष–

मुझे मालूम है कि आपका नाम आया था और आपने सूचना दी है। कृपया स्थान ग्रहण करें। मैंने देख लिया है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री यशपाल बेनाम–

माननीय अध्यक्ष जी, क्या कारण है जो मुझे नहीं बोलना है। आपने नियम–58 की ग्राह्यता की सूचना पर मेरा नाम लिया था। (व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री यशपाल बेनाम अपनी बात को कहते–कहते ''वेल'' में आ गये)

श्री अध्यक्ष–

नाम लिया था, मैं मना जो क्या कर रहा हूँ। कहाँ स्वीकार हुई थी, जिनकी सूचना स्वीकार हुई थी उनका नाम मैं आपको बताता हूँ, श्री बलवीर सिंह नेगी जी, श्री हरिदास जी की है, श्री यशपाल बेनाम जी (हंसी) इनका नाम रह कैसे गया ? माननीय यशपाल बेनाम जी, बोलें। (व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री यशपाल बेनाम ''वेल'' से अपने आसन पर वापस चले गये)

श्री यशपाल बेनाम–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने अन्ततः मुझे नियम–58 पर बोलने का अवसर दिया, यह मेरा सौभाग्य है। मैं इस गम्भीर विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। लगातार हम 5–6 महीनो से इस बात को देख रहे हैं कि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जंगली जानवरों द्वारा लोगो को मारने की घटना हो रही है। विशेषकर आदमखोर बाघों के द्वारा लोगों को मारा जा रहा है और एक तरफ सरकार बाघों के संरक्षण और बाघों की हानि को रोकने का प्रयास कर रही है। लेकिन महोदय, मुझे यह कहने में कोई शक नहीं है कि यह वन विभाग की लापरवाही और शिथिलता के चलते हुए होता है। जब ग्रामीणों के द्वारा इस आदमखोर बाघ के क्षेत्र में होने की, स्थानीय प्रशासन को और वन विभाग

के अधिकारियों को सूचना दी जाती है उनके द्वारा उस पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। न ही ग्रामीण क्षेत्रों में पिंजरा भेजा जाता है और न ही शिकारी दलों को वहाँ भेजा जाता है। जिसका ताजा उदाहरण, कल हुई ताजा घटना में कालागढ़ डिवीजन के अदनाला डिवीजन के रिखणीखाल विकास खण्ड के दामढाल गांव में ग्रामीणों द्वारा कई दिनों से आदमखोर बाघ के हमले की सूचना वनाधिकारियों को, क्षेत्रीय प्रशासन को दी जाती है। जिसमें की इस बाघ के द्वारा तीन लोगों को घायल किया गया था। लेकिन महोदय, इसके बावजूद भी सही टाइम पर वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वहाँ पर न ही पिंजरा लगाया गया और न ही शिकारी दल को भेजा गया।

अन्ततः जब ग्रामीणों के द्वारा इस बात का विरोध किया गया और तमाम लोगों ने आक्रोशित होकर यह कहा कि अगर यह बाघ हमारे सामने आयेगा तो मार दिया जायेगा। अतः माननीय अध्यक्ष जी, वही हुआ कि ग्रामीण आक्रोशित होकर जब पिंजरे में बाघ को बन्द कर दिया गया, उसके बाद ग्रामीणों के द्वारा उस बाघ को जिन्दा जला दिया गया। जो कि निश्चित रूप से एक दुखद घटना है। मान्यवर, सरकार एक तरफ बाघों के संरक्षण की बात करती है। प्रदेश के तमाम पार्क चाहे राजाजी पार्क हो, जिम कार्बेट पार्क हो जिसको देखने पर्यटक आते हैं और इस तरह बाघों का संरक्षण, बाघ खत्म होते रहेंगे और बाघों के द्वारा लोगों को मारे जाने का यह सिलसिला चलता रहेगा तो निश्चित रूप से यह दुर्भाग्य है। मान्यवर, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि बाघों के संरक्षण के साथ–साथ बाघों से लोगों को बचाने के लिए कार्य किया जाना चाहिए। दूसरा बाघों के द्वारा लोगों को मारने पर जो मुआवजा दिया जाता है, उसकी राशि बहुत कम है। मान्यवर, घायलों के लिए उस राशि को बढ़ाकर एक लाख रुपये और मृतकों के लिए पाँच लाख रुपये किया जाना चाहिए। अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस गम्भीर अविलम्बनीय विषय पर सदन की समस्त कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा की माँग करता हूँ।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय यशपाल बेनाम जी द्वारा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आदमखोर बाघ द्वारा लगातार बढ़ रहे हमलों के सम्बन्ध में यह सूचना नियम–58 के तहत ध्यानाकर्षण के रूप में दी गयी। श्रीमन्, उसके सम्बन्ध में, मैं अवगत कराना चाहूँगा कि जिस घटना का उल्लेख माननीय यशपाल बेनाम जी ने किया वह घटना कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन प्रभाग में घटित हुई दिनांक 12 मार्च, 2011 को ग्राम धानाधार में सांय लगभग 5–6 बजे ग्रामीणों द्वारा एक गुलदार को कमरे में बन्द कर दिया गया था, जब वह गांव में घुस आया था। स्थल से लगभग दो–ढ़ाई किलोमीटर दूर रतुवाडाब वन परिसर में ग्रामीणों द्वारा सूचित करने पर वनकर्मी तत्काल उस स्थान के लिए रवाना हुए। तब तक गुलदार उस कच्चे भवन के कमरे से निकल कर भाग गया था और उसी दिन रात्रि 10 बजे यह गुलदार, अचानक गांव के दो व्यक्तियों से इसका सामना हुआ श्रीमन्, जिसके

फलस्वरूप उन दोनों व्यक्तियों के पैरों और हाथों में खरोंचे आई हैं और उसके बाद 23 तारीख को पुनः प्रातः 5 बजे गुलदार ने ग्राम–वीरोंवाड़ी के श्री भरत सिंह राणा को घायल किया जिसके फलस्वरूप उनके सिर व गर्दन पर चोटें आई। इस घटना के उपरान्त प्रातः 6 बजे गुलदार गौ–शाला में घुस गया। ग्रामीणों ने उस गौ–शाला में उसको बन्द कर दिया और वन विभाग को जैसे ही सूचना मिली वैसे ही तत्काल वन विभाग के कर्मचारी पिंजड़ा और ट्रैंकुलाइजर गन लेकर वहाँ पहुँच गये। प्रभागीय वनाधिकारी भी मौके पर मौजूद थे श्रीमन्, उनकी ग्रामीणों से वार्ता हुई और इसी बीच सायं 5 बजे वन विभाग के कर्मचारियों ने गुलदार को गौ–शाला से पकड़कर पिंजड़े में बन्द कर लिया।

जब पिंजड़े में बन्द कर लिया तो उस पिंजड़े को लेकर चिड़ियापुर स्थित वन्य जीव सेन्टर में स्थानान्तरित करने का प्रयास करने लगे इतने में ही तीन–चार गांव के ग्रामीण एकत्रित हो गये और उन्होंने आक्रोशित होकर मिट्टी का तेल डालकर गुलदार को पिंजड़े में जिन्दा जलाकर मार दिया। जबकि मौके पर 35 के लगभग हमारे वन कर्मी मौजूद थे और रिखड़ीखाल के 3 पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। उनके द्वारा ग्रामीणों को बहुत समझाया बुझाया गया, बहुत प्रयास किया गया और चौना–छपटी में जो पलन रेंज के रेंज अफसर हैं बृज बिहारी शर्मा और ग्राम–कुमाड़ी क्षेत्र के पंचायत सदस्य श्री मोतीभाई भी ये भी मिट्टी के तेल से पूरी तरह से तर हो गये। मृत गुलदार के शव को साय 7.30 बजे राजकीय पशु चिकित्सक द्वारा पोस्टमार्टम किया गया और कालागढ़ टाइगर रिजर्व वन प्रभाग में नाला रेंज के रेंज अधिकारी सीताराम पाण्डेय द्वारा थाना रिखड़ीखाल में इस सम्पूर्ण घटना की प्राथमिकी दर्ज की गयी। इस घटना में श्रीमन्, जहाँ तक आपने विभागीय अधिकारियों की लापरवाही की बात नोटिस में कही है श्रीमन्, इसके सम्बन्ध में अवगत कराना चाहूँगा कि दिनांक 22 मार्च और 23 मार्च दोनों दिन सूचना मिलते ही ग्रामीणों तथा गुलदार की सुरक्षा हेतु वन कर्मचारी वहाँ पर मौके पर पहुँच गये थे और उन्होंने सफलतापूर्वक उस गुलदार को बन्द भी कर लिया था। श्रीमन्, इस सम्पूर्ण प्रकरण पर जहाँ तक कार्यवाही की बात आई है तो त्वरित कार्यवाही इस सम्बन्ध में की गयी और आगे इस तरह की घटना न हो उसके लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है। गुलदारों से ग्रामीणों की सुरक्षा हेतु स्थान–स्थान पर पिंजड़ों की व्यवस्था की गयी है और जनपदों में इस हेतु गनें उपलब्ध करा दी गयी हैं और इसके अतिरिक्त सूचना मिलते ही वन कर्मी के स्टाफ और अधिकारी तत्काल घटना स्थल पर पहुँचते हैं विशेष तौर पर वन्य जीवन और ग्रामीणों के बीच के संघर्ष को रोकने के लिए मान्यवर, इसके लिए जनसहयोग की भी आवश्यकता पड़ेगी, सरकार पहले से ही इस संवेदनशील विषय पर गम्भीर है, अतः इस सूचना को अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री यशपाल बेनाम–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि जब क्षेत्रीय पदाधिकारियो से निवेदन किया जाता है, उनके लिए तुरन्त पिंजडे या शिकारियों की व्यवस्था कर दी जाए ताकि लोगों मे आक्रोश न बढे और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, स्थान–स्थान पर ऐसे पिंजडों की व्यवस्था की है और जनपदों मे ट्रैंकुलाइजेशन गनें भी दे दी हैं और तत्काल जहाँ से भी सूचना मिलती है, वैसे इस घटनाक्रम में तत्काल प्रभाव से कार्यवाही की गई और गुलदार को पकड लिया गया था और अब ग्रामीणो ने आक्रोश मे आकर के उसे जला दिया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री यशपाल बेनाम और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुनने के बाद मै इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

वित्तीय वर्ष 2011 12 के आय व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, मै आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बजट 2011–12 पर बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रथम विधान सभा का भी सदस्य था और इस बार भी मुझे सौभाग्य मिला है। जो बजट माननीय मुख्यमंत्री डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक" जी ने प्रस्तुत किया है उसका जमीनी हकीकत से दूर–दूर तक वास्ता नही है, आकडों का खेल खेला जा सकता है और आंकडे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत लम्बे–चौडे छपवाये हैं। पेज भी इस बार अन्य सालों से बहुत ज्यादा बढे हैं, पहले यह 35–36 पेज का होता था और इस बार 94 पेज का है। क्योंकि कवि ह्रदय के माननीय मुख्यमंत्री जी है और जानकारी मिली कि माननीय नेता प्रतिपक्ष भी कही न कही कवि ह्रदय रखते हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि छपाई के सिवा इसमें कुछ नहीं है, कही बजट मे एक जगह भी एक शब्द ....

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री शहजाद जी, अगर माननीय नेता प्रतिपक्ष जी कवि ह्रदय के हो गये तो आपको इस बात पर एतराज है क्या ?

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, यह 94 पेज की बजट से हुआ, यदि दोनो हो गये तो अगली बार यह 200 पेज का न हो जाये। मान्यवर, जो गरीब मजदूर हैं, मजलूम हैं उसके लिए बजट की व्यवस्था तो दूर की बात है कहीं एक शब्द सहानुभूति का भी नहीं है और न

ही इस बजट में यह दिया गया है कि जो इस प्रदेश का गरीब है उसके लिए हम क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं।

(माननीय सदस्य श्री प्रेम चन्द अग्रवाल जी द्वारा कुछ कहे जाने पर)

श्री शहजाद–

मान्यवर, शायद श्री प्रेम चन्द जी को या पूरी पार्टी को अटल के सिवा किसी का सहारा नहीं है। नाम से कब तक चलेगा काम भी करना चाहिए। मुझे दुख नहीं है, माननीय अटल जी सबके सम्मानित हैं, लेकिन 2 किलो गेहूँ और एक किलो चावल में एक महीना नहीं चलता है। माननीय अध्यक्ष जी, योजनायें बनती रहती हैं और बजट भी खर्च होता रहता है, पर गरीब जहाँ खड़ा होता है, जहाँ आज से वर्ष 1947 के आस–पास खड़ा था लगभग वहीं खड़ा है। गरीब के लिए कहीं कोई रोजगार की व्यवस्था नहीं है, गरीबी कैसे हटायेंगे उसके लिए कोई व्यवस्था बजट में नहीं बनाई गई है। माननीय अध्यक्ष जी, गरीब को रोजगार कैसे मिलेगा, उसका घर कैसे चलेगा, उसके लिए भी इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। मान्यवर, इसके बाद एक गरीब और बचता है, जो गरीब किसान कहलाता है। उस किसान के लिए भी इस बजट में कोई बजट की व्यवस्था नहीं है। उसकी उपज के दाम कैसे उसे दिलायेंगे, कहाँ उपज बिकेगी, उसके गन्ने की आज कैसी दुर्दशा है, उसे कितना रेट मिलें दे रही है, उसे कितना भुगतान हो रहा है, जो उसका भुगतान है, उस पर ब्याज देंगे या नहीं देंगे, इसकी भी कहीं कोई बात बजट में नहीं की गयी है।

मान्यवर, यह पहाड़ी प्रदेश है, लोग पहाड़ की बात करते है, पहाड़ के पानी और पहाड़ की जवानी की बात हमेशा कही जाती रहती है, पहाड़ का पानी पहाड़ पर नहीं रुक सकता, लेकिन उसका दोहन किया जा सकता है, उससे पैसा बढ़ाया जा सकता है। मान्यवर, कहीं पर भी इस बजट में ऐसी व्यवस्था नहीं की गयी है कि हम पहाड़ के पानी का दोहन कैसे करेंगे, कैसे व्यवस्था होगी कि हम यहाँ पर इसे कारगर करेंगे कि यहाँ के मजदूरों को रोजगार देंगे, यह व्यवस्था नहीं की गयी है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ चूँकि पहाड़ से भारी संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। जहाँ मैदानी जिलों में भारी जनसंख्या का दबाव है, वहीं इस प्रदेश से बाहर भी पहाड़ से बहुत लोग पलायन करने को मजबूर है। मान्यवर, अगर पहाड़ पर रोजगार की व्यवस्था सरकार करे, वहीं के नौजवान को वहीं पर रोजगार देने की बात करे और उसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी, मात्र कहने से बात बनने वाली नहीं है तो शायद यहाँ का नौजवान मुम्बई या अन्य शहरों में जाकर अपना अपमान सहने को तैयार नहीं होगा। लेकिन कहीं भी इस बजट में, इस बजट की किताब के इन 94 पन्नों में किसी भी नौजवान के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है और न ही कोई बात कही है, जोकि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मान्यवर, बात हम पहाड़ की करें और पहाड़ के नाम पर राज करें और उस नौजवान की बात हम न करें, तो यह अपने आप में माननीय अध्यक्ष जी, बहुत दु:खद बात है।

मान्यवर, मैं ओ०बी०सी० समाज की बात करना चाहता हूँ, हरिद्वार जिले और ऊधमसिंह नगर जिले में इसकी आबादी लगभग 60 प्रतिशत से अधिक है। मान्यवर, इस समुदाय के जो नौजवान हैं, बच्चे हैं उनको भी छात्रवृत्ति की व्यवस्था पूरी तरह से नहीं की गयी है। मान्यवर, आवश्यकता हरिद्वार जनपद में ₹ 12 करोड की थी और इसके सापेक्ष दिये गये मात्र चार करोड रुपये और इस चार करोड रुपये मिलने पर जो वहाँ भ्रष्टाचार फैला है। मान्यवर, जो 11 प्रतिशत विकास दर दिखायी गयी है, इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि यह 11 प्रतिशत वृद्धि विकास दर मे न होकर भ्रष्टाचार मे वृद्धि हुई है। मान्यवर, इसका कहीं न कहीं इस बजट में उल्लेख होना चाहिए था कि इस प्रदेश मे कितना भ्रष्टाचार बढ रहा है, और यह क्यों बढ रहा है, इसके क्या कारण है। मान्यवर, जहाँ 12 करोड की आवश्यकता है और मात्र ₹ 4 करोड दिये गये है तो इससे भ्रष्टाचार ही बढ़ेगा। मान्यवर, ₹ 8 हजार से लेकर 10 हजार तक लेने के बाद छात्रों की छात्रवृत्ति रिलीज हो रही है, जो अपने आप में बहुत ही दु:खद घटना है। मान्यवर, जहाँ ओ०बी०सी० के लिए इस बजट में कोई व्यवस्था नहीं है, मजदूर के लिए कोई व्यवस्था नही है, गरीब के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, वही मुस्लिम समाज जो यहाँ पर भारी संख्या में निवास करता है उसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा एक योजना चलायी गयी है एम०एस०डी०पी०। मान्यवर, इसका पैसा ही यह सरकार वापस कर रही है। मान्यवर, दो जिले हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर पाईलेट योजना में लिये गये, परन्तु कोई कार्य नही किया गया। मान्यवर, जो मुस्लिम समाज के कोई बुनियादी कार्य किये जाते, कोई यूनिवर्सिटी बनाते, स्कूल खोलते, आई०टी०आई० स्कूल खोलते, पॉलीटैक्निक खोलते, परन्तु इस पैसे से इनके लिए इस सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नही की गयी। अगर कोई काम इस सरकार ने किया है तो वह तो केवल उस पैसे को वापस करने का कार्य किया है, जो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है।

मान्यवर, आज यदि कोई गरीब जलता है और जो गरीबी रेखा में सबसे नीचे जीवनयापन कर रहा है तो वह मुस्लिम समाज है। माननीय अध्यक्ष जी, अशिक्षा सबसे ज्यादा है, तो मुस्लिम समाज मे है। उसमें इस बी०जे०पी० सरकार का क्या जा रहा था, केन्द्र सरकार के पैसे से 2 यूनिवर्सिटी अगर दो जिलों मे दे देते, दो महाविद्यालय दे देते तो बहुत अच्छी तरह से शिक्षा अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मिल सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो अपने आप मे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं चाहूँगा कि सरकार इस पर जागरूक होते हुए दो विश्वविद्यालय इन दो जिलो ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार में देने का काम करे, जिसमें पढने वाला बच्चा यदि इंजीनियर बनता है, वह उसमे धार्मिक तालीम भी अरबी फारसी की कुछ न कुछ ले, इस आधार पर उस यूनिवर्सिटी का गठन हो। माननीय अध्यक्ष जी, इस पूरे बजट में कहीं भी

विधवा, वृद्धा, विकलांग के लिए कोई व्यवस्था और बात नहीं कही गयी है। आज महंगाई का दौर है। जो उन्हें पेंशन मिलती है, जो व्यवस्था पहले से चली आ रही है, उसमें वे अपने एक माह का जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। उसमें सब्जी रोटी खाने की बात न करे, एक महीने का आटा भी उसमें नहीं खरीदा जा सकता। जहाँ विकलांग की पेंशन बढ़नी चाहिए थी, वृद्धा की पेंशन बढ़नी चाहिए थी, विधवा की पेंशन बढ़नी चाहिए थी, इसमें कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है। यह भी अपने आप में एक निन्दा का विषय है।

सरकार जहाँ 11 प्रतिशत विकास दर की वृद्धि की बात कर रही है, इन विकलांगों की वृद्धि, इन विधवाओं की वृद्धि, इन वृद्धाओं की वृद्धि की बात भी इसमें होनी चाहिए थी। इसमें उनके लिए बजट की व्यवस्था होनी चाहिए थी। माननीय अध्यक्ष जी, समाज कल्याण विभाग, जिसमें मैंने छात्रवृत्ति की बात की है। ज्यादातर गरीब से सम्बन्धित काम इसी विभाग में पड़ते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के काम इसी में पड़ते हैं। यह अपने आप में भ्रष्टाचार का ऐसा मण्डप बन गया है, जिसकी कहानी कहते-कहते भी शायद आदमी उसकी सोच से भी काफी आगे निकल गया है। इसी के अन्तर्गत मुस्लिम समाज की हज कमेटी आती है, इसी के अन्तर्गत वक्फ बोर्ड आता है। माननीय अध्यक्ष जी, अगर मैं इस प्रदेश में वक्फ बोर्ड की बात करूँ, जहाँ एलेक्टेड मेम्बर से ज्यादा नॉमीनेटेड मेम्बर इस सरकार ने किए, कोर्ट ने उसमें से सदस्यता समाप्त की, लेकिन उसके बाद भी जबरदस्ती सत्ता के मद में चूर होते हुए वक्फ बोर्ड में है। पिरान कलियर, जहाँ विदेशों से भी कई लोग आते हैं। इस कदर भ्रष्टाचार आज व्याप्त है कि उसकी कहानी नहीं कही जा सकती। माननीय समाज कल्याण मंत्री जी और माननीय सी0एम0 साहब से अनेक बार निवेदन किया गया कि वहाँ डी0एम0 को चार्ज दिया जाय, जिससे वहाँ व्यवस्था सुधरे, लेकिन कोई बात सुनने वाला नहीं है। मंत्री जी अपनी जिद पर है कि चेयरमैन होगा तो वही होगा, 50 मुकदमें उस पर हैं, उसकी सदस्यता पता नहीं कैसे बची है ? उनसे अच्छे कोइ आदमी मुस्लिम समाज में नहीं मिल रहे हैं। जिन पर हाइकोर्ट ने टिप्पणी की है, वही लोग बैठे हैं। यह अपने आप में निन्दा का विषय है और मैं इसकी निन्दा भी करता हूँ। सरकार को इसमें सोच बनानी चाहिए।

मान्यवर, डी0एम0 भी सरकार के अण्डर में हैं। यदि डी0एम0 ने वहाँ विकास कराने का काम किया है, जो वहाँ पर जो चढ़ावा है, वहाँ पर प्रसाद बिकता है, उससे जो पैसा अर्जित होता है, उससे विकास करने की बात की है, उससे पानी का ओवरहैड टैंक बनाने की बात की तो सरकार ने उसको रुकवाने का काम किया। सरकार के पास वहाँ के लिए बजट नहीं है। अगर दो-दो चार-चार रुपये करके ₹ 5-6 करोड़ इकट्ठा हुए है, उसको लगाने की बात हुई है, उससे विकास हुआ है, वहाँ सौन्दर्यीकरण हुआ है, तो उस पर भी यहाँ की सरकार की निगाह है कि वह क्यों हो रहा है, उसका विरोध

कर रहे है। लोगो द्वारा कोर्ट में जनहित याचिका दायर करके वहाँ पर कार्य हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अगर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट न होते तो शायद वहाँ पर जीना भी दूभर हो गया था, इस सरकार की नीतियो के कारण।

माननीय अध्यक्ष जी, इस ऊर्जा प्रदेश की अगर हम बात करे, बहुत खुशी की बात थी, जब यह प्रदेश बना, लोगो को 24 घण्टे बिजली मिलती थी। जो लोग उत्तर प्रदेश मे रहते थे, वे कहते थे कि आपका तो ऊर्जा प्रदेश है, आपको 24 घण्टे विद्युत मिल रही है। लेकिन आज इस 10 साल के अन्तराल मे ही यह ऊर्जा प्रदेश कहाँ गया, कहाँ इसकी ऊर्जा चली गयी, कहाँ इसके ट्रांसफार्मर, कहाँ खम्भे, कहाँ तार चले गये ? यह बहुत ही दयनीय स्थिति है, यदि कहीं ट्रांसफार्मर फुंक जाता है तो तीन-तीन महीने में बदला जाता है। एक योजना बी०पी०एल० के लिये चलाई गई थी, यदि उनका भी ट्रांसफार्मर फुक जाता है तो उन्हे तो मिलना ही नहीं है। तो वह गरीब कहाँ जाये, जो बी०पी०एल० की श्रेणी का है ? डिपार्टमेट कहता है कि इनके लिये हमारे पास बजट की व्यवस्था ही नही है, उनके लिये अलग से ठेके की व्यवस्था है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय शहजाद जी, कृपया सीमित करें।

श्री शहजाद-

मान्यवर, लग रहा है कि मैं बहुत आलोचनाये कर रहा हूँ, एक-दो ही बिन्दु बचे है, मैं समाप्त ही कर रहा हूँ।

मान्यवर, इस ऊर्जा प्रदेश में गरीब लोगों के, बी०पी०एल० श्रेणी के लोगों के ट्रांसफार्मर नही बदले जा रहे हैं। इसी प्रकार कोई किसान खेती करने के लिये विद्युत कनेक्शन लेता है, उसको डेढ़ साल में तार, खम्भे और ट्रांसफार्मर मिलने का काम हो रहा है, ऐसी स्थिति मे वह गरीब किसान किस प्रकार से खेती कर पायेगा। जो अन्नदाता कहलाता है, तो रोटियां कहाँ से मिलेंगी, हम अन्न के लिये कब तक दूसरे प्रदेशों पर आधारित रहेंगे। उन किसानो के लिये सरकार को व्यवस्था करनी चाहिये। उन्हें पन्द्रह दिन या एक महीने में बिजली का पूरा सामान मिलना चाहिये। मान्यवर, हमने कई बार जनपद हरिद्वार की उपेक्षा का मुद्दा उठाया है, मै बजट पर चर्चा के दौरान भी फिर से यह कहना चाहता हूँ कि हरिद्वार जनपद की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, अन्य जिलों की जनसंख्या वहाँ की अपेक्षा कम है। लेकिन जब वेकेंसी निकलती है तो यहाँ भी उतनी ही वेकेंसी होती है, जितनी अन्य जगह, तो जनसख्या के आधार पर वेकेंसी का वितरण होना चाहिए। वहाँ पर 15 लाख जनसंख्या है। तो उसी के अनुपात में वेकेंसी भी वहाँ पर दी

जानी चाहिये। होता यह है कि वहाँ पर 15 लाख जनसंख्या है तो उतनी ही वेकेंसी और जहाँ पर 2.5 लाख है, वहाँ भी उतनी ही वेकेंसी। तो यह उपेक्षा है, इससे वहाँ के समाज में, वहाँ के जनमानस में आक्रोश है और यह आक्रोश इतना न बढ़ जाये कि वहाँ के लोग सड़कों पर आ जायं, इसका सरकार को ध्यान रखना चाहिये।

मान्यवर, अभी हमने दलित अत्याचार का मामला उठाया था, सरकार ने बहुत ही भ्रामक उत्तर दिया, एक बार तो सदन में यह भी लगा था कि मंत्री जी जवाब क्या दे रहे है। पूरे प्रदेश में गरीब पर अत्याचार बढ़े हैं, चाहे गरीब दलित है, जनजाति का है, अल्पसंख्यक समाज का है या किसी भी समाज का है, सामंतवादी व्यवस्था आज फिर सिर उठा रही है। यह सरकार की कमी है, सरकार का कानून व्यवस्था पर कन्ट्रोल नहीं है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये। क्योंकि कानून व्यवस्था खराब होने से भ्रष्टाचार को प्रमाणिकता मिलती है और मुझे यह लगता है कि यह काम सरकार ने किया है। मान्यवर, पशुपालन की बात इस बजट में की गई, देहात में गरीब लोगों की आजीविका का साधन पशुपालन रहता है, लेकिन कहीं भी इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि पशुपालन को प्रोत्साहन कैसे देंगे। पशुपालन से कई लोगों को रोजगार मिल सकता है, इससे कई लोगो की आजीविका चल सकती है, लेकिन इस बजट में कहीं पर पशुपालन को प्रोत्साहित करने की कोई योजना नहीं दर्शाइ गई है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा और माननीय पशुपालन मंत्री जी भी सदन में मौजूद हैं, मैं कहना चाहूँगा कि वे इस डिपार्टमेंट को प्राथमिकता देते रहे और जो इसके विशेषज्ञ लोग हैं, उनसे भी सलाह लेते रहे। लेकिन मंत्री जी सलाह तो दूर किसी का फोन उठाने के लिये भी तैयार नहीं होते हैं, यह भी अपने आप में एक चिन्ता का विषय है। मान्यवर, मैं बोलना तो बहुत चाहता था, लेकिन आपने कहा कि समय कम है, इसलिये आपको धन्यवाद करते हुये अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय मुख्यमंत्री डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक'' के बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया, आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले 10 वर्षों में प्रदेश में चहुँमुखी विकास हुआ है, अभूतपूर्व विकास हुआ है। इसका सीधा–सीधा एक प्रमाण है कि जहाँ आज से 10 वर्ष पहले उत्तराखण्ड के प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय मात्र ₹ 15 हजार थी, आज प्रति व्यक्ति आय ₹ 56 हजार 794 हो गयी है। माननीय अध्यक्ष जी, इसमें भी कोइ दो राय नहीं कि सरकार को कुम्भ मेला–2010 का सफल आयोजन करने मे पूरी सफलता प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, संस्कृत को राज्य की दूसरी भाषा की मान्यता देने में भी सरकार

को सफलता प्राप्त हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, शिक्षा के क्षेत्र में 14 विश्वविद्यालयों की स्थापना किया जाना प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी ख्याति की बात है कि प्रदेश में लगातार शिक्षा के क्षेत्र में इतने बड़े विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, चिकित्सा के क्षेत्र में 108 सेवा जो प्रदेश में है, उसकी प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में इसकी प्रशंसा हो रही है। इसकी प्रशंसा तो, मैं क्या करूं देश के दूसरे प्रदेशों ने इसका अनुसरण करने की बात कही है।

माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में आशीर्वाद योजना का आयोजन भी सफल तरीके से हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में चार धाम यात्रा, ये भी अपने आप में एक अभूतपूर्व और सफल प्रयास है। माननीय अध्यक्ष जी, छठा वेतनमान जिसको आज हमारा प्रदेश अभी लागू करने की स्थिति में नहीं था, लेकिन फिर भी माननीय अध्यक्ष जी, छठे वेतनमान को लागू करके प्रदेश सरकार ने उन गरीब आदमियों, उन छोटे वर्ग के कर्मचारियों का विश्वास जीता है और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का पूरा-पूरा प्रयास किया है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा-निर्देशन में हमारी सरकार के द्वारा वर्ष 2010-11 के बजट में बहुत ही सीमित साधन होने के बावजूद जनता के ऊपर कोई अतिरिक्त कर न लगाया जाना, ये एक बहुत बड़ी बात है और कर न लगाने के बावजूद विकास की ऐसी-ऐसी योजनाएं इस बजट में रखी गयी हैं, यह तो मैं जरूर कहूँगा अगर उन योजनाओं को सही प्रकार से सफलता मिली तो सही मायनों में यह एक आदर्श बजट होगा।

माननीय अध्यक्ष जी, छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए मान्यवर, प्रदेश में जो छोटे-छोटे एयर कन्डीशन्ड रेस्टोरेन्ट हैं, जिनकी ₹ 50 लाख वार्षिक आय है उन पर वैट साढ़े 13 प्रतिशत से 4 प्रतिशत किया जाना, यह भी छोटे व्यापारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। इसके साथ-साथ टैक्सटाइल वेस्ट व्यापारियों को अतिरिक्त कर की साढ़े 08 प्रतिशत की माफी दिये जाने से छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी। माननीय अध्यक्ष जी, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कपड़ा धोने वाले साबुन के ऊपर पूर्ण वैट माफ कर दिया गया है, इससे कुटीर उद्योग को राहत मिलेगी।

मान्यवर, कई बार विपक्ष को मनोरंजन की बड़ी जरूरत पड़ती है क्योंकि अगर इनका मनोरंजन न हो तो यहाँ आकर गरम भाषा बोलते हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिनेमा के मनोरंजन कर में 25 से 50 प्रतिशत की कमी लाकर अच्छा कार्य किया है। यह भी एक ऐसा व्यवसाय था जो घाटे में जा रहा था इसलिए प्रदेश में इस व्यवसाय को सहारा देना अति आवश्यक था। इसके लिए भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बजट में राहत

देकर ऐसे व्यापार को जिसका सम्बन्ध प्रदेश के हर व्यक्ति से है, छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति से है, उदारदिली दिखाई है। माननीय अध्यक्ष जी, विकलांगों के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनकी अचल सम्पत्ति के बैनामों पर राहत दी। शिक्षा के क्षेत्र को भी और सुदृढ़ कर दिया गया है, बेसिक शिक्षा के लिए अलग निदेशालय खोलने का जो निर्णय लिया है उससे बेसिक शिक्षा को एक आर्थिक बल मिलेगा। इसके साथ–साथ राज्य के पिछड़े विकास खण्डो में माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए छात्रावास एवं आदर्श विद्यालयों की स्थापना भी अपने आप में एक सराहनीय निर्णय है और इससे शिक्षा को बल और नई राहत मिलेगी।

माननीय अध्यक्ष जी, महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में भी महिला इन्जीनियरिंग कॉलेज खोलने का जो निर्णय लिया गया है यह भी अपने आप में एक सराहनीय निर्णय है। इसके साथ–साथ कस्तूरबा गॉधी आवासीय विद्यालयों में अवस्थापना की सुविधाओं का विस्तार किये जाने का जो निर्णय लिया गया है यह भी एक सराहनीय निर्णय है। माननीय अध्यक्ष जी, राजकीय सेवाओं में महिला कार्मियों को बच्चों की देख–रेख के लिए दो वर्ष का सवेतन अवकाश दिये जाने की जो घोषणा की है, इससे महिलाओं का राजकीय सेवाओं में सेवा देने के लिए आत्मबल बढ़ेगा। चिकित्सा के क्षेत्र में राज्य के शीर्ष अस्पतालों के नजदीक रैनबसेरे खोलने का जो निर्णय लिया गया है, इससे गरीब लोग जो दूर अस्पतालों में जाकर अपना इलाज नहीं करा पाते उनको इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। माननीय अध्यक्ष जी, अन्तर्राष्ट्रीय आयुष शोध संस्थान की स्थापना का जो निर्णय लिया गया और इसके अतिरिक्त टिहरी, अल्मोड़ा, पौड़ी और पिथौरागढ़ में नर्सिंग कॉलेज खोलने का जो निर्णय लिया गया है, यह भी एक सराहनीय निर्णय है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसमें अपना एक विचार रखना चाहूँगा क्योंकि प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में 70 प्रतिशत जनता बसती है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इयस बजट में ऊधमसिंह नगर और हरिद्वार में नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए शामिल किया जाना उचित होगा। माननीय अध्यक्ष जी, आयुर्वेद को भी इसमें जोड़े जाने के लिए आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय खोलने का जो निर्णय लिया गया है, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, अटल आदर्श खाद्यान्न योजना में गरीबों को सस्ते दामों पर अन्न उपलब्ध कराये जाने की योजना शुरू की है, विपक्ष चाहे कुछ भी कहे, लेकिन आप जाकर प्रदेश की जनता से पूछें। इसके लिए प्रदेश की गरीब जनता मा० मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दे रही है।

श्री अध्यक्ष–

चीमा जी, बात आ गई है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र में जहाँ विजन 2020 के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई की बेहतर तकनीकी के साथ ही अतिरिक्त सिंचन क्षमता विकसित करने की बजट में व्यवस्था की गई है। काशीपुर में कोशी और ढेला नदियों में कटान होने के बाद काशीपुर शहर की इस समय दयनीय स्थिति है। बड़ी ही खराब स्थिति में है। वहाँ के लिए मैं कहूँगा कि इन नदियों में बाढ़ नियंत्रण के लिए व्यवस्था कर बजट में प्राविधान किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। यह विषय तो विभागीय बजट का है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

मान्यवर, काशीपुर रेलवे क्रासिंग में ओवर ब्रिज बनाने के लिए जो योजना दी गई है। मान्यवर, काशीपुर में एन0एच0–74 में रेलवे ब्रिज बनाने की मैं संस्तुति करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि हम और आप सर्वविदित है, प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए इस प्रदेश की प्रशासनिक इकाईयों का परिसीमन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इस बजट में मेरी माँग है कि प्रदेश की प्रशासनिक इकाईयों के परिसीमन के लिए बजट में प्राविधान रखा जाना अति आवश्यक है। प्रदेश में जहाँ और जिलों की माँग है वहाँ मान्यवर मेरी माँग है कि काशीपुर को जिला बनाये जाने की बहुत ही पुरानी माँग है। काशीपुर को जिला बनाये जाने की और बजट में इसका प्राविधान रखे जाने की मैं माँग करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री का बजट भाषण पढ़ने का मौका मिला। सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि यह 94 पृष्ठों का ऐतिहासिक बजट भाषण है। इस बजट में प्रदेश के चौमुँखी विकास के लिए सरकार द्वारा क्या किया जायेगा उसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। जब मैंने बजट भाषण पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि यह बजट भाषण नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र है। राजकोषीय घाटा होने के बाद भी इसे सरप्लस और संतोषजनक बजट कहा जाता है। सरकार जैन्डर बजट लाकर प्रदेश की जनता को गुमराह

करने का काम कर रही है। मान्यवर, इस सरकार ने कहा कि हमने विश्व का सबसे बड़ा आयोजन, वर्ष 2010 में महाकुम्भ का आयोजन किया। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ कि वर्ष 2010 का जो महाकुम्भ मेला हुआ, उस महाकुम्भ के लिए भारत सरकार से जो धन मिला था, उस धन का दुरुपयोग इस सरकार ने करने का काम किया, इससे दूसरा उदाहरण कहीं पर मिल नहीं सकता।

इस सरकार ने एशिया के प्रथम शीतकालीन खेलों का जिक्र किया, इसमें सरकार ने कहा कि सफल आयोजन किया। कितना सफल आयोजन किया यह उत्तराखण्ड की जनता, देश की जनता और पूरे दक्षिण एशिया की जनता जानती है। जिस तरीके से यह धन एशिया के सैफ गेमों के लिए मिला था, उसके दुरुपयोग करने का काम इस सरकार ने किया वह किसी से छुपा नहीं है। विदेश से जो खिलाड़ी यहाँ पर आये, उनको जमीन पर बैठकर खाना खिलाने का काम इस सरकार ने किया और जो खिलाड़ी थे उनको पैदल गन्तव्य स्थल तक आना पड़ा, ऐसी व्यवस्था इस सरकार ने की है और मैं कह सकता हूँ कि जो सैफ विन्टर गेम्स के लिए पैसा मिला था उस पैसे की बन्दर बांट हुई है। मान्यवर, इस सरकार ने महाकुम्भ में और सैफ गेम में (व्यवधान) कॉमन वेल्थ गेम्स में सी0बी0आई0 की जाँच चल रही है। यदि सरकार को हिम्मत है तो कुम्भ मेले के लिए और सैफ विन्टर गेम्स के लिए सी0बी0आई0 से जाँच की सुस्तुति करे। तब हम कहेंगे की सरकार बड़ी ईमानदारी से काम कर रही है। (व्यवधान) श्रीमन्, यह सरकार उत्तराखण्ड को शिक्षा के हब में विकसित करने की बात करती है। आज मैं कहना चाहता हूँ कि विधान सभा के बाहर शिक्षा मित्र, बी0टी0सी0 और पी0टी0ए0 शिक्षक और जितनी भी हमारी प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था है और जिनके हाथों में इस प्रदेश की प्राइमरी शिक्षा व्यवस्था है, आज विधान सभा के बाहर धरने पर बैठी हुई है। इस सरकार से वे बेरोजगार लोग शान्तिपूर्ण तरीके से रोजगार की माँग कर रहे हैं। यह सरकार उन पर लाठीचार्ज करने का काम कर रही है और उन पर पानी की बौछार छोड़ने का काम कर रही है।

मान्यवर, एक और प्रदेश को शिक्षा के हब के रूप में विकसित करने की बात कर रही है और पर्वतीय क्षेत्र में जो शिक्षा की व्यवस्था है, मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय ओम गोपाल जी, वह आपके वहाँ भी होगी, ऐसी स्थिति है कि आज विद्यालयों में ताले है और सरकार कहती है कि हम इस प्रदेश को शिक्षा हब के रूप में विकसित करना चाहते हैं। श्रीमन्, सरकार की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अन्तर है। इस सरकार ने कहा कि हमने अटल मिनी सचिवालय की स्थापना कर दी है और मैं कहना चाहता हूँ कि अटल मिनी सचिवालय की स्थापना जहाँ–जहाँ पर हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों

में आप चले जायें वहाँ पर सिर्फ एक बोर्ड लगा हुआ है अटल मिनी सचिवालय। उस अटल मिनी सचिवालय में जनता की जो समस्यायें हैं उनके निराकरण के लिए कोई व्यवस्था इस सरकार ने नहीं की है। जिस दिन कोई कैम्प लगता है जरूर उस दिन मंत्री लोग जाते हैं। उस दिन लोगों से पूछते हैं कि तुम्हारी समस्या क्या है और उनकी समस्याओं के लेटरों को लाकर न जाने कहाँ डालते हैं वह मुझे नहीं मालूम। लेकिन अटल मिनी सचिवालय, जो स्वप्न इस सरकार ने देखा था, इस सरकार ने सोचा था कि अटल मिनी सचिवालय की स्थापना होगी, गाँव का जो आदमी है वह शहर में नहीं आ सकता है, वह जिले स्तर पर नहीं आ सकता है और तहसील स्तर पर नहीं आ सकता है। उनकी समस्याओं का समाधान अटल मिनी सचिवालय के माध्यम से करेंगे और मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी मिनी सचिवालय नहीं है, सिर्फ गाँव के बाहर एक बोर्ड लगा है, उसमें लिखा है कि अटल मिनी सचिवालय।

श्रीमन्, स्वास्थ्य के मामले में चार साल हो गये हैं यह सरकार एक ही बात कहती है कि जीवनदायनी 108 (व्यवधान) प्रेम जी, आपको उस 104 का मौका मिलने वाला नहीं है। अभी ऋषिकेश से डोईवाला आते है या नहीं आते हैं, यह तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बतायेंगे और इस सदन में आयेंगे या नहीं आ पायेंगे यह तो आने वाला समय बतायेगा। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि जीवनदायनी 108 की बात यह सरकार बार-बार करती रही है। क्या इस सरकार के पास '108' के सिवाय और कुछ नहीं है ? (व्यवधान) मैंने कहा कि '108' का जिक्र सरकार बार-बार कर रही है। वह भी केन्द्र सरकार द्वारा सचालित होती है श्रीमन्, शायद मेरे सम्मानित साथियों को जानकारी नही है। श्रीमन्, पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों को बढ़ावा देने की बात यह सरकार बार-बार कर रही है। पर्वतीय क्षेत्र में मुझे नहीं मालूम की कहाँ पर इस सरकार ने उद्योग लगाए हैं। मेरे विधान सभा विकास नगर के क्षेत्र में कालसी के अन्दर हमने औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया था। लेकिन उस औद्योगिक क्षेत्र में एक भी इकाई सरकार स्थापित नही कर पाई। अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में क्या हो रहा होगा, जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र के विधायक है अगर आप जानकारी लेंगे तो कही पर भी पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगिक बढ़ावा नहीं हो पा रहा है।

श्रीमन्, सरकार ने कहा कि हम गरीब आदमी की भूख मिटाना चाहते है, महंगाई कम करना चाहते हैं। अटल खाद्यान्न योजना को लागू करने को अगर सरकार बहुत बड़ी उपलब्धि मानती है, पहले तो '108' को उपलब्धि मानती थी और अब अटल खाद्यान्न योजना को अपनी बहुत बड़ी आज की तारीख में उपलब्धि मानती है। मैं कहना चाहता हूँ कि यह सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है। मैं कहना चाहता हूँ कि बी0पी0एल0 और अन्त्योदय

के जो लाभार्थी हैं, जिसको भारत सरकार से पूरा राशन मिलता है सिर्फ उनको इस योजना का लाभ मिल पा रहा है। लेकिन बी0पी0एल0 से बाहर ए0पी0एल0 में बहुत सारे लोग है जो गरीब हैं उनको राशन नहीं मिल रहा है और बार–बार यह सरकार एक ही बात कहती है कि केन्द्र सरकार से राशन नहीं मिल रहा है, तो इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूँ कि जब इस सरकार ने इस योजना को प्रदेश में लागू करने का फैसला किया था तो यह सरकार का दायित्व बनता था कि वो ए0पी0एल0 को 35 किलो राशन मिले इसकी पहले व्यवस्था करती, तब इस योजना को लागू करती। आज ए0पी0एल0 के जो लाभार्थी हैं उनकी स्थिति ये है कि वे राशन की दुकान पर खड़े हो जाते हैं और पूरे दिन सुबह से शाम तक खड़े होने के बाद उनको बड़ी मुश्किल से एक किलो गेहूँ और एक किलो चावल मिल रहा है और कई लोगो को तो पुलिस की लाठियाँ मिल रही हैं। यह अटल खाद्यान्न योजना, जिसको सरकार बहुत बड़ी उपलब्धि कहती है, यह स्थिति है इसकी। महोदय, मै आपसे कहना चाहता हूँ कि सरकार कहती है कि इन चार सालो मे जनता से जो भी वायदे किये उसको पूर्ण तक पहुँचाने के लिए ईमानदारी से कोशिश की गयी। 996 घोषणाओं मे से 815 घोषणाऐं लागू कर दी हैं, पूरी कर दी हैं। हम समझ नही पा रहे हैं अगर इतनी तेजी से सरकार विकास का कार्य कर रही है तो विकास का वह कार्य जमीन पर क्यों दिखाई नहीं दे रहा है।

मैं माननीय मुख्यमंत्री नेता सदन से यह कहना चाहता हूँ कि वो कहते है कि मेरी घोषणाऐं पूरी हो चुकी हैं और मै कहना चाहता हूँ कि राजधानी देहरादून में भी उन्होंने दो घोषणाऐं की हैं। एक लखवाड–ब्यासी जल विद्युत परियोजना को प्रारम्भ करने की बात इस सरकार ने कही थी और इससे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इसका शिलान्यास करने का भी कार्य किया था और आज की तारीख में उस पर कोई कार्य नहीं किया जा रहा है और श्रीमन्, दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा की थी माननीय मुख्यमंत्री जी ने विकास नगर जा करके कि इस क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जायेगा। लेकिन आज तक उसको अमली जामा पहनाने का कार्य इस सरकार ने नहीं किया और सरकार कहती है कि जो घोषणा की उनको पूरा करने का काम हमने किया। जो वायदे हमने किए उनको पूरा किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय प्रीतम सिंह जी, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, एक बात और कहना चाहता हूँ कि इस बजट भाषण मे विजन 2020 का जिक्र बहुत बार आया है। श्रीमन्, विजन 2020 तब होगा जब आप वर्ष 2012 पार कर लेंगे। आप तो वर्ष 2012 में ही धराशायी होने वाले है। एक दर्जन सीटे

आयेगी। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे बजट भाषण में केन्द्रीय योजना के माध्यम से जो विकास किया जा रहा है उसको सरकार अपनी उपलब्धि कहने की बात कर रही है, यह जो वार्षिक वित्तीय पुस्तिका है उसमें अगर देखेंगे तो स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। माननीय अध्यक्ष जी, समाज कल्याण में एस०सी०पी० और टी०एस०पी० का धन यह सरकार खर्च नहीं कर पा रही है और यह सरकार कहती है कि हम जनजातीय हितों के लिए कार्य कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपने बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ और यह बजट भाषण इस सरकार का वर्ष 2012 का चुनावी घोषणा-पत्र है, लेकिन उत्तराखण्ड की जनता इस सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी, धन्यवाद।

श्री ओम गोपाल-

मान्यवर, मैं इस बजट भाषण का समर्थन चन्द शब्दों में करना चाहूँगा कि "जिन्दा वही रहते हैं, जो मौसम के सितम को सहते हैं, वरना पत्ते तो झड़ जाते है लेकिन पेड़ खड़े रह जाते हैं।" माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना कुशल वित्तीय प्रबन्धन किया, इस बात का गवाह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना का जो आकार बनाया उसे भारत के हमारे जो योजना आयोग के माननीय उपाध्यक्ष है श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया उन्होंने इसे स्वीकार किया और इसमें एक भी रुपया नहीं कटा, यह माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल वित्तीय प्रबन्धन को दर्शाता है और साथ में इस बात के गवाह हमारे माननीय विपक्षी सदस्य भी हैं कि भारत के योजना आयोग के माननीय उपाध्यक्ष जी ने कुशल वित्तीय प्रबन्धन को देखते हुए एक हजार करोड़ रुपया हमको बोनस की राशि के रूप में यहाँ पर दिया है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री ओम गोपाल जी, कृपया आप इधर देखकर सम्बोधित करिये।

श्री ओम गोपाल-

माननीय अध्यक्ष जी, आज सरकार ने, जो बहुत गरीबों की बात हमारे साथी लोग करते हैं, आज जो हालत राशन की उत्तराखण्ड में है इससे कोई भी माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं है, इस बात को मैं जानता हूँ, सारे लोग अवगत हैं, पूरे ए०पी०एल० का राशन आधा तो छोड़े बल्कि आधे का आधा उपलब्ध हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी सरकार द्वारा ए०पी०एल० के लोगों के लिए प्रति माह 10 किलो गेहूँ और 10 किलो चावल की व्यवस्था जून से होने जा रही है। हमारे लोग चिन्तित इसलिए है कि ये जनता के पास क्या लेकर जायेंगे, आज यहाँ पर विरोध कर रहे हैं सस्ता राशन की,

योजना का ₹ 2 किलो आटा और ₹ 3 किलो चावल जिस जनता को मिल रहा है उनसे पूछिये जाकर। यहाँ पर आप विरोध कर रहे है, हल्ला कर रहे हैं, आपकी क्षमता इतनी नही है कि आप लोग बाहर जाकर इसका विरोध कर सकें जनता के बीच में। आप सदन के अन्दर जितना बोल लें, हकीकत आप को तो पब्लिक बतायेगी, उसका कितना रिस्पान्स मिल रहा है, आप लोग जवाब ही नहीं दे पा रहे है और यहाँ विरोध कर रहे हैं और बाहर जाकर कहते हैं कि केन्द्र से लाये।

(4.00 बजकर 29 मिनट पर अधिष्ठाता श्रीमती बीना महराना पीठासीन हुई)

माननीय अधिष्ठाता महोदया, आज हमारे यहाँ उत्तराखण्ड में हमारे विपक्षी साथी जब 5 साल तक इस सरकार में बैठे रहे तो इनको वृद्धावस्था पेंशन की याद नहीं आई, इनको विकलांगों की याद नहीं आई, इनको विधवाओं की याद नहीं आई, हमारी सरकार ने, यह देश का पहला राज्य है जहाँ वृद्धावस्था पेंशन दे रहे हैं 60 साल की अवस्था में, पहले ₹ 200 मिलता था आपके जमाने में। (व्यवधान) मान्यवर, हमारी सरकार ने इसको यहाँ पर लागू किया। आज लाखों-लाख वृद्धावस्था के लोग, लाखों-लाख विकलांगजन, लाखों-लाख असहाय लोग सरकार को अपना आशीष दे रहे है। मान्यवर, आप बाहर जाकर लोगो को पूछिये कि कितने लोगों को इसका लाभ मिला है। अधिष्ठाता महोदया, पहले जो विकलांग सर्टिफिकेट बनता था, वह 60 प्रतिशत पर बनता था, यदि कोई व्यक्ति 60 प्रतिशत विकलांग नहीं होता था तो उसका सर्टिफिकेट नहीं बन पाता था। मान्यवर, यह इस सरकार की संवेदनशीलता ही है उन लोगों के प्रति कि हमारी सरकार ने 60 प्रतिशत को घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया है, जिससे कि आज लाखों-लोग उत्तराखण्ड के इससे लाभान्वित हो रहे है। मान्यवर, अभी हमारे नेता बसपा कह रहे थे कि अनुसूचित जाति के लिए कुछ नही किया गया है, अनुसूचित जाति के लोग परेशान है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) मान्यवर, यह भारत का पहला राज्य है जहाँ पर सरकार ने गरीबो के लिए अटल आवास योजना चलायी, इससे लाखों लोग आज लाभान्वित हो रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र राकेश-

मान्यवर, एस0सी0पी0 का पैसा है और चला रहे हैं माननीय अटल जी के नाम से। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सुरेन्द्र राकेश जी, कृपया माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदया, आज अनुसूचित जाति के लोग जो आवास विहीन है, उनके लिए सरकार ने अटल आवास योजना चलायी है इससे भी आज उत्तराखण्ड के लाखो लोग लाभान्वित हो रहे है। (व्यवधान) मान्यवर, आज हमारे विपक्ष के साथी ऊर्जा प्रदेश की बात कर रहे थे। यह बिल्कुल हिन्दुस्तान का सबसे अग्रणी राज्य बन सकता था, अगर हमारे साथ भेदभाव न होता। आज केन्द्र मे कांग्रेस की सरकार है और केन्द्र मे अगर कांग्रेस की सरकार में सबसे ज्यादा योगदान है तो वह उत्तराखण्ड का है। माननीय अधिष्ठाता महोदया, यहाँ पर हमारे पाँच सांसद थे और पाँचो के पाँच हमने कांग्रेस पार्टी के जिताकर भेजे हैं, लेकिन इस पहाड़ की जनता को मिला क्या ? माननीय अधिष्ठाता महोदया, हमारे चार–चार प्रोजेक्ट बन्द करा दिये गये, जिनसे हमको विद्युत उपलब्ध हो सकता था, और इससे हमारी इनकम बढ़ सकती थी और इस प्रदेश को हम एक ऊर्जा प्रदेश बना सकते थे। यहाँ का जो युवा बेरोजगार है, उसे रोजगार मिल सकता था और हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती थी, लेकिन इनकी अदूरदर्शिता के कारण हमारे चारों के चारों प्रोजेक्ट बन्द कर दिये गये।

माननीय अधिष्ठाता महोदया, मै अपने साथियों से कहना चाहता हूँ, बार–बार आता है, भारत सरकार, बार–बार आता है, केन्द्र सरकार। क्या यह केन्द्र पाकिस्तानियो का है, क्या अफगानिस्तानियो का है ? क्या हम भारत के नहीं हैं ? क्या यह उत्तराखण्ड भारत के अधीन नही आता है ? क्या यहाँ पर भारत सरकार की कोई जवाबदेही नही है ? क्या यहाँ के लोगों ने भारत सरकार को सहयोग नहीं दिया ? 5 एम०पी० है, पाँचो जिताकर भेज दिए। छठा है ही नहीं। (व्यवधान) छठा बना दीजिए, हम उसको भी जिता देंगे। (व्यवधान) माननीय अधिष्ठाता महोदया, बार–बार बोला जाता है कि यह केन्द्र सरकार की योजना है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय ओम गोपाल जी, आपका समय समाप्त हो रहा है।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अधिष्ठाता जी, आज ही तो मौका मिला है। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

एक मिनट में आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, महिलाओं की बात करते हैं। यह हिन्दुस्तान का पहला प्रदेश है, जहाँ पर महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। (व्यवधान) इसका जीता जागता उदाहरण आपके सम्मुख है। (व्यवधान) माननीय अधिष्ठाता महोदया यहाँ पर पीठासीन हैं। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, आपने महिलाओं के सम्मान की बात कही है। पिथौरागढ़ की जिला पंचायत अध्यक्ष को हटाया गया है, देहरादून के अन्दर जिला पंचायत अध्यक्ष को हटाया गया और ऊधमसिंह नगर में भी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा सामने आया है। (व्यवधान) यहाँ भी जिला पंचायत अध्यक्ष को हटाया गया है।

(सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय ओम गोपाल जी, आपका समय समाप्त हुआ। (व्यवधान) माननीय राजेश जुवांठा जी। (व्यवधान)

श्री ओम गोपाल–

मान्यवर, हमारे बहुत वरिष्ठ साथी हैं, हमारे बड़े भाई साहब माननीय प्रीतम सिंह जी ने एक बात कही। औद्योगिक इकाईयाँ पहाड़ में कहाँ से गठित होतीं, नया नवेला राज्य है। हमको 10 साल का औद्योगिक पैकेज मिल रहा था, आज जब हम आगे बढ़ सकते थे, पहाड़ में उद्योग लग सकते थे, तो हमारा औद्योगिक पैकेज खत्म कर दिया गया। (व्यवधान)

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मुझे लगता है कि माननीय ओम गोपाल जी मेरे भाषण को पढ़ नहीं पाए, सरकार ने कहा कि हमने पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किये हैं ..... (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय ओम गोपाल जी, आपका समय समाप्त हुआ। कृपया आप बैठ जाईए।

श्री ओम गोपाल–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं सच्चाई विपक्ष के सामने लाना चाहता हूँ। इनके समय में पूरी सड़क के लिए ₹ 1000 मिला करता था। वह सड़कें आज हम बना रहे हैं। आपको हमें धन्यवाद देना चाहिए। (व्यवधान) आपने ₹ 1000 पूरी सड़क का दिया। 10 किलोमीटर सड़क ₹ 1000 में बन जाएगी ? (व्यवधान) आज धन्यवाद दो इस सरकार का कि आपने जिन सड़कों के लिए मात्र ₹ 1000 दिया, उनको हमने पूरा बना दिया है। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, (व्यवधान) आदर्श सोसाईटी घोटाला, 2 जी स्पैक्ट्रम घोटाला, इसरो घोटाला, कॉमन वेल्थ घोटाला ये घोटाला किसने किए ? (व्यवधान)

आज दैवीय आपदा से पूरा पहाड़ खत्म हो चुका है। इतना नुकसान पहाड़ में हुआ है। ₹ 30 हजार करोड़ की क्षति उत्तराखण्ड में हुई है। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मानीनीय ओम गोपाल जी, आपका समय समाप्त हुआ। (व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री अनिल नौटियाल और श्री अजय टम्टा ने खड़े होकर कहा कि हमारा समय भी माननीय ओम गोपाल जी को दे दिया जाय)

श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा–

माननीय अधिष्ठाता जी ....

श्री अधिष्ठाता–

माननीय जुवांठा जी, माननीय सदस्यों का समय भी इनको दे दिया गया है।

श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा–

माननीय अधिष्ठाता महोदया, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे वर्ष 2011–12 के आय–व्ययक पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, जिन लोगों ने इस उत्तराखण्ड राज्य को बनाया, हमारी मातायें, बुजुर्ग और युवा साथियों ने इस राज्य के लिये अपनी जान दी। जब मैंने यह बजट भाषण पढ़ा तो हमारी ऐसी कई आन्दोलनकारी माता–बहनें हैं, जो आज खून के आंसू रो रही हैं। आज सरकार ने इस भाषण के माध्यम से अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं, मैं समझता हूँ कि आने वाले चुनाव का घोषणा पत्र है, जैसा कि माननीय प्रीतम सिंह जी और अन्य लोगों ने चर्चा की, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्यकाल रहा, चाहे वह स्वास्थ्य मंत्री के रूप में रहा या मुख्यमंत्री के रूप में रहा, वे '108' पर ही ज्यादा बोलते हैं, क्योंकि जब भी वह हमारे क्षेत्र में आये, '108' के अलावा उन्होंने और कुछ नहीं कहा। बजट भाषण में यह भी कहा गया है कि '108' सेवा का और विस्तार किया जायेगा, यह बड़े दुःख का विषय है कि यह '108' सेवा जो आज ब्लॉक स्तर पर चल रही है, जब वह गाड़ी मरीज को लेकर हॉस्पिटल पर जाती है तो हॉस्पिटल में एक वार्ड ब्वाय तक नहीं होता है। चिकित्सा सुविधा की वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए मैं समझता हूँ कि इस '108' सेवा का इस प्रदेश में वहाँ कोई महत्व नहीं है, जहाँ स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर न हों। (व्यवधान)

मान्यवर, जो हमारा विकास खण्ड मोरी है, वहाँ पर जो स्वास्थ्य केन्द्र है, वहाँ पर बैठने तक के लिये कुर्सियां नहीं है, यह एक दुःख का विषय है। अब वहाँ पर ऐसी '108' गाड़िया लगा दी जांय, उनका कोई फायदा नहीं है, सबसे पहले सरकार को बजट

में इसके लिये व्यवस्था करनी चाहिए कि जो पिछड़े इलाके हैं, वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के लिये अलग से व्यवस्था करनी चाहिए। लोगों ने यह माना था कि हमारा यह एक छोटा प्रदेश होगा, क्योंकि हम लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिये यहाँ से लखनऊ जाना पड़ता था, लेकिन आज प्रदेश बन गया है तो देहरादून में भी हम अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। लोग आज भी हजारों की संख्या में बाहर धरने पर बैठे हुये हैं और सदन में भी कई सदस्यों ने अपनी मॉग रखी कि छोटे-छोटे जिले होने चाहिये, छोटी तहसीलें होनी चाहिए और ब्लॉक होने चाहिए। मैं आपको जनपद उत्तरकाशी की रवांई घाटी का एक उदाहरण देता हूँ कि पुरोला और मोरी से देहरादून नजदीक है, लेकिन जिले का हैडक्वार्टर उत्तरकाशी वहाँ से लगभग 150 कि0मी0 दूर है। लेकिन इस बजट में नये जिलों, नई तहसीलों, नये विकास खण्डों के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जो हमारे प्रदेश की महिलायें हैं और खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों की महिलायें हैं, उनके विकास के लिये सरकार ने कोई ऐसी योजना नहीं चलाई है, जिससे उनका उत्थान तथा विकास हो सके। आज भी हमारे कई ऐसे गाँव है, जहाँ पर यातायात की सुविधा नहीं है, कई गाँवों में पेयजल की सुविधा नहीं है और कई गाँव तो ऐसे भी हैं, जिन्होंने आज तक लाइट भी नहीं देखी है।

अभी माननीय चीमा जी कह रहे थे कि पिक्चर हालों के टिकट पर, मनोरंजन कर को 50 प्रतिशत घटा दिया है, जिसमें 70 से 80 प्रतिशत लोग सिनेमा देखते हैं। तो मैं माननीय चीमा जी को यह बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में कई गांव और लोग ऐसे हैं, जिनकी संख्या हजारों में होगी, जिन्होंने आज तक सिनेमाघर देखा तक नहीं होगा। आज हमारे प्रदेश में कई गरीब लोग ऐसे भी हैं, जिन्हें ₹ 100 मजदूरी भी नहीं मिल पा रही है। मान्यवर, तो वो पिक्चर क्या देखेंगे। ये मनोरंजन कर समाप्त कर भी दिया है तो मैं समझता हूँ कि ये कोई जनहित का कार्य सरकार ने नहीं किया है। होटलों के लिए आपने आज जो वैट माफ किया है मैं समझता हूँ कि जो लोग ₹ 10, ₹ 5 की एक चाय नहीं पी पाते, वो बड़े रेस्टोरेंट में जाकर क्या करेंगे। बजट में जो व्यवस्था की गयी वो उन्हीं के लिए की गयी है, जिनके पास पैसा है। सरकार का इस प्रदेश की गरीब जनता के साथ कोई भी सरोकार नहीं है। (व्यवधान) आज प्रदेश में जो अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र हैं, वे आज भी विकास से कोसों दूर हैं। यह सरकार अनुसूचित जाति विरोधी है, यह सरकार अल्पसंख्यक विरोधी है, क्योंकि आज कई ऐसे अनुसूचित जाति बाहुल्य गाँव हैं, लेकिन इस सरकार ने कभी भी उनकी सुविधाओं के लिए, उनकी जो समस्याए है, उनके समाधान के लिए आज तक कोई कार्य नहीं किया है। भले ही वो अपने घोषणा-पत्र में कुछ भी लिखते रहें। (व्यवधान)

सरकार के घोषणा–पत्र में था कि जो छात्र–छात्रा इण्टर पास करेगा 80 प्रतिशत से ऊपर जिसे नम्बर मिलेंगे, उसे लैपटॉप दिया जायेगा। मान्यवर, स्कूलों में ताले लगे हुए है। मैं समझता हूँ जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, क्योंकि मैं पहाड़ी क्षेत्र से विधायक हूँ और मै समझता हूँ कि 80 प्रतिशत नम्बर लाना बहुत मुश्किल है क्योंकि न विद्यालयों मे टीचर है, न बैठने की व्यवस्था है, न लाईट है तो ऐसी स्थिति में 80 प्रतिशत नम्बर कौन ला पाएगा। न 80 प्रतिशत नम्बर आयेंगे, न लैपटॉप मिलेगा। तो माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं समझता हूँ कि बहुत खतरनाक स्थिति में आज हमारा प्रदेश आ गया है। आज हमारे विधायक माननीय किशोर उपाध्याय जी आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, कि उनका रानीचौरी का एक विश्वविद्यालय जो अन्य जगह स्थानान्तरित कर दिया गया है। अगर इसी तरह की स्थिति सरकार की रही तो इस प्रदेश की स्थिति बहुत ही भयंकर हो जाएगी और जन–जन यहाँ पर ऐसे ही आमरण अनशन पर बैठेगा। जब माननीय खण्डूड़ी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनका पुरोला का दौरा हुआ और उन्होने वहाँ पर हजारो की संख्या की भीड़ मे नगर पंचायत बनाने की घोषणा वहाँ पर की। इसके बाद खण्डूड़ी जी चले गये और निशंक जी मुख्यमंत्री बने। जब लोगो ने उन्हे कहा यहाँ माननीय खण्डूड़ी जी ने नगर पंचायत की घोषणा की तो माननीय "निशंक" जी ने पुरोला को नगर पालिका की घोषणा कर दी, कि ये नगर पंचायत नही नगर पालिका बनेगा। बड़े दुख का विषय है कि न तो वो नगर पालिका आज तक बन पाया, न नगर पंचायत। बड़े दुख का विषय है मान्यवर, कई ऐसी जो हमारे एस०सी०पी० की योजनायें थी केन्द्र सरकार की योजनाए थीं हमारे अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र के लिए चाहे यातायात हो, चाहे हमारी पेयजल योजनायें हो। हमारे कई ऐसे गाँव हैं जो यातायात से वंचित हैं जो अनुसूचित जाति बाहुल्य के हैं। (व्यवधान)

आबकारी, पर्यटन, नगर विकास मंत्री (श्री मदन कौशिक)–

मान्यवर, आप तो नये सदस्य हैं, आप इनके चक्कर में झूठ न बोलें, आप तो ठीक बोलें।

श्री राजेश उर्फ राजेश जुवांठा–

मान्यवर, मेरा जनपद उत्तरकाशी है उसमें कई ऐसे पर्यटक स्थल हैं, कई धार्मिक स्थल है, चाहे गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, हरकी दून हो, केदार कांठा हो, इस तरह कई ऐसे पर्यटक स्थल हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे जो प्रदेश के मुखिया है इसको धरती का स्वर्ग बार–बार बोलते हैं, इनके विकास के लिए सरकार ने अभी तक कोई योजना नही बनाई। आपको केन्द्र सरकार का आभार प्रकट करना चाहिए।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्रीमती आशा—

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ और धन्यवाद करती हूँ। मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उस पर मैं दो लाईन बोलना चाहूँगी— "तुमने तो पथ की बीहडता को लांघ दिया, सेवा और साधना से जीवन बांध दिया, विकास योजनाओं को जन—जन तक पहुँचाया है, सबकी प्यास बुझाकर अपना शुभ कर्तव्य निभाया है।" (किसी माननीय सदस्य के कुछ कहने पर) मान्यवर, आप हमारी चिन्ता मत करो आप अपनी चिन्ता करो। इतनी गुटबाजी हो रही है कि कोई सडक में बैठ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, ये जो बजट माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेश किया है इसमें इस प्रदेश के युवाओं को, महिलाओं को और अनुसूचित जाति और निर्बल वर्ग को, यहाँ के बच्चो को, यहाँ के पीडित और असहाय समाज को ध्यान में रखते हुए यह बजट प्रस्तुत किया है, वास्तव में, मैं समझती हूँ कि यहाँ की सम्पूर्ण जनता इस सरकार को साधुवाद दे रही है, इस सरकार को धन्यवाद दे रही है। इस बजट के अन्दर जिस प्रकार से हर वर्ग का ध्यान रखा गया है मैं समझती हूँ कि वास्तव में ऐसा ही व्यक्तित्व इस देवभूमि उत्तराखण्ड को आगे भी इसी तरह से चलायेगा। यह जनता का आशीर्वाद निरन्तर मिल रहा है, ऐसा व्यक्तित्व निरन्तर इस प्रदेश के लिए कार्य करेगा, मैं ऐसी कामना करती हूँ। मान्यवर, बजट के अन्दर अनेकों ऐतिहासिक कार्य कर सरकार ने पूरे देश में कीर्तिमान स्थापित किया है। जैसा अभी माननीय सदस्य श्री ओम गोपाल जी ने कहा कि केन्द्रीय योजना आयोग से एक हजार करोड की हमको विशेष सहायता मिली है। इसके लिए मान्यवर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार का धन्यवाद करती हूँ।

कल हमारे कुछ विपक्ष में बैठे हुए भाई कह रहे थे कि जनता दरबार क्या चीज है और मुझे सुनकर यह महसूस हो रहा था कि पता नही हमारे यह बंधुवर जनता दरबारो मे जाते भी हैं या नहीं और मैं यह भी महसूस कर रही थी कि अगर यह वर्ष 2002 से शुरू हुआ होता तो न जाने कितना लाभ जनता को मिलता। मान्यवर, मैं एक उदाहरण आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। अभी जनवरी के महीने में गाँव मे जो हमारा सुदूरवर्ती क्षेत्र है वहाँ पर हमने जनता दरबार लगाया और 3—4 किमी0 पैदल चलकर एक बुजुर्ग 70 वर्ष की महिला जहाँ जनता दरबार लगा था वहाँ पहुँची। इस आशा के साथ वह जनता दरबार मे पहुँची कि मेरा काम इस जनता दरबार में होगा। हम वहाँ उस बुजुर्ग महिला से मिले, उसने मुझे पेन्शन का कागज दिखाया और कहा बेटी मेरी पेन्शन किन्ही कारणों से बन्द हो गई है। उस जनता दरबार के माध्यम से हमने उस वृद्ध माता की पेन्शन वहीं शुरू की। अनेकों ऐसे लोग है जो जिला मुख्यालयो में या तहसील मुख्यालयों मे नहीं जा पाते हैं उनका या तो धन का संकट होता है या फिर वे इतने बुजुर्ग लोग

है जो मुख्यालय नहीं जा पाते हैं। उस जनता दरबार के माध्यम से उनके आय प्रमाण–पत्र बनते हैं, उनके पेन्शन के कागज वहाँ जमा होते हैं। ऐसे अनेकों कल्याणकारी कार्य उस जनता दरबार के माध्यम से होते है और मैं बार–बार उन लोगों की तरफ से सरकार को साधुवाद देती हूँ जिन्होंने इतने महान और ऐतिहासिक कार्य इस प्रदेश में शुरू करके लोगो के कार्यों के निष्पादन में जो अनावश्यक समय लगता था, जो पैसे का व्यय होता था ऐसा न करके उनके गावों में जाकर, न्याय पंचायतों मे जाकर वहाँ पर जनता दरबार का आयोजन कर वहाँ के लोगों की समस्याओं को कम करने का काम किया है।

इस बजट के अन्दर मैं देख रही थी और जैसा कि भाई ओम गोपाल जी ने कहा कि यह प्रथम प्रदेश है जिसमे 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देकर पंचायतों मे महिलाओं को आगे किया है। हमारे विपक्ष के भाई बार–बार कहते है कि यह उत्तराखण्ड राज्य प्राप्त करने में महिलाओं का बहुत बडा योगदान है लेकिन शब्दो से कहकर नहीं होता है उनके लिए कुछ करके दिखाने का जज्बा आप लोगों के अन्दर भी होना चाहिए। वर्ष 2007 के बाद इस काम को वास्तव मे धरातल पर करके हमने दिखाया है। यह कार्य यह सरकार कर रही है। आज विभिन्न क्षेत्रों में महिलायें बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। जैसा कि बार–बार बोलते हैं आंगनबाडी और आशा बहन, तो मै इस सदन के माध्यम से अधिष्ठाता महोदया, अटल जी का धन्यवाद करती हूँ कि आंगनबाडी कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश में लाखों महिलाओं और बच्चो को तथा यहाँ की महिलाओं और बच्चो को इसका बहुत अधिक लाभ मिला है। मान्यवर, इसके अलावा इसी बजट मे, शायद आप लोगो ने पूरा बजट पढा नहीं है। मृतक राजकीय कर्मचारियो के परिवारो की अविवाहित पुत्रियो के लिए इस बजट मे पारिवारिक पेन्शन की व्यवस्था की गई है। मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ।

मान्यवर, महिलाओं के लिए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना तीन जिलो में की गयी, इसके लिए मै सरकार को बधाई देना चाहती हूँ और महिलाओं के प्रति जिस तरह से उदारता इस सरकार ने दिखायी है, मै इस सरकार को, प्रदेश की सभी महिलाओं की और से बहुत बधाई देती हूँ। बालिकाओं के लिए सिद्धोवाला में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की है। बालिकाओं को इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आगे बढाने का जो इस सरकार ने सराहनीय काम किया है। मान्यवर, सेना में अपंग और शहीद हुए सैनिको की विधवाओं के लिए आवासीय सुविधा मे जो धनराशि ₹ 25 हजार है उसे बढाकर ₹ एक लाख की है। इसके लिए मै सरकार का धन्यवाद करती हूँ। हम बार–बार कहते हैं कि हमारा प्रदेश सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, लेकिन उन सैनिकों के लिए क्या करना चाहिए, आप लोगो की तरफ से कोई सुझाव नहीं आये हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आशा जी, कृपया आप अपनी बात को जल्दी समाप्त करें।

श्रीमती आशा–

मान्यवर, लेकिन इस सरकार ने जिस तरीके से किया है इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। मान्यवर, मैं साथ ही यह भी कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी हर जिलो में और हर विधान सभा में जाकर जनता दरबार के माध्यम से लोगो की समस्याओं का निराकरण कर रहे है। वास्तव में एक सराहनीय कार्य है और लोगो की समस्याओं का निराकरण इन जनता दरबारो से हो रहा है। मान्यवर, तीलू रौतेली पुरस्कार, जो महिलायें समाज में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं उनके लिए तीलू रौतेली पुरस्कार दिया जा रहा है। मान्यवर, अभी हमारे भाई राजेश जुवाठा जी बोल रहे थे कि हमें '108' सेवा नही चाहिए। (घोर व्यवधान) आपने कहा कि उस '108' सेवा से हम क्या करे। मैं एक महिला होने के नाते और माँ होने के नाते अच्छी तरह से समझ सकती हूँ कि उस '108' की सेवा का लाभ हमारी उन गाँव की महिलायें ले रही हैं, प्रसवकालीन पीडा मे जो जिन्दगी और मौत के बीच लडती है, उनका जीवन '108' की सेवा से ही बचा है। (व्यवधान) मान्यवर, इसके अलावा पं0 दीन दयाल उपाध्याय आपातकालीन चिकित्सा वाहन ऐसा गाँव–गाँव जाकर लोगो की चिकित्सा सेवा कर रहा है, उसमे ई0सी0जी0, अल्ट्रासाउड मशीन, इस सुविधा के माध्यम से जो लोगों को गांव मे सुविधा मिलती है। इसके लिए मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करती हूँ।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री "निशंक" जी द्वारा वर्ष 2011–12 का बजट प्रस्तुत किया गया। मैं उसके विरोध में अपना मत प्रस्तुत करता हूँ, चूंकि यह बजट एक बजट भाषण न होकर इसमे अधिकतर चीजें ऐसी है जो काल्पनिक हैं और अधिकतर चीज ऐसी है जो पूर्व बजट भाषण का रिपीट किया गया है और जो थोडा बचा है वह केन्द्र सरकार की जो योजनायें हैं, उनको इसमे सम्मिलित करके यह बजट भाषण बनाया है। मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि सरकार द्वारा इस सदन को कैसे गुमराह किया गया। पिछले बजटीय भाषण में यह कहा गया कि सूजी, आटा, मैदा मे शून्य प्रतिशत वैट करके उसको सस्ता किया गया। (व्यवधान) मान्यवर, मुझे 10 मिनट का समय दिया है मैं 8 मिनट में अपनी बात को समाप्त कर दूँगा और 2 मिनट आप बात कर लीजिएगा। मान्यवर, इसी विधान सभा में मैंने प्रश्न उठाया था और मैंने यह भी कहा था कि अगर सरकार यह प्रूफ कर दे कि एक प्रतिशत से शून्य प्रतिशत करके अगर आटा,

मैदा और सूजी सस्ती हुई है तो मैं इस विधान सभा के विधायक के पद से इस्तीफा दे दूंगा यह मैंने पिछली बार कहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ कहा कि हम इसमें सोच के विचार कर लेंगे, लेकिन एक साल तक इसमें सोच विचार नहीं हुआ। मेरा अभी भी स्पष्ट कहना है कि शून्य प्रतिशत करके आपने आटा, सूजी मैदा महंगा किया है, क्योंकि इसमें आई0टी0सी0 की सुविधा खत्म कर दी है।

मान्यवर, दूसरा पिछली विधान सभा में स्टर्जिया का मामला उठा और विद्युत परियोजना का मामला उठा और इसी मंच पर कहा गया कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। मान्यवर, जब यह मामला माननीय उच्च न्यायालय के सामने जाता है तो रातों-रात वे शासनादेश वापस किये जाते हैं। मान्यवर, अनेक-अनेक उदाहरण हैं कि किस तरह से सरकार इस सदन में [* * *] बोलकर अपने, हमारे और पूरे प्रदेश के विशेषाधिकार का हनन कर रही है और इसी तरह से जो यह बजट है, यह [* * *] का पुलिंदा यहाँ पर रखा गया है। मान्यवर, यह कहा गया है कि ढाबों पर 13.5 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत कर दिया, मैं पूछना चाहता हूँ कि 13.5 प्रतिशत किसने किया था। यह इसी सरकार ने 13.5 प्रतिशत किया और यही सरकार 4 प्रतिशत करके अपनी झूठी वाह-वाही लेना चाहती है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)-

मान्यवर, माननीय सदस्य जो [* * *] शब्द का प्रयोग बार-बार कर रहे हैं वह असंसदीय शब्द है। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

इस [* * *] शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल-

मान्यवर, यह सत्य से परे कर दिया जाय। मान्यवर, बार-बार कहा जाता है कि राजकीय घाटा शून्य है। जब शून्य है, मैं अभी पढ़ रहा था वित्त की मांगों पर तो जब सरकार द्वारा जो ऋण लिया गया उस पर ब्याज की अदायगी की जाती है, वह इस बार लगभग ₹ 400 करोड़ की ऋण की अदायगी बढ़ा दी गयी, ऋण पर ब्याज की अदायगी तभी बढ़ेगी जब ऋण और लिया जायेगा और ऋण क्यों लिया जायेगा जब सरकार के पास पैसा नहीं होगा। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हम सर-प्लस बजट दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो ब्याज पर ऋण दिया जा रहा है वह हर साल दर साल बढ़ता चला जा रहा है। हमें यह समझ में नहीं आता कि यह किस तरह का सर-प्लस

नोट:- [* * *] यह शब्द श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

बजट है। अगर सर–प्लस बजट होता तो ऋण की अदायगी कम होती और ब्याज की मात्रा भी कम होती, तो यह बहुत सारी बातें सत्य से परे है। मान्यवर, जब कोई सरकार बनती है तो जो गरीब आदमी प्रदेश में रह रहा है उसको सरकारी सुविधाएँ मिलें, उसके लिए बनती है। आज हो क्या रहा है, अगर हम देख रहे है कि यह हो रहा है कि नई नई तहसीलें बनाई जाएं, नये–नये जिले बनाए जाएं, हम उसका स्वागत करते हैं। हमारा कोई इसका विरोध नहीं है, पर पहले जो जिले हैं, जो तहसीलें हैं, आज आधे से ज्यादा पटवारी के पद रिक्त पड़े हैं। जो भी योजना सरकार की होती है पटवारी से शुरू होती है, पटवारी के पद रिक्त पड़े हैं। हम बार–बार इस विधान सभा में कहते रहे हैं कि पटवारियों के पद भरिये। चार साल से पटवारियों के पद को भरने की भी यहाँ घोषणा हुई कि एक लाख से ज्यादा रोजगार दिये जायेंगे और पटवारी जैसे महत्वपूर्ण पद रिक्त पड़े हुए है। इसी तरह से मान्यवर, कानूनगो नहीं हैं।

अगर विद्युत की बात करें तो हमारे पास लाईनमैन नहीं, हमारे पास अवर अभियन्ता नहीं, ब्लॉक की बात करें तो हमारे पास बी0डी0ओ0 नहीं। अभी समाज कल्याण की बात बहुत लम्बी हो रही थी, समाज कल्याण के ज्यादातर ब्लॉक जबकि काम उनमें चार गुणा, पाँच गुणा बढ़ गया, आज तक यह सरकार ए0डी0ओ0 की व्यवस्था तक नहीं कर पायी। एक वहाँ पर जो कर्मचारी होते हैं, बाबू है, उसकी व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई और आप कहते है कि समाज कल्याण में हम बहुत काम कर रहे हैं। शर्म आती है कि हम किस तरह के राज्य में रह रहे हैं। हम इतनी बड़ी बड़ी जहाँ करोड़ो, अरबो की बात करते है वहीं 90 ब्लॉक में ए0डी0ओ0 की व्यवस्था नहीं हो पाई है। वहाँ उसके अधीनस्थ सहायक नहीं दे पा रहे हैं। मान्यवर, इसी तरह अभी बात आती है, '108' की बात करी, बहुत अच्छी बात है। मैं अभी राजस्थान गया, वहाँ भी मैंने '108' देखी, गुजरात गया वहाँ भी मैंने '108' देखी, इसी साल मैं तीन चार राज्य मे गया सब जगह मैंने '108' देखी, तो वहाँ जब '108' जाती है तब मरीज उसको तसल्ली होती है कि मैं एक सही जगह जा रहा हूँ, और यहाँ जब '108' जाती है तो वह सोचता है कि मुझे पता नहीं कहाँ '108' डालकर चली जाए। जब वह अस्पताल या डिस्पेंसरी मे जाता है वहाँ कोई उसको देखने वाला नहीं होता है। मान्यवर, घर से वह किसी प्राइवेट डाक्टर के पास जा सकता है, लेकिन अस्पताल से कहीं और स्थानान्तरण कैसे किया जायेगा इसमें यह बहुत बड़ा प्रश्न है।

मान्यवर, दो क्षेत्रों मे, मै जरूर बात करना चाहूँगा, एक तो वन में, क्योंकि वन मे कहा जाता है कि 65 प्रतिशत वन क्षेत्र है, यह कोई नहीं कहता है कि वन आच्छादित कितना है, फारेस्ट कवर कितना है तो फारेस्ट कवर मात्र 45 प्रतिशत है और भारत सरकार

द्वारा कैम्पा की योजना लागू की गई और भी पैसा लगातार बढ़ता जा रहा है, पर क्या हमारे वन क्षेत्र का घनत्व घट रहा है या बढ़ रहा है ? क्या हमारा वन क्षेत्र जो कवर्ड एरिया है वह बढ़ रहा है ? क्योंकि हम रिजल्ट ओरिएण्टेड नहीं हैं। हमारा जो कार्य है हमारी जवाबदेही नहीं है, हम पैसा तो दे देते हैं, लेकिन उसकी जवाबदेही क्या है, विभाग ने कितना कवर्ड एरिया बढ़ाया, फारेस्ट एरिया बढ़ाया ये क्या कभी आपने 4 साल में बताया ? आप तीन सौ करोड़, चार सौ करोड़ विभाग को दे रहे हैं और वन क्षेत्र हमारा घटता चला जा रहा है, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ज्योग्रेफी ऑफ सर्वे ऑफ इण्डिया कह रही है, जो हमारा फारेस्ट कवर्ड एरिया है वह घट रहा है। वन क्षेत्र की जो जमीन खतौनी में है वह तो दर्ज रहेगी, लेकिन कवर्ड एरिया घट रहा है। मान्यवर, इसी प्रकार अनेक राज्यों में सॉ–मिल एक्ट में एमेण्डमेण्ट हुआ, सेकेण्डियर प्राईमरी वुड की डेफिनेशन बनी और प्लाईवुड आधारित बहुत से उद्योग लगे, हमारा निकटवर्ती प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी यह अमेण्डमेण्ट हुआ, आज हम कहाँ जी रहे हैं, एक कटान पर जी रहे हैं, उस प्लाईवुड से अनेक उद्योग आ गये हैं उससे आधारित उद्योग लगाने की बात कभी नही की, क्यो वहाँ सॉ–मिल एक्ट बीच में आ जाता है। हमने पिछली बार भी निवेदन किया कि सॉ–मिल एक्ट पर अमेण्डमेण्ट होना चाहिए, भारत के पता नहीं कितने राज्यो मे हो गया। सरकार को कोई मतलब नहीं क्योंकि जब उद्योगों की बात आती है तो सरकार को कोई मतलब नही होता है, आज मलेशिया जैसे न जाने कितने उद्योग लगा देते।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें।

डॉ० शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

मान्यवर, इसी प्रकार आपने कार्बेट टाइगर कन्जर्वेशन फाउण्डेशन की बात की, यह बॉडी तो फार्म हो गई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस सरकार के रहते एक भी मीटिंग हो पायेगी। जबकि रोज बाघों की मृत्यु हो रही है, क्या एक भी मीटिंग सरकार कर पाई ? सरकार मीटिंग नहीं कर पायेगी यह मैं बता रहा हूँ। मान्यवर, क्योंकि समय बहुत कम है पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट पर जरूर कहना चाहूँगा। आज प्रदेश की 40 प्रतिशत जनता नगरो में आवास कर रही है। वहाँ की सबसे बड़ी समस्या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट की है। आज अनेक राज्यों में हम लोगों ने भी देखा कि किस तरह से सॉलिड वेस्ट के प्रोजेक्ट लगे हैं और 35 किलोमीटर तक का कचरा एक सेन्ट्रलाईज मे आता है और वहाँ विद्युत का उत्पादन होता है और आज जहाँ हमारी सड़कों के किनारे पेड़ होने चाहिए थे, वहाँ गंदगियों के अम्बार लगे है। आज हरिद्वार नगर में आते हैं तो बदबू

से नाक बन्द करनी पड़ती है, जो हमारी धार्मिक नगरी है। और क्या सरकार ने कभी सोचा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेण्ट का हमें किस तरह से क्रियान्वयन करना है ? किसी पर्यटन राज्य और किसी तरफ, हमें मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई ध्यान सरकार का नहीं है, बस ये फर्जी घोषणायें कर ले, वाह वाही लूट लें, जनता कैम्प लगा लो जिसमें कुछ काम होता नहीं है, इसी तरह से समय बिताते चले जा रहे है। मान्यवर, आपने समय दिया इसका बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूँ।

श्रीमती अमृता रावत–

माननीय महोदया जी, मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ कि आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का समय दिया। माननीय महोदया जी, जब यह 94 पेज का बजट भाषण पढ़ा तो अन्त में यही निकला कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया और वही ढाक के तीन पात। हर वर्ष बजट भाषण पढ़ते है और हर वर्ष बड़ी–बड़ी घोषणायें करते हैं। वह वर्ष समाप्त हो जाता है और वो घोषणायें जो धरातल में नहीं दिखाई देती है। माननीय महोदया जी, मैं कुछ बिन्दुओं पर बोलना चाहूँगी कि जिसके बारे में सरकार बड़ी–बड़ी बातें कर रही है, जिस प्रकार से अटल खाद्यान्न योजना......... मान्यवर, इसके लिए कहा जा रहा है कि दो रुपये किलो आटा और तीन रुपये किलो चावल दिया जायेगा, लेकिन यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में जाये। मान्यवर, आप भी अपने क्षेत्र में गयी होंगी और आपने देखा होगा कि किसी एक गाँव वाले ने कहा कि हमको मिल रहा है ? किसी को भी गेहूँ और किसी को चावल, कहीं नहीं मिल रहा है। यह धरातल में नहीं है। मान्यवर, और तो और देहरादून में जिस दिन आपने इसकी शुरूआत की थी उसके अगले दिन अगर आप पेपर उठाकर देखेंगे तो लोगों को दो किलो आटा और दो किलो चावल मिला और लोग वहीं दुकान में छोड़कर चले गये और कहा कि हमको यह दो किलो गेहूँ और दो किलो चावल नहीं चाहिए। मान्यवर, एक कार्ड में दो किलो गेहूँ और तीन किलो चावल दिया और एक कार्ड में किसी के परिवार के छः सदस्य हैं तो किसी के परिवार में आठ सदस्य है। मान्यवर, अगर महीने में वे उस चावल के दाने बराबर भी करेगा तो कुछ चावलों के दाने ही एक व्यक्ति के हिस्से में आयेंगे, मान्यवर, उससे ज्यादा नहीं आयेंगे। मान्यवर, यह छः मार्च की रिपोर्ट है कि राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार का दिया हुआ 19000 टन बी0पी0एल0 का जो खाद्यान्न मिलना था और ए0पी0एल0 के लिए जो 16000 टन खाद्यान्न मिलना था वह राज्य सरकार ने नहीं उठाया। मान्यवर, दो दिन पूर्व मैं जब ई–टीवी देख रही थी तो माननीय मंत्री जी इस बात पर जवाब दे रहे थे कि राज्य सरकार केन्द्र सरकार का अहसान नहीं लेना चाहती। यहाँ पर इस समय माननीय मंत्री जी, उपस्थित नहीं हैं। मैं उनसे पूछना चाहती थी कि क्या हमारे पर्वतीय राज्य में इतनी खेती होती है कि क्या

वह पंजाब और हरियाणा की तरह उतना खाद्यान्न उत्पादन करता है ? क्या हम केन्द्र सरकार पर आश्रित नहीं रहेंगे ? मान्यवर, जब हम बाजार से अनाज खरीदेंगे तो निश्चित रूप से मंहगा अनाज खरीदेंगे।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त जो हमने करोड़ों रुपये के विज्ञापन समाचार–पत्रों में देकर, पूरे के पूरे पेज के विज्ञापन थे, बड़े–बड़े बोर्ड लगे हुए थे, बड़े–बड़े कट आउट लगे हुए थे, इससे पैसे का मिस यूज हुआ है। मान्यवर, अभी दो दिन पूर्व माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि हम ए0पी0एल0 को खाद्यान्न नहीं देंगे तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या यह केवल एक कोरी घोषणा कर रखी है, जो कि केवल वर्ष 2012 को देखते हुए की गयी है ? मान्यवर, जिस तरह से '108' एम्बुलेंस की सभी माननीय सदस्यों ने बात यहाँ पर उठायी है, इसमें मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी, हमेशा '108' एम्बुलेंस के बारे में कह कर अपनी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन यदि इसके मूल में जाया जाय तो यह अपनी पीठ थपथपाने की बात नहीं है, बल्कि शर्मसार होने वाली बात है, क्योंकि आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और 21वीं सदी में भी आज हमारे गांव में अस्पताल नहीं हैं हमारे गाँव में डाक्टर नहीं हैं, ए0एन0एम0 नहीं हैं। आज हमारी बहिनों को हास्पिटल में नहीं, बल्कि एक वैन में बच्चे पैदा करने पड़ रहे हैं, इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान) माननीय अधिष्ठाता जी, उस वैन में एक महिला डाक्टर नहीं है, बिना महिला डाक्टर के प्रसव किया जाता है। माननीय अधिष्ठाता जी, आप भी महिला है, मैं भी एक महिला हूँ, माननीय आशा जी भी एक महिला है। एक महिला वैसे भी प्रसव दर्द से पीड़ित रहती है और ऊपर से अगर वैन में कोई महिला डाक्टर न होकर एक पुरुष डाक्टर होता है तो बताईये उस महिला की क्या स्थिति होती होगी। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवस्था) यह शर्म से डूब मरने की बात है। मान्यवर, यदि आज हास्पिटल होते तो जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने भाषण में कहते हैं 2300 बच्चे वैन में पैदा हुए, तो यह बच्चे वैन में न पैदा होकर एक हास्पिटल के किसी एक कमरे में पैदा हुए होते।

श्री प्रकाश पन्त–

माननीय अधिष्ठाता जी, प्रत्येक वैन में एक महिला स्वास्थ्यकर्मी भी रहती है, जहाँ प्रसव की बात होती है, उसमें महिला स्वास्थ्य कर्मी रहती है।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, पौड़ी जिले में ही चिकित्सा विशेषज्ञ के 30, चिकित्सा अधिकारी साधारण ग्रेड के 73, महिला चिकित्सा ग्रेड के 24, चीफ फार्मासिस्ट के 6, फार्मासिस्ट के 20, ए0एन0एम0 53, वार्ड ब्वाय के 11, सफाई सेवक के 20 पद रिक्त चले आ रहे हैं। यह स्थिति केवल पौड़ी जिले में है। मान्यवर, आप कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए हमने

बहुत काम किया है। मैं यहाँ पर सत्यता बताना चाहती हूँ। जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो हमने ऊर्जा विभाग में ऐसी विधवा और बेरोजगार महिलाओं तथा भाईयों को रोजगार दिया था, जो ट्रांसफार्मर ठीक करती थीं, मीटर रीडिंग करती थीं, मीटर ठीक करती थीं और गाँव-गाँव जाकर मीटर के बिल बांटती थीं। तब मेरे पास कितनी ही महिलाएं आयी और उन्होंने कहा कि आपकी सरकार ने जो योजना बनायी, उससे आज हम अपने बच्चों का पालन-पोषण कर रहे है, आज हम अपना पालन-पोषण कर रहे हैं। हमारे जो बच्चे स्कूल में नहीं जाते थे, वे स्कूल में जाने लगे हैं। लेकिन यह बहुत दु:ख का विषय है महोदया जी, कि जैसे ही यह सरकार आयी, इसने उन सारी योजनाओं को बन्द कर दिया। आज वे विधवा महिलाएं फिर बेरोजगार हो गयी हैं। वे भाई-बहन जिनको रोजगार मिल गया था, वे आज फिर बेरोजगार हो गये हैं।

आप कह रहे है कि हमने महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया। लेकिन देहरादून की जिला पंचायत अध्यक्ष को, पिथौरागढ़ की जिला पंचायत अध्यक्ष को, ऊधमसिंह नगर की जिला पंचायत अध्यक्ष को, आपने चुन-चुन कर जहाँ महिला अध्यक्ष थीं, उनको हटा दिया। यह कितने बड़े शर्म की बात है। (व्यवधान) यह तो वही बात है कि हाथी के दाँत दिखाने के और, खाने के और। (व्यवधान) मान्यवर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका को, जिनको ₹ 250 और ₹ 500 दिया जाता था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री तिवारी जी ने जिसको ₹ 250 मिलता था, उसको ₹ 1200 दिलवाया और जिस कार्यकर्त्री को ₹ 500 मिलता था, उसको ₹ 2500 दिलवाया। लेकिन इन 4 वर्षों में उन कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के मानदेय में एक रुपये की भी बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है। यह बड़े शर्म की बात है। अभी भारत सरकार ने उन कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ा कर ₹ 3000 कर दिया है, अब राज्य सरकार इसमें अपना अंश देगी। इसके अलावा आपने कहा था कि ऊर्जा प्रदेश और पर्यटन प्रदेश इस राज्य को बनायेंगे और इस बजट में कहा गया कि टिहरी झील में जल क्रीडा के बड़े-बड़े केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी काफी विदेश यात्रा में रहते है और मॉरीशस उनका प्रिय स्थान है। कृपया करके माननीय मुख्यमंत्री जी मॉरीशस गए होंगे तो वहाँ के बीचेज पर भी गये होंगे, तो वहाँ पर देखा होगा कि कैसे बीच में पैरा ग्लाईडिंग, पैरा सीलिंग, स्पीड बोट और स्कूबा डाईविंग आदि कई जल क्रीडाएं करायी जाती हैं। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ केवल घूमने के लिए जाते हैं ? क्या इसलिए नहीं जाते कि वहाँ पर जो जल-क्रीडाएं होती हैं, उनको देख कर टिहरी झील में भी वे जल क्रीडाएं शुरू कराएं। (व्यवधान)

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री (श्री खजान दास)-

मान्यवर, टिहरी झील का सौन्दर्यीकरण हम शुरू करने जा रहे हैं।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, कब शुरू करेंगे ? 4 साल बीत गए, यह साल भी बीत जाएगा। (व्यवधान)

श्री खजान दास–

मान्यवर, ₹ 5 करोड़ का जल क्रीड़ा प्रशिक्षण केन्द्र वहाँ पर खोला जा रहा है। (व्यवधान)

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, आप गोवा जाईये तो वहाँ पर आपको बोट दिखाई जाएगी, जिसमें वे अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं और वहाँ पर भोजन देते हैं। हम भी अपनी टिहरी झील में ऐसी बोट का निर्माण कर सकते हैं, जिसमें अपने गढ़वाल के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी दिखाएं और गढ़वाली भोजन को भी प्रस्तुत करें, जिससे कि देश–विदेश से आने वाले लोग यहाँ की संस्कृति से भी रूबरू हों और यहाँ के भोजन से भी रूबरू हों। शीतकालीन सैफ गेम्स की बहुत चर्चा की गयी, उसमें करोड़ो रुपया मिला था। हमने सोचा चलो करोड़ो रुपया मिला है, इसलिए सैफ गेम्स देखने हम भी जाएं। माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करके हमने पास लिया क्योंकि कहीं किसी विधायक को, सत्ता पक्ष के विधायकों को मिले होंगे लेकिन विपक्ष के माननीय सदस्यों को सैफ गेम्स के कार्ड नहीं भेजे गए। (व्यवधान) मंत्री जी ने कृपा करके हमारे लिए कार्ड भेजे, हम उनको धन्यवाद देते हैं। हम जब वहाँ पर देखने गए तो बहुत निराशा हुई। केवल एक स्केट्स कत्थक के अलावा, वहाँ पर कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं रखा गया था।

महोदया जी, एक छोटा सा स्कूल होता है, तो उसमें भी बहुत सुन्दर–सुन्दर सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे जाते है। लेकिन करोड़ो रुपया खर्च करने के बाद भी वहाँ पर केवल कत्थक की एक स्केटिंग की गयी। जब हम चमोली में गए तो वहाँ के लोगों ने बताया कि यह तो कुदरत की कृपा हो गयी, उनके ऊपर, जो इतनी बर्फ गिर गयी। जो इनकी बर्फ बनाने वाली मशीन थी, वह इतनी पुरानी मशीन ली गयी थी कि वह काम ही नहीं कर रही थी। यह तो कुदरत की इनके ऊपर कृपा हो गयी, नहीं तो इनकी पोल खुलने वाली थी।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सुरेन्द्र सिंह जीना जी।

श्रीमती अमृता रावत–

मान्यवर, एक बात और कहना चाहती हूँ। स्पर्श गंगा अभियान, जिसके बारे में यह सरकार बहुत बढ़–चढ़ कर बोल रही है। माननीय महोदया जी, आप कभी ऋषिकेश

मे जाईये, वहाँ पर जो होटल है, अभी भी उनका निर्माण हो रहा है, उनके पिलर गंगा जी में गड़े हुए हैं। वहाँ पर सीवरेज सिस्टम नहीं है, सारे होटलों की गन्दगी गंगा में बहाई जा रही है। करोड़ों रुपये खर्च कर स्पर्श गंगा अभियान चलाया जा रहा है, हेमा मालिनी जी को ब्रांड एम्बेस्डर बनाया जा रहा है। अगर वही करोड़ों रुपये हम हेमा मालिनी को देने के बजाय सीवरेज सिस्टम बना देते, जिससे गन्दगी नहीं होती, तो ज्यादा बेहतर होता। मान्यवर, इन चार सालो मे न सड़क बनी है, न पेयजल पम्पिंग योजना है, सत्ता पक्ष के लोगों को 20-20 कि0मी0 सड़क दी जा रही है, लेकिन विपक्ष के विधायकों को प्रस्ताव मांगे जाने के बाद भी एक कि0मी0 सड़क नहीं दी गई और पर्यटन के लिये ₹ 20 लाख के बार-बार प्रस्ताव दिये जाने के बाद भी स्वीकृत नहीं की गई हैं। इसलिये मैं इस बजट भाषण का घोर विरोध करती हूँ।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना-

मानानीय अधिष्ठाता महोदया, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2011-12 के बजट भाषण पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मान्यवर, विजन ट्वेन्टी-ट्वेन्टी की बात यहाँ पर आई, तो दो पंक्तियां मै भी कहना चाहता हूँ कि-

सीढ़िया उन्हें मुबारक हो दोस्तों, जिन्हें सिर्फ छत पर जाना हो,
हमारी मंजिल तो आसमां है यारो, हम अपना रास्ता खुद बनायेंगे।

(व्यवधान)

मान्यवर, पिछली बार की तरह ही इस बार भी सरप्लस बजट यहाँ पर प्रस्तुत किया गया, जहाँ पिछली बार ₹ 162 करोड़ का सरप्लस बजट था, इस बार ₹ 312 करोड़ का सरप्लस बजट है। (व्यवधान) मान्यवर, आईने का जवाब भी यह सुन ले, मै 8 मिनट ही बोलूगा, बाकी के दो मिनट आपके। यदि मुझे भी बोलने का अवसर दें तो अच्छा होगा। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

सिंघल जी, कृपया शान्ति बनाये रखें, माननीय जीना जी, कृपया सामने देखते हुये अपनी बात रखें।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना-

मान्यवर, वैसे मैं यह बोलना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन चूंकि कुछ चीजें आई है तो मैं बताना चाहूँगा कि इन लोगो ने कहा था कि गौरा देवी कन्या धन योजना की शुरुआत हमने की थी। निश्चित रूप से इन्होंने शुरुआत की होगी, लेकिन वह योजना

केवल अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिये ही थी, जो कक्षा 12 उत्तीर्ण कर लेती थीं, उनके लिये यह योजना थी। यह योजना इन्होंने जात–पात के भेदभाव को बढ़ाने के लिये शुरू की थी। मान्यवर, गरीब, गरीब होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है। हमने इस योजना को सभी के लिये शुरू कर दिया है, चाहे वह ब्राह्मण हो, ठाकुर हो या अनुसूचित जाति की बालिका हो, सभी को ₹ 25000 इस योजना में दिये जायेंगे। साथ ही इन्होंने बी0पी0एल0 उन लोगों को बांट दिये थे, जो खाते–पीते लोग थे, हमने उनकी बी0पी0एल0 की बाध्यता भी हटा दी है।

मान्यवर, जब हम किसी की ओर एक अंगुली उठाते हैं तो निश्चित रूप से चार अंगुलियां हमारी ओर भी होती है, यह सभी लोग जानते हैं। मान्यवर, अभी समाज कल्याण की वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन की भी बात की गई थी, और ₹ 400 इसे किया था, इन्होंने कहा कि इसे इनकी सरकार ने शुरू किया था, निश्चित रूप से शुरू किया होगा, लेकिन उसमें एक शर्त थी कि जब किसी का बच्चा 18 साल का हो जायेगा तो उसकी पेंशन बन्द कर दी जायेगी।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय जीना जी, कृपया सामने देखते हुये अपनी बात रखें।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, 18 साल का बच्चा अपना पेट नहीं भर सकता है तो अपने मा–बाप का पेट कैसे भरेगा और हमारी जिस विधवा बहन की पेंशन लगी होती थी, यदि उसका बच्चा 18 साल का हो जाता था तो उसकी भी पेंशन बन्द कर दी जाती थी। हमने उस पेंशन को सार्वभौम किया। मेरे जनपद अल्मोड़ा में दोगुने से ज्यादा पेंशन लग गई है और मेरे विधान सभा क्षेत्र में, हमारे पुराने वाले जनप्रतिनिधि 10 पेंशन नहीं लगा पाये होंगे, मैंने चार हजार से अधिक पेंशन तो एक ही ब्लॉक में स्वीकृत कराई हैं। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, कल माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो पैसे खर्च नहीं कर पा रही है, हमने तो बहुत पैसे खर्च किये थे, हर विभाग में हमने आपसे अधिक पैसा खर्च किया था तो वास्तव में आपने बहुत पैसे खर्च किये होंगे, लेकिन किस प्रकार से खर्च किया था, उसका परिणाम हमारे सामने है कि आप आज विपक्ष में बैठे हैं और सी0ए0जी0 की रिपोर्ट के अनुसार ₹ 50 हजार करोड़ खर्च होने के बाद भी इस प्रदेश में सबसे कम विकास हुआ था, यह आप सभी लोग जानते है। हमारी सरकार को कुशल वित्तीय प्रबन्धन करने के लिये ....। (व्यवधान) मान्यवर, और साढ़े सोलह हजार करोड़ का कर्जा भी हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। कुशल वित्तीय प्रबन्धन करने के लिए केन्द्र की सरकार ने हमारी सरकार को एक हजार करोड़ रुपया अतिरिक्त पुरस्कार के रूप में दिया। इससे बड़ी बात मुझे नहीं लगता कि कुछ और होगी।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, आप लोग तो सुबह शाम कहते है कि केन्द्र पैसा ही नही देता, फिर पैसा कैसे दे दिया ?

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, पुरस्कार हमारा अधिकार है, अच्छा काम किया है, देना पडेगा, मजबूरी है। (व्यवधान) कोई भी नया टैक्स न लगाने के बावजूद जहाँ राजस्व प्राप्ति 21.14 प्रतिशत हुई है इस बार। कोई नया कर नही लगाया गया। अचल सम्पत्ति को क्रय करने पर पिछली बार शुल्क से 7 की जगह 6 प्रतिशत किया गया था। इस बार 5 प्रतिशत कर दिया। महिलाओं को जहाँ 20 लाख की अचल सम्पत्ति खरीदने पर टैक्स मे छूट थी, इस बार विकलांगजनो को भी 5 लाख तक की अचल सम्पत्ति खरीदने पर छूट दी गयी है। इसके बावजूद कोई नया टैक्स इस बजट में नही लगाया गया है। ये वास्तव मे बडी उपलब्धि है। वास्तव में मूल्य निर्धारण करने का काम केन्द्र सरकार का है, मूल्य निर्धारण तो केन्द्र सरकार करती है, सभी लोग जानते है। आज सब लोग महगाई से त्रस्त हैं। (व्यवधान) मैं दो चीजें अपनी विधान सभा के लिए भी कह रहा हूँ क्योंकि सभी वक्ताओ ने अपने–अपने क्षेत्रों की बात रखी है। वास्तव में मैने कहा कि अगर आदमी किसी की तरफ एक उगली करता है तो चार उंगलियां हमारी तरफ रहती हैं और जो लोग कई सालों से देश पर राज कर रहे हों और जनता ने उनको मौका भी दिया हो अगर आदमी किसी की तरफ एक उंगली करता है तो चार उंगलिया हमारी तरफ रहती हैं। आज विज्ञान के युग की बात कर रहे है, विज्ञान का युग आ गया है। लडकी चांद पर पहुँच गयी है। मेरी विधान सभा में मुझसे पहले कोई विधायक रहे होंगे, तीन–तीन महाविद्यालय थे, लेकिन विज्ञान का विषय तक नहीं था। एक गरीब बच्चा 12वीं तक विज्ञान का विषय लेकर (व्यवधान)

कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन''–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। इनका कहना है कि लडकी चांद पर पहुँच गयी है। क्या ये अभी सेक्स डिफेनिशिएशन करते हैं। ये तो बहुत गलत बात हुई महोदय।

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना–

मान्यवर, ये तो बार–बार बयान आते हैं कि लडकियां चाँद पर जा रही हैं। ये तो उपलब्धि है। मैंने कहा कि लडकिया तक चाँद पर जा रही है। (व्यवधान) महिला आरक्षण क्यों मांगा जा रहा है, अगर ये बात है तो। (व्यवधान) और हमारी विधान सभा

में आज तक विज्ञान का विषय नहीं था। गरीब के बच्चे 12वीं तक साइन्स लेते थे, लेकिन मजबूर बाहर जाकर दिल्ली, देहरादून, रानीखेत जाकर कमरा किराये पर लेकर नहीं रह सकते थे, 12वीं के बाद उनको फिर कला वर्ग में एडमीशन लेना पड़ता था। ये नीति किसी ने अगर तय की होती तो हमारे गरीब के बच्चे भी विज्ञान ले सकते थे, बी0एस0सी0 ले सकते थे, या डाक्टर, इंजीनियर बन सकते थे, लेकिन किसी ने चिंता नहीं की। मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूँगा कि मेरे यहाँ तीन महाविद्यालय हैं, उनमें से दो में बी0एस0सी0 इस बार चालू करवायी है। इसके लिए सरकार को विशेष तौर पर धन्यवाद दूँगा। (व्यवधान) टीचर भी आ गये हैं, जबकि बच्चे अभी 3–3 ही हैं, लेकिन साइंस का भी, मैथ्स का भी, तीनों प्रवक्ता आ गये हैं। (व्यवधान) बच्चे बढ़ेगे। कोई जो बच्चा पढ़ाई में तेज नहीं होता है तो वो खेल में अपना नाम रोशन कर सकते है। सचिन तेंदुलकर जब इंडिया की टीम में आये थे तब केवल नवी पास थे, महेन्द्र सिंह धोनी सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले खिलाड़ी हैं। लेकिन इसकी किसी ने चिन्ता नहीं की, कि यहाँ पर स्टेडियम बनाया जाय, किसी ने चिन्ता नहीं की। हमारी सरकार ने स्याल्दे में स्टेडियम स्वीकृत किया है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ स्टेडियम बनाने की स्वीकृति हुई है। 26 जगह स्टेडियम बनाने की स्वीकृति हमारी सरकार ने बजट में दी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने बच्चों के भविष्य की चिन्ता की। यह बजट राज्य के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा और आने वाले बच्चों का भविष्य इससे सुरक्षित रहेगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, आपने मुझे बजट भाषण पर चर्चा में हिस्सा लेने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक", मुख्यमंत्री कवि हृदय, नोबेल पुरस्कार के चहेता, उनके द्वारा तैयार किया गया, बड़ी खूबियों के साथ तैयार किया गया बजट भाषण है। पिछली बार जब बजट भाषण दिया था उस समय भी कहा था कि मैं सरप्लस बजट पेश कर रहा हूँ। पहले जब सुना कि सरप्लस बजट पेश किया जा रहा है तो बड़ी खुशी हुई। लेकिन जब पूरी गहनता के साथ इसको पढ़ा गया तो मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ इसमें जो दर्शाया गया है कि आय हमारी ₹ 18340.95 करोड़ है और खर्च ₹ 19366.91 करोड़ है, इसको घटाने पर ₹ 1000.96 करोड़ का घाटा इस बजट के द्वारा दर्शाया गया है। उसके बाद भी सरप्लस बजट इसको घोषित किया गया है। लोक लेखा से समायोजन करते हुए, जो हमारे कर्मचारी की भविष्य निधि है जो उनका अपना पैसा है उस पैसे से अपने पैसे के घाटे को पूरा करते हुए ₹ 690 करोड़ पूरा करते

हुए, उसके बाद भी यह घाटा पूर्ण नहीं हुआ। अन्तिम समय में पता नहीं यह आंकड़ो का जाल अधिकारियों द्वारा बिछाया गया है कि अन्तिम समय में कर दिया गया है कि ₹ 42.74 करोड़ धनात्मक सरप्लस बजट है। मैं कहना चाहता हूँ कि यह कुशल वित्तीय प्रबन्धन नहीं है, कुशल वित्तीय प्रबन्धन तो वास्तव में तब होता जब यह धनात्मक सरप्लस बजट होता, यह तो आंकड़ो की हेराफेरी है जो सदन को बरगलाने की बात है।

मैं कहना चाहता हूँ कि विधायक निधि का जो पैसा ₹ 163 करोड़ बनता है उसकी इस बजट में कही चर्चा नही की गई है और न ही इस बजट में दर्शाया गया है। यदि उस ₹ 163 करोड़ में ₹ 42.7 करोड़ निकाल दिये जायं तो लगभग ₹ 113 करोड़ का ऋणात्मक बजट बनता है तो यह सरप्लस बजट नहीं वास्तव मे ऋणात्मक बजट है। शायद इसको मुख्यमंत्री जी ने पढ़ा नहीं है, यह अधिकारियो द्वारा तैयार किया बजट उन्होंने भी सदन के सामने प्रस्तुत कर दिया जो एक खेद का विषय है। इस पर सोच विचार होना चाहिए था। जो विधायक निधि का पैसा है उसको घटाया जाय तो यह ऋणात्मक बजट है, इसलिए यह सरप्लस बजट नहीं है। एक योजना चलाई जा रही जिसका बहुत अधिक प्रचार प्रसार किया जा रहा है, क्या प्रचार किया जा रहा है अटल खाद्यान्न योजना, उसके बारे मे बताना चाहता हूँ कि, हमारे मंत्री जी उठ कर चले गये है, संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे है, उनसे मैं निवेदन करूँगा कि जरा सुन कर जायें। उसके बारे में, मैं विशेषकर यह बताना चाहता हूँ कि खाद्यान्न योजना मे जो प्रचार–प्रसार किया जा रहा है, गरीबों को यह दिखाया जा रहा है कि हम खाद्यान्न बांटेंगे। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि आज सरकार के चार साल हो गये क्या बी0पी0एल0 के सारे परिवारो के राशन कार्ड बन गये है ? जब उनके राशन कार्ड ही नहीं बने हैं तो उन्हे राशन कहाँ से उपलब्ध होगा ? जब राशन उपलब्ध नहीं होगा तो उनका पेट कैसे भरेगा ? तो ए0पी0एल0 के लोगों को राशन कैसे दिया जा सकता है ए0पी0एल0 के लोगों के लिए प्रचार–प्रसार किया जा सकता है। जबकि बी0पी0एल0 के लोगो को नही दिया जा रहा है। जो यह खाद्यान्न योजना प्रचारित और प्रसारित की जा रही है बिल्कुल धोखा देने का काम किया जा रहा है, यह सरकार धोखा देने का काम कर रही है, जनता को बरगलाने का काम कर रही है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि खाद्यान्न योजना के प्रचार–प्रसार पर माननीय मंत्री जी द्वारा जो पैसा खर्च किया जा रहा है, न तो सरकार ऐसी कोई योजना देना चाहती है न उसका विचार है। मान्यवर, इसी तरह मैं कहना चाहता हूँ जब इस प्रदेश का निर्माण हुआ था तो इसे ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाता था, आज यह स्थिति है कि मॉग ज्यादा है उत्पादन कम है। पहले 24 घंटे बिजली दी जाती थी आज चारो

और कटौती की जा रही है, हरिद्वार जनपद में 8–10 घंटे बिजली नहीं दी जा रही है। पिछले साल बजट में 24800 बी0पी0एल0 परिवारों को विद्युत संयोजन देने की बात की गई थी, कितने परिवारों को विद्युत संयोजन दिया गया है, मात्र 40–50 परिवारों को, जबकि 24000 परिवारों की बात की गई थी। इस बार बजट में इनके लिए कोई बात नहीं की गई है, क्यों नहीं जिक्र किया गया, क्योंकि यह करते नहीं हैं, केवल एक बार घोषणा कर देते हैं और घोषणा करने के बाद उसकी पूर्ति नहीं करते है, किसी भी बी0पी0एल0 परिवारों को कोई कनेक्शन नहीं दिया गया है। मैं कहना चाहता हूँ आप देख लीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, 24 घण्टे में ट्रांसफार्मर बदला जायेगा यह बात कही जाती है लेकिन आप देख लीजिए 24 घण्टे में ट्रांसफार्मर क्या बदला जायेगा, 4–4 महीने बीत जाने के बाद भी ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाते हैं। बिजली घर के ट्रांसफार्मर फुंक जाते है तो एक–एक महीने बिजलीघर ठप्प हो जाते हैं। मान्यवर, वहाँ कर्मचारी नहीं है, लाईनमैन नहीं हैं। जब लाईन टूट जाती है तो उसे ठीक करने वाला कोई नहीं है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं समाज कल्याण विभाग के बारे में कहना चाहता हूँ, समाज कल्याण विभाग एक ऐसा महत्वपूर्ण विभाग है जिसके माध्यम से प्रदेश में गरीब असहाय लोगों का ध्यान रखा जाता है। मान्यवर, पिछले वर्ष का बजट उठाकर देख लीजिए, पिछले वर्ष ₹ 1237.85 करोड़ था और इस बार इसे घटाकर ₹ 512.83 करोड़ कर दिया गया है। एक तरफ आप कहते हैं कि समाज कल्याण में हम नई योजना बना रहे हैं। हम विकलांग पेंशन बढ़ायेंगे, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ायेंगे, छात्रवृत्ति को बढ़ायेंगे गरीबों को हम लोन देंगे, सब्सिडी बढ़ायेंगे, जबकि आपका बजट इस बार ₹ 512 करोड़ का है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले काफी कम है। यह बजट घटाने का काम आपने क्यों किया है ? किस प्रकार से यह सरकार को चलाना चाहते हैं ? मान्यवर, पेयजल में माननीय पेयजल मंत्री यहाँ बैठे है पिछले वर्ष कहा था 2 हजार 947 असेवित और 9 हजार 404 आंशिक असेवित बस्तियों को हम पेयजल उपलब्ध करायेंगे। इन्होंने कितने पेयजल की व्यवस्था की है। किसी के लिए नहीं की है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा सदन में आश्वासन दिया गया जब मैंने कहा था कि हरिद्वार जनपद में 1303 नल खराब पड़े हैं, उनके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। पानी भी नहीं देना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, सड़कों के बारे में एक योजना चालू की गई थी वर्ष 2010–11 में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, जिसके अन्तर्गत 250 की आबादी वाले गाँवों में सड़क देंगे, किसी को नहीं दी गई। कितने गाँवों को जोड़ा गया है, किसी को नहीं जोड़ा गया है। मात्र घोषणा तक ही सीमित हैं, घोषणा–पत्र तो कोई भी जारी कर दे। बजट भाषण तो कोई भी पढ़ दे लेकिन उसको अमल में लाना भी आवश्यक है। ऐसे अन्य विभाग भी है जिसमें सरकार द्वारा बजट को घटाने का काम किया है।

पिछली बार चिकित्सा शिक्षा में ₹ 112.23 करोड़ का प्राविधान था लेकिन इस बार ₹ 149 का प्राविधान है। क्यों घटाया गया ? प्रचार–प्रसार किया जा रहा है, '108' की बात करते हैं, '104' की बात करते हैं, जब डाक्टर ही नहीं होंगे, फार्मासिस्ट ही नहीं होंगे, नर्सें नहीं होंगी तो उनका इलाज कौन करेगा ? जब दवाईयें नहीं होंगी। स्टोर में भी दवाईयाँ नहीं हैं। जो थोड़ी बहुत दवाईयाँ जाती भी हैं उसको ब्लैक कर दिया जाता है। पंचायतों के लिए जो बजट की व्यवस्था की गई थी वह भी घटा दी गई है। एक तरफ पंचायतों में 50 प्रतिशत महिलाओं को आरक्षण देने की बात करते हैं, उनको मजबूत करने की बात कही जाती है तो बजट को क्यों घटाया जा रहा है ?

श्री अधिष्ठाता–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, डिस्टर्ब हो रहा है। सिंचाई का बजट भी 276 से घटाकर 267 कर दिया गया है। विधायक निधि जो सबकी निधि है उसका भी बजट में प्राविधान नहीं किया गया है। इसी प्रकार से पिछली बार किसानों को ऋण में दिनांक 31–03–2011 तक छूट दिये जाने की बात कही गई थी लेकिन इस बार बजट में इसको हटा दिया गया है। क्या किसान इस प्रदेश में नहीं रहते हैं, क्या किसान उसका हिस्सा नहीं हैं, क्या उनको कृषि यंत्रों में, खाद में छूट नहीं दी जानी चाहिए थी ? बजट में किसानों, मजदूरों का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। सरकार महिलाओं की बात करती है। एक तरफ दलित महिलाओं और अन्य महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। मान्यवर, एक तरफ महिलाओं को पहले जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया जाता है, फिर वही अधिकारी, फिर वही मंत्री, फिर सरकार के वही मंत्री उस महिला का शोषण करते हैं और शोषण करने के बाद उसको पद से हटा देते हैं। यह बड़े शर्म की बात है फिर भी यह सरकार महिलाओं के उत्थान की बात करती है।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, दो मिनट समय मेरा बाकी है। (व्यवधान) मान्यवर, मैं विद्यालयी शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूँ। शिक्षा के बारे में अभी जीना जी कह रहे थे कि एक महाविद्यालय में केवल तीन ही छात्र हैं, मान्यवर, मेरे हरिद्वार जनपद में उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय क्यों नहीं खोले जा रहे हैं ? हमारे साथ क्यों स्वार्थ किया जा रहा है ?

हरिद्वार जनपद के लिए प्लान को पूरी तरह से आवंटित नही किया जा रहा है और सड़के नही दी जा रही हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो बजट है यह दिखावे का बजट है। इसमें जो भी दर्शाया गया है सरकार इसको कभी पूरा नहीं कर सकती है। सरकार ने पिछला बजट भी जारी किया था और उसमें कुछ घोषणायें की थीं वे भी पूरी नहीं की गयी हैं। इस बार भी जो घोषणा कर रही है उसको भी यह सरकार पूरा नही करेगी। केवल चुनाव को देखते हुए यह घोषणा की है। मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले यह कहना चाहता हूँ कि सरकार को आप अपनी कुर्सी से अपने माध्यम से निर्देशित करे कि जो बजट भाषण इस सदन में पेश किया जाय, उसका शत प्रतिशत पालन होना चाहिए। ऐसी झूठी घोषणायें नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय अधिक हो गया है, कृपया आप अपनी बात को यहीं समाप्त करें।

*श्री यशपाल आर्य—

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी अपना बजट भाषण प्रस्तुत कर रहे थे और खुद ही अपनी पीठ को थपथपाने की कोशिश कर रहे थे और सत्ता पक्ष के माननीय विधायक और माननीय मंत्रीगण मेजें थपथपाकर, कोलाहल भी था और व्यवधान भी हो रहा था, कुछ सुनने को नहीं आ रहा था इसके बावजूद हमारे सत्ता पक्ष के माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण मेजें थपथपाकर बजट की तारीफ में लगे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रथम बजट प्रस्तुत करने का अवसर भी प्राप्त है और आज मैं दसवॉ बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ। मान्यवर, उन्होने अपने कविता के माध्यम से पिछले वर्षों का लेखा-जोखा, अपनी उपलब्धि का बखान, उन्होंने स्वयं किया। उन्होने कविता के माध्यम से कहा, लेकिन मान्यवर, मै कहना चाहता हूँ कि इन चार सालो मे न तो फूल खिले हैं, न कहीं जीवन दीप जले है और न कहीं अमृत बरसा है। इस राज्य की विडम्बना है, दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि चार सालो में सरकार का यह कुशासन, भ्रष्टाचार, कुप्रबन्धन और आपदा प्रबन्धन मे हुई लापरवाही की वजह से इस प्रदेश के लोगों का जीवन दूभर हो गया है। मान्यवर, मेरा मानना है कि बजट पर बहस के साथ, चर्चा के साथ इस सरकार की प्रशासनिक एवं वित्तीय विश्लेषण में भी, इसको जोड़ने की आज आवश्यकता है।

मान्यवर, पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया था लेकिन बजट की असली परीक्षा प्रशासनिक नियंत्रण, विकास कार्यों के क्रियान्वयन पर आधारित

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होली निर्भर करती है। मान्यवर, वर्ष 2010–11 का यह वित्तीय वर्ष का अंतिम सप्ताह है और दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, कि अभी तक राज्य सरकार, प्रदेश सरकार मात्र 50 फीसदी धनराशि खर्च कर पाई है, और 50 फीसदी धनराशि लैप्स होने की स्थिति में है और यह भी कहना चाहता हूँ कि पिछले दो वर्षों से इस प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय "निशंक" जी लगातार केन्द्र सरकार पर ठीकरा फोड़ते रहे कि केन्द्र सरकार सहयोग नहीं कर रहा है, केन्द्र सरकार इस प्रदेश की अनदेखी कर रहा है, केन्द्र सरकार इस प्रदेश की जनता के साथ अन्याय कर रहा है और पक्षपात कर रहा है। लेकिन आकड़े गवाह हैं जो केन्द्र पोषित योजनाएँ है, ₹ 36–37 करोड़ नहीं ₹ 36–37 अरब केन्द्र सहायतित योजनाओं का पैसा लैप्स होने की कगार पर है, और आरोपित हमें किया जाता है कि केन्द्र सरकार का रवैया ठीक नहीं है। ये आकड़े गवाह हैं, ये आंकड़े सरकारी आकड़े है, ये कांग्रेस के आकड़े नहीं हैं, विपक्ष के आकड़े नहीं हैं मान्यवर, और इस बात के गवाह हैं कि केन्द्र सरकार ने राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए, समग्र विकास के लिए और यहाँ के राज्यवासियों के हितों की रक्षा के लिए लगातार धनराशि अवमुक्त की है और राज्य सरकार उसका फायदा नहीं उठा पाई है। राज्य सरकार के नकारात्मक विकास की सोच की वजह से आज प्रदेश में प्रदेशवासियों को यह दिन देखने को मिल रहे हैं। दूसरा मान्यवर, मार्च का महीना समाप्ति की ओर है, शायद मैं समझता हूँ कि पहली बार एक इतिहास बनने जा रहा है मान्यवर, राज्य के वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिनों में 50 प्रतिशत धनराशि बैंक के खातों में डालने की यह सरकार कोशिश कर रही है और एक शासनादेश जारी हुआ है कि 31 मार्च तक के जो भुगतान होने थे, उसको 30 अप्रैल तक भुगतान विभाग कर सकते हैं। इसका मतलब अगले वित्तीय वर्ष में, जो मार्च का बजट है उस पैसे को अगले वित्तीय वर्ष के 30 अप्रैल तक खर्च करने की व्यवस्था इन्होंने बना दी है।

सवाल बहुत बड़ा है मान्यवर, कि यह पैसा जो 31 मार्च तक खर्च होना था, 30 अप्रैल तक अगले वित्तीय वर्ष में खर्च होगा, एक महीने के अन्दर खर्च होगा, उस विकास का स्वरूप क्या होगा, और वह विकास धरातल पर होगा या नहीं, या उस पैसे की बंदरबाट होगी ? यह सरकार अपने सिस्टम पर नियंत्रण खो चुकी है, क्या सरकार उस पैसे को जनता तक पहुँचा पायेगी या नहीं ? मान्यवर, यह बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। मान्यवर, इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी विकास दर का ढोल पीट रहे है, नगाड़ा बजा रहे हैं कि जब प्रथम बार हमें वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करने का अवसर मिला तो विकास दर उस समय 2.9 फीसदी थी और आज हमने 11.30 फीसदी तक पहुँचा दिया है, यह इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। यह विकास

दर बढ़ाने में किसका हाथ है, यह तत्कालीन कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की बहुत बड़ी उपलब्धि है, विकास दर बढ़ाने में कांग्रेस की अहम भूमिका रही। लेकिन 56-57 हजार प्रति वार्षिक वित्तीय आय, यह इस बात का भी उल्लेख है कि जब 11.30 फीसदी विकास दर बढ़ी है तो इस प्रदेश में रोजगार के लिए हमारे नौजवान पलायन कर रहे हैं, हमारे इस प्रदेश के 6 लाख भाई-बहनों ने श्रम सेवायोजन कार्यालय में अपना पंजीकरण करा रखा है। मान्यवर, दैवीय आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है। जो लुंज-पुंज सार्वजनिक वितरण व्यवस्था हो चुकी है उससे हमारे गरीब लोगों को राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो क्या इस विकास दर का लाभ इन लोगों को पहुंचाने का काम सरकार कर रही है, यह भी बहुत बड़ा सवाल है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया एक मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री यशपाल आर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार शासन के अभाव, गवर्नेंस डेफिसिएट का शिकार हो रही है। मान्यवर, इस पर भी बहस होनी चाहिए, गवर्नेंस डेफिसिएट पर भी बहस होनी चाहिए। मान्यवर, राज्य के मुख्य सचिव लगातार विभागाध्यक्षों को, जिलाधिकारियों को, विभागीय अधिकारियों को 15 सितम्बर, 15 अक्टूबर, 15 नवम्बर, 15 दिसम्बर, 15 जनवरी, 15 फरवरी और बाद में 31 मार्च की भौतिक प्रगति और पैसों की धनराशि कैसे खर्च हो, इसको लगातार निर्देशित करते रहे हैं, लेकिन इस प्रदेश के मुख्य सचिव की बातों को दरकिनार करते हुए आज भी 50 फीसदी धनराशि राज्य सरकार खर्च करने में असमर्थ साबित हुई है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समय का ध्यान रखें।

श्री यशपाल आर्य-

मान्यवर, मैंने कहा कि राज्य सरकार लगातार जो आरोप लगाती रही है, मैं फिर कहना चाहता हूँ कि ₹ 35-36 करोड़ नहीं बल्कि ₹ 36-37 अरब लैप्स करके इस प्रदेश की जनता के साथ इस राज्य सरकार ने विश्वासघात किया है, अन्याय किया है, जुल्म किया है। मान्यवर, मैं एक बिन्दु पर और कहना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये आय-व्ययक के लेखे-जोखे का अध्ययन करने पर महसूस होता है कि वर्ष 2011-12 में सरकार के राजस्व प्राप्तियों के कुल भाग में केन्द्र सरकार द्वारा दी गई सहायता अनुदान धनराशि कुल राजस्व प्राप्ति का सबसे बड़ा भाग है, जो कि 27.71 है अर्थात वर्ष 2011-12

में राज्य को होने वाली कुल प्राप्ति ₹ 18340.95 करोड़ अनुमानित है। मान्यवर, हमारी सरकार का अनुमान है और इसमें केन्द्र सरकार द्वारा जो अनुदान धनराशि दी जायेगी वह है ₹ 5273 करोड़। अब मान्यवर, जो अनुमानित व्यय है वर्ष 2011-12 को वह ₹ 19367 करोड़। इसमें लघु व अवस्थापना के वृहद कार्यों के लिए मात्र ₹ 2525 करोड़ की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा दी गयी है जो स्पष्ट करता है कि राज्य सरकार का विकास के प्रति क्या नजरिया है, क्या दृष्टिकोण है और क्या विकास के प्रति सकारात्मक सोच है या नकारात्मक सोच है, इस बात को इंगित करता है। मान्यवर, वर्ष 2011-12 में अनुमानित व्यय के सापेक्ष सरकार चाहे कितनी अवस्थापना विकास सम्बन्धी महत्वपूर्ण कार्यकलापों के लिए कितना ही धन प्रावधानित करे, लेकिन सरकार की कार्य प्रणाली संसदीय लोकतंत्र की भावनाओं और मर्यादाओं, परम्पराओं के अनुरूप नहीं होगी तो इस प्रकार का नियोजन निरर्थक होगा।

श्री अधिष्ठाता-

मानानीय आर्य जी, कृपया समाप्त करें।

श्री यशपाल आर्य-

माननीय अधिष्ठाता महोदया, इस प्रदेश सरकार ने विकास के मामले में राजनीतिक चश्मे से विकास की परिभाषा लिखने का काम किया है। जैसा कि आदरणीय श्रीमती अमृता रावत जी कह रही थीं कि इसी प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जी ने हमसे कहा और माननीय विधायकों से कहा, सत्ता पक्ष के विधायकों से कहा, प्रतिपक्ष के विधायकों से कहा 20 किलोमीटर सड़क निर्माण के प्रस्ताव आप भेजें, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि 20 किलोमीटर सड़कों के प्रस्ताव दिये जाने के बावजूद भी विधायकवार पत्रावली खोली गयी और सत्ता पक्ष के विधायकों को लगातार 20 किलोमीटर सड़क दी गयी और प्रतिपक्ष के विधायकों को आज यहाँ पर "वेल" में आना पड़ा। यह सरकार की वजह से हुआ कि हमारे प्रतिपक्ष के विधायकों का निलम्बन भी हुआ, उनके पास कोई चारा नहीं था। (घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

मानानीय आर्य जी, कृपया समाप्त करें।

श्री यशपाल आर्य-

मान्यवर, 50 फीसदी पैसा लैप्स हो रहा है, लेकिन सरकार सत्ता पक्ष को सौ-सौ किलोमीटर दे दे, दो-दो सौ किलोमीटर दे दे, लेकिन यह सरकार दुबारा आने वाली नहीं है। (घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मानानीय आर्य जी, कृपया समाप्त करें।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, हमारी बहिन श्रीमती आशा नौटियाल जी, थोड़ा उत्तेजित हो रही हैं, जिस तरह का पक्षपात इस राज्य सरकार ने हमारे साथ किया है। माननीय बहिन आशा जी, आपको स्मरण होगा जब हमारी सरकार थी तो शिक्षा विभाग से आपकी विधान सभा क्षेत्र के एक ही विद्यालय के उच्चीकरण के लिए दो शासनादेश हो गये थे।

श्री अधिष्ठाता–

आगे भी इस पर विभागवार चर्चा होगी, कृपया समाप्त करें।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, आपको यह स्मरण होगा। फिर आपने दूसरे विद्यालय का भी शासनादेश करवाया। माननीय आशा जी, आप दिल पर हाथ रखकर बोलें, आप मेरी बात से सहमत है या नहीं ? (घोर व्यवधान) मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर कितने ऐसे विधायक हैं, जो दुबारा चुनकर आये है, उनसे कहना चाहता हूँ कि हमारी कांग्रेस सरकार ने पण्डित नारायण दत्त तिवारी जी के मुख्यमंत्रित्व काल में विकास के मामले में किसी के साथ कभी कोई पक्षपात नहीं किया। मान्यवर, अभी मैं सत्ता पक्ष के माननीय विधायकों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग आज वो काम नही करा पाये होंगे, जब हमारी सरकार थी, तब आपके ज्यादा काम हुए होंगे, आप इस बात से सहमत होंगे चाहे हमारे आदरणीय पन्त जी हों या अन्य कोई सत्ता पक्ष के यहाँ पर बैठे माननीय विधायक हो। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मानानीय आर्य जी, कृपया समाप्त करें।

श्री यशपाल आर्य–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने 23 नवम्बर, 2010 को इस प्रदेश के माननीय मुख्यमत्री जी को अन्तिम पत्र लिखा, जिसमें मैंने कहा कि हमारे प्रदेश के माननीय प्रतिपक्ष के विधायकों के साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ पक्षपात होता है। (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आगे भी इस पर विभागवार चर्चा होगी, उस समय आपको मौका दिया जायेगा। कृपया समाप्त करें।

श्री यशपाल आर्य–

मान्यवर, हमारे प्रदेश की सरकार निश्चित रूप से इसके लिए दोषी है। मैं कहना चाहता हूँ मान्यवर, जिला योजना का 50 फीसदी पैसा जिलों में नहीं पहुँच रहा है। मान्यवर, पंचायती राज व्यवस्था को पंगु करने की कोशिश की जा रही है। आज पंचायती राज व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा कर पंगु हो गयी है। (व्यवधान) निश्चित रूप से बेरोजगारी रोकने के लिए, पलायन रोकने के लिए, वन आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। यह अनुसूचित जाति जनजाति और अल्पसंख्यकों के हितों की उपेक्षा करने वाली सरकार है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखण्ड को आने वाले समय में सामाजिक एवं आर्थिक वित्तीय सुनामी में धकेल दिया है, ऐसा मेरा मानना है। आपने मुझे बोलने का समय दिया। इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री यशपाल बेनाम–

माननीय अधिष्ठाता महोदया, आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया, यह मेरा सौभाग्य है। 4 लाईनों से शुरूआत करना चाहूँगा।

जुबां खोलूँगा तो अंगारे बरसेंगे।
बेशक लोग पानी को तरसेंगे।
जहर पिला–पिला कर जमाने ने जहरीला मुझे कर दिया।
अब ये सांप मुझे कितना जो डसेंगे।।

(6 बजकर 01 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री यशपाल बेनाम–

मान्यवर, 4 साल में भारतीय जनता पार्टी का यह चौथा बजट पारित हो रहा है। 2 बजट पूर्व मुख्यमंत्री माननीय भुवन चन्द्र खण्डूड़ी जी द्वारा पेश किये गये और यह दूसरा बजट माननीय मुख्यमंत्री डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक" जी द्वारा पेश किया जा रहा है। मैं अपनी विधान सभा से शुरूआत करना चाहूँगा, वो इसलिए क्योंकि हमारा सौभाग्य है कि दोनों मुख्यमंत्री जो बने हैं, पौड़ी इनका गृह जनपद है। इन 4 सालों में पौड़ी का क्या विकास हुआ है, इससे पूरे प्रदेश के विकास का सहजता से अन्दाजा लगाया जा सकता है। लगातार चार साल से मैं विभिन्न प्रश्नों के जरिये अपने क्षेत्र की समस्याओं को बजट सत्र में उठाता आया हूँ। पहले बजट भाषण में पौड़ी में रोप–वे का निर्माण पी0पी0पी0 मोड से करने की बात कही गयी थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि चौथा

बजट भाषण, जो माननीय मुख्यमंत्री डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक'' जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, इसमें कहीं भी पी0पी0पी0 मोड से किसी भी रोप–वे या किसी भी योजना के बनाने की बात नहीं कही गयी है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। दो घोषणाएं रांसी स्टेडियम और ल्वाली कृत्रिम झील के लिए ₹ 5 करोड़ और रांसी स्टेडियम के लिए, जो कि एशिया में ऊँचाई के हिसाब से दूसरे नम्बर पर स्थित है, के लिए ₹ एक करोड़ की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री श्री भुवन चन्द्र खण्डूड़ी जी द्वारा की गयी थी लेकिन 4 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद इनका क्रियान्वयन न होने के कारण आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि इन 4 सालों में प्रदेश के अन्दर कितना विकास हुआ है।

शिक्षा की जहाँ तक बात की जाय, जब माननीय मदन कौशिक जी शिक्षा मंत्री थे, तो उनके द्वारा तमाम सदस्यों से कहा गया था कि 60 लाख और एक करोड़ की योजनाए, जो इण्टर कॉलेज की क्षतिग्रस्त बिल्डिंग हैं, उनके निर्माण के लिए दीजिए। आज तक उनके लिए भी धन स्वीकृत नहीं हुआ, जबकि बजट में उनके लिए पूरी व्यवस्था की गयी थी। इस बजट में भी उसकी बात की गयी है। स्वास्थ्य की मैं बात करूँगा। मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी के बारे में मैं ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहूँगा। लेकिन श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की दुर्दशा से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी भी अवगत है। जब एम0सी0आई0 की टीम वहाँ आती है, तब फैकल्टीज पूरी कर ली जाती है। उसके बाद क्या दुर्दशा वहाँ की है, यह आप जान चुके हैं कि वहाँ के प्राचार्य द्वारा और अब सी0एम0एस0 द्वारा इस्तीफा दिया जा रहा है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। पर्यटन के बारे में कहना चाहूँगा। आपने इसे पर्यटन प्रदेश के रूप में विकसित करने की बात कही। माननीय नेता सदन भी यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं, यह मेरा सौभाग्य है कि वे इस दौरान उपलब्ध हुए। पर्यटन की बात यहाँ पर की गयी, पौड़ी को पर्यटन सर्किट बनाने के लिए, उसे पर्यटन नगरी घोषित किया गया था, उस पर भी कोई कार्य नहीं किया गया। दूसरी तरफ शहरी विकास विभाग के अन्तर्गत, नगर पालिकाओं के अन्तर्गत अभी तक 73वें और 74वें संविधान संशोधन को लागू नहीं किया गया। पिछले बजट सत्र में जब माननीय रमेश पोखरियाल ''निशंक'' जी ने बजट प्रस्तुत किया था, उसमें प्रदेश को पॉलीथिन मुक्त करने की बात कही गयी थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस पर आज तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गयी।

अभी स्पर्श गंगा की यहाँ पर बात की गयी। यह दुर्भाग्य है कि आज भी कई नगर पालिकाओं के अन्दर कूड़ा निस्तारण और ट्रैंचिंग ग्राउण्ड की कोई व्यवस्था नहीं है। सारा कूड़ा और सारा सीवर नदियों में बह रहा है। राज्य सरकार के द्वारा स्पर्श गंगा अभियान के द्वारा इसको साफ करने की बात कही जा रही है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय यशपाल बेनाम जी, कृपया नीतिगत विषय पर अपनी बात रखें। विभागों की चर्चा यहाँ करने लगेंगे तो विभागवार बजट भी आ रहा है।

श्री यशपाल बेनाम–

मान्यवर, मैंने मुख्यमंत्री जी के पिछले बजट भाषण में भी '108' के लिये काफी तारीफ की थी, भले ही यह केन्द्र सरकार की योजना है, लेकिन प्रदेश सरकार ने इसे लागू किया है। तमाम सदस्यों ने अभी चर्चा के दौरान कहा कि इस सेवा में महिलाओं के प्रसव के लिये महिला चिकित्सक की नियुक्ति होनी चाहिये, मैं उस पर बल देता हूँ। मान्यवर, राज्य आन्दोलनकारियों को सम्मान देने के लिये महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में पहला बिन्दु था, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि किसी भी सदस्य ने बजट भाषण में चर्चा के दौरान आन्दोलनकारियों की बात नहीं की है। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आन्दोलनकारियों को सम्मान देने का राज्य सरकार का जो फैसला नासूर की तरह खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन आन्दोलनकारियों के लिये एक ठोस नीति बनाई जानी चाहिये। मैं प्रदेश सरकार की इस बात के लिये भूरि–भूरि प्रशंसा करता हूँ कि टिहरी झील को जल क्रीडा स्थल और औली को शीतकालीन क्रीडा स्थल के रूप में विकसित किये जाने की बात कही गई है। वहीं इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिये तमाम जिलों में कोचिंग सेन्टर चलाने की भी बात कही गई है, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनको क्रियान्वित भी किया जाना जरूरी है।

मान्यवर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत–बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उनके द्वारा पौड़ी में नर्सिंग कॉलेज स्थापना किये जाने की बात कही गई है, मैं उम्मीद करूंगा कि शीघ्र ही यह कॉलेज स्थापित हो जाय। मान्यवर, मेरी एक मॉग यह भी है कि विधायक निधि बढ़ाई जानी चाहिये। जो लोग इसे समाप्त करने की बात करते हैं, मैं समझता हूँ कि उससे उनकी निष्क्रियता झलकती है। हम जैसे लोगों द्वारा विधायक निधि से तमाम कार्य कराये जाते हैं। माननीय नेता सदन भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं एक निवेदन भी करना चाहूँगा कि '108' सेवा निश्चित रूप से एक संजीवनी के रूप में यहाँ पर आई है और मैं चाहूँगा कि विधायक निधि से सिटी बस क्रय किये जाने का भी प्रावधान होना चाहिये। क्योंकि अभी यात्रा सीजन भी प्रारम्भ होना है, गर्मियां भी आ रही हैं, ऐसे में यात्रियों से मनमाना किराया वसूला जाता है। जहाँ पर सिटी बस चलाये जाने की सम्भावना हो, वहाँ पर चलाया जाना चाहिये, नगर पालिका, नगर पंचायतों और जिला पंचायतों के माध्यम से इन बसों को चलाया जाना चाहिये। मान्यवर, तमाम बेरोजगार लोग किराये पर इन सिटी बसों को चलाने के लिये तैयार रहेंगे, इससे बेरोजगारों को भी रोजगार

मिलेगा और लोगों को भी सहूलियत होगी। मैं अन्त में यही कहना चाहूँगा कि जो भी चीजें बजट भाषण में कही जाती है, वह सब पूरी होनी चाहिये। मै दो लाइनें भी कहना चाहूँगा क्योंकि हम लोग अपनी समस्याओं के लिये "वेल" में भी आते हैं, क्योंकि कई बार स्थिति जब पार हो जाती है तो आना पड़ता है। इसलिये चार लाइनें भी कहना चाहता हूँ कि "खुदा से कुछ माँगता हूँ तो अपना हक समझता हूँ" क्योंकि नेता सदन सदन के अन्दर हमारे खुदा हैं।

"खुदा से कुछ मागता हूँ तो अपना हक समझता हूँ,
लड़ता हूँ लोगो से तो अपना अन्जाम समझता हूँ,
कोई तो बोलेगा, वरना बोलेगा कौन,
तुम्हारी चुप्पी और इनकी बक-बक मैं सब समझता हूँ।"

मान्यवर, आपका विजन ट्वेन्टी-ट्वेन्टी है, इसके लिये मैं आपको शुभकामनायें देता हूँ, लेकिन मेरा विजन सिर्फ ट्वेन्टी है, मुझे सिर्फ 20 किलोमीटर रोड चाहिये। (हँसी)

श्री राजेश जुवांठा-

मान्यवर, पहले तो यह इनको साथ कह रहे थे।

श्री यशपाल बेनाम-

मान्यवर, मैं तो स्वतन्त्र हूँ, निर्दलीय विधायक हूँ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

माननीय शेर सिंह गड़िया जी, समय को देखते हुये यदि आप पांच मिनट में अपनी बात को समाप्त कर लें तो बड़ी कृपा होगी।

*श्री शेर सिंह गड़िया-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे वर्ष 2011-12 के बजट पर अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, वर्ष 2011-12 का बजट आम जनता को राहत देने वाला बजट है, इस प्रदेश के गरीब, मजदूर, महिला, किसान और नौजवानों के लिये हितभागी बजट है। इस बजट से प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का भी हित हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि इस बजट में समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिये समुचित व्यवस्था की गई है, चाहे वह महिला हो, गरीब हो या इस प्रदेश का नौजवान

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

हो, उसके हितों की पूर्ण सुरक्षा इस बजट के द्वारा की गई है। मान्यवर, बजट के अन्तर्गत सभी क्षेत्रों के विकास को विशेष महत्व दिया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, बजट में आम व्यक्ति के दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुएं जैसे आटा, मैदा, सूजी सहित आम जन के उपयोग की वस्तुएं कर से मुक्त की गयी हैं। सरकार का यह सराहनीय कदम है। कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में प्रोत्साहन देते हुए हाथ से बने हुए साबुन, कपड़ा धोने वाले साबुन को वैट से पूर्ण रूप से मुक्त किया गया है। यह बहुत ही सराहनीय कदम प्रदेश की सरकार का है। बजट में प्रदेश के विकास के लिए और अधिक तेजी से आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, पेयजल, सड़क सहित विभिन्न क्षेत्रों में विकास को विशेष महत्व दिया गया है। बजट में प्रदेश के विकलांगजनों का विशेष ध्यान रखते हुए उन्हें अचल सम्पत्ति क्रय पर 5 लाख तक के मूल्य की सम्पत्ति पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की ऐतिहासिक छूट की व्यवस्था की गयी है। इससे इस प्रदेश के विकलांगों का बहुत भला होने वाला है। मैं कहना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष जी, बजट में 1 हजार 374 करोड़ सड़कों के विकास के लिए, 522 करोड़ शुद्ध पेयजल की योजना के लिए जिससे हम जनपद स्तर पर पेयजल की योजना बनाने जा रहे हैं। यह हम सबके लिए बहुत अच्छी योजना होगी।

मैं इस अवसर पर कहना चाहूँगा कि हमारा राज्य प्राकृतिक आपदाओं से अत्यन्त संवेदनशील है। हमारे प्रदेश की सरकार ने विगत वर्ष जब सम्पूर्ण प्रदेश के नागरिक आपदा से जूझ रहे थे तो बहुत संवेदनशीलता का परिचय देते हुए प्रदेश के अन्दर व्यवस्था को सुचारू किया और बजट के अन्दर एयर एम्बुलेंस और इसके अलावा न्याय पंचायत और ग्रामीण अंचलों में जनजागरण का कार्यक्रम दैवीय आपदा के माध्यम से प्रशिक्षण केन्द्र, प्रबन्धन केन्द्र की व्यवस्था की है। निश्चित रूप से यह भी सराहनीय कदम है और मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। ग्राम्य विकास के क्षेत्र में बजट के अन्तर्गत 20 हजार दीन दयाल आवास देने की व्यवस्था की गयी है। यह गरीबों के लिए बहुत कारगर हो सकता है। आने वाले समय में प्रदेश के आम गरीब को इस योजना से लाभ होगा। प्रदेश को ग्राम सुराज की ओर अग्रसर करते हुए न्याय पंचायत स्तर पर बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अटल मिनी सचिवालय की स्थापना करके उत्तराखण्ड की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण सरकार की जो परिकल्पना की है, उसको साकार इस बजट के माध्यम से किया है। मैं इसके लिए सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और इसके अलावा जहाँ दूरस्थ क्षेत्रों में जो बहुत छोटी-छोटी समस्याएं हैं, जहाँ ग्राम स्तर से लेकर तहसील स्तर तक और जिला स्तर तक आने में बहुत लम्बा समय प्रदेश की जनता को लगता है तो इस

सरकार ने एक बहुत बडी सोच को पैदा करके मिनी सचिवालय की संकल्पना को साकार किया है। निश्चित रूप से जो गॉव का गरीब है वो इससे लाभान्वित होगा और जो छोटी–छोटी समस्याए हैं, उनका समाधान त्वरित गति से होगा। मैं इसके लिए सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।

आज पूरे देश में केन्द्र सरकार द्वारा महंगाई का बहुत बडा वातावरण है और पूरे प्रदेश की जनता भी इस महंगाई से अछूती नहीं है और ऐसे समय में उत्तराखण्ड सरकार ने बहुत ही लोकप्रिय योजना जो अटल आदर्श सस्ता खाद्यान्न योजना है, जिससे इस प्रदेश का एक–एक गरीब व्यक्ति, एक–एक बहुत दूर रहने वाला व्यक्ति भूखा न रहे, इस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस लोकप्रिय योजना को लांच किया है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूँ। अटल खाद्यान्न योजना के माध्यम से जहाँ पूरे प्रदेश के गाँव के बहुत दूरस्थ और गरीब लोगों को राहत मिलेगी और इसके साथ–साथ जहाँ हमको लगता था कि पूरे देश के अन्दर महंगाई के झझावात से लोगों को चूल्हा–चौका चलाने में बहुत कठिनाई हो रही है, वहाँ इस सरकार ने राहत देने का काम किया है इसके लिए भी मैं सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मै कहना चाहता हूँ कि राज्य के विकास मे महिलाओं की भागीदारी को सुदृढ करने के लिए राज्य में प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज खोलकर विकास के उत्थान में महिलाओं को कल्याणकारी योजनाओं से जोडने के लिए सरकार ने बहुत सराहनीय प्रयास किया है, इसके लिए मैं प्रदेश की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री शेर सिंह गढ़िया–

मान्यवर, पर्यटन और जडी–बूटी के क्षेत्र में भी सरकार द्वारा बजट में समुचित व्यवस्था की गई है। मै निवेदन के साथ एक सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूँ कपकोट विधान सभा क्षेत्र की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिस प्रकार से पर्यटन के क्षेत्र मे, बहुत सारे क्षेत्रों की इसमें चर्चा की गई है, मेरे पिंडारी का सुन्दर ढुंगा का जो बहुत सुन्दर विश्व प्रसिद्ध स्थल है, इसके लिए मै निवेदन करना चाहता हूँ कि उसके विकास के लिए बजट के अन्दर व्यवस्था की जाय। मान्यवर, जडी–बूटी अनुसंधान केन्द्र की स्थापना के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति की घोषणा की है उसके लिए मै उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, उसके लिए इस बजट के अन्दर व्यवस्था की जाय। इसी के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ तथा अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

मानानीय रावत जी, आप गागर में सागर भर दीजिए।

श्री रणजीत रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, जो बजट पेश किया गया है उसकी हकीकत हमारी विद्वान साथी विधायक बहिन नौटियाल जी ने अभी अपने शब्दों में कही कि उन्होंने अपने क्षेत्र मे जनता दरबार लगाया। वह भी वहाँ पैदल गई और वृद्ध लोग चार–पाँच कि०मी० से पैदल आये। उनमें कई ऐसे वृद्ध थे जिनको दो–दो साल से पेंशन नहीं मिली थी। यह इस सरकार की सच्चाई है कि लोगों को दो–तीन साल से पेंशन नही मिल रही है, आज भी लोग 6–6 कि०मी० दूर से उस बिन्दु पर पहुँचते हैं जहाँ दरबार लगाने वाले भी पैदल गये हैं। मान्यवर, चार साल से प्रदेश में सड़कें नहीं बनी हैं, लोगों को पेंशन नही दी गई है। जो जरूरतमद है, जिसके लिए नीति बनाने के लिए हम यहाँ बैठे हैं और सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि जब वह जनता दरबार मे पहुँचे तो वहाँ 5–5 कि०मी० से वृद्ध लोग आये और उन्होंने कहा कि हमें दो साल से पेंशन नही मिली है। मान्यवर, इस बजट में बहुत कारीगरी की गई है। मैं बाजीगरी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा भी करना चाहूँगा, उन्होंने छूट दी है, छूट किस पर दी ? स्टाम्प ड्यूटी पर 25 परसैन्ट विकलांग लोगों को, जो 80 प्रतिशत विकलांग ऐसा होता है, जिसको अपनी रोजी रोटी की मुश्किल होती है वह जमीन कहाँ से खरीदेगा ? सम्पत्ति कहाँ से खरीदेगा ? न इनको लेना पड़ा न देना पड़ा सिर्फ अपनी वाहवाही कर ली कि हमने छूट दे दी।

इसी तरह मनोरंजन कर में छूट दी गई है। मान्यवर, जिस प्रदेश में गिनती के पिक्चर हाल हो, और वह बन्द हो गये हो, जगह–जगह मॉल खुल रहे हैं। उसमे मनोरंजन कर में छूट दी गई है सिर्फ सिनेमा के टिकटों पर, केबिल पर छूट नही दी गई है जिस पर ज्यादातर लोग मनोरजन करते है। और एक कारीगरी की गई है योजनाओं के नाम बदलने में। हमारी सरकार ने चलायी थी राजीव गाँधी नवोदय विद्यालय योजना, आज जो निर्माणाधीन है, जैसे बागेश्वर का ही है, उसका नाम आज राजीव गाँधी नवोदय/श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्यालय कर दिया गया है। इसी तरह से हर योजना को चाहे वह कन्या धन योजना हो उसका नाम गौरा देवी योजना कर दिया गया। परिवहन, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा आज भी इस प्रदेश के तहसील मुख्यालय, मैं ब्लाक मुख्यालय की बात नहीं कर रहा हूँ, तहसील मुख्यालयों को आज भी सीधे–सीधे राजधानी से परिवहन विभाग नहीं जोड़ पाया है। उनके लिए परिवहन विभाग की कोई बसे नही है, इसलिए लोगों को कितनी कठिनाई हो रही होगी यह समझा जा

सकता है। मान्यवर, उड्डयन, जिससे इस प्रदेश के पर्यटन की अपार सम्भावनायें हैं, उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता था। अगर हम ऐसी नीति बनाते कि हम मुनस्यारी गुंजी, बुँदी, छिपलाकोट, बदियाकोट, हरिकी दून आदि जितने भी हमारे बुग्याल है उनको जोड़ने की नीति बनाते, हैलीकाप्टर के माध्यम से, हैली टूरिज्म के माध्यम से, छोटे चार्टर्ड विमानो के माध्यम से अपने टूरिस्टों को चाहे चिन्यालीसौड हो, पिथौरागढ का हवाई अड्डा हो, उन तक पहुँचाते तो हमारे प्रदेश के पर्यटन का दृश्य ही दूसरा होता।

हमारे प्रदेश में अधिकतर पर्यटक मैदानी क्षेत्रों से आता है और जब वह पर्वतीय क्षेत्रों मे 2 से 4 घण्टे की यात्रा करता है तो उसे उल्टियॉं आने लगती हैं उसका सिर घूमने लगता है और वह यात्रा बीच मे छोडकर ही वापस चला जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो तेजी अपने उडन खटोले के लिए दिखाई, हमारे मीडिया के भाई भी कहते हैं देखो ''निशंक'' जी का औटो आ गया। यदि हम पर्यटन क्षेत्र में उसको लागू करते तो हम निश्चित रूप से यहॉं की पर्यटन की सम्भावनाओं का दोहन कर सकते थे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हमारे विद्वान साथी सिंघल जी ने भी कहा कि 40 प्रतिशत आबादी शहरो में रह रही है। आज भी वहां कूड़ा कचरा है। जैसे ही हम किसी शहर में घुसते है या शहर से बाहर निकलते हैं तो किनारों में ढेर लगा हुआ मिलता है। चाहे वह हल्द्वानी हो, काठगोदाम हो, काशीपुर हो या हरिद्वार मे जब हम आते हैं तो पूरा कूड़े का ही ढेर मिलता है कुम्भ क्षेत्र से उधर को लगा हुआ चण्डीघाट के पास। उसका हमने आज तक कोई इंतजाम नहीं किया है जबकि सिंगापुर जैसे देश अपने जरूरत की एक तिहाई बिजली उस कचरे से बना रहे हैं और अपने खेतों के लिए बागवानी के लिए उससे खाद भी बना रहे हैं। मान्यवर, पेयजल की बात आती है, पिछली बार सिंचाई और पेयजल के बजट में भी मैं देख रहा था उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन इस बार बजट में वह कहीं नहीं है ? अब शब्द आया है माइक्रो स्प्रिंकल जो कम पानी में अच्छा कारगर है लेकिन पानी कहॉं है ? पर्वतीय क्षेत्र में जब तक हम वर्षा के पानी को इकट्ठा करने की कोई नीति नहीं बनायेंगे, कोई नियोजन नही करेंगे तब तक कुछ नही होने वाला। हम हर्बीकल्चर, हार्टिकल्चर, फ्लोरीकल्चर की बात करते है लेकिन पर्वतीय क्षेत्र में जब तक जोत एक नहीं की जाती, हमारी बहुत छोटी–छोटी जोते है। हमारे यहॉं गाढ के नीचे गधेरे से लेकर डाडे के टॉप तक खेत है। जोत बंटी हुई है। हमारा सारा समय उस हल को, बीज को और गोबर को लाने ले जाने मे खत्म हो जाता है। जब तक हम चकबन्दी नही करेंगे, जंगली जानवरों से रक्षा के लिए चाहरदीवारी, हदबन्दी, फेंसिंग नहीं करेंगे और बरसात के पानी को रोकेंगे नहीं तब तक पर्वतीय क्षेत्र में खेती किसानी की बातें करना सत्य से परे है।

श्री अध्यक्ष–

मैंने निवेदन किया था गागर में सागर भर दें।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, आज पहाड़ों में पलायन की समस्या खड़ी हो गई है। आखिर वहॉं कोई युवा रुके भी तो रुके कैसे। उसके खेत जोत बंटी हुई है। आधी नाली यहॉं है, आधी वहॉं है। चार महीने उसने खेती में मेहनत भी की तो कभी–कभी सुअर या अन्य जंगली जानवर आकर एक रात में उसकी मेहनत बेकार कर देता है। पानी की अलग समस्या है, पानी उसके पास है नहीं। जब तक हम इस पर नहीं सोचेंगे तब तक पलायन नहीं रुकेगा। इस बार प्राकृतिक आपदा आई अतिवृष्टि के कारण। यदि हमारे पास उस जल को रोकने के लिए कोई योजना होती तो निश्चित रूप से न तो पहाड़ में तबाही होती और न मैदानी क्षेत्रों में इतनी तबाही हुई होती। इस पर विचार करने की आवश्यकता थी इस बजट में, लेकिन वह कहीं दिख नहीं रही है। मान्यवर, प्रधानमंत्री सड़क योजना और एशियन डेवलपमेंट का जो लोन है उसके अलावा राज्य योजना में सड़कों का काम नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना में भी वर्टिकल टेण्डर लगाये गये हैं, 30 करोड़ का, 40 करोड़ का 50 करोड़ का पैकेज बनाया गया है और हालत यह है कि टेण्डर पड़ने के छ:–छ: महीने बाद टेण्डर फाइनल नहीं हो रहे हैं, स्वीकृति जारी नहीं हो रही है। निगोशेसन बाद में किया जा रहा है। जो बिलो है वह 35 प्रतिशत बिलो है, बाद में उसका फुल स्टीमेट में टेण्डर पास हो रहा है। यह चमत्कार इसी सरकार में हो रहा है। तीन–तीन बार बक्से पिथौरागढ़, अल्मोड़ा से देहरादून आते हैं फिर वापस जाते है। फिर ठेकेदार लोगों को बुलाया जाता है, इकट्ठा बैठाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि तुम फिर दुबारा भरो ऐसा हाल है। जो हमने एशियन बैंक से लोन लिया है वह बहुत बड़ी धनराशि लोन के रूप में हमने ली है। अगर आज आप देखेंगे कि कितनी वित्तीय अनियमिततायें उसमें हैं। मान्यवर, इसमें जो पी0डब्ल्यू0डी0 की दरें हैं उससे कई गुना ज्यादा दरें हैं और जो ठेकेदार आये हैं उन्होंने वहां के जो लोकल बेरोजगार हैं उसमें उनको पेटी पर काम दे रखा है और रेता, रोड़ी आदि सारे चीजें हल्द्वानी की क्वारी से है और रामनगर की क्वारी करीब तीन साल से खुली नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय रावत जी, अपनी बात समाप्त करें।

श्री रणजीत रावत–

मान्यवर, मैं आपका मात्र दो मिनट लूँगा। मान्यवर, जो रेता है, पत्थर है अन्य चीजें है वह सारा लोकल से लिया जा रहा है। मान्यवर, कार्य की गुणवत्ता कुछ भी नहीं

है, मिट्टी लगाई जा रही है। आप चाहेंगे तो मैं स्पेसिफिक जानकारी दे सकता हूँ। मेरे वहां हरड़ा, भिक्यासैंण, रामनगर, रानीखेत जो मोटर मार्ग बना है, उसमें आप जाकर देख लें तो उसमें लोकल का रेत और मिट्टी लगी हुई है और ठेकेदार वहां के लोकल बेरोजगार लोगों से, पैटी कॉन्ट्रेक्ट में काम करा रहा है, उनको पेमेंट नहीं दिया जा रहा है। लोग चक्कर काटते हुए परेशान हैं। मान्यवर, आज हमारा पैसा भी बर्बाद हो रहा है और हम कर्जदार भी बन रहे हैं और हमारे बेरोजगार लोगों को रोजगार भी नहीं मिल रहा है। वे लोग उल्टा कर्जदार हो गये है, उन्होंने लेबरों का पैसा भी देना है। लेकिन ठेकेदार उनका भुगतान नहीं कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ आपने मुझे समय दिया और मैं इस बजट का पुरजोर विरोध करता हूँ, धन्यवाद।

श्री गगन सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया गया जिसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं इस बजट भाषण का समर्थन करता हूँ क्योंकि मुझे आशा ही नहीं वरन् पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो बजट भाषण है, उसमें माननीय मुख्यमत्री जी अवश्य खरे उतरेंगे। मान्यवर, राज्य के पिछड़े विकास खण्डो में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए छात्रावास बनाये जायेंगे। नर्सिंग शिक्षा का विस्तार करने के लिए जनपद टिहरी, अल्मोड़ा, पौड़ी तथा पिथौरागढ़ में नर्सिंग कॉलेज स्थापित किये जायेंगे। सरकार की अच्छी उपलब्धि है। मृतक राजकीय कार्मियों की अविवाहित पुत्रियों को पारिवारिक पेंशन लाभ दिया जायेगा, यह सराहनीय कदम है। मान्यवर, नैनी–सैनी हवाई पट्टी पिथौरागढ़ का विस्तारीकरण किया जा रहा है। दूरस्थ एवं अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे गाँवो में एक लाख परिवारो को अनुदान पर सोलर लालटैन दी जायेगी। प्रदेश के सभी 670 अटल आदर्श गाँवों में पथ प्रकाश हेतु 13 हजार सोलर स्ट्रीट लाइट लगायी जायेंगी। जनसहभागिता से 100 किलोवाट क्षमता तक की 300 परियोजनाओं का निर्माण ग्राम पचायतो तथा समितियों के माध्यम से कराया जायेगा। इसमें सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रदेश में हथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों मे राष्ट्रीय एव अन्तर्राष्ट्रीय पहचान दिलवाने हेतु हिमाद्रि ब्राण्ड को लोकप्रिय किया जा रहा है और स्थानीय शिल्पों के प्रतीक चिन्हों को देश एव दुनिया में पहचान दिलायी जायेगी।

मान्यवर, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गौरादेवी कन्याधन योजनान्तर्गत इस वर्ष जहाँ 12181 छात्राओं को लाभान्वित करते हुए ₹ 20 करोड 42 लाख प्रदान किये गये, वहीं आगामी वर्ष में 14400 छात्राओं के लिए ₹ 30 करोड का प्राविधान किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल

वित्तीय प्रबन्धन से इस प्रदेश को लाभ मिलेगा। मान्यवर, मैं कुछ बिन्दु अपने विधान सभा क्षेत्र धारचूला–मुनस्यारी मे इस सदन के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि इस बजट भाषण में इसका उल्लेख नही किया गया है। मान्यवर, धारचूला विकास खण्ड भौगोलिक दृष्टि से भी अत्यन्त पिछडा हुआ है। मान्यवर, धारचूला और मुनस्यारी के बीच मे लगभग 100 कि0मी0 की दूरी है वहाँ पर कोई चिकित्सालय नहीं है। मात्र एक सामुदायिक केन्द्र धारचूला मे स्थित है। यातायात की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है जिससे वहाँ के नागरिकों को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पडता है। मेरा इस सदन के माध्यम से अनुरोध है बरम में एक 50 शय्या वाले चिकित्सालय की व्यवस्था होनी चाहिए। मान्यवर, इसी के साथ ही धारचूला, मुनस्यारी में 2 महाविद्यालय खोले गये हैं। जहाँ पर अध्यापक भी उपलब्ध नही है। जिसमे बलुवाकोट महाविद्यालय टिन शेडो मे संचालित हो रहा है उसका अपना भवन नहीं है और दूसरा मुनस्यारी क्षेत्र का महाविद्यालय राजकीय इण्टर कॉलेज में संचालित हो रहा है। इन महाविद्यालयो में भवन निर्माण के लिए कोई बजट नही आया है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया संक्षिप्त करें।

श्री गगन सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में यह सरकार बहुत अच्छे कार्य कर रही है और सरकार से आशा करते हैं कि आने वाले वर्ष 2012 मे और अच्छी तरह कार्य करे। मान्यवर, जहाँ तक समाज कल्याण विभाग की बात करते हैं। जहाँ अनुसूचित जाति जनजाति को लाभ देने की बात करते हैं। मान्यवर, आज प्रदेश में सर्वोच्च विधान सभा और सचिवालय है जहाँ पर प्रदेश की सभी समस्याओं का निराकरण और निर्णय किया जाता है वहीं पर सचिवालय में निजी सचिव ग्रेड–1 मे पदोन्नति की पत्रावली को विगत चार माह से यह कहकर लटकाया जा रहा है कि पदोन्नति में एस0सी0/एस0टी0 को उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट ने खत्म कर दिया है जबकि वास्तविकता यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के किसी भी प्रकार के आदेश से उत्तराखण्ड राज्य आच्छादित नहीं होता है क्योंकि राज्य का अपना उच्च न्यायालय नैनीताल में है। मान्यवर, यह आरक्षित पद विगत 10 वर्षों से रिक्त इसलिए चल रहे है क्योंकि आरक्षित अभ्यर्थी उपलब्ध नही थे। जबकि पदोन्नति मे आरक्षण देने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2004 मे अधिनियम बनाया हुआ है लेकिन सचिवालय के कतिपय कार्मिकों एवं प्रशासकीय विभाग के अधिकारियों एवं कार्मिकों द्वारा आरक्षण विरोधी घोर मानसिकता के कारण पदोन्नति की पत्रावली में तीन महीने से किन्तु,

परन्तु लगाकर विलम्ब किया जा रहा है और आरक्षित श्रेणी के कार्मिकों का मानसिक रूप से शोषण किया जा रहा है जो अत्यन्त ही खेदजनक है।

श्री दिनेश अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, अभी कार्य–मंत्रणा में यह बात तय हुई थी कि विभागवार बजट जो कल आयेगा उसकी सामग्री जो है माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दी जायेगी। लेकिन मान्यवर, अभी तक सामग्री उपलब्ध नहीं हो पायी है।

श्री प्रकाश पन्त–

उपवेशन उठने के पश्चात उपलब्ध करा दी जायेगी।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2011–12 में बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डा० "निशंक" ने जो प्रदेश का कर रहित और उसके साथ–साथ सरप्लस बजट पेश किया इसके लिए मैं निश्चित रूप से माननीय "निशंक" जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। चूँकि यह उत्तराखण्ड देश का आदर्श राज्य बने उसके लिए बहुत बारीकी से, बेहतर तरीके से, समन्वय करके यह बजट पेश किया गया है। माननीय अध्यक्ष जी, यह राज्य नवोदित राज्य है और इसकी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद यहाँ के राज्य कर्मचारियों को जिस तरह से छठा वेतनमान दिया गया और उसके साथ ही जिस प्रकार से आज जनता महंगाई से त्राहि–त्राहि कर रही है, दु:खी है, ऐसे में उसको राहत देने के लिए अटल आदर्श योजना के माध्यम से ₹ 2 कि०ग्रा० गेहूँ, ₹ 3 कि०ग्रा० चावल बी०पी०एल० श्रेणी के लिए और ए०पी०एल० श्रेणी के लिये ₹ 4 कि०ग्रा० गेहूँ और ₹ 6 कि०ग्रा० चावल देने के लिये जो सराहनीय काम किया है, मैं निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। मान्यवर, इसके साथ–साथ 50 लाख तक बिक्री वाले रेस्टोरेन्ट में 13.5 प्रतिशत के बजाय 4 प्रतिशत वैट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र राकेश जी, जितना समय आपका निर्धारित था आपने उससे दुगना समय लिया था, अब माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल—

मान्यवर, इसके साथ ही यह प्रदेश शिक्षा का हब प्रदेश बने इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेकों प्राविधान किये है और यह हमारे प्रदेश में जिसमे आई0आई0टी0, आई0आई0एम0, एन0आई0टी0 के साथ 14 विश्वविद्यालय प्रदेश में हैं और उसके लिये माननीय मुख्यमंत्री जी ने नया प्राविधान किया कि स्नातक तक के बच्चो को नि:शुल्क शिक्षा दी जायेगी, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत–बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मान्यवर, ₹ 15 हजार में एम0बी0बी0एस0 की पढ़ाई और इसके अलावा शीर्ष मेरिट मे प्राप्त निर्धन छात्र–छात्राओं को इंजीनियरिंग की नि:शुल्क शिक्षा कराने का जो निर्णय लिया और साथ में प्रदेश में पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज का जो निर्णय लिया, निश्चित रूप से यह ऐतिहासिक कदम हैं और सरकार बधाई की पात्र हैं। माननीय अध्यक्ष जी, शत प्रतिशत साक्षरता हेतु 1–8 तक के लिए हमारे माननीय श्री "निशंक" जी ने नि:शुल्क पुस्तकें देने का निर्णय लिया और इसके साथ ही देव भूमि मुस्कान योजना, सपनो की उड़ान, तेजस्वी लागू की और नई योजना इस बजट में रखी है कि इण्टर परीक्षा मे 80 प्रतिशत तक या इससे ज्यादा अंक जो विद्यार्थी लायेंगे उनको लेपटाप दिया जायेगा, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत–बहुत बधाई देना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं कि बेसिक शिक्षा की अनेकों वर्षों से पृथक निदेशालय की मॉग थी, लेकिन इस सरकार ने जो दरियादिली दिखाई और उसके पृथक निदेशालय की घोषणा की, मैं उसके लिए अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ। मान्यवर, '108' के बारे में हमारे माननीय सदस्यों ने बहुत सी बाते कही हैं तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इनको सच्चाई का बहुत कम ज्ञान है। मैं कहना चाहूँगा कि '108' के कारण आज हजारों–हजार लोगों को जीवन मिला है और 2300 बच्चों ने इस '108' मे जन्म लिया है वो हमेशा इस '108' को दुआयें देंगे, इस सरकार को बधाई देंगे, अब '104' और उसके साथ–साथ जल एम्बुलेंस, हवाई एम्बुलेंस का जो निर्णय हमारी सरकार ने लिया है, निश्चित रूप से हमारी सरकार धन्यवाद की पात्र है।

मान्यवर, हमारे उत्तराखण्ड की संस्कृति हमारे देश मे ही नहीं बल्कि पूरे विश्व मे जानी जाती है, जिसको सहेजने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। प्रदेश मे "हिमालयन संस्कृति केन्द्र तथा हिमालय संग्रहालय" की स्थापना और भारत दर्शन केन्द्र की स्थापना करके यहाँ की संस्कृति को सहेजने का काम किया है। मैं निश्चित रूप से अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत–बहुत बधाई देना चाहूँगा। मान्यवर, किसानो को निवेश तथा तकनीकी जानकारी हेतु सभी न्याय पंचायत मुख्यालय पर "कृषि निवेश आपूर्ति केन्द्र" खोलने का जो निर्णय हमारी सरकार द्वारा किया गया, मैं निश्चित रूप से

सरकार को बधाई देना चाहूँगा। वहीं गन्ना कृषकों को देश में सर्वाधिक गन्ना मूल्य हमारी इस भारतीय जनता पार्टी की निशंक सरकार ने दिया इसके लिए हमारी सरकार बधाई की पात्र है। माननीय अध्यक्ष जी, पशुपालन के क्षेत्र में ''पशु सेवा केन्द्र'' विकास खण्ड स्तर पर ''चारा बैंक'' की स्थापना करके हमारी सरकार ने किसानों की वाहवाही लूटने का काम किया है। मान्यवर, महिला उत्थान के लिए माननीय विधायक ने जो भी कहा है, लेकिन नन्दा देवी कन्या धन योजना की राशि ₹ 5 हजार से बढ़ाकर ₹ साढ़े सात हजार करने का जो निर्णय लिया है उसके लिए मैं अपनी सरकार को बारम्बार बधाई देना चाहूँगा।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा यह प्रदेश, जहाँ अनेकों बुग्याल हैं, पर्यटक स्थल के नाम से प्रचलित है यह हमारा खूबसूरत पर्यटक क्षेत्र है। मान्यवर, यह हमारा खूबसूरत उत्तराखण्ड है जहाँ बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुण्ड साहिब, पिरान कलियर जैसे अनेक देवी/देवताओं का यहाँ पर प्रवास है, अनेकों मंदिर एवं देवालय यहाँ पर है। यहाँ पर गंगा के नाम से आज पूरे विश्व के लोग इस धरती पर आते हैं और महाकुम्भ इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मान्यवर, जहाँ लगभग एक सौ देशों से भी ज्यादा देशों के लगभग साढ़े आठ करोड़ लोगों ने गंगा स्नान करके यह जता दिया कि उत्तराखण्ड की धरती जो देवतुल्य धरती है और इसको आगे बढ़ाने का कार्य जिस प्रकार से, इसको विश्व पर्यटन संगठन के सहयोग से मास्टर प्लान बनाने का जो कार्य हमारी सरकार ने किया है इसके लिए निश्चित रूप में, मैं अपनी सरकार को बधाई देना चाहूँगा। माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि मेरे क्षेत्र में कुछ ऐसे कार्य हुए हैं, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। मान्यवर, जिस प्रकार से देववाणी संस्कृत को द्वितीय राजभाषा घोषित करने का काम और इसमें हरिद्वार और ऋषिकेश को संस्कृत शहर बनाने का जो कार्य किया है, इस हेतु मैं निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। मान्यवर, गौ वंश हत्या पर जो रोक लगाने का कार्य हमारी सरकार ने किया है। इसके साथ-साथ मैं कहना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र में जहाँ सजय झील निर्माण, जहाँ सूर्यधार में बहुउद्देश्यीय योजना, जहाँ मालदेवता रायपुर रोड से होते हुए पुल्लु को पर्यटन क्षेत्र घोषित करने की योजना, गौहरीमाफी रायवाला में सड़क निर्माण, हाथियों से मारे जा रहे लोगों की रोकथाम एवं बाढ़ नियंत्रण एवं ऋषिकेश में बस अड्डा एवं महाविद्यालय की माँग करता हूँ। चूंकि मैंने छोटी सी दो लाईनें लिखी हैं उसको मैं जरूर बोलना चाहूंगा.-

चार साल में भाजपा सरकार ने किया कमाल।

देश का आदर्श राज्य बनाने का, हमारा सपना हुआ है साकार।।

रोजगार परक बनी मेरी चरक की ये पावन धरती।

पूजी गई जीवनदायनी बारम्बार।।

मात्र 15 हजार में डाक्टर डिग्री, मुराद पूरी करती हमारी योजना आशीर्वाद।

शिक्षा का हब बना मेरा उत्तराखण्ड, देव वाणी का हुआ सम्मान।

मातृभूमि की बड़ी शक्ति, किया नारी का पूरा सम्मान।

सैनिकों का मान है, उत्तराखण्ड की शान।।

उमड़ा जब साढ़े आठ करोड़ से अधिक जन सैलाब, किया महाकुम्भ में कुशल संचालन।

हुआ सम्पन्न जो वह निर्विघ्न।।

बी0पी0एल0 परिवार को सस्ता राशन।

प्रत्येक बूढ़े, विधवा, विकलांग को पेंशन दी खूब।।

दुनिया देख रही अब खुली आंखों से सपना।

सोचा उत्तराखण्ड जैसा ही राज्य हो अपना।

मुख्यमंत्री निशंक जी ने खोली तोहफों की झोली।

हर एक जनता वाह–वाह बोली।।

चार साल में भाजपा सरकार ने किया है कमाल।

खोलती गई, विकास के द्वार पे द्वार।।

मान्यवर, बहुत–बहुत धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

इसमें व्यवस्था का प्रश्न कहाँ से आ गया। कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री तिलक राज बेहड़–

मान्यवर, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि सरकार किताबें बांट रही है, क्या ऐसी किताबें बांट रही है कि बाहर लिखा है वर्ष 2010–11 और अन्दर वर्ष 2009–10 लिखा हुआ है, क्या ऐसी किताबें बांटी जा रही हैं ? यह तो बहुत बड़ा घोटाला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने समय कम होने के बावजूद भी मुझे बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय प्रेमचन्द अग्रवाल जी को एक शेर सुनाना चाहता हूँ, जो प्रो0 वसीम बरेलवी जी का है–

''कभी लफ्जों से गद्दारी न करना, गजल पढ़ना, अदाकारी न करना।''

मान्यवर, मैं कमल का फूल ही आपको दिखाने जा रहा हूँ, इस समय तकनीकी बातों में जाने का वक्त नहीं है। आपकी सरकार जिस मैनीफेस्टो पर चुनकर आयी थी, वह मेरे हाथ मे है। इसमें खास तौर से पिछली कांग्रेस सरकार की खिंचाई आपके इस मैनीफेस्टो में की गयी है और खास तौर से महंगाई को आपने मुद्दा बनाया था। मान्यवर, उसमे जो सबसे बड़ा मुद्दा आप लोग लेकर चलते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को लेकर। पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर, जो कि पूरी महंगाई की जड़, पूरी अर्थव्यवस्था की जड़ मानी जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल इलाके में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल, ₹ 2–3 तक का फर्क है, इन इलाकों और हमारे प्रदेश में। क्या बता देना चाहते है आप अपनी इन बातो से, अपनी काल्पनिक बातो से। सबसे महंगा पेट्रोल, सबसे महंगा डीजल। महंगाई बढ़ाने की जड़ पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं। मान्यवर, इसी मैनीफेस्टो में आप लाल बत्ती, उदासीन निरंकुश नौकरशाही, महंगाई ये सारी बातें कहते है और वही सारी बातें आज हमारे सामने, आपके सामने यह सरकार दोहरा रही है। देखने को मिल रहा है, वही लाल बत्तियाँ, वही नॉन प्लान के खर्चे, सारी काल्पनिक बाते है। बजट की तारीफें की गयी हैं। बहुत ज्यादा टैक्निकल बातों को मैं समझता हूँ टाईम नहीं है, बहुत टैक्निकल बाते करने का समय नहीं है। एक–दो मिनट बोलने पर ही माननीय अध्यक्ष जी टोक देंगे।

माननीय मुख्यमंत्री जी, आप लोग जो रिवेन्यू जेनरेट कर रहे है, मैं समझता हूँ कि उसका 110 प्रतिशत तो पेंशन और सैलरीज में चला जाएगा। मुझे तो सबसे ज्यादा दिक्कत और तकलीफ उन लोगों के बारे में सोच कर होती है, जो आपका वित्त विभाग सम्भालते हैं। हो सकता है वे रोज सी0एम0आई0 मे बैठे रहते होंगे, अपना कार्डियोलॉजी टेस्ट कराने के लिए। रोज दिल धड़–धड़ करता होगा, सुबह ही साढ़े नौ बजे ही आर0बी0आई0 से एक लव लेटर आ जाता होगा कि आज सिर्फ इतना रुपया आपके पास है, यही बिल आपके क्लियर हो सकते है। उसकी कॉस्ट आपका डिपार्टमेंट कहाँ से अदा

करता है, पेंशन रोक दो, समाज कल्याण की योजनाओं की पेंशन रोक दो। डेढ़–डेढ़, दो–दो साल हो गये, पेंशन मिले हुए। डेढ़–डेढ़, दो–दो साल हो गये स्कॉलरशिप मिले हुए। गरीब व्यक्ति, जिसको अपनी आवाज उठाने का मौका नहीं मिलता है, जो निर्बल है, उसकी कॉस्ट पर आप अपने बिल क्लियर करते हैं। आप लोग जनता दरबार लगा रहे हैं। जनता दरबार लगा कर आंकड़े पेश कर रहे है कि इतने लोग आए। आप इसको तारीफ समझ रहे हैं, मैं उसको कमी मान रहा हूँ। क्या वजह है जनता दरबार लगाने की, क्या वजह है तहसीलदार की शिकायत, पटवारी की शिकायत डी0एम0 के पास जाने की और क्या वजह है माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाने की ? क्यों नहीं तहसीलदार काम कर रहा है, क्यों नहीं समाज कल्याण अधिकारी काम कर रहा है, क्यों नहीं कोतवाल काम कर रहा है ? यानि कहीं न कहीं प्रशासन पर सरकार की पकड़ नहीं है। जो चीज आप बड़ाई में ले रहे हैं, तारीफ में ले रहे हैं, मैं बड़े खेद के साथ कह रहा हूँ कि यह आपकी तारीफ नहीं, आपकी कमी है। आपकी कमी उजागर हो रही है कि जितने लोग जनता दरबार में, या अलग–अलग नाम से आप जो कैम्प लगा रहे हैं, उनमें जो लोग आ रहे है, वह आपकी कमी है। शायद संभलने का वक्त निकल चुका लेकिन थोड़ा बहुत समय यदि आप समझते हो कि संभलने का है, तो कोशिश कीजिए। हो सकता, ये लोग तो इधर आकर बैठ गये लेकिन मैं नहीं समझता कि आप लोगों को इधर बैठने का अवसर भी प्राप्त होगा।

श्री अध्यक्ष–

आप असली शुभचिन्तक हैं।

काजी मो0 निजामुद्दीन–

मान्यवर, वर्ष 2006 में पावर जैनरेशन के कई हजार मेगावाट के प्रोजेक्ट यहाँ केन्द्र सरकार ने एप्रूव किये थे। मैं नहीं समझता कि यह सरकार आज तक उनकी डी0पी0आर0 तैयार करवा पायी होगी। केन्द्र सरकार की जो 100 प्रतिशत योजनाएं हैं, एम0एस0डी0पी0 जैसी, उनका पैसा इस्तेमाल करने में इनको परहेज भी है और तकलीफ भी है और कर भी नहीं पा रहे हैं। मान्यवर, डिस्ट्रिक्ट प्लान की स्थिति बहुत खराब है। हरिद्वार जिला हमारा सबसे ज्यादा आबादी वाला जिला है, सबसे ज्यादा रिवेन्यू जैनरेट करके देने वाला जिला है, उसके लिए सिर्फ 33 करोड़ का जिला प्लान इस सरकार ने एप्रूव कर रखा है। मान्यवर, आज तारीख देखिए, आज ही का आंकड़ा यह है कि इस ₹ 33 करोड़ में से ₹ 23 करोड़ ही सरकार ने अभी तक रिलीज किये हैं। बाकी ₹ 10 करोड़ कब रिलीज होंगे, ये सरकार जवाब देगी। मान्यवर, इस सरकार ने ऋण न लेने की बातें की। पिछले 4 साल से तो हुकूमत आप ही कर रहे हैं। आपकी देनदारियाँ,

आप जो प्रिंसिपल और इन्ट्रेस्ट मिलाकर आप जो लोन ले रहे हैं, उससे ज्यादा बैठ रहा है। एक फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति है। बजट स्पीच तो उस समय सुनने का अवसर नहीं मिला, लेकिन आपने बजट का जो मसौदा दिया, उसको ले जाकर पढ़ने का अवसर मिला, तो ऐसा ही लगा कि जैसे कोई शायर पढ़ दे। गाने होते हैं कि ''चांद तारे तोड़ लाऊं'', इस तरह के भाव हैं। मान्यवर, यह बजट भाषण एक ऐसा काल्पनिक दस्तावेज है, जो अतिशयोक्तियों से भरा हुआ है। यह स्पीच जरूर किसी गद्य पुरस्कार के लिये भेजी जानी चाहिये, उसमें इसमें जरूर जगह मिल ही जायेगी, नोबेल प्राइज आदि की हम लोग उम्मीद करते रहते हैं, यदि इसे मारीशस भेजा जाय तो डेफनिटली वहाँ से इसे प्राइज जरूर मिल जायेगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

*श्री केदार सिंह रावत-

मानानीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे सामान्य बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मान्यवर, माननीय ''निशंक'' जी ने जब पिछले वर्ष अपना बजट भाषण प्रस्तुत किया था तो मैंने उस समय भी एक किस्सा सुनाया था और एक कहावत भी कही थी। लेकिन आज वह किस्सा तो नहीं सुनाऊंगा, क्योंकि समय कम है, लेकिन कहावत दोबारा दोहराना चाहता हूँ जो कि इस बजट के परिप्रेक्ष्य में है, हमारे पहाड़ में एक कहावत है कि ''काटि बाकरू, भडेई कुखड़ू, अरू परोसदि बखत लिगडा को टुकडू।'' इसका हिन्दी अर्थ है कि काटते समय तो बकरा दिखाया गया और भूनते समय मुर्गा दिखाया गया और जब परोसा गया तो हमारे यहाँ एक हरी सब्जी होती है, लिगडा, उसे परोसा गया। इसी प्रकार से दिखाया तो बहुत गया लेकिन परोसते समय जनता को बेवकूफ बनाया गया। (हँसी) इसके अलावा हमारे यहाँ कहा जाता है कि ''दिखाई निन्ना अरू चखाई पिन्ना''

श्री अध्यक्ष-

माननीय केदार सिंह जी, आपको इसका बहुत अनुभव है।

श्री केदार सिंह रावत-

मान्यवर, क्योंकि सपने तो बहुत दिखाये जाते हैं, लेकिन काम कुछ नहीं होता है, बहुत सारे सपने दिखाये गये जैसे निन्ना या सरसो और चखाते समय तेल की पिलाई के बाद जो खल निकलती है, वह दे दी गई। मान्यवर, इस बजट मे कई बातें आई हैं, अटल आवास योजना की भी बातें आई हैं, पहले भी आम्बेडकर ग्राम और गांधी ग्राम होते

---

* सदस्य ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

थे। साथ ही कांग्रेस सरकार के समय में जो स्पेशल कम्पोनेंट विलेजेज चयनित किये थे, जहाँ पर 40 प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी वाले होते है, उनको विकसित करने के बजाय आपने अटल आदर्श ग्राम, मिनी सचिवालय की बात की है, यह सब हवा-हवाई है। मान्यवर, इसमें यह भी बताया गया कि 500 से अधिक गाव सड़को से जुड़ गये हैं, मै समझता हूँ कि मात्र एक प्रतिशत ग्रामों में ही इन्होने सड़क बनाई होगी। क्योंकि जितने भी न्याय पंचायत के मुख्यालय गॉव है, वह पहले ही सड़क से जुड़ गये थे, अपने विधान सभा क्षेत्र के अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि कोई इक्का-दुक्का गॉव ही होगा, जो इनकी योजना से सड़क से जुड़ा होगा।

मान्यवर, इसी प्रकार से शीतकालीन चार धाम योजना का बड़ा ढिंढोरा पीटा गया, लेकिन उस शीतकालीन योजना के लिये क्या कार्य योजना सरकार ने बनाई, क्या उसका बजट में प्रावधान किया और क्या अवस्थापना विकास की सुविधायें वहाँ पर जुटाई गई, इस बारे में बजट भाषण में कोई उल्लेख नही किया गया है। जनहित के विषयो पर जो हमारे नये राज्य की परिकल्पना थी कि उत्तराखण्ड राज्य में छोटी प्रशासनिक इकाइया होंगी, छोटे जिले, छोटी तहसीलें और छोटे विकास खण्ड होंगे। हमारे कई साथी भी इसके लिये आन्दोलित हैं, पूरे प्रदेश में नये जिलों की मॉग उठ रही है, चाहे यमुना घाटी का बड़कोट जिला हो, नरेन्द्रनगर हो, कोटद्वार हो, धूमाकोट हो, रानीखेत हो, प्रतापनगर हो, खटीमा हो, किसी भी जिले के लिये इस बजट में कोई व्यवस्था नही की गई है। यह बजट उत्तराखण्ड राज्य की परिकल्पनाओं के विरुद्ध है, विकलांगों के लिये, भोजन माताओं के लिये, आंगनबाडी कार्यकत्रियों के लिये, आशा कार्यकत्रियों के लिये, गुरिल्ला प्रशिक्षित, पी०टी०सी० वर्कर्स के लिये, उत्तराखण्ड आन्दोलनकारियों के लिये और आन्दोलन में हुतात्माओं के लिये उनके सम्मान के लिये भी कोई प्रावधान इस बजट में नही किया गया है।

मान्यवर, चिन्यालीसौड और देवीसौंड के बीच में जो मोटर पुल बनना है श्रीमन्, जिससे लगभग 42 गॉव की आबादी और प्रतापनगर जो तहसील है हमारे टिहरी जनपद की उनकी आबादी को जो आवागमन की असुविधाए हो रही है, उसके लिए कोई प्राविधान इस बजट में नहीं किया गया है। चिन्यालीसौड और बड़कोट के विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। बड़कोट में पॉलीटैक्निक और ब्रह्मखाल में आई०टी०आई० खोलने के लिए इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है। एन०एन०डी० में जो शिड्यूल ऑफ न्यू डिमांड हैं, उसमें घोषणाओं के आधार पर कोई भी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा नही की गयी है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव विद्यालय जो पहले ही राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के नाम पर खोले गये थे,

उनमें किसी भी शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पदों के सृजन की कोई व्यवस्था नहीं है। (व्यवधान) मान्यवर, मैं एक मिनट में अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण जो पर्वतीय क्षेत्र में, वैसे पूरे प्रदेश में जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की योजना है, स्वैच्छिक चकबंदी योजना उसके लिए कोई भी प्राविधान इस बजट में नहीं किया गया है और चार साल से जहाँ बीप और खरसाली गाँव में जहाँ पहले से ही स्वैच्छिक चकबंदी हो रखी है, वहाँ ये सरकार चार साल से रिकार्डों में इम्प्लीमेंटेशन तक नहीं करवा पायी है। तो ये साफ परिलक्षित होता है कि सरकार का कृषि और ग्रामीण विकास पर आधारित इस बजट पर कोई प्राविधान नहीं है मान्यवर।

समाज कल्याण विभाग के बारे में, मैं मान्यवर, ये विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि जो नया क्रान्तिकारी अधिनियम केन्द्र सरकार के द्वारा जो अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी अधिकार अधिनियम जो लागू किया गया है उसमें समाज कल्याण विभाग की ओर से उन समितियों को प्रशिक्षण दिया जाना था, उस अधिनियम को लागू किया जाना था और बहुत महत्वपूर्ण है मान्यवर, ये क्योंकि उसमें विकास के कार्यक्रमों के लिए 75 वृक्षों तक और एक हेक्टेयर भूमि ग्राम प्रधान की अध्यक्षता वाली ग्राम विकास समिति जो है दे सकती है जिससे सारे विकास कार्यों के रास्ते खुल सकते हैं मान्यवर। उसके लिए भी समाज कल्याण विभाग के बजट में कोई भी प्राविधान नहीं किया गया है और ये सरप्लस बजट गलत बताया गया है, 690 करोड़ का लोन जो है लोक लेखा से ले करके इसके सरप्लस बजट जो हैं फर्जी आंकड़ों के आधार पर दिखाने की कोशिश की गयी है। मैं इस बजट का घोर विरोध करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेगी जी, पाँच मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

श्रीमन्, औरों को 10 मिनट और हमको पाँच मिनट, हमेशा यही होता है मान्यवर।

श्री अध्यक्ष–

अरे शुरू करिये, शुरू करिये। दस मिनट चलिये।

श्री बलबीर सिंह नेगी–

मान्यवर, मैं घनसाली विधान सभा क्षेत्र के सीमान्त गाँव पिन्स्वाड़ जो 10 हजार फिट की ऊँचाई पर स्थित है, भ्रमण पर गया था और जैसे ही मुझे इस बजट सत्र की सूचना मिली तो मैं इस बजट सत्र में भाग लेने के लिए राजधानी देहरादून की ओर भागा।

यह भावना कुछ ऐसा ही था जैसे एक गरीब आदमी तब भागता है जब उसे पता चलता है कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर सस्ती चीनी आयी है। श्रीमन्, माननीय नेता सदन द्वारा प्रस्तुत बजट को पढ़कर प्रदेश के लोगों के मन में, प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीति के लिए घोर तिरस्कार और विरक्ति के भाव जगे है। ये भाव कोई व्यंग्य है या प्रदेश सरकार की गलत नीतियों का मखौल। श्रीमन्, यह कहावत है कि ''घर में नहीं खाने को और अम्मा चली भुनाने को।'' मान्यवर, प्रदेश सरकार बजट में बड़ी–बड़ी घोषणायें करती है। लेकिन बीते बार वर्षों बाद भी यदि जनता को बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधायें नहीं मिल पायीं तो सरकार की घोषणाओं पर सवाल उठाना स्वाभाविक है। श्रीमन्, सबसे अधिक 90 फीसदी केन्द्रांश की योजनाओं का लाभ उठाने में प्रदेश सरकार बिल्कुल नाकाम रही है, राज्य की झोली में 17 योजनाओं का 887.52 करोड़ से ज्यादा धन बगैर खर्च के पड़ा है। हमारा कहना है प्रदेश सरकार से कि आज हमें उन क्षेत्रों में निवेश करना होगा जहाँ रोजगार और ऊर्जा के उत्पादन की अपार सभावनायें हों, लेकिन प्रदेश सरकार इसका उल्टा कर रही है। भैरवघाटी लघु जल विद्युत परियोजना जिस पर ₹ 600 करोड़ से भी ज्यादा विनिवेश हो गया हो, जो लगभग 430 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखती थी, जिस पर लगभग पाँच हजार नौजवान रोजगार याफ्ता थे, एक कानपुर के अग्रवाल के साथ चन्द मुट्ठीभर लोगों के कहने से प्रदेश सरकार उसको बन्द करने की संस्तुति केन्द्र सरकार को भेजती है। और आज यह बंद पड़ी है। लघु जल विद्युत परियोजना प्रदेश के लोगों का सशक्तीकरण का अभियान है। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, ऊधमसिंह नगर, टनकपुर, काशीपुर और रुद्रपुर, ऋषिकेश, विकासनगर तथा रुड़की आदि बड़े शहरों की बढ़ती आबादी पहाड़ के गाँव के लोगों के पलायन की पीड़ा है। यह इस बात का सबूत है कि पहाड़ के गाँव में विकास कार्य नहीं हो रहे है। मान्यवर, लगातार कायम असमानता, अप्रभावी सार्वजनिक सेवायें, कमजोर उत्तरदायित्व व्यवस्था और गरीबोन्मुख नीति के क्रियान्वयन का अन्तर इस वित्तीय वर्ष के लक्ष्य के मार्ग की सबसे बड़ी बाधायें हैं। हमें अपने प्रयासों से, क्रियान्वयन से, पारदर्शी निगरानी से एक नई स्फूर्ति भरने की जरूरत है। इस काम में मिली असफलता प्रदेश के गरीबों के प्रति नाइंसाफी होगी। श्रीमन्, आज राज्य का बेशुमार कर्ज, कमजोर वित्तीय व्यवस्था और पावर की कमी से घिरी वैलफेयर स्टेट की ''निशंक'' सरकार का अब राज्य में फेयरवेल हो सकता है, नतीजा तो वक्त बतायेगा।

*श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, आप तो कई बार के विधायक हो, आप तो झूठ मत बोलो।

* सदस्य ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री बलबीर सिंह नेगी—

जो आपने यह बात कह दी तो मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ जो पावर का सवाल है। माननीय मुख्यमंत्री जी के गाँव पिनानी मे इतना कम वोल्टेज है, वहाँ के लोग मिले थे तो कह रहे थे इतनी कम वोल्टेज है कि मोबाइल भी चार्ज नहीं हो सकता है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी के गाँव के यह हाल है तो प्रदेश के गाँव के लोगों का क्या हाल होगा यह अंदाज आपसे बढ़कर और कौन लगा सकता है। क्योंकि हम जानते है कि हीरे के गुणों की परख के लिए आप जैसे जौहरी की आँख चाहिए। रिझाने वाले रूप के लिए रीझने वाली आँखें भी चाहिए। श्रीमन्, आज इस सरकार की हालत जुम्मन भाई की तरह हो गई है। एक बार जुम्मन भाई रिफाइण्ड ऑयल खरीदने के लिए डिपार्टमैन्टल स्टोर गये तो कैशियर ने उनसे दो सौ रुपये मांगे तो जुम्मन भाई ने कहा कि पैसे तो मैं दे रहा हूँ पहले तुम मुझे फ्री फैट तो दो। उसकी समझ मे नहीं आया कि आखिर फैट क्या बला है ? लेकिन जुम्मन भाई अपनी जिद्द पर अड़े थे कि फैट तो वह लेकर ही रहेगे। बहस सुनकर डिपार्टमैन्टल स्टोर का मैनेजर वहाँ पर आया तो जुम्मन भाई उससे कहने लगे कि क्या आप मुझे मूर्ख समझते है। जब रिफाइन्ड ऑयल का पैसा मैं दे ही रहा हूँ तो फ्री वाला फैट क्यो नहीं दे रहे हो। तो मैनेजर ने कहा कि आपको किसने बताया कि हमारे यहाँ फैट भी मिलता है। तो जुम्मन भाई ने रिफाइन्ड ऑयल का पैकेट अपने हाथ मे लेकर दिखाया कि आपने ही तो इसके रैपर मे लिखा है, फैट फ्री। जब मैं पैसे दे ही रहा हूँ तो आप मुझे फ्री वाला फैट क्यों नहीं दे रहे हो। आज प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार से जुम्मन भाई की तरह फ्री वाले फैट की माँग कर रही है। आज प्रदेश के पावर स्टेट के सिद्धान्त ने ही पावर स्टेट को औंधे मुंह पटक दिया है।

श्री अध्यक्ष—

कृपया स्थान ग्रहण करें।

*श्री गोपाल सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट भाषण में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। बजट भाषण मे जनता को ख्वाब दिखाये गये हैं ख्याली पुलाव दिखाये गये है, मैं इस बजट का विरोध करता हूँ। यह बजट भाषण गरीब विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और अनुसूचित जाति जनजाति विरोधी है। मान्यवर, बजट भाषण में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए बहुत सारी योजनायें बताई गई हैं। इतना धन आता है लेकिन उनके हित के लिए धन खर्च नहीं हो पाता है। मान्यवर, आकड़े

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बताते हैं जो पैसा एस0सी0पी0 और टी0एस0पी0 में आता है वह खर्च नहीं हो पा रहा है। मान्यवर, मेरे पास 20 मार्च की रिपोर्ट है जिसके अनुसार 42.53 प्रतिशत ही पैसा 20 मार्च तक खर्च हुआ है। आज 24 मार्च है तो ऐसे में अनुसूचित जाति के लोगों का कल्याण कैसे होगा। यह विचारणीय विषय है। मान्यवर, धरातल पर कुछ होने नहीं जा रहा है। कहीं पर भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का विकास नहीं हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी बात यह है कि समाज कल्याण विभाग का, अनुसूचित जनजाति विकास का अभी तक कोई विभागीय ढांचा तैयार नहीं हो पाया है। मान्यवर, इनका ब्लाक स्तर पर कोई बाबू नहीं है, अधिकारी नहीं है, कौन काम करेगा। मान्यवर, इसके लिए बजट भारत सरकार से आता है, इनके लिए कोई स्टाफ नहीं है कि कैसे उस बजट को खर्च किया जाय, कैसे उसके निर्माण कार्य कराये जाय। हम दूसरे विभागों की ओर नजर करते है और कहीं खर्च नहीं हो पाता है। मान्यवर, इनका मण्डल स्तर पर कोई ढांचा नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, कौन देखेगा मण्डल के विकास को। मान्यवर, सतयुग की तरह अनुसूचित जनजाति के बच्चे उन आश्रम पद्धति विद्यालयों में पढ़ रहे है। मान्यवर, हमारी सरकार ने देहरादून में एक एकलव्य नवोदय विद्यालय खोला है, हमारे प्रदेश के जितने भी आश्रम पद्धति विद्यालय है उन्हें एकलव्य नवोदय विद्यालय के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए तब जाकर अनुसूचित जनजाति के लोगों को कल्याण होगा। मान्यवर, आई0टी0आई0 खोल दिये है एस0सी0/एस0टी0 के लिए, परन्तु उनमें अनुदेशक नहीं है। वहॉं पर पहले तो स्थाई नियुक्ति करे, लेकिन तब तक संविदा पर टीचर दे दे। संविदा पर भी कोई अनुदेशक नहीं है।

मान्यवर, पेंशन की बड़ी बात कही है विधवा, विकलांग, वृद्ध पेंशन, लेकिन दो साल से यानी दो वित्तीय वर्ष हो गये है, जिले में इनकी वित्तीय स्वीकृति जारी हो गयी है लेकिन सरकार के स्तर पर उन्हें अभी तक पेंशन नहीं दी जा रही है। मान्यवर, ट्रायबलसब प्लान में हमारे प्रदेश के दो जिले हैं, देहरादून और ऊधमसिंह नगर जिले हैं। टी0एस0पी0 अन्तर्गत 4 वर्ष में खटीमा नगर में एक कि0मी0 सड़क भी नहीं बनी है। आप अन्दाजा लगा सकते है कि कैसा इन लोगों का क्या कल्याण हो रहा है। मान्यवर, हम उत्तराखण्ड का विकास कर सकते हैं परन्तु यहॉं पर लम्बे चौड़े भाषण दिये जा रहे है सरकार की तरफ से, लेकिन धरातल पर क्या हो रहा है यह जनता जानना चाहती है सरकार से। मान्यवर, पर्यटन क्षेत्र में यह सरकार क्या काम कर रही है जबकि हमारे अनेक प्राकृतिक स्थल हैं, चार धाम है और हमारे धार्मिक स्थल हैं जैसे चम्पावत में ध्यान धुरा, बाबा श्यामलाताल है उसको विकसित कर सकते हैं और नानक सागर डाम पर्यटन की दृष्टि से विकसित करें और उनको विकसित करके वहॉं के नौजवानों को रोजगार दे सकते है। मान्यवर, पर्यटन के क्षेत्र में विकसित करने की आवश्यकता है। मान्यवर,

पहाड़ों से युवा पलायन कर रहा है और आप हर बार कह रहे हैं कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी हम रोकेंगे। कैसे रुके पहाड़ का पानी कैसे रुकेगी वहाँ जवानी ? मान्यवर, मैं पहाड़ों में गया हूँ, सारे के सारे खेत उन गाँवों के विरान पड़े हैं और सूखे पड़े हैं और बाग विरान पड़े है। उनके विकास की कोई योजना नहीं है और हमारे पहाड़ के युवा भाई दिल्ली और बम्बई जा रहे हैं। उसके लिए रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं की है। उनके लिए हमने न लघु उद्योग की व्यवस्था की है और न उद्यान की व्यवस्था की है, इनके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम दुग्ध डेयरी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। मान्यवर, यह विचारणीय विषय है इसमें विचार किया जा सकता है।

मान्यवर, वन के क्षेत्र में कहना चाहता हूँ कि उत्तराखण्ड का 65 प्रतिशत वन आच्छादित क्षेत्र है। हम मात्र वन निगम पर आधारित है। मान्यवर, पहले होता था कि हम प्राईवेट ठेकेदार को ठेका देते थे। वह दुर्गम से दुर्गम स्थान से इमारती एवं जलाने की लकड़ी निकाल लाता था। लेकिन वन निगम आज लकड़ी सुविधा वाले क्षेत्र से ले आता है। लेकिन दुर्गम स्थानो की लकड़ी, चाहे वह कितनी ही कीमती लकड़ी हो, बढ़िया लकड़ी हो वहीं सड़ जाती है, नष्ट हो जाती है, उसे देखने वाला कोई नहीं है। इसके लिए कोई नीति बननी चाहिए कि हम इसका लाभ ले सकें। माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो बहुत '108' की बात कही गयी। अस्पताल में चिकित्सक नहीं हैं, न सर्जन है, बहुत दिक्कत है। विद्यालयों मे शिक्षक नही हैं। बेचारे हमारे बी0टी0सी0, बी0एड0, बी0पी0एड0, शिक्षा मित्र सब आंदोलित हैं। क्यो नहीं जल्दी से जल्दी जिन विद्यालयों में ताले पड़े हुए है वहाँ पर अध्यापकों की नियुक्ति कर दी जाए। चिकित्सालयों की यह हालत है, मैं गया था एक मरीज को देखने खटीमा अस्पताल में, तो वहाँ न तो सर्जन है न चिकित्सक है। कहीं डाक्टर है ही नहीं और गया तो जहाँ पर मरीज होने चाहिए जिस बेड पर, वहाँ पर कुत्ते आराम कर रहे हैं, यह हालात हैं माननीय अध्यक्ष जी, मैं सही कह रहा हूँ। डाक्टर है ही नही वहाँ। मरीजों का ईलाज कौन करेगा, बेड खाली पड़े हैं। क्योंकि जब डाक्टर नही है तो मरीज नही जाते हैं।

समय कम है माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक शब्द और कहना चाह रहा हूँ कि आपने उत्तराखण्ड आंदोलनकारियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। मैं स्वयं उत्तराखण्ड आंदोलनकारी रहा हूँ। जिस दिन खटीमा गोली काण्ड हुआ था तो उस दिन मैं नेपाल चला गया था क्योंकि हमारे खिलाफ गोली मारने के आदेश थे वहाँ के कोतवाल को। 40 दिन नेपाल रहा माननीय अध्यक्ष जी, और 12 अक्टूबर को हमने न्यायालय जाकर जमानत कराई लेकिन हमको अभी तक प्रमाण–पत्र नहीं मिला। जब अभी तक हमें आंदोलनकारी

का प्रमाण–पत्र नहीं मिला तो प्रदेश के और आंदोलनकारियों के साथ क्या हालत हो रही होगी यह बात मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा समय नही लेना चाहता हूँ, आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपको धन्यवाद और मै इस बजट का घोर विरोध करता हूँ।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के बजट भाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, किसी भी राज्य का बजट उसके आने वाले एक वर्ष की तस्वीर और उस सरकार की सोच को दर्शाता है। अगर इस बजट को पूरा पढा जाए तो इससे बेहतरीन कोई बजट शायद आज तक पेश नहीं हुआ होगा जैसा इसमें लिखा गया है। और बजट की इस किताब को अगर बाजार मे मूल्य रख करके बाजार में रख दिया जाए तो कविताओं के साथ–साथ शायद बजट की किताब भी उतनी ही ज्यादा प्रचलित हो जायेगी, जितना कि कोई प्रख्यात उपन्यास। मान्यवर, सबसे पहले इसमें प्रति व्यक्ति आय जो दिखाई गई 15 हजार से बढकर 56 हजार 784 प्रति वर्ष हुई है उसके साथ–साथ राज्य बनने के इन 10 वर्षों में चूंकि राजस्व के कोई नये स्रोत हम अपने विकसित नहीं कर पाये। प्रति व्यक्ति कर्जा पूरे प्रदेश में कितना चढा है, उसका भी उल्लेख होता तो शायद उसमें थोडा अन्तर करने मे कितनी प्रगति हमारी सरकार ने की है कितनी प्रगति हमारे राज्य ने की है, उसका अनुमान लगाया जा सकता था।

मान्यवर, 32 वर्षों का संघर्ष इस राज्य के निर्माण के लिए हुआ और उसके पीछे जो मूल भावना थी, 70 के दशक से, 60 के दशक से जो उत्तराखण्ड के संसाधनों पर बाहरी लोगों का कब्जा लगातार होता था, मुनाफाखोर थोप दिये जा रहे थे और दूसरा पहाड की जवानी और पहाड के पानी को हम लोग यहाँ पर कभी भी अपने विकास के लिए उनका उपयोग नहीं कर पाए, उन नौजवानों को रोकने की बात थी, उस बेरोजगारी के लिए सरकार इसमें क्या योजनाएं बनाने जा रही है उसका कोई उल्लेख कहीं पर नही दिखाई दे रहा है। दूसरा सबसे बडा इस राज्य को बनाने का मकसद, जब उत्तर प्रदेश मे रहते हुए सिर्फ एक उपनिवेश की तरह इस प्रदेश को इस पर्वतीय हिस्से को समझा जाता था। मान्यवर, यहाँ के जंगल, यहाँ की जमीनों को उस दौर मे मुझे याद है, जो हम सुनते हैं, पढते हैं, स्टार पेपर मिल विजोरिया और तमाम उन लोगो को 90–90 साल के लिए जंगल लीज पर काटने के लिए दे दिये जाते थे। यहाँ के लोगो के लिए कोई योजनायें नहीं बन पाती थीं। वह एक मुख्य कारण था यहाँ के लोगों को आन्दोलित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए और आज भी वही स्थिति है। आज हमारी जल विद्युत परियोजनायें हैं, हमारी तमाम बहुत बेहतरीन जमीन है चाहे वह रामनगर की जमीन हो

या नैनीताल की जमीन हो। अभी हमारे माननीय विधायक नरेन्द्रनगर हमारे श्री ओम गोपाल जी ने बहुत अच्छी बाते बजट के पक्ष में कही, लेकिन 6 महीने पूर्व जब आपके साथ नरेन्द्रनगर की तरफ जा रहा था आपने स्वयं पूरा इलाका दिखाया कि जिन गाँव मे पिछले वर्ष सडकें बनी वह सारे का सारा बाहर के लोगो ने पूरे का पूरा गाँव खरीद लिया, मैं एक एकड की बात नहीं कर रहा हूँ, एक प्लाट की बात नही कर रहा हूँ, पूरा का पूरा गाँव बाहर के लोगो ने खरीद लिया है। एक भी वहाँ पर रहने वाला नहीं है, ये सारी चीजे दिखाई दे रही हैं।

उद्योगो के नाम पर आपने कहा 26 हजार करोड का निवेश, 7500 करोड का निवेश शुरूआत में, राज्य बनाने के बाद हुआ, 26 हजार 500 करोड का निवेश हमारे यहाँ हो चुका है, जमीन हमने दी, सुविधायें हम दे रहे है, लेकिन हमारे कितने लोगों को स्थाई रूप से रोजगार इन उद्योगपतियों ने दिये है ? यह बहुत बडा प्रश्न है, यह आक्षेप लगाने की बात नही है। लेकिन वास्तविकता क्या है, बहुत गम्भीरता से शासनादेश भी जारी कर दिया कि 70 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाए, शासनादेश पारित हुआ लेकिन उसका अनुपालन कितना हो रहा है यह देखने की बात है। जहाँ तक मेरे संज्ञान में है माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से बम्बई जाकर उद्योगपतियों की बैठक ली, उनको यहाँ निवेश करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन सिडकुल में कितनी बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 4 वर्षों में एक बार भी बैठक ली है, उसका भी जिक्र माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री पुष्पेश जी, कृपया समाप्त करें।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, हमारे दबाव में पर्वतीय औद्योगिक नीति घोषित हुई, उस पर्वतीय औद्योगिक नीति का शासनादेश भी जारी हुआ, इसमें इन 2 वर्षों में 750 उद्योगों की बात और ₹ 2 सौ करोड की पूंजी निवेश की बात सरकार ने की वह पता नहीं कहाँ लगे, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि श्री जीना जी जब दिल्ली से आकर भिक्यासैंण विधान सभा से चुनाव लडे तो उन्होंने वायदा किया था और इन्होने भिक्यासैंण विधान सभा में रामगंगा के किनारे एक मुर्गी फार्म खोला है, उसके लिए मैं धन्यवाद भी दूँगा कि 40 लोगों को रोजगार दिया है श्री जीना जी ने, प्रदेश सरकार ने कितने लोगों को दिया यह मुझे नही पता। मान्यवर, अगर हम थोडा सा पीछे की ओर जायें तो उत्तराखण्ड की मुख्य अर्थ व्यवस्था कृषि और पशुपालन पर आधारित रही है, यहाँ कुटीर उद्योगों की दैनिक जरूरतों की जितनी आवश्यकता होती थी, हम सब लोग अपने–अपने साधनो से

पूरा करते थे। अब इस बजट में हास्यास्पद एक लाईन लिखी गई है कि कुटीर उद्योगो को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हस्त निर्मित कपडे धोने के साबुन को वैट से कर मुक्त किया जायेगा। बाकी कुटीर उद्योग क्या होंगे कोई जिक्र तक नहीं है। पूरे उत्तराखण्ड के 85 प्रतिशत भू–भाग में कोई उद्योग नहीं लग सकता है सिर्फ साबुन से आप बेरोजगारी दूर करेंगे क्या, यह बहुत बडा सवाल है! आज मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि राज्य बनाने से पहले आजादी के 50 वर्षों में 10 लाख लोगों ने उत्तराखण्ड से पलायन किया था और राज्य बनने के इन 10 वर्षों में 22 लाख लोगों ने पलायन किया है, पौने 2 लाख घरों में स्थाई रूप से ताले पडे है, इससे बडी दुर्भाग्य की बात हमारी इस सरकार के लिए नही हो सकती है।

माननीय अध्यक्ष जी, ऊर्जा के मामले में 642 गाँव, 756 तोक और 40 हजार परिवार जो करीब–करीब बी0पी0एल0 की श्रेणी में आते थे, उनको राजीव गाँधी विद्युतीकरण योजना के तहत बिजली की सुविधा देने की बात थी। उस योजना को आईकान कम्पनी को दिया गया, टिहरी की हालत तो मुझे अभी नहीं पता लेकिन आज से 6 माह पहले इस बात को सदन में मैंने रखा था तो पूरे अल्मोडा जनपद में आज भी उस कम्पनी ने उस विद्युतीकरण का काम पूरा नहीं किया है, आज भी उतने के उतने अविद्युतीकरण है। उस कम्पनी के विरुद्ध सरकार ने अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, जल विद्युत परियोजनाओं की बात थी, जल विद्युत परियोजनाओं से इस प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बनाने की बात थी, ऊर्जा नीति तो आज तक नही बन पायी उल्टा जल विद्युत परियोजना बन्द कर दी ....।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, जल विद्युत परियोजनाओं की बात थी, इन योजनाओं से इस प्रदेश को ऊर्जा प्रदेश बनाना था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जब ऊर्जा विभाग का बजट आयेगा तब आप अपनी बात रखना। (व्यवधान)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, ऊर्जा नीति तो हम आज तक नहीं बना पाये हैं, उल्टा हमने अपनी परियोजनाएं बन्द कर दीं। लघु जल विद्युत परियोजनाओं को बनाने की बात थी, उन परियोजनाओं में जितनी बड़ी हेर–फेर, जितना बड़ा घोटाला पिछले दिनों हुआ है उसका दूसरा उदाहरण कहीं नहीं मिलता है। मान्यवर, वैकल्पिक ऊर्जा विभाग बना हुआ है, इस पर हमारा कार्य आज भी शून्य है। सोलर ऊर्जा के मामले में, गैस पाईप बिछाने के मामले में। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पुष्पेश जी, मुझे कहीं यह निर्देशित करना न पड़े कि आपकी बात का संज्ञान न लिया जाय। कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय पुष्पेश त्रिपाठी जी की बातों का संज्ञान न लिया जाय। (व्यवधान)

श्री अजय टम्टा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, ₹ 19366.91 करोड़ का अनुमानित बजट है यह बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 3914.96 करोड़ अधिक है और इस बजट को हम सभी सम्मानित सदस्यों के द्वारा जब सदन में रखा गया और इसको हम सबने पढ़ा और मुझे लगता है कि इस बजट को पढ़ने के बाद यह बजट सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी, सर्वग्राही है। हम लोग चर्चा में भाग ले रहे हैं। भाग लेने के साथ–साथ हम लोगों को बजट की बातों को ध्यान से देखना भी चाहिए। चूंकि प्रदेश की जनता में वास्तव में आज सारे लोग इस सदन की ओर आशान्वित भी है कि कौन माननीय सदस्य किन–किन विषयों को लेकर इस बजट पर अपनी–अपनी भागीदारी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि चार साल से प्रदेश सरकार ने जो विभिन्न क्षेत्रों में हमने कल्याणकारी योजनाएं चलायी हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जो समाज कल्याण से चलायी जा रही योजनाएं हैं उस पर भी बजट 250 करोड़ अर्थात् 42 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी, इस बजट में है। वास्तव में जो कल्याणकारी योजनाएं है चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो। माननीय सदस्य, अपने–अपने क्षेत्रों में ज्यादा भिज्ञ हैं कि वर्ष 2007 में प्रत्येक ग्राम सभाओं में मिलने वाली पेंशनधारियों की संख्या लगभग कहीं 20 गुना कहीं 40 गुना बढ़ी हैं। इसमें सरलीकरण भी हुआ है।

इसी के साथ सदन में अवगत कराना चाहता हूँ कि बहुत सारे माननीय सदस्यों के मन में संशय है कि यह गौरादेवी कन्या धन योजना पहले की सरकार ने बनायी या हमारी सरकार ने बनायी है। मान्यवर, मैं सभी माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूँ कि वर्ष 2007–08 का बजट जो हमारी सरकार ने प्रस्तुत किया उसमें ₹ 8 करोड का प्राविधान हमने गौरादेवी कन्या धन योजना शुरू करने के लिए किया था और वहीं से यह योजना शुरू हुई है। मान्यवर, उस समय जब हमारे पास पैसे की बचत हुई थी तब हमने उसमें वर्ष 2006 वालों को भी फिट किया, ऐसा इसकी वास्तविकता है। मान्यवर, जिस प्रकार से सडकों के लिए लोक निर्माण विभाग के बजट में 37 प्रतिशत बढोत्तरी का प्राविधान है। मान्यवर, प्रदेश के नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो, इस हेतु इसमें 40 प्रतिशत बढोत्तरी की है। मान्यवर, जहाँ पानी की वास्तव में प्रदेश में दिक्कत है और पानी की परेशानी को हम जनता तक किस प्रकार से पहुचायें इसको पहुंचाने के लिए भी हमने यह बढोत्तरी की है। मान्यवर, हमें शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो, इसलिए तहसील और मुख्यालयों में गुणवत्ता की जाँच हेतु प्रयोगशाला स्थापित करने का भी इसमें प्राविधान है। मान्यवर, हमें भी यह ध्यान होना चाहिए कि हमें शुद्ध पेयजल मिले, जिससे कि बीमारियां पैदा न हों इसके लिए भी सरकार ने एक बहुत अच्छा कार्य किया है।

मान्यवर, सिंचाई सुविधाओं के विकास के कार्य के लिए भी इस बजट में व्यवस्था की गयी है। चूंकि खेती को सिंचित करना, जहाँ आज पानी की बहुत सारी कमी है, जैसा माननीय सदस्यों ने भी कहा कि इस बजट में स्प्रिंगलर और ड्रिपिंलिगेशन प्राविधान किया है, मान्यवर, जहाँ हम हार्टीकल्चर की बात करते है, हम कहते हैं कि हमारी भौगोलिक स्थिति भिन्न है तो इसमें स्प्रिंगलर और ड्रिपिंलिगेशन यानि कि कम पानी में भी हम अच्छी खेती कर सकें, इसके लिए भी इस बजट मे 20 प्रतिशत की बढोत्तरी की है। मान्यवर, इसकी भी बहुत भूरि–भूरि प्रशंसा मैं करता हूँ। शिक्षा के उत्थान में ₹ 600 करोड, यानि कि 20 प्रतिशत की बढोत्तरी की गयी है। शिक्षा मे कैसे हम अपने संस्थानों को आगे बढायें, हमारे बच्चे आगे पढें और दुर्गम क्षेत्रों मे भी शिक्षा अच्छी हो, जिससे हमें लाभ मिले। चिकित्सा के क्षेत्र में वास्तव में जहाँ इस बजट मे 17 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है, वहीं अनुसूचित जाति उपयोजना मे ₹ 200 करोड, यानि 30 प्रतिशत की बढोत्तरी अपनी इस सरकार ने की है। मेरे संज्ञान में बहुत अच्छे ढंग से है, जैसा कि यहाँ पर माननीय सदस्यों ने भी कहा, एकलव्य का बजट भी वर्ष 2007–08 मे पहली बार यह सोचा गया कि एकलव्य एक ऐसा विद्यालय स्थापित हो, आवासीय विद्यालय हो, जो पूरे प्रदेश के लिए एक उदाहरण बन सके। उसके लिए हमारी सरकार ने ही पहली बार ₹ 50 लाख का प्रोविजन किया। सरकार उसमें लगातार पैसा दे रही है। महिला सशक्तीकरण की दिशा में भी एक मजबूत कदम उठाने के लिए इसमें जेण्डर बजट मे ₹ 434 करोड की वृद्धि की है।

मानानीय अध्यक्ष जी, मैं आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ, जहाँ हम युवाओं को रोजगार देने की बात करते है, उसके लिए जहाँ हमने तराई मे तराई पर आधारित उद्यम लगाए, वही सरकार ने और हमने विचार किया था कि हम पर्वतीय क्षेत्रों में कच्चा माल आधारित उद्योगों को स्थापित करेंगे। मगर दुर्भाग्य है, आपने इस प्रदेश का, यहाँ के लोग बडे आशान्वित थे कि केन्द्र में आपकी सरकार बनी है और 5 के 5 सांसद भी आपके बने हैं। तो वे चाहते थे कि वर्ष 2013 तक का जो हमारा औद्योगिक पैकेज है, वह वर्ष 2020 तक मिलेगा लेकिन अन्ततः इस प्रदेश के लोग बड़े दुःखी हैं, वे वास्तव मे कहते हैं कि जो योजना आप बनाना चाहते थे, अन्तिम क्षेत्र मे उद्योग स्थापित होंगे, हमारे बच्चों को ज्यादा दूर नहीं जाना पडेगा, कच्चा माल आधारित उद्योग स्थापित होंगे। मगर आज वे बडे निराशावान हैं। हमारे सभी माननीय सदस्य, जिनकी केन्द्र की सरकार से सीधे बातचीत है, उनको यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि वास्तव में इस प्रदेश के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। जहाँ हम रेलवे कनेक्टिविटी की बात करते थे। यदि कर्णप्रयाग और बागेश्वर तक रेलवे लाईन हमें मिलती तो हमारे प्रदेश के विकास की गति और आगे बढती। मैं इस बजट की बहुत ज्यादा प्रशंसा करता हूँ क्योंकि जहाँ हम '108' का बार-बार जिक्र कर रहे हैं, '108' के बारे में हम बोल भी रहे है कि वास्तव में इतनी जानें लोगों की बची हैं और बहुत सारे लोग यह भी कह रहे है, यह बात यहाँ पर आयी है कि डाक्टरों की कमी है। तो यह हमारी कमी नहीं है। डाक्टर कैसे बनेंगे, इसके लिए जहाँ हम श्रीनगर मेडिकल कॉलेज और सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज का शुभारम्भ कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मुख्यमंत्री जी।

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, इधर के कई लोग छूट गए हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

विभागीय बजट पर बोल लेंगे। (व्यवधान)

श्री दिनेश अग्रवाल–

मान्यवर, मेन तो बजट होता है, चर्चा तो बजट पर हो रही है। (व्यवधान) विभागों पर अलग होगी और बजट पर अलग होगी। (व्यवधान) अभी तो कई लोग छूट गये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जो भी माननीय सदस्य छूट गये है, उनको विभागीय बजट में प्राथमिकता दे देंगे।

श्री दिनेश अग्रवाल—

मान्यवर, यह प्राथमिकता की बात नहीं है, यह तो हमारा अधिकार है। (व्यवधान) मान्यवर, हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम आपसे संरक्षण मॉंग रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी।

*मुख्यमंत्री (डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक")—

श्रीमन्, माननीय नेता प्रतिपक्ष डा0 हरक सिंह रावत जी, माननीय नेता बसपा श्री शहजाद जी, श्रीमती अमृता रावत जी, श्री सुरेन्द्र राकेश जी, डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल जी, श्री राजेश जुवांठा जी, श्री यशपाल आर्य जी, श्री यशपाल बेनाम जी, श्री हरभजन सिंह चीमा जी, श्री रणजीत सिंह रावत जी, श्री गगन सिंह रजवार जी, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना जी, श्रीमती आशा नौटियाल जी, श्री प्रेम चन्द अग्रवाल जी, श्री शेर सिंह गड़िया जी, काजी मौ0 निजामुद्दीन जी, केदार सिंह रावत जी, श्री बलबीर सिंह नेगी जी, श्री गोपाल सिंह राणा जी, श्री पुष्पेश त्रिपाठी जी, श्री अजय टम्टा जी,श्रीमन्, कुल 23 माननीय सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण बजट पर चर्चा के दौरान भाग लिया है।

नेता प्रतिपक्ष (डा0 हरक सिंह रावत)—

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय विधायक श्री किशोर उपाध्याय जी भी इस माननीय सदन के सदस्य है और वह बाहर आमरण अनशन पर बैठे हैं, उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। (व्यवधान)

*सिंचाई एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)—

मान्यवर, जब माननीय नेता सदन बोल रहे हों तो आप सभी को बैठकर उनकी बात को सुनना चाहिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं खुद उनसे मिलकर आया हूँ, उनकी ऐसी स्थिति नहीं है, जैसे आप उल्लेख कर रहे हैं।

डा0 हरक सिंह रावत—

मान्यवर, प्रतिपक्ष के विधायकों के साथ सरकार ने भेदभाव किया है।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"—

श्रीमन्, हम बात करना चाहते हैं, लेकिन यह सुनना नहीं चाहते हैं।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समस्त माननीय सदस्य अपने—अपने स्थान पर खड़े हो गये और अपनी—अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे, जिससे सदन मे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

---

* वक्ताओं ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

मान्यवर, यह सरकार जनहित की सरकार है, जनहित के लिये लगातार काम कर रही है। हम एक–एक विषय पर जवाब देना चाहते है, इनको इस प्रदेश की जनता भी माफ नहीं करेगी। .....

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, कृपया, स्थान ग्रहण करें।

डा0 हरक सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार भेदभाव के साथ काम कर रही है, इसलिए इसके विरोध मे मै और मेरा दल सदन से बहिर्गमन कर रहे हैं।

(माननीय नेता प्रतिपक्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समस्त माननीय सदस्य सदन का परित्याग कर चले गये)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

माननीय अध्यक्ष जी, यह तो सदन का भी अपमान है और जनता का भी अपमान है, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि ....।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, आपकी सरकार के माननीय मंत्री जी चाहते है कि हम लोग भी बाहर चले जायं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय कौशिक जी, कृपया सहयोग करें।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

माननीय अध्यक्ष जी, यह तो सदन का अपमान है, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि मुझे इनके रवैये पर आश्चर्य होता है। मान्यवर, मै यह कहना चाहता हूँ कि संसदीय परम्पराओं का, इस सदन का, जनता का और आपका, लोकतंत्र का और संविधान का कुछ तो सम्मान हो। यहाँ तो स्थिति ऐसी है कि जैसे कुछ लोग चौराहे पर भाषण देते है और उसके बाद ताली बजाकर चले जाते हैं। श्रीमन्, यह सम्मानित सदन है, हमने पहले भी कहा कि हम एक–एक शब्द का जवाब देना चाहते हैं। लेकिन दु:ख होता है कि माननीय नेता प्रतिपक्ष, कि उन्होंने महामहिम श्री राज्यपाल का अभिभाषण नहीं

सुना, महामहिम यहाँ से दु:खी होकर गई। जब हमारा बजट भाषण था, तो बजट भाषण को सुनने का दम नहीं था, उस बजट भाषण को भी नहीं सुना, उसके बाद उन्होंने जो कुछ भी बोला होगा, उसके एक–एक शब्द का जवाब आज हम यहाँ पर देने के लिये तैयार हैं। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि यह जनहित की सोच रखने वाली सरकार है और एक–एक चीज का जवाब हमारे पास है, लेकिन इनकी सामना करने की हिम्मत नहीं है। श्रीमन्, सामना करने की हिम्मत होनी चाहिये, आकड़ों के साथ, प्रमाणों के साथ और साक्ष्य के साथ, क्योंकि यह सदन है और यह सदन इस राज्य के लिये है। सरकार इस पूरे सदन का मार्ग दर्शन चाहती है, यदि किसी क्षेत्र में कमी भी होगी तो इसीलिये तो हम इस सदन में चर्चा कर रहे हैं, उस कमी को हम ठीक करेंगे। लेकिन यह परम्परा तो ठीक नहीं है। और श्रीमन्, मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग सदन का अपमान करेंगे, जनता उनका पूरा–पूरा अपमान करेगी (सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) क्योंकि जनता ने चुन करके इसलिए भेजा है किसी भी सदस्य को कि वो राज्य के इस सबसे बड़े मंदिर में उस जनता के एक–एक विषय पर चर्चा करे और उसका समाधान करके अपने क्षेत्र में जाये।

इसलिए श्रीमन्, मुझे दु:ख होता है, मुझे बहुत कष्ट है श्रीमन्, पता नहीं कहाँ से ये आंकड़े लाते हैं और मैं पूछना चाहता था नेता प्रतिपक्ष से, उठ कर भाग जाते हैं। जैसे ही वो कुछ बोलते हैं और आंकड़े, फर्जी आंकड़े और जब बात करते हैं तथ्यों के साथ तो चले जाते हैं। ये भी एक दु:खद पक्ष है श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ श्रीमन्, क्योंकि आपके सानिध्य में ये सदन चल रहा है श्रीमन्, और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कहा जा रहा है, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि श्रीमन्, विकास दर वो कहते है वर्ष 2006 और वर्ष 2007 में 11.24 प्रतिशत थी, वो ये आकड़ा कहाँ से लाये ? कल से मैं लगातार ढूँढ रहा हूँ, कहीं तो मिले श्रीमन्, कहीं दूर–दूर तक नहीं मिल रहे है ये आकड़े उनके। तो मैं पूछना चाह रहा था कि वो अपना स्रोत बता दें ताकि मैं भी थोड़ा सा अपना ज्ञान बढ़ा लूँ श्रीमन्, कि उनका क्या स्रोत है। श्रीमन्, जहाँ तक स्रोत का विषय है और जो आपको श्रीमन्, मालूम है कि यदि उस समय विकास दर बढ़ी हुई थी तो इसके लिए आदरणीय अटल बिहारी वाजपेई जी को उत्तराखण्ड के लोगों द्वारा धन्यवाद देना चाहिए। (सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) जो औद्योगिक पैकेज वर्ष 2005 में श्रीमन्, दिया उस औद्योगिक पैकेज ने वर्ष 2004, 2005 और वर्ष 2006 में बहुत तेजी से इस राज्य को बढ़ाया। यदि टोटल आंकड़े आप देखेंगे श्रीमन्, तो टोटल वहीं पर आधारित हो जाता है और फिर एक साथ जैसे हम लोगों ने तो जिस बजट में श्रीमन्, 2–2, 3–3 झटकों को सहा है। पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आयी, हम लोगों ने उसको भी पकड़ा।

श्रीमन्, हमने अपने कर्मचारियों को छठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जिस पर ढाई हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त भार आया। श्रीमन्, जबकि लोग कहते थे कि विकास की दर खत्म हो जायेगी, शून्य हो जायेगी। उस वर्ष 6.7 प्रतिशत आगे गया था विकास एक वर्ष नीचे गिर करके। और श्रीमन्, तीसरा झटका कि केन्द्र सरकार ने हमारा औद्योगिक पैकेज हमसे छीन लिया जिसमें 56 हजार करोड़ का निवेश होता और 2 लाख नौजवानों को नौकरी मिलती। उसके बावजूद भी श्रीमन्, हमने उस विकास दर को आज 11.30 प्रतिशत, देश के दूसरे नम्बर के विकासशील राज्यों में खड़ा किया है श्रीमन्, ये छोटी बात नहीं है श्रीमन्, ढाई हजार करोड़ की व्यवस्था की है हमने। लोग समझते थे कि एक इंच भी सड़क नहीं बनेगी, उस पर भी अभी मैं आता हूँ कि कितनी सड़क, कितने पुल, कितनी पुलिया, कितने रास्ते, कितनी बिजली, कितना पानी। मैं 1–1 करके आंकड़ा देना चाहता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो विकास दर है हमारी सरकार ने पूरी ताकत के साथ इसको उभारा है और तेजी से किया है और भी सदस्यों ने कुछ बिन्दुओं पर चर्चा की, कि राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होगी और श्रीमन्, मैं पूछना चाहता था नेता प्रतिपक्ष से और अपने मित्रों से, राजस्व की प्राप्ति तो हमने तेजी से बढ़ाई है श्रीमन्, और विषम, विपरीत परिस्थितियों में बढ़ाई है।

हमारा जो राजस्व है श्रीमन्, यदि कांग्रेस के उन पाँच सालों को वर्ष 2002 से 2007 तक देखा जाय तो कुल ₹ 10 हजार 640 करोड़ का उन्होंने राजस्व अर्जित किया जबकि हमने श्रीमन्, चार ही साल में ₹ 15 हजार 497 करोड़ किया है श्रीमन्, (सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) और यदि वार्षिक देखें श्रीमन्, तो उनके कर राजस्व में वार्षिक जो प्रतिशत आता है वो 2 हजार 128 आता है और हमारा 3 हजार 899 आता है। इतना अन्तर किया है श्रीमन्, हमने। (सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) हमने अपने राजस्व को भी बहुत तेजी से बढ़ाया है और मुझे इस बात को कहते हुए गर्व होता है कि कुछ क्षेत्रों में तो हमने हिमालयी बेल्ट के राज्यों को भी एक तरफ करके शिखर को चूमा है श्रीमन्। मान्यवर, यदि सेक्टरवार भी कहने की जरूरत होती तो मैं इस दिशा में जरूर कहता। मैं पूछना चाहता नेता प्रतिपक्ष से, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ। आखिर जिम्मेदार पदों पर रहने वाले लोग जिम्मेदार स्थान पर जिम्मेदारी पूर्वक बात तो करें। श्रीमन्, मैंने कहा कि हमारा राजस्व घाटा सरप्लस हुआ, यह बजट की प्रति उनके पास भी होगी, सभी के पास होगी। यहाँ पर बहुत साफ है जो राजस्व प्राप्तियाँ हैं वह 14634.99 है और इधर जो राजस्व का व्यय है वह 14325.69 करोड़ है, यह साफ है कि 309 करोड़ का हम सरप्लस बजट में आये हैं, यह उसका एक प्रमाण है। वह पता नहीं कहाँ–कहाँ से जोड़ रहे हैं। मैं पूछना चाहता था, अगर वह बताते तो मेरे संज्ञान के लिए अच्छा होता। अभी अगर मेरी आवाज कहीं से सुन रहे हों तो उनको

आना चाहिए, इस सदन के सामने अपनी बात को रखना चाहिए, इस सदन से भागना अच्छा नहीं है। उनको बताना चाहिए कि उनके कौन से आंकड़े हैं और कौन से स्रोत है ताकि पता तो चलता। तो श्रीमन्, यह मैं कहना चाह रहा था, जो कहा है उसके पुख्ता प्रमाण है, यह उसका चार्ट है, यह बजट के साथ दिया गया है, आश्चर्य की बात तो यह है कि जबकि साथ–साथ दिया गया उनको पढ़ना चाहिए था। मै अभी भी उनसे अनुरोध करूँगा कि वह जरूर पढ़े और इसको भी कहें, वह पाँच साल तक क्या करते रहे राजस्व मे ? वह तो मंत्री भी रहे, वह पार्टी क्या करती रही, जबकि उस समय कोई आपदा नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी न कोई मंदी थी।

मैं श्रीमन्, यह कहना चाहता हूँ कि कहाँ ₹ 10640 और कहाँ ₹ 15597 करोड़ यह तो जमीन आसमान का अन्तर है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम तेजी से इसको बढ़ायेंगे। हमने जो योजना बनाई है, हमारा जो विजन 2020 है उस हिसाब से हमने बनाया है। हम तेजी से बढ़ रहे हैं, पूरे देश मे तेजी से बढ़ रहे हैं। श्रीमन्, आकड़े बता रहे है, यह हम नहीं बोल रहे हैं योजना आयोग बोल रहा है, ये भारत सरकार के आंकड़े बोलते है। देश में तेजी से बढ़ने के राज्यों से आकड़े देते है। तीसरी बात जो हमें लगा वह कहते, विकास कार्यों पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 13.04 प्रतिशत व्यय हुआ, मैं उनको फिर सुझाव देता हूँ कि वह एक बार देख तो लें, ऐसे अचानक खड़े होकर बोल देते हैं। यदि जवाब नहीं होता तो श्रीमन्, प्रदेश की जनता समझती कि नेता प्रतिपक्ष तो जिम्मेदार पद पर रहते हैं, वह जरूर इस बात को सही मानती। एक बार वह उसी किताब में देख तो लें, हम अलग से आंकड़े नहीं दे रहे हैं। उनको पता है कि 33.8 प्रतिशत वृहद विकास पर है, उस किताब मे लिखा है, मदवार भी दिये है फिर भी कह दिया कि कुछ नहीं हो रहा है। चौथा कहते है प्रदेश का अपना राजस्व 25 प्रतिशत है बाकी सारा केन्द्र दे रहा है। एक और गड़बड़ बात, अगर वह बोलते तो वह यही कहते कि श्रीमन्, मेरी जीभ फिसल जाती है। मै कह रहा हूँ कि वह बतायें कि कौन सी 75 प्रतिशत केन्द्र सरकार हम पर कृपा कर रही है ? यह भी चार्ट में था इसी को पढ़ लेते, बहुत साफ लिखा है रुपया आता है रुपया जाता है, रुपया कहाँ–कहाँ से आता है और कहाँ–कहाँ से जाता है यह साफ लिखा है। यदि मै केवल विस्तार भी न दूँ केवल इसी को पढ़ूं कि स्वयं पर कर राजस्व 25.01, बस इसी को लेकर उन्होंने ठप्पा लगा दिया।

उनको मालूम है कि करेत्तर राजस्व भी 8.65 प्रतिशत है। मान्यवर, करो मे जो राज्यांश कर हम इकट्ठा करते है और फिर केन्द्र को भेजते हैं। केन्द्र की यह कोई कृपा नहीं है यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। जो कर यहाँ से इकट्ठा करते हैं जो प्रतिशत होता है उसके अंशदान के रूप में हमको 27.71 प्रतिशत मिलता है और जो लोक लेखा

का शुद्ध लाभ होता है वह भी 3.63 प्रतिशत है। ऋण एवं अग्रिम वसूली 2.50 और लोक ऋण यह भी हमारा अपना ही है। यदि लोक ऋण हम इस प्रदेश के विकास के लिए लेते है तो उन मानकों के आधार पर वह भी इसमें लिखा है। 80 से 85 प्रतिशत हम अपना सब कुछ कर रहे हैं और वे कहते हैं कि 75 प्रतिशत केन्द्र से हमें मिल रहा है। श्रीमन्, हमको तो जो मिलना चाहिए वह भी नहीं मिल रहा है। मान्यवर, सदन पूरे प्रदेश के लिए होता है। मान्यवर, केन्द्र की सरकार मानको के आधार पर हमारे साथ दोहरा व्यवहार कर रही है। अच्छा तो यह होता कि पूरा सदन एकजुट होकर केन्द्र से बोलता कि यह किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए हमारा औद्योगिक पैकेज छीना जाता है और पूर्वोत्तर राज्यों को वर्ष 1997 से 2007 और 2007 से 2017 तक दिया जाता है। क्या प्राप्त किया है उत्तराखण्ड की जनता ने ? देश के इतिहास मे यह पहला अवसर होगा जब केन्द्र की सरकार ने दिये हुए पैकेज को छीना है। जबकि हम नवोदित प्रदेश हैं और दो-दो विदेशी सीमाओं से घिरे हुए है। जबकि उत्तराखण्ड के लगभग प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति राष्ट्र की सेवा में अपनी कुर्बानी देने वाला है। प्रदेश का 65 प्रतिशत क्षेत्र वन क्षेत्र है तो मैं कह सकता हूँ कि जवानी और पानी देने वाला यह राज्य देता ही है।

तीसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वह है हमारी वन सम्पदा, हमारा राज्य देश और दुनिया को ऑक्सीजन भी देता है। मान्यवर, हमारे एक माननीय साथी कह रहे थे कि वन क्षेत्र कम हो रहा है। वन क्षेत्र कम नहीं हो रहा है लेकिन सड़क तो बनायेंगे ही, स्कूल तो बनायेंगे ही, चिकित्सालय तो बनाना ही होगा। उसके बदले में हम वृक्षारोपण भी कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि हम अपने वन क्षेत्र को कम नही होने देंगे। लेकिन सड़क की जगह जो हमारा वन क्षेत्र है, उसको हम पोषित करना चाहते हैं।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी-

मान्यवर, जो वन क्षेत्र है, जो फारेस्ट एन0ओ0पी0 है, वह 45 प्रतिशत है। वन भूमि है 65 प्रतिशत। मान्यवर, हम अपना वन क्षेत्र घटाना चाहते है। भूमिहीनो को देने के लिए इस बजट मे कोई बात नहीं है।

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'-

मान्यवर, मैं आपकी बात को समझ गया। पहले तो भूमिहीनों की बात का विषय था। हमने आपकी योजनाओं के लिए लैण्ड बैंक बनाया है। जो माननीय सदस्य की जिज्ञासा है वह भी श्रीमन्, जो सिविल भूमि है उसको भी आरक्षित भूमि में घोषित कर दिया। बहुत मुश्किल से गिड़गिड़ाने के बाद कम से कम जो सड़क है यहीं पर आप वृक्षारोपण कर लीजिए। मुश्किल से 10 हजार है0। जमीन भी हमारी और हम अपनी ही

जमीन पर सड़क बनाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं आज। उसके लिए कोई जोर से बोलकर दिल्ली नहीं जायेगा। यहां इस सदन में उल्टी सीधी बात कहेंगे। उसके लिए भी हम कर रहे है। मान्यवर, कैम्पा के तहत लगभग 150 करोड से अधिक की लागत से उन क्षेत्रों को विकसित करने की दिशा में हमने बहुआयामी योजना बनाई है। श्रीमन्, इनका जो दूसरा विषय था उस पर भी मुझे आश्चर्य हुआ कि क्यों बोला होगा। वार्षिक योजना के बारे में बोला जा रहा था कि कांग्रेस के जमाने में ₹ 11 हजार 312 करोड व्यय हुआ। मान्यवर, यदि कांग्रेस ने पाँच साल में ₹ 11 हजार 312 करोड व्यय किया तो इस सरकार ने मात्र चार साल में, अभी चार साल भी पूरा नहीं हुआ है ₹ 14 हजार 479 करोड खर्च कर दिया। यह बोला ही नहीं। मै तो आंकडे देने के लिए आया था। यदि अनुमानित विकास का वार्षिक योजना में भी देखें। उनके प्रति वर्ष यानी पाँच साल का देखें 2 हजार 2 सौ 62.42 प्रतिशत केवल उनका प्रतिवर्ष का आता है जबकि हमारा प्रतिवर्ष का 3 हजार 6 सौ 71.18 प्रतिशत आता है। श्रीमन्, हम जम्प मार रहे हैं। गलत तरीके से प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और जब सदन में बात आती है तो सदन को छोड़कर चले जाते हैं।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

श्रीमन्, जो लोग भाग गये हैं उनका जिक्र बार–बार क्यों कर रहे है। (घोर व्यवधान) वास्तव में विपक्ष जिम्मेदार नहीं है इस प्रदेश में, अगर जिम्मेदार होता तो सरकार का भी गैर जिम्मेदाराना रवैया नहीं होता, विपक्ष तो कतई जिम्मेदार नहीं है। (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

मान्यवर, माननीय पुष्पेश जी, अभी मैंने उधर इंगित इसलिए किया कि अभी मैं नेता विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहा हूँ। चूंकि उन्होंने आरोप लगाये हैं, इसलिए यह जरूरी है। (व्यवधान) पूरे सदन को उन बातों से अवगत कराने की नैतिक जिम्मेदारी है। मान्यवर, सदन में एक–एक शब्द लिखा गया है। इसलिए यह जरूरी है कि उन सभी सवालों का जवाब आये। श्रीमन्, वाह्य सहायतित की बात की जाती है, इसमें कहा जा रहा था कि सरकार ने कुछ किया ही नहीं है। मान्यवर, वर्षवार जरूरत पड़े तो वर्षवार और योजनावार जरूरत पड़े तो योजनावार मैं तो बात करना चाहता था। मान्यवर, झूठ की भी तो कुछ हदें होती है। मै आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि इन पांच सालों में केवल ₹ 4 सौ 42 करोड वाह्य सहायतित में खर्च कर पाये है। श्रीमन्, हम आपके आशीर्वाद से ₹ 1 हजार 180 करोड इन्हीं चार वर्षों में खर्च कर पाये हैं। अभी पूरे वर्ष का आकलन नहीं किया है, यह आकडे हमारे फरवरी तक के हैं। लेकिन मै आश्वस्त कराना चाहता

हूँ आपके माध्यम से इस प्रदेश की जनता को कि यह सरकार ताकत के साथ काम कर रही है, प्रमाण और तथ्य के साथ काम कर रही है। अब केन्द्र पोषित योजनाओं के बारे में यह कहूँ कि पूरी केन्द्र पोषित योजनायें पूरे पाँच साल में ₹ 2 हजार 9 सौ 24.33 करोड़ खर्च हुये हैं।

हमारी सरकार ने केवल चार साल में ₹ 3 हजार 4 सौ 20.03 करोड़ खर्च किये हैं। यह प्रतिवर्ष का निकालेंगे तो ₹ 5 सौ 84 करोड़ प्रति वर्ष का आता है और हमारा ₹ 8 सौ 55 करोड़ प्रतिवर्ष का आता है। हर वर्ष दोगुना काम कर रहे हैं। अभी मनरेगा की बात की जा रही थी इसमें इन्होंने तो कुछ काम ही नहीं किया है। हमने तो ₹ 1 हजार 5 सौ 78.59 करोड़ की धनराशि का काम किया है। अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के बारे में चर्चा हो रही थी कि सड़कें नहीं बनी है। यदि जिला वाईज भी होगा तो उसको भी देना चाहूँगा, यदि सड़कों और पुलों के बारे मे देखा जाय तो कम काम नहीं किया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ऐतिहासिक काम हमारा हुआ है। जितना पाँच साल में नहीं हुआ उतना हमने पिछले साल ही कर दिया है और इस साल मे दोगुना कर रहे है। श्रीमन्, इन्दिरा आवास का हो, त्वरित सिंचाई का हो (व्यवधान) त्वरित सिंचाई में श्रीमन्, केवल ₹ 392 करोड़ पाँच साल में खर्च हुआ है और हम अकेले चार साल में, अभी चार साल पूरे नहीं हुए ₹ 867 करोड़ खर्च कर चुके हैं। श्रीमन्, अभी स्वास्थ्य की दिशा में कहा जा रहा था अभी एन0आर0एच0एम0 की बड़ी–बड़ी बातें हुई। श्रीमन्, कुल पाँच साल मे इन्होंने ₹ 29 करोड़ खर्च किये केवल, और हमने इन चार सालों मे ₹ 398 करोड़ खर्च किये। कहाँ ₹ 29 और कहाँ ₹ 398 करोड़ श्रीमन्। ये सामाजिक क्षेत्र की बात करते हैं श्रीमन्, सामाजिक क्षेत्र में भी यदि आप कहेंगे तो वृद्धावस्था पेंशन में केवल ₹ 112 करोड़ खर्च किया पाँच साल मे, और हमने चार ही साल में ₹ 448 करोड़ खर्च किया। (मेजों की थपथपाहट) श्रीमन्, इतना अन्तर है। जिस क्षेत्र मे आप कहेंगे, जिस क्षेत्र मे वे चाहते है मैने आज सारा का सारा तथ्यों और प्रमाणो के साथ भौतिक और वित्तीय दोनो, केवल वित्तीय ही नहीं भौतिक उसको भी ले करके करने की कोशिश की। श्रीमन्, मै यह कहना चाहता हूँ कि यदि पेंशन योजना को, उसमें वित्तीय राशि को भी देखा जाए तो पाँच साल में केवल टोटल ₹ 11 हजार 223 जो टोटल खर्च होता है श्रीमन्, योजना केन्द्रांश जितने भी अंश का होगा श्रीमन्, और हमारा चार साल में ₹ 44 हजार 858 करोड़ खर्च हुआ है।

जो यह सामाजिक क्षेत्र का है उधर पांच साल में केवल ₹ 11 हजार 237 करोड़ खर्च हुआ जबकि हमारे यहाँ केवल चार ही साल में ₹ 44 हजार 858 करोड़, अब मैं यह कह रहा हूँ कि कितना अन्तर है। चार गुना, दस गुना मैं तो सिर्फ यह चाहता हूँ वह

चाहे पेयजल के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे कि वह अनुसूचित जाति जनजाति के क्षेत्र में हो हमने प्रमाण दिया है श्रीमन्। दुगुना, तिगुना, चार गुना कहीं तो दस गुना से भी ज्यादा काम किया है और उसके रिजल्ट आए। मैं आभारी हूँ, औद्योगिक क्षेत्र मे भी यह कहा जा रहा है कि औद्योगिक क्षेत्र में क्या हुआ और जैसे अभी पुष्पेश भाई ने कहा कि क्या जो बाहर से उद्योगपति आ रहे है उनकी कोई सार्थक पहल है इस प्रदेश के विकास के सम्बन्ध मे ? बहुत अच्छा सवाल था और उनकी चिन्ता भी है और जो पर्वतीय क्षेत्र के बारे में आपने कहा है कि उसकी सूची भी देंगे आखिर ₹ 200 करोड़ का निवेश हुआ, और 150 से भी अधिक यूनिट हुई, 6 हजार से भी अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिला, तो उसकी सूची आपको जरूरत होगी उसकी सूची भी देंगे लेकिन इन सबके बावजूद भी हमारा औद्योगिक पैकेज छीना गया। श्रीमन्, आज हम उत्तर भारत के सभी राज्यों में औद्योगिक क्षेत्र में नं0–1 पर हुए हैं, (मेजों की थपथपाहट) और ऑटोमोबाईल हब के क्षेत्र में श्रीमन्, हम इस समय पूरी एशिया में नम्बर एक है और आगामी दो साल के अन्दर, जिस तरीके से हमने इस क्षेत्र मे काम किया है, आगामी दो वर्षों में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाईल हब बनने जा रहे हैं। इसलिए हमको लगा, रोजगार की दिशा में भी जो हमने कहा था श्रीमन्, डेढ़ लाख से भी अधिक लोगों को इसमें रोजगार मिला है, और उसको हम और तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं।

हम लोगो ने, जो माननीय पुष्पेश जी ने जिस बात को कहा, हमने कोशिश की है कि जो औद्योगिक घराने के लोग है उनको सामाजिक दिशा में भी हम कैसे प्रतिभागी बना सकते है इसलिए एक आशीर्वाद योजना श्रीमन्, हमने बनाई। जिस आशीर्वाद योजना मे दूरस्थ क्षेत्र का गरीब बच्चा जो हाई स्कूल–इण्टर के बाद आगे पढ़ नहीं सकता है उस गरीब बच्चे को वहाँ से इण्टरव्यू लेकर के राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा देने का काम हम लोगों ने शुरू कर दिया है और मुझे यह बात कहते हुये खुशी हो रही है कि पिछले डेढ़ साल से चुपचाप इस योजना के तहत 3 हजार बच्चे इंजीनियर बन रहे है, जिनको कभी आगे पढ़ नहीं पाना था और उनके लिए रोजगार के अवसर भी सुनिश्चित हो गये हैं। औद्योगिक क्षेत्र के लोग खुश हैं कि जो दूरस्थ क्षेत्र से इण्टरव्यू करके बच्चों को लाये, वे कहते है कि इससे ज्यादा प्रतिभाशाली बच्चे हमको मिल ही नहीं सकते इसलिए इस लक्ष्य को और तेजी से बढ़ाया। हमने कहा कि न केवल इस क्षेत्र में, न केवल इस देश मे, बल्कि जहाँ भी दुनिया में उनकी यूनिटें है मेरे उत्तराखण्ड का जो नौजवान है, जो प्रतिभाशाली है, जो संघर्षशील है, उस नौजवान को, उस बच्चे को यहाँ से बाकायदा ट्रेंड करके उस संस्थान पर भेजेंगे और इसमें हमें खुशी है। अभी माननीय श्री पुष्पेश जी ने कहा है तो इस दिशा मे हम 2–3 क्षेत्रों मे जो आई0टी0आई0 में हमने

तय कर दिया है कि तकनीकी दृष्टि से जो लोग बाहर से लाते है, उनको रोकें। हमने कहा आई0टी0आई0, पॉलीटैक्निक में जो आप ट्रेड करना चाहते हैं हम आपके हक में देना चाहते है। इसके लिए हमने शुरूवात भी कर दी है। आई0टी0आई0 में वे प्रशिक्षित होंगे और उन स्थानों पर क्योंकि बहुत सारा यूनिट नहीं मिल रहा है, इसलिए उनकी विवशता भी है कई बार बाहर से लाना पडता है, लेकिन आगामी 2 वर्षों में हम काफी इस दिशा में समृद्ध हो जायेंगे।

श्रीमन्, हमारे माननीय विधायकगण और बहुत सारे लोगो ने हमारे माननीय श्री यशपाल बेनाम जी चले गये, नहीं तो मैं चर्चा करता कि स्पर्श गंगा आज पूरी दुनिया मे शिखर पर पहुंच रहा है और '108' को महिलाओं को जोडने का प्रश्न किया तो हम लोगो ने महिला आयोग से '108' को जोड दिया है, महिला चिकित्सक की जो अन्य लोगो ने बात की, लेकिन कुछ लोगो ने बात की कि यदि अस्पताल में डाक्टर नहीं है तो '108' का क्या मतलब, तो उनकी समझ में आना चाहिए कि '108' ने आज तक हजारों–हजार लोगो के जीवन को बचाया है और जो भी '108' तक पहुंच गया ईश्वर की कृपा रही कि उसने दम नहीं तोडा।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, यह सही है कि '108' से बहुत ज्यादा लाभ हुआ है लेकिन इसको भी हमे स्वीकार करना पडेगा कि पैरामेडिकल स्टाफ नही है, तो इसमें आगे बढाने की बात है।

डा0 रमेश पोखरियाल 'निशंक'–

मान्यवर, '108' ने जिस तरीके से, अभी हमने डाक्टर देना सुनिश्चित किया है पैरामेडिकल, लेकिन जितना स्टाफ दिया है उसमे 1 लाख 80 हजार माँ और बच्चे के जीवन को बचाने के साथ–साथ 32 हजार से भी अधिक लोगो को भीषण सडक दुर्घटना मे बचाया है और इससे भी एक कदम आगे जाकर 2300 बच्चे आपात स्थिति में चलती हुइ एम्बुलेंस में जन्मे है। मै नाम नहीं लेना चाहता हूँ पर मुझे दुःख है कि एक जिम्मेदार व्यक्ति कहते हैं कि देखिये सडकों पर बच्चे हो रहे हैं, उनको मरने के लिए छोडते हम ? उनकी समझ में आना चाहिए कि '108' में, जो बच्चे पता नहीं कैसी विषम स्थिति में होते, कौन पिता या माँ चाहती है कि चलती हुइ एम्बुलेंस में उसका बच्चा पैदा हो, विषम भौगोलिक स्थिति है इसलिए गॉव–गॉव के अन्दर चिकित्सालय नही हो सकते है, लेकिन '108' जीवन दायिनी हो चुकी है, इस राज्य के लिए। आज भले ही '108' का जन्म देश के किसी छोर पर क्यो न हुआ हो, लेकिन आज पूरे देश में '108' को उत्तराखण्ड का ठप्पा लग गया है। अभी तक 12 प्रदेश यहाँ से लेकर गये हैं, यहाँ तक कि दिल्ली मे

भी अब शुरू होगा। मान्यवर, आन्दोलनकारियों का हमने हमेशा सम्मान किया और उनकी जो–जो सुविधायें हो सकती हैं, वह सुविधा की हैं। श्री पुष्पेश जी ने जो प्रति व्यक्ति आय की बात की थी तो 15 हजार से बढ़कर 55870 हुआ है और राजस्व की वृद्धि की चर्चा मैंने अभी कर दी है, राजस्व को बढ़ाने के लिए जो विजन 20–20 है श्री पुष्पेश जी, मैं जरूर चाहूँगा कि विजन 20–20 पढ़ें और उसके बाद आपके जो सुझाव हैं उनको हम और आगे बढ़ायेंगे।

मान्यवर, कृषि के क्षेत्र में, मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे याद आता है कि जब मैं पर्वतीय विकास मंत्री था श्रीमन्, जब हमने गढ़वाल विकास निगम को आपके माध्यम से शुरू करवाया था, तब मुश्किल से 5 करोड़ फूलों का उत्पादन नहीं हुआ था, तब हम बहुत खुश हुए थे, लेकिन मुझे आज यह कहते हुए खुशी होती है कि लगभग ₹ 150 से 200 करोड़ का पुष्पोत्पादन इस राज्य में हो रहा है, हमारे नौजवान पुष्पों की खेती से जुड़े हुए हैं। माननीय बलवीर सिंह जी चले गये, मैं उनको बताना चाहता था कि वे कह रहे थे कि मैंने कहा लोहारी नागपाला योजना मैंने बन्द करवायी, कांग्रेस के लोगों को इस योजना से इतना मोह क्यों है ? हमारी दो योजनाएं पाला मनेरी और भैरो घाटी जो छोटी–छोटी योजना थीं, उसको तो केन्द्र सरकार ने बन्द कर दिया। श्रीमन्, निश्चित रूप से मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा कि यदि पाला मनेरी और भैरो घाटी यदि पर्यावरण की दृष्टि से नुकसान कर सकती हैं जोकि सुरंग के अन्दर भी नहीं जा रही है तो ये जो लोहारी नागपाला योजना, जो केन्द्र सरकार की योजना है, जो 16 किलोमीटर गंगा विलुप्त हो जायेगी। यदि ये दोनों परियोजनाएं नुकसान कर सकती हैं तो इससे ज्यादा नुकसान कहीं नहीं हो सकता, इसको तो फिर बन्द करना चाहिए और जितना नुकसान हमको हुआ 2 हजार मेगावाट बिजली नि:शुल्क उत्तराखण्ड को मिलनी चाहिए, यह मेरा पत्र है। यदि वे मेरे पत्र को पढ़े होते तो शायद ऐसा नहीं कहते। आखिर आप पाला मनेरी की बात कर रहे है, केन्द्र सरकार की योजना चलती और राज्य सरकार की योजना को मंत्रि परिषद के ग्रुप ने उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया कि नहीं यह योजना नहीं चल सकती। भैरोघाटी योजना जिस पर हमने काफी कार्य कर दिया था, पाला मनेरी जिस पर काफी कार्य कर दिया था। हमारी योजनाओं को बन्द कर दें और जो 16 किलोमीटर टनल में जा रही है, उसको कहते है कि इसको शुरू कर दें यह मैं नहीं कर सकता था।

मान्यवर, गंगोत्री से लेकर के उत्तरकाशी तक इसका मैंने उस बैठक में भी विरोध किया जो गंगा बेसिन प्राधिकरण बोर्ड की बैठक हुई थी, प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता वाली, उसमें मैंने कहा किसी कीमत पर हम सहमत नहीं है और आज भी मैं इस सदन में कहना चाहता हूँ कि हमें यह स्वीकार नहीं है कि आप पूरे क्षेत्र को संवेदनशील घोषित

करें और हम एक योजना नहीं बना सकते, स्कूल नहीं बना सकता, चिकित्सालय नहीं बना सकते, हम सड़क नहीं बना सकते, इसलिए इसका भी मैंने विरोध किया। मान्यवर, माननीय केदार सिंह जी शीतकालीन यात्रा के बारे में कह रहे थे, इस सम्बन्ध मे कहना चाहता हूँ कि हम लोगो ने जो काम किया है उसकी सारी व्यवस्था करके ही किया है। माननीय काजी जी यदि थोड़ी देर तक बैठते तो मै उन्हें बताता कि जनता दरबार मे क्या होता है और लोगों मे इसके प्रति क्या भावनाएं हैं। मैं मुख्यमंत्री हूँ, जनता के बीच सीधे-सीधे जाकर बात नहीं करूंगा तो कौन बात करेगा। मुझे इस बात की खुशी है कि 15 हजार से लेकर 25 हजार तक के लोगो के बीच में कोई भाषण नहीं होता है। उनकी क्या समस्या है, सीधे-सीधे आमने-सामने बातचीत होती है। मान्यवर, मै अभी तक कम से कम 17 विधान सभा क्षेत्रो का दौरा कर चुका हूँ। यह यात्रा जारी रहेगी। यह 70 के 70 विधान सभाओ मे यात्रा होगी। इस यात्रा के सुखद परिणाम आये हैं। मैने अधिकारियो एवं कर्मचारियो की पीठ भी थपथपायी है, बहुत सारे बच्चे हमारी योजनाओ के बारे मे धड़ल्ले से बोलते थे, जब मै उनसे पूछता था। मान्यवर, सबसे अन्तिम छोर में बैठी कोई मां, बहिन हो, उनसे पूछता था आपको अमुक योजना के बारे में जानकारी है तो उनका उत्तर 'हॉ' में आता था, योजना का लाभ मिला, वे कहते थे 'हॉ मिला'। मान्यवर, अटल योजना का लाभ मिला 'हॉ, मिला।' कोई अधिकारी गॉव में आया तो वे 'हॉ' में जवाब देते थे। मैं खड़े होकर उनसे पूछता था तो वे खड़े होकर हजारों लोगों के बीच मे बोलते थे, इससे पता चलता है कि सरकार का धरातल कहॉ पर है।

जहॉ पर कमियां होंगी उसको भी हम ठीक करेंगे, जो कमियां पायीं गयीं उसको भी हमने नोट किया। मान्यवर, रेग्युलर मैं और मुख्य सचिव साहब, इन यात्राओं के बारे मे जो-जो चीजें आयी हैं उनकी निरन्तर और निरन्तर हम समीक्षा करते है ताकि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आये। मान्यवर, जिला प्लान की स्थिति तो मैने बतायी। श्रीमन्, यह जो जिला प्लान का बजट है, फरवरी तक कुल 465 करोड़ में से 432 करोड़ की तो स्वीकृति जारी हो चुकी है और यह व्यय भी हो चुका है। पता नहीं कहॉ से बात आती है ? नई-नई बातों को लेकर आते हैं।

श्री शहजाद-

मान्यवर, स्वीकृति हुई होगी, जारी नहीं हुआ है।

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''-

श्रीमन्, जारी भी हो गया है और मै आपको बता दूँगा कि कितना है। माननीय रणजीत सिंह जी को मान्यवर, पेंशन के बारे में पता ही नहीं है और हैली टूरिज्म के बारे मे भी, यदि वे अभी यहॉ होते तो खुश होकर जाते। श्रीमन्, हमने तो चार धामों को भी

हैलीकॉप्टर सेवा से जोड़ दिया है और लगभग 25 ऐसे स्थान चिन्हित कर दिये हैं, जो इस प्रदेश के अत्यन्त दुर्लभ स्थान हैं। हमने 'धरती का स्वर्ग उत्तराखण्ड' यह अभियान शुरू किया है। पर्यटन की दृष्टि से हम पूरी दुनिया में यह साबित करना चाहते हैं कि आप हमारी धरती पर आएं। यदि धरती पर कहीं स्वर्ग हो सकता है तो केवल और केवल उत्तराखण्ड में हो सकता है। इस अभियान के द्वारा, जिन लोगों के पास बिल्कुल वक्त नहीं है, लेकिन वे यदि धरती का स्वर्ग उत्तराखण्ड देखना चाहते है, दुनिया के उन तमाम लोगो के लिए हमने 25 स्थानों पर हैलीपैड बनाये है। पर्यटकों को हम बतायेंगे कि हवाई सेवा से दो घण्टे में हम इन-इन स्थानों पर घुमा कर देहरादून जायेंगे और यहाँ से आप दिल्ली या देश-विदेश, जहाँ से आप आये है, वहाँ वापिस जाइये। उन लोगों को 4-4 घण्टे उन स्थानों पर हम घुमायेंगे। 4-5-6 प्रकार की योजनाएं हमने बनायी हैं। इस दिशा मे हमारे पर्यटन मंत्री जी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। श्रीमन्, हमने जो मेगा सॉकिट बनाये है, वह भी ऐतिहासिक हैं। आस्था पथ बनाये है। माननीय सिंचाई मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, ऐसे अभिनव काम हमने किये हैं।

कुम्भ की बात आयी। अभी किसी माननीय सदस्य ने कहा, इसमें गड़बड़ हुई। मैं देख रहा था, जिस-जिस माननीय सदस्य ने जो-जो कहा है, एक-एक शब्द मैंने सुना है। श्रीमन्, मै यह कहना चाहता हूँ यह कुम्भ ही है जो दुनिया मे अभी तक के इतिहास मे सबसे बड़ा आयोजन साबित हुआ। 4 महीने तक चलने वाला और 140 देशों से भी ज्यादा देशों के साढ़े 8 करोड़ लोग गंगा का स्पर्श करते हों तो यह दुनिया के लिए अद्भुत अनुभव है। उन लोगों को, जो इस सरकार पर आरोप लगाते हैं, उन लोगों को देखना चाहिए, जो इस सरकार पर आरोप लगाते हैं। श्रीमन्, मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रकुल खेलों के लिए ₹ 70 हजार करोड़ क्या, 60 हजार करोड़ भी नहीं मिला। इस तरह से एक-एक काम को किया है। श्रीमन्, हरिद्वार के हमारे मित्र हैं, माननीय शहजाद जी, यदि ये हमें उत्तराखण्ड बनने से पहले मिल गए होते, संयोग ऐसा रहा कि ये पहले नही मिले। (व्यवधान) ये अभी हमारे साथ ही होते। मान्यवर, माननीय मदन कौशिक जी जानते हैं, आप जानते है, हमारे बहुत से साथी जानते हैं, रोज धरना प्रदर्शन होता था कि हरिद्वार उत्तराखण्ड मे नहीं मिलना चाहिए। तब सुरेन्द्र राकेश जी भी नहीं मिल पाए। तब कहते थे, नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। मुझे आज यह कहना पड़ रहा है कि वर्ष 2001 से 2010 का पूरा आकलन कर लिया जाय, तो पूरे प्रदेश मे चाहे रोजगार हो, चाहे विकास हो, चाहे सड़क हो, चाहे चिकित्सा हो, जो भी सुविधा हो, सर्वाधिक सुविधा यदि कहीं के लोगो को मिली है, तो वह हरिद्वार के लोगों को मिली है। (मेजो की थपथपाहट) श्रीमन्, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि मैंने कुछ आंकड़े भी निकाले हैं,

किसी दिन माननीय शहजाद जी, आपके साथ जरूर बैठना चाहेंगे इस विषय पर। देश की आजादी के 50–55 वर्ष और ये पिछले 10 वर्ष, यदि हरिद्वार में विकास के मामले में इन दोनों की तुलना की जाय तो पिछले 10 वर्ष आगे ही निकलेंगे, आजादी के 50 वर्ष की तुलना में। (व्यवधान)

श्री शहजाद–

मान्यवर, यह सच्चाई नहीं है। उद्योग वहाँ लगे है, लोगों की जमीन महंगी बिकी है, मकान अच्छे बने है। लोगों ने अपनी जमीने बेच कर ये बनाये है। इसमें बी0जे0पी0 सरकार का कहीं योगदान नही है। (व्यवधान)

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

अब हमारे भाई शहजाद जी कहते है कि अल्पसंख्यक कल्याण हेतु कोई व्यवस्था नही की गई है और कहते हैं कि समाज कल्याण विभाग में अल्पसंख्यकों के विकास के लिये कतिपय योजनायें संचालित की जा रही हैं, कुछ नहीं हुआ है, सब गडबड हुआ है। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि अभी तक इस विषय में हमारे पास कोई शिकायत नही आई थी, अगर शिकायत आयेगी तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो बेईमान होगा, उसे जमीन के नीचे भी नही छोड़ा जायेगा। (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में मात्र दो उदाहरण देना चाहूँगा, जो यह मुस्लिम एजुकेशन मिशन है, एम0एस0डी0पी0, हज समिति और अल्पसंख्यक आयोग, वित्तीय वर्ष 10–11 से पहले कितना खर्च हुआ आप उसे भी देखें, क्योंकि मैं चर्चा नही करना चाहता, मात्र आपके संज्ञान के लिए बात कर रहा हूँ। जहाँ हमने पिछले साल ₹ 3189 लाख का प्रावधान किया था, इस बजट में उसे हमने बढ़ाकर ₹ 3594 लाख का प्रावधान किया है। आपको जानकर खुशी होगी कि मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड के तहत हम क्या–क्या कर रहे है। हज समिति में जिस प्रकार से लोग यहाँ से जाते थे और दिल्ली में लडाई झगडा करके हमारे कोटे को काटा गया था, वक्फ बोर्ड के माध्यम से भी लोगो को पहली बार लगेगा कि वक्फ बोर्ड के तहत किस तरीके से उत्तराखण्ड में काम किया जाता है। पहले क्या हुआ है, मैं उसकी बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इस बोर्ड के माध्यम से भी हम पूरे तरीके से काम करेंगे।

श्रीमन्, यह कहा जा रहा है कि महिलाओं के लिये कुछ किया ही नहीं गया है। हमारा प्रदेश देश के अन्दर पहला ऐसा प्रदेश है, जहाँ पर अलग से जेण्डर बजट का प्रावधान किया गया है। पिछली बार इसमें लगभग 1400 करोड की व्यवस्था थी, जिसे इस बार बढ़ाकर 1851.55 करोड कर दिया गया है, इसमें हमने 435 करोड की बढ़ोत्तरी कर दी है। फिर भी कहते हैं कि महिलाओं के लिये कुछ नहीं हुआ और जब हम कहते है

कि आपके पांच साल के कार्यकाल में क्या हुआ तो फिर इधर–उधर झांकने लगते हैं या भागकर चले जाते हैं। श्रीमन्, उनको भी बताना चाहिये प्रदेश की जनता को कि उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनको भी मौका मिला था। हमको भी मौका मिला है और हम प्रदेश की जनता को एक–एक मिनट का हिसाब–किताब देना चाहते हैं कि हमने किस–किस क्षेत्र में क्या–क्या किया है, हमारा जेण्डर बजट एक ऐतिहासिक जेण्डर बजट है। मान्यवर, नन्दा देवी कन्या धन योजना हमारी अभिनव योजना है, जिस दिन बालिका का जन्म होगा, उसी दिन उसकी एफ0डी0 की जायेगी। इसके लिये पहले 5000 का प्रावधान था, अब उसे बढ़ाकर 7500 हमने कर दिया है और जब वह 18 साल की हो जायेगी तो एक–डेढ़ लाख रुपया उसके हाथ में रहेगा और उसे किसी की कृपा की आवश्यकता नहीं होगी। मान्यवर, हमारी गौरा देवी कन्या धन योजना, जिसके बारे में अभी माननीय अजय जी ने बताया था, वे समाज कल्याण मंत्री रहे हैं, इस योजना पर आज हम ₹ 35–40 करोड़ खर्च कर रहे हैं। अभी हमारी जहाँ–जहाँ विकास समीक्षा यात्रा हुई थी, कई जगहों पर मैंने अपने हाथों से 200–300 बालिकाओं को चैक दिये हैं, मोरी में 265, विकास नगर में 140 बालिकाओं को मैंने खुद चैक बांटे हैं। जिस–जिस स्थान पर भी हम गये, सैकड़ों–सैकड़ों बालिकाओं को अपने हाथ से हमने 25–25 हजार के चैक बांटे हैं।

श्रीमन्, हम यह कहना चाहते हैं कि चाहे वह अल्पसंख्यक हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, महिला हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, किसान हो, चाहे पिछड़ा हो या युवा हो, हर क्षेत्र में हमारा बजट इस बात को प्रमाणित करता है कि किसी भी वर्ग को हमने उपेक्षित नहीं किया है, बल्कि हर क्षेत्र में हमने अपेक्षित कार्य किया है। मान्यवर, अब अमृता रावत जी रहती तो मैं बात करना चाहता था। ए0पी0एल0 का कह रहे हैं खाद्यान्न नहीं उठा। कौन सा ए0पी0एल0 का खाद्यान्न दे रही है केन्द्र सरकार श्रीमन्, हमको ? वो कह रहे हैं बाजार से उठाओ, तो आपसे प्रमाण पत्र लेने की हमको क्या जरूरत है, बाजार से तो हम वैसे ही खरीद लेंगे। हमारे खाद्य मंत्री जी ने उसको स्पष्ट भी किया कि अतिरिक्त खाद्य का कोटा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप बाजार से लाईये, उसको पिसाईये और दीजिए। हमको मदद नहीं मिलती है श्रीमन्, जो हमारा मानक है उस मानक के आधार पर भी नहीं मिलता। मैं कहना चाहता हूँ कि लगातार और लगातार इस राज्य के साथ उपेक्षा का बर्ताव होता है श्रीमन्, ये हम हाथ नहीं पसार रहे है। पूरे देश के अन्दर मानक हैं श्रीमन्, यह तो संवैधानिक व्यवस्था है, कृपा नहीं है हम पर केन्द्र सरकार की। जो पूरे राज्यों के लिए व्यवस्था है, वो व्यवस्था इस राज्य के लिए भी होनी चाहिए।

हमारा मानक है श्रीमन्, हम कोई अलग से भीख नहीं मांग रहे हैं। आपदा प्रबन्धन इतना बड़ा प्रबन्धन आया। श्रीमन्, मैं बहुत विनम्रता से आपके संज्ञान में लाना

चाहता हूँ, नेता प्रतिपक्ष ने इसी स्थान पर खड़े होकर श्रीमन्, कहा कि 10 साल में जितनी अवस्थापना हुई, हमने सृजित की, सारी की सारी अवस्थापनाएं खत्म हो गयीं, चौपट हो गयीं, समाप्त हो गयीं। आदरणीय आर्या जी, जो सौभाग्य से हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष भी है प्रदेश के, लेकिन इस सदन के माननीय सदस्य भी है, यशपाल आर्य जी ने खड़े होकर श्रीमन्, कहा कि जितनी क्षति हुई है पूरी 10 साल में जो कुछ हमने किया था, वो सब कुछ खत्म हो गया। श्रीमन्, यदि औसत एक वर्ष का प्लान बजट तीन हजार भी मान लिया जाय, वैसे तो 6 हजार 800 है इस समय जो गया, और इस समय और बढ़ गया, लेकिन यदि औसत तीन हजार भी न्यूनतम माना जाय तो 30 हजार करोड़ तो अपने आप ही साबित हो गया कि इतनी क्षति हो गयी है और जब हम 21 हजार करोड़ का भेजते है इस राज्य में, क्या परेशानी हो गयी थी श्रीमन्, क्या ₹ 21 हजार करोड़ मिल जाता ? लेकिन कहा, "क्यों भेजा ?" अरे यदि 21 हजार बहुत ज्यादा हो गया था तो आपको तय करना चाहिए था कि आप कितना दिला पाते हैं, ये बताओ न। श्रीमन्, हमारे साथ तो, फिर हमने खुश होकर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार भी प्रकट करना चाहता हूँ इस सदन के माध्यम से कि विषम और विपरीत परिस्थितियों मे तत्काल ₹ 500 करोड़ उन्होंने दिये। हम आशान्वित थे कि जब इतनी तात्कालिक सहायता के ₹ 500 करोड़ मिले हैं तो कम से कम हमको ₹ 21 हजार करोड़ में 50 प्रतिशत तो मिल जायेगा, नही मिलेगा तो जो मानक है सी0आर0एफ0 के, उनके तहत तो मिल जाय। आश्चर्यचकित होते हुए मुझे कहना पड़ रहा है दुःख के साथ श्रीमन्, एक चिट्ठी हमको थमा दी गयी और आ गयी यहाँ चिट्ठी कि नही, नहीं अब जो है वो हो गया और एक सौ, डेढ़ सौ करोड़ और 500, 600 करोड़ में कहाँ 21 हजार करोड़ लेकिन श्रीमन्, आपके आशीर्वाद से हमने महसूस नहीं होने दिया। हम आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को आश्वस्त भी करना चाहते हैं कि केन्द्र न दे हमको मदद, हम ताकत के साथ पूरे प्रदेश को उभारेंगे। (सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)।

हमने सड़कों की दिशा में भी जो चार साल तक सड़क नहीं खोली जा सकती थी, चार महीने के अन्दर उन सड़कों को भी खोला पूरी ताकत के साथ। (व्यवधान) शहजाद जी हमारे बहुत अभिन्न मित्र है श्रीमन्, और मुझे इनकी कुछ बातें बहुत पसन्द है, कुछ नहीं ज्यादा सी बाते पसन्द हैं। मैं इसको मजाक के रूप मे नहीं, लगता है कि ये अपनी बातों को पूरी ताकत के साथ रखते हैं और सदन की गरिमा बना करके रखते है। इसलिए मै इनको व्यक्तिगत भी धन्यवाद देता हूँ श्रीमन्। (सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) अनेक अवसरों पर मैंने देखा है इनको गुस्सा भी आता है, लेकिन जिस शालीनता के साथ अपनी पूरी बात पूरी ताकत के साथ भी रखते

है और शहजाद जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक आपने हरिद्वार जिले के बारे में कहा है। अब आपके पीछे राकेश जी बैठे हैं, अब इनसे पूछो कि कितना–कितना हुआ। धीरे–धीरे बोलेंगे कि रुको, रुको अभी नहीं बोलता। कितना काम हुआ इनके यहाँ। इन्होंने 50 साल में ये कल्पना भी नहीं की होगी। (व्यवधान) मान्यवर, यहाँ झगड़ा यह हो रहा था कि केवल राकेश ही राकेश हैं और कोई नहीं है। लालढांग को भी ठीक करेंगे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि श्रीमन्, चीमा जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ, हम आई0आई0एम0 वहाँ पर जल्दी शुरू करना चाहते है। टिहरी झील के बारे में कहा, उसको तो हमने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तय कर दिया है। जहाँ औली को हम शीतकालीन क्रीड़ा का दुनिया का सबसे बड़ा स्थान साबित करेंगे और ओलम्पिक के लिए हम अपने बच्चों को तैयार करेंगे, दक्षिण एशियाई देश के बच्चों को हम तैयार करेंगे, वहीं जो टिहरी झील 60 कि0मी0 लम्बी है और 42 वर्ग कि0मी0 के क्षेत्र में फैली है उसका भी हम उपयोग करेंगे। पाँच करोड़ रुपये की लागत से वहाँ पर एक प्रशिक्षण संस्थान शुरू कर दिया है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, टिहरी झील का नाम स्व0 श्रीदेव सुमन के नाम पर सुमन सरोवर अगर रख देते तो सोने पर सुहागा हो जाता।

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में जरूर आपसे चर्चा कर लेंगे।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, सुमन सरोवर रखे जाने की घोषणा कर दीजिए, इसका बहुत बढ़िया मैसेज जायेगा।

डा0 रमेश पोखरियाल ''निशंक''–

श्रीमन्, ठीक है, गगन भाई ने जो बातें रखीं, यह बात सही है कि धारचूला बहुत पिछड़ा हुआ है और धारचूला मुनस्यारी के बीच जो इन्होंने कहा है बरम में जो चिकित्सालय की जो इन्होंने बात की है, इस पर जरूर विचार किया जायेगा, और जो इन्होंने कुछ बात उठायी है मैंने उसको पूरा नोट किया है। मैं तो श्रीमन्, देख रहा था प्रेम जी हैं, ओम जी है, गढ़िया जी हैं, सुरेन्द्र जीना जी हैं, गगन जी है, आशा जी हैं, अजय जी हैं, गोपाल जी हैं, इनके मैंने अभी भाषण सुने। आधे से अधिक क्या, शत प्रतिशत बातों का जवाब तो इन लोगों ने दे दिया। मैं इनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जितनी भी सदन में बातें उठी थीं, मुझे लगता है किसी ने उस दिन तो भाषण सुना

नही, उसके बाद शायद किताब पढी हो, यदि उस किताब को पढ लिये होते काफी कुछ समस्याओं का समाधान उनको स्वतः हो गया होता। श्रीमन्, यह सरप्लस बजट है, यह कर रहित बजट है, यह विभिन्न अटल खाद्यान्न योजना सहित प्रदेश की अहम जनता के दुःख और दर्द को बाँटने के लिए और उसको कम करने के लिए चाहे वह खाद्यान्न का हो चाहे विभिन्न क्षेत्रों का हो, उसको ध्यान मे रखकर यह बजट बनाया गया है। सुरेन्द्र राकेश जी को मैं कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कि चिकित्सा में बजट कम किया गया है। चिकित्सा में वर्ष 2010–11 में 769.69 करोड का प्राविधान था और इस समय ₹ 923.49 करोड है जो 19.98 प्रतिशत अधिक है। आपने कहा सिंचाई में बजट कम किया गया है इसमें वर्ष 2010–11 मे 603.49 करोड का प्राविधान था बजट में जबकि इस समय 747.97 करोड का है, जो 23.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

मुझे लगता है जिसकी आप बात कर रहे हैं शिक्षा में भी लगभग साढे छः प्रतिशत बढा करके दिया है। मै सोचता हूँ कि कोई बजट ऐसा नही होगा चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सडक हो, बिजली हो, पानी हो, हमने चिकित्सा शिक्षा में भी बढाया है, यदि कम होगा तो हम बढा देंगे। क्योंकि हमने दो मेडिकल कालेज बनाना तय कर दिया है, हमने अल्मोडा मेडिकल कालेज को तेजी से करना है। मान्यवर, माननीय सुरेन्द्र राकेश जी के क्षेत्र में तो प्रदेश का पहला यूनानी मेडिकल कालेज बन रहा है।

श्री शहजाद–

माननीय अध्यक्ष जी, सही बात होगी तो धन्यवाद देने मे गुरेज नहीं होना चाहिए। अगर सी0एम0 साहब अभी हरिद्वार जनपद में मेडिकल कालेज की घोषणा करे तो मै धन्यवाद भी दूँगा और विज्ञापन भी छपवाऊँगा अपने पैसे से।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि चाहे जिस विभाग के भी माध्यम से बनायेंगे हर हालत मे हरिद्वार मे मेडिकल कालेज बनायेंगे।

श्री शहजाद–

मान्यवर, मैं केन्द्र की बात नहीं कर रहा हूँ।

डा0 रमेश पोखरियाल "निशंक"–

श्रीमन्, अन्ततोगत्वा तो हमे ही करना है, जमीन से लेकर सब कुछ हमको ही करना है, उसको दूसरी जगह जाने ही नही देंगे। चिन्ता मत करे। जमीन की व्यवस्था कर रहे हैं। केन्द्र सरकार दूसरी जगह करना चाहती थी उनसे भी बात की है। जहाँ राकेश जी के क्षेत्र में हम यूनानी कालेज देंगे और जहाँ आप कहेंगे वहाँ मेडिकल कालेज

दे देंगे। श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं अपने सभी साथियों को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि यह सरकार पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रही है और हर सवाल का जवाब देती है और हर क्षेत्र में विकास कर रही है जो विजन 2020 आने वाला है उसको हम हर हाल में पूरा करेंगे।

श्री शहजाद-

मान्यवर, ओ०बी०सी० की छात्रवृत्ति 6 करोड़ कम है जनपद हरिद्वार में। वह नई है इस साल, जो सांसद निधि है वह ढाई-तीन गुना ज्यादा बढ़ गई है और सभी विधायकों की मांग है कि विधायक निधि की घोषणा भी हो जाए।

उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011

आबकारी, पर्यटन, नगर विकास मंत्री (श्री मदन कौशिक)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाए।

मान्यवर, इसमें छोटा सा संशोधन लेकर हम आये हैं। मान्यवर, हरिद्वार जनपद छोड़कर शेष सभी मण्डी समितियां विधिवत रूप से गठित हुई हैं। मान्यवर, इसकी धारा-13 में अन्तःस्थापन में धारा-12 थोड़ी बढ़ाई है और इस धारा में हम लोगों ने कहा कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा भविष्यलक्षी अथवा भूतलक्षी प्रभाव से, जैसा उचित समझा जाय, सम्बन्धित जिले के कलक्टर को प्रशासक के रूप में निर्वाचित मण्डी समिति का संघटन होने तक अथवा एक बार में छः माह के लिए और एकल रूप से दो वर्ष से अनाधिक अवधि के लिए जो भी पहले हो, मण्डी समिति की कार्यावधि के ऐसे अवसान की तारीख पर, विद्यमान मण्डी क्षेत्र के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन रहते हुए नियुक्त कर सकती है अर्थात, इसमें उपबन्धित के सिवाय किसी मण्डी समिति के समस्त अधिकारों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का पालन राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्रशासक द्वारा किया जायेगा। इसमें जो अधिकार हैं उसके अन्तर्गत राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी स्थान पर सम्पत्ति का अन्तरण या अर्जन प्रशासक द्वारा नहीं किया जायेगा। दूसरा यह है कि राज्य सरकार इस उपधारा के अधीन प्रशासक द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों की रीति के लिए समय-समय पर अधिसूचना द्वारा ऐसे आनुषंगिक या पारिणामिक उपबन्ध कर सकेगी। इसके अतिरिक्त खण्ड (ग) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जायेगी। इस प्रकार से हमने इसमें दो छोटे परिवर्तन किये हैं।

श्री अध्यक्ष–

कोई भी माननीय सदस्य इस पर अपना विचार रखना चाहते है ?

(किसी भी माननीय सदस्य ने इस पर अपने विचार नहीं रखे)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 3 खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011

(उत्तराखण्ड विधेयक सं0   वर्ष 2011)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है;

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा–13 में अन्तःस्थापन

2. उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा–13 की उपधारा (11) के पश्चात् निम्नवत् उपधारा अन्तःस्थापित कर दी जायेगी; अर्थात् :–

"(12) इस धारा के उपर्युक्त प्राविधानों में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, भविष्यलक्षी अथवा भूतलक्षी प्रभाव से, जैसा उचित समझा जाय, सम्बन्धित जिले के कलक्टर को "प्रशासक" के रूप में, निर्वाचित मण्डी समिति का संघटन होने तक अथवा एक बार में छः माह के लिए और सकल रूप से दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, जो भी पहले हो, मण्डी समिति की कार्यावधि के

ऐसे अवसान की तारीख पर, विद्यमान मण्डी क्षेत्र के सम्बन्ध में निम्नलिखित उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नियुक्त कर सकती है, अर्थात् :-

(क) उपखण्ड (ख) में यथा उपबन्धित के सिवाय किसी मण्डी समिति के समस्त अधिकारों का प्रयोग, कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का पालन राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट प्रशासक द्वारा किया जाएगा;

(ख) राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा के बिना किसी स्थावर सम्पत्ति का अन्तरण या अर्जन प्रशासक द्वारा नहीं किया जा सकेगा;

(ग) राज्य सरकार, इस उपधारा के अधीन प्रशासक द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों की रीति के लिए समय-समय पर अधिसूचना द्वारा, ऐसे आनुषंगिक या पारिणामिक उपबन्ध कर सकेगी;

(घ) खण्ड (ग) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना जारी किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखी जायेगी।"

3. (1) उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) अध्यादेश, 2010 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन एवं अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मदन कौशिक-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तराखण्ड जल संभरण सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2011

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड जल संभरण सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा–4 में उत्तर प्रदेश जल निगम के गठन और उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की व्यवस्था है। उक्त धारा की उपधारा (2) का खण्ड (क), राज्य सरकार को एक अर्हित अभियंता को, जिसे प्रशासन और जल सम्भरण और सीवर व्यवस्था सम्बन्धी कार्यों का अनुभव हो, प्रबन्ध निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए सशक्त करता है किन्तु उक्त अधिनियम में न तो प्रबन्ध निदेशक के पद की अर्हता दी गई है और न ही नियुक्ति की रीति उपबन्धित की गई है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार को इसके सम्बन्ध में नियमावली बनाने के लिए भी सशक्त नहीं किया गया है। इसी से सम्बन्धित इसमें एक छोटा सा संशोधन आया है और उस संशोधन को आपके माध्यम से विचारार्थ प्रस्तुत कर रहा हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड जल संभरण सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 4, खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड जल संभरण तथा सीवर (संशोधन) विधेयक, 2011

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या वर्ष 2011)

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) का उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है;

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जल संभरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

धारा 4 का संशोधन

2. उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम, 1975 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त), जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा–4 में :–

(एक) उपधारा (2) में खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात् :–

(क) एक प्रबन्ध निदेशक, जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा;

(दो) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी; अर्थात्–

"(2–क) उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निगमों पर नियंत्रण अधिनियम, 1975 में या उसके अधीन जारी किसी निदेश में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट सदस्य की नियुक्ति, ऐसी अर्हता और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से ऐसी रीति से की जाएगी, जो विहित की जाय।"

विद्यमान रिक्ति के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध

3. किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्ध, प्रबन्ध निदेशक के पद में ऐसी किसी रिक्ति के सम्बन्ध में भी लागू होंगे, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व से विद्यमान हो।

स्पष्टीकरण–पद "प्रबन्ध निदेशक" का वही अर्थ होगा, जो मूल अधिनियम में उसके लिए समनुदेशित है।

निरसन एवं अपवाद

4. (1) उत्तराखण्ड जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2011 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जायेगी।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–4, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड जल संभरण सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड जल संभरण सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2011

संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, राज्यकोषीय स्थायित्व समपोषणीय सुनिश्चित करने के लिए और प्राप्त राजस्व की अधिव्यय की अवशेष की प्राप्ति के लिए राजकोषीय घाटे में कमी लाकर राजकोषीय के नीति के प्रभावी संचालन में आने वाली कमी को दूर करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में पारित किया गया था और 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियां भारत सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गयी हैं और इसके अनुक्रम में राज्य के राजस्व घाटे, राजकोषीय घाटे और कुल ऋण दायित्व को नियंत्रित करने के लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए इस विधेयक में संशोधन आवश्यक हो गया था और इस संशोधन के पश्चात जो लाभ राज्य को प्राप्त होगा, इसमें राष्ट्रीय अल्प बचत से मिलने वाला ऋण, जो कि वर्ष 2006 तक प्राप्त हो चुका है तथा वर्ष 2009–10 के अन्त में शेष है, को 9 प्रतिशत ब्याज की दर से परिवर्तित किया जायेगा। जिससे राज्य को 13वें वित्त आयोग की अवधि में 127.77 करोड़ का लाभ होगा। वित्त मंत्रालय भारत सरकार और अन्य मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को दिये गये केन्द्रीय ऋण जो कि वर्ष 2009–10 तक अवशेष है को माफ कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड को इससे वर्ष 2010–15 की अवधि में 76 करोड़ का लाभ होगा। राज्य को केन्द्र सरकार विशिष्ट

अनुदान उपरोक्त इंगित करने की कार्यवाही बिन्दुओं के अनुपालन किये जाने के उपरान्त प्राप्त हो जायेंगे। राज्य को विशिष्ट अनुदान के रूप में ₹ 700 करोड 13वें वित्त आयोग के क्रम में प्राप्त होंगे और 13वें वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार कार्यवाही समय से करने से राज्य को 13वें वित्त आयोग के काल में लगभग 905.77 करोड का लाभ होगा। साथ ही राजस्व अधिशेष सृजित करने पर राज्य सेक्टर के अन्तर्गत पूंजीगत विकास कार्यों को वित्त पोषण करने में सरकार सक्षम हो पायेगी। इसलिए यह महत्वपूर्ण विधेयक सदन में विचारार्थ आपके माध्यम से सदन में प्रस्तुत करता हूँ और प्रस्ताव करता हूँ कि यह विधेयक पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2011 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2011

(विधेयक संख्या वर्ष 2011)

उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के 62वें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नवत् रूप में अधिनियमित हो–

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) अधिनियम, 2011 है। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

   (2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त, नियत करे।

2. उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की धारा–4 में :– — धारा–4 का संशोधन

   (एक) उपधारा (3) के खण्ड (क) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :–

''(क) 1 अप्रैल, 2011 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले चार वित्तीय वर्षों में राजस्व घाटा शून्य करेगी;''

(दो) उपधारा (3) के खण्ड (ग) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :–

''(ग) वित्तीय वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत एवं वित्तीय वर्ष 2013–14 और 2014–15 में 3 प्रतिशत से अनधिक रखेगी;''

(तीन) उपधारा (3) के खण्ड (च) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :–

''(च) 1 अप्रैल, 2011 से प्रारम्भ होने वाले और 31 मार्च, 2015 को समाप्त होने वाले चार वित्तीय वर्षों की अवधि में सुनिश्चित करेगी कि कुल प्राक्कलित ऋण दायित्व प्राक्कलित सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष क्रमशः 41.10 प्रतिशत, 40.00 प्रतिशत, 38.50 प्रतिशत और 37.20 प्रतिशत से अधिक न हो;

परन्तु यह है कि आन्तरिक सुरक्षा एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य सरकार के वित्त पर अप्रत्याशित मांगों के आधार या आधारों पर, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा इस उपबंध में विनिर्दिष्ट सीमाओं से इस शर्त के अध्याधीन बढ़ सकता है कि प्राकृतिक आपदाओं के कारण उद्भूत सीमाओं का आधिक्य वास्तविक राजकोषीय मूल्य, जो आपदाओं के लिए आरोपित किया जा सकता हो, से अधिक नहीं होगा.

परन्तु यह और कि प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट आधार या आधारों की, यह सम्भाव्य हो जाने के पश्चात् कि ऐसी घाटे की धनराशि उपर्युक्त सीमाओं से बढ़ जायेगी, विधान मण्डल के समक्ष, आधिक्य की संभावित सीमा और उसके कारणों को आधिकथित करते हुए, एक रिपोर्ट के साथ रखा जायगा।''

(बारह) उपधारा (3) के खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित एक नया उपखण्ड (छ) अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :-

"(छ) राज्य सरकार उपरोक्त लक्ष्यों की समीक्षा हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करेगी, जो कम से कम प्रत्येक छः माह में एक बार प्रगति की समीक्षा करेगी।"

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री प्रकाश पन्त–

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2011 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2007-08 व 2008-09 में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के तहत प्रदेश को स्वीकृत धनराशि में से खर्च की गई धनराशि विषयक नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चर्चा

श्री सुरेन्द्र राकेश–

चर्चा जारी रहे तो ठीक रहे, समय ज्यादा हो गया है।

सिंचाई एवं समाज कल्याण मंत्री (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

मान्यवर, चौथी बार आ रहा है और मैं यह चाहूँगा कि यह सारा जो 36 विभागों का प्रश्न है, यह सब मैं लाया हूँ 36 विभाग हैं ये। (हँसी)

श्री अध्यक्ष–

मान्यवर, यह काफी पुराना प्रकरण है सम्भवतः फिर आगे आने की संभावना न बने। 30 तारीख को रख लें, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का सुझाव है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

नहीं मान्यवर, आपका जो आदेश हो, मेरा तो निवेदन यह है कि जो कोई सदन मे किसी का उत्तर मिल जाता है उसको दूसरी बार नहीं लिया जाता है, यह चौथी बार जा रहा हूँ। मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे, वैसे आपका आदेश शिरोधार्य है।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत नियम–51 में चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे निर्देशित किया। इस सम्बन्ध में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूँ कि यह योजना भारत सरकार के निर्देशानुसार जो वार्षिक योजना बनाई जाती है पूरे राज्य के बजट की, उसका 19 प्रतिशत धन आबादी के हिसाब से एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत निर्धारित किया जाता है, जिससे कि अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों का शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक उत्थान हो सके, रोजगार की दृष्टि से विकास की योजनाओं को बढ़ाने का प्राविधान होता है। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तराखण्ड बनने के पश्चात वर्ष 2004–05 मे सबसे पहले ₹ 300 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया और उसमें ₹ 150 करोड़ बजट खर्च किया गया। मान्यवर, केवल डेढ़ सौ करोड़ रुपया बजट खर्च किया गया और डेढ़ सौ करोड़ रुपया बजट लैप्स किया गया। वर्ष 2005–06 में 3 सौ करोड़ के सापेक्ष ₹ 66 करोड़ लैप्स किया गया और वर्ष 2006–07 में 720 करोड़ के सापेक्ष मात्र ₹ 440 करोड़ ही खर्च हो पाया, इसके साथ–साथ वर्ष 2006–07 मे 825.47 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया, मात्र 367.70 इसमें धनराशि खर्च की गई। वर्ष 2007–08 मे 660.7 बजट का प्राविधान किया गया और 350.19 इसमें धनराशि व्यय की गई। वर्ष 2008–09 में 498.63 बजट का प्राविधान किया गया जो कि पूरे बजट का 19 परसेण्ट नहीं था, उसके बावजूद भी ₹ 198 करोड़ इसमें खर्च नही किया गया। वर्ष 2009–10 में 608.93 बजट का प्राविधान किया गया मात्र 334.68 का खर्चा किया गया। वर्ष 2010–11 में दिसम्बर तक 712 करोड़ में से मात्र ₹ 314.56 करोड़ खर्च हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, यह उत्तराखण्ड शासन समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ के द्वारा पत्र है जिसके द्वारा यह इतना धन लैप्स किया जा रहा है।

मैं विभागवार माननीय मंत्री जी को, जो कि अभी जिक्र कर रहे थे कि 36 विभाग के उत्तर के साथ मै यहाँ आया हूँ, माननीय मंत्री जी को मैं भी इनके विभाग से प्राप्त कुछ सूचनाओं से अवगत कराना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी, वर्ष 2006–07 मे बजट के सापेक्ष मात्र 44.67 बजट आपका खर्च किया गया और इसमें कुछ विभाग ऐसे है, मै वर्ष 2007–08 पर आता हूँ, जिस समय माननीय मंत्री जी जब से इस विभाग के मंत्री है बताना चाहता हूँ कि उसमें कुछ ज्यादा था, खर्चा ज्यादा कर दिया था, लेकिन आपने मात्र

46.70 खर्च किया और जिसमें कुछ विभाग ऐसे है जैसे खाद्य और रसद 175 के सापेक्ष मात्र 63.87 व्यय किया गया और 175 के सापेक्ष जीरो प्रतिशत थी, खर्चा नहीं किया गया, जीरो प्रतिशत खर्चा वर्ष 2007-08 में हुआ। इसके साथ-साथ अन्य बहुत से विभाग है जो बहुत निष्क्रिय हैं, कला और संस्कृति 140 था जिसमे जीरो प्रतिशत है, नगर विकास विभाग में 7757.08 था जिसमे मात्र बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि 0.46 प्रतिशत खर्च किया गया, इस प्रकार से अन्य बहुत से विभाग हैं और जिन विभागों में माननीय अध्यक्ष जी, पैसा खर्च किया जा रहा है उसमें कोई गारण्टी नहीं है। अनुसूचित जाति के लोगों को लाभार्थी के हित मे उनके हितों की रक्षा के लिए जो मंशा भारत सरकार की है कि अनुसूचित जाति के जो अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, उत्तराखण्ड में जिनकी दयनीय स्थिति है। माननीय अध्यक्ष जी, उनको उभार कैसे दिया जाय, उनका उत्थान कैसे किया जाय, इनके लिए योजना चालू किये जाने का प्राविधान था। मान्यवर, इसके बाद वर्ष 2008-09 की स्थिति बताना चाहता हूँ कि पंचायती राज विभाग में मात्र 3.66 प्रतिशत खर्च किया गया। खाद्य रसद में फिर वही स्थिति है, पिछले वर्ष, 300 के सापेक्ष खर्च किया गया, शून्य प्रतिशत। अन्य विभाग भी ऐसे बहुत हैं, पर्यटन विभाग में 26 प्रतिशत खर्च किया गया, आयुर्वेदिक विभाग में 800 के सापेक्ष शून्य प्रतिशत खर्च किया गया। खेल विभाग में 115 के सापेक्ष मात्र 12.67 प्रतिशत खर्च किया गया। कला और संस्कृति विभाग मे शून्य प्रतिशत खर्च किया गया। मान्यवर, एस०सी०पी० के अन्तर्गत गम्भीर स्थिति बन रही है, सरकार की मंशा क्या है यह इससे पता चलता है कि प्रत्येक वर्ष बजट का निर्धारण कर दिया जाता है। मान्यवर, चूंकि बजट का निर्धारण करना सरकार की मजबूरी है, सरकार को अगर पूरा बजट भारत सरकार से पास कराना है तो 19 प्रतिशत बजट निश्चित रूप से एस०सी०पी० का निर्धारित करना पड़ेगा।

मान्यवर, मैं वर्ष 2009-10 की स्थिति बताना चाहता हूँ कि कृषि विभाग द्वारा दो लाख चार सौ चालीस के सापेक्ष मात्र 36 प्रतिशत खर्च किया गया। जलागम द्वारा शून्य प्रतिशत खर्च किया गया। पशुपालन विभाग द्वारा शून्य प्रतिशत खर्च किया गया, दुग्ध विकास विभाग द्वारा शून्य प्रतिशत खर्च किया गया। वन विभाग द्वारा 1200 के सापेक्ष 8.3 प्रतिशत खर्च किया गया। खाद्य रसद विभाग द्वारा 275 के सापेक्ष शून्य प्रतिशत खर्च किया गया। सहकारिता विभाग द्वारा 30 प्रतिशत खर्च किया गया। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा 14 प्रतिशत खर्च किया गया। पंचायती राज विभाग द्वारा 833 के सापेक्ष शून्य प्रतिशत खर्च किया गया। लघु सिचाई विभाग मान्यवर, बड़ा दु:खद विषय है, यह विभाग समाज कल्याण मंत्री जी का अपना विभाग है वह 36 विभाग की क्या तैयारी करेंगे, जो उनका अपना विभाग है लघु सिंचाई मान्यवर, 4300 के सापेक्ष शून्य प्रतिशत जुलाई तक खर्च किया है। यह संवेदनशीलता है माननीय समाज कल्याण मंत्री जी की। आखिर क्या

चाहते हैं ? सरकार की मंशा क्या है, क्यों अनुसूचित जाति के साथ ऐसा किया जा रहा है, जो हमारा हक है, जो हमारा अधिकार है, वह तो हमें मिलना चाहिए। पैसे का सदुपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है ? जब माननीय मंत्री जी द्वारा एक पहल की गयी थी, जिसमें सभी माननीय सदस्यों को माननीय मंत्री जी द्वारा बुलाया गया था उसमें भी चर्चा आयी थी। वार्षिक योजना वर्ष 2009-10 के बारे में बताना चाहता हूँ कि शून्य प्रतिशत के कितने विभाग हैं उसमें भी अक्टूबर माह तक की प्रगति थी। परिवहन विभाग शून्य, पर्यटन विभाग शून्य, कला संस्कृति विभाग शून्य, होम्योपैथिक विभाग शून्य, आयुर्वेदिक शून्य मान्यवर, ऐसी स्थिति पैदा हो रही थी। विभाग पैसा तो मांग लेते हैं, लेकिन उस पैसे का सदुपयोग नहीं करते हैं। यह क्यों खर्च नहीं किया जाता है इसके बहुत से महत्वपूर्ण कारण हो सकते है। हो सकता है माननीय समाज कल्याण मंत्री जी को इसमें इतने अधिक अधिकार न हों। इसमें यदि सरकार ईमानदारी के साथ चाहती है कि अनुसूचित जाति के लोगों का भला हो, जो भारत सरकार की मंशा है उसके अनुरूप उनका उत्थान हो, उनकी तरक्की हो तो निश्चित रूप से इसमें माननीय समाज कल्याण मंत्री जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें कुछ न कुछ निर्णय लेना पड़ेगा और इस विभाग को मजबूत करना पड़ेगा।

मान्यवर, छोटे-छोटे विभाग जिनका बजट चार करोड, पांच करोड है, उसके लिए निदेशालय बनाये गये हैं। मान्यवर, आज एस0सी0पी0 की चर्चा हो रही है। (व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब यह स्थिति गंभीर रूप धारण कर रही है। प्रत्येक वर्ष बजट लैप्स हो रहा है। जबकि भारत सरकार का एक जी0ओ0 है कि इस बजट को न तो डायवर्ट किया जा सकता है, न लैप्स किया जा सकता है। प्रति वर्ष जो बजट आ रहा है, वह कहाँ जा रहा है, उसका अता-पता कहाँ है ? प्रति वर्ष, प्रति वर्ष करके कई अरबों रुपये हो चुके हैं।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी का जवाब भी सुनेंगे या नहीं ?

श्री सुरेन्द्र राकेश-

मान्यवर, मैं अपनी बात तो पूरी कर लूँ। मै यह कहना चाहता हूँ मेरे कुछ बिन्दु छूट गये हैं, जो रह गये हैं। अभी तक तो मैने कमियाँ बताइं हैं, अब मै कुछ सुझाव देना चाहता हूँ कि इसमें कैसे सुधार हो सकता है। अवस्थापना मद वर्ष, 2004 में शुरू की गयी थी। पूरे प्रदेश के 13 के 13 जिलो मे यहाँ से पैसा जाता था। उसके द्वारा अनुसूचित जाति की बस्तियो में बारात घर बनाते थे, सडकें बनती थीं, नालियाँ बनती थीं। जब से यह सरकार आयी है, अवस्थापना मद को बन्द कर दिया गया है। हरिद्वार जनपद में कोई

पैसा नहीं जा रहा है, जबकि यह बहुत जरूरी था। वास्तव में जिलाधिकारी की अध्यक्षता मे एक कमेटी थी, उसके द्वारा चयन किया जाता था।

श्री अध्यक्ष–

30 मिनट होने जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी का जवाब भी सुनना है या नहीं ?

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, जी हॉ, लेकिन मेरी बात तो पूरी हो जाए। यह बहुत ही गम्भीर विषय है। माननीय मंत्री जी अपनी बात कह ले, मैं फिर बोल लूँगा।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सुरेन्द्र राकेश जी का यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और मैं स्वीकार करता हूँ कि आपने जो बोला है, वास्तव मे पूर्व से ही यह बजट खर्च नही हो पाता है। विभिन्न विभागो को यह पैसा मात्राकरण करके दिया जाता है। हम तो नोडल विभाग हो गए, समाज कल्याण विभाग। विभिन्न विभागो द्वारा यह पैसा खर्च नही हो पाता है इसलिए जैसा आपने कहा, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। मान्यवर, हमारी सरकार ने भी एक नारा दिया है, ''एक ही लक्ष्य एक ही नारा, निर्बल निर्धन को मिले सहारा'' हम इसके लिए वचनबद्ध हैं। हम यह भी कहते है–

निर्बल को न सताईये, जाकी मोटी हाय,

मुई खाल की सांस सों लोहा भी भस्म हो जाय।

हम यह कहना चाहते है। मान्यवर, वर्ष 2004–05 से यह शुरू हुआ और वर्ष 2004–05 मे केवल 84 प्रतिशत खर्च हुआ, उसके बाद वर्ष 2006–07 में भी 84 प्रतिशत खर्च हुआ, वर्ष 2007–08 मे भी 84 प्रतिशत खर्च हुआ, वर्ष 2008–09 मे भी यह 84 प्रतिशत खर्च हुआ और वर्ष 2009–10 मे यह कम हो गया, इसे मै स्वीकार करता हूँ। लेकिन वर्ष 2010–11 मे अभी तक हम 81.24 प्रतिशत पर हैं और हम यह चाहते है कि हमारा यह टार्गेट 90 प्रतिशत तक चला जाए। क्योंकि इस सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता मे बैठक हुई। मुख्य सचिव के माध्यम से भी बैठक हुई और 8 बैठकें मैं स्वयं ले चुका हूँ, सभी विभागों की कि यह पैसा जल्दी खर्च करे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसका क्या कारण है, इन कारणो को मै आपके संज्ञान मे लाना चाहता हूँ। एक तो हमारा लोक निर्माण विभाग है, इसमें वन विभाग की स्वीकृतियॉ नही मिल पाती, जिससे सडकें नहीं बन पातीं। दूसरा मेरा कहना है कि क्षेत्रीय भूमि की व्यवस्था न हो पाना। लघु सिंचाई की बात आपने कही, तो पहले ये 100 प्रतिशत खर्च करते थे, सिंचाई विभाग भी और लघु सिंचाई विभाग भी। वर्ष 2008–09 में जब इन्होंने उपयोगिता प्रमाण–पत्र

नहीं दिया, तब से हम बैक हो गये, हम जीरो हो गए। जब तक जिला पंचायत का अध्यक्ष प्रमाण पत्र नहीं देगा तब तक हम खर्च नहीं कर पाते हैं, इसका एक कारण यह भी रहा है। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ कि हम तो चुनावों से गुजरे हैं, कभी हम त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में व्यस्त रहे, उसके बाद उप चुनाव हुये, लोक सभा का भी चुनाव हुआ और फिर धूमाकोट का चुनाव हुआ और फिर कपकोट का चुनाव हुआ, विकास नगर का चुनाव हुआ, इनकी आचार संहिता लगी और मान्यवर, वर्ष 2009 में तो लोक सभा चुनाव की आचार संहिता मार्च के महीने में लग गई थी।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, चुनाव तो एक सतत् प्रक्रिया है।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो आपका एस0सी0पी0 और टी0एस0पी0 का बजट है, उसे हम खर्च करने के लिये तत्पर हैं और वास्तव में यह पैसा खर्च होना चाहिये। मैं इसके लिये युद्धस्तर पर काम करूँगा, ताकि जो हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के भाई हैं, उनका शैक्षिक विकास हो सके, उनका आर्थिक विकास हो सके और वह सामाजिक स्तर के बराबर आ सकें।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

माननीय अध्यक्ष जी, दो बिन्दुओं पर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, एक तो अवस्थापना मद को बन्द कर दिया गया है, उसे चालू किया जाय। दूसरा यह है कि जो भारत सरकार की गाईड लाईन है, उसके अनुसार इसके पैसे से पॉलीटेक्निक और इन्जीनियरिंग कॉलेज भी खोले जा सकते हैं, चूंकि इस मद में पैसा है, इसलिये उच्च शिक्षा में भी इसमें कार्य किया जाना चाहिये।

श्री मातबर सिंह कण्डारी–

मान्यवर, जो वर्ष 1995 का शासनादेश है, उसमें यह भी व्यवस्था की गई है कि सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाय। मान्यवर, मैंने देखा है कि समाज कल्याण विभाग का यह पैसा खर्च नहीं हो पाता है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। इसकी मानीटरिंग नहीं हो पाती है, मैंने इसलिये विचार–विमर्श के बाद एक निर्णय लिया कि इसके लिये कोई ठोस योजना बनाई जाय। अवस्थापना विकास का जो पैसा आप बोल रहे है, उसे हमने बन्द नहीं किया, उसे हम चालू रखेंगे। इस वित्तीय वर्ष में हमने एक बहुउद्देशीय योजना डाक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुउद्देशीय भवन प्रत्येक जनपद में बनाने का निर्णय लिया है। जिसके भूतल में उनकी दुकानें होंगी और प्रथम तल में उनको

प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा द्वितीय तल में उनके रहने की व्यवस्था होगी, केवल पानी और बिजली का खर्चा उनको देना होगा। इसी प्रकार से जनजाति क्षेत्र के लिये भी हम काम करेंगे, अर्थात कुछ दिखाई दे कि समाज कल्याण विभाग कुछ कर रहा है। खडंजा और सम्पर्क मार्ग तो बारिश से बह जाते हैं।

श्री सुरेन्द्र राकेश–

मान्यवर, सडकें नहीं हैं, तो वह भी तो बननी चाहिये। मान्यवर, पॉलीटेक्निक के बारे में भी बता दीजिये।

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

हम आपके यहाँ पॉलीटेक्निक खोलेंगे।

श्री अध्यक्ष–

इस पर चर्चा समाप्त हुई।

(श्री अध्यक्ष द्वारा माननीय सदस्य कुँवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'' का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे)

श्री अध्यक्ष–

इस सूचना को व्यपगत माना जाय।

नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–53 के अन्तर्गत हाजी तस्लीम अहमद, श्रीमती बीना महराना, श्री केदार सिंह रावत, श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, श्री शहजाद, श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्री सुरेन्द्र राकेश, श्री नारायण पाल, श्रीमती अमृता रावत तथा श्री सुरेश चन्द जैन की कुल 10 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से जनपद चम्पावत के अन्तर्गत आई0टी0आई0 खेतीखान के संचालन के सम्बन्ध में माननीय सदस्या श्रीमती बीना महराना की सूचना को नियम–53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा एवं कैबिनेट में पारित प्रस्ताव के बावजूद भी राजकीय शिक्षकों को सशर्त लाभ दिये जाने सम्बन्धी शासनादेश जारी न होने के सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री सुरेश चन्द जैन की सूचना को केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार हुई।

जनपद देहरादून के सहस्त्रधारा रोड में गोविन्दनगर से एम0डी0डी0ए0 इन्क्लेव होते हुए गुरूरामराय स्कूल तक 01 कि0मी0 पेयजल लाईन के पुनरोद्धार के सम्बन्ध में श्री दिनेश अग्रवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर पेयजल मंत्री का वक्तव्य

पेयजल एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री प्रकाश पन्त)–

[देहरादून नगर के अन्तर्गत गोविन्द नगर से एम0डी0डी0ए0 कॉलोनी होते हुए गुरूरामराय स्कूल तक 10 एवं 12 इंच व्यास की ए0सी0 पाइप लाईन तथा गुरूरामराय स्कूल से सहस्त्रधारा क्रॉसिंग तक 8 इंच व्यास ए0सी0 पाइप लाईन उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा वर्ष 1984–85 में चीडोवाली जलाशय से बिछायी गयी थी तथा वर्तमान मे यह पाइप लाईन उत्तराखण्ड जल संस्थान के अनुरक्षण में है। उक्त वर्णित पाइप लाईन पुरानी होने के कारण समय–समय पर लीकेज होती रहती है, जिसकी विभाग द्वारा तत्काल मरम्मत कराकर पेयजल उपलब्ध कराया जाता है।

वर्तमान मे देहरादून नगर की समस्त वितरण प्रणालियों का जीर्णोद्धार एशियन डेवलपमेंट बैंक कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्णित पाइप लाईन बदले जाने का कार्य ट्रैंच–II में प्रस्तावित है।]

राज्य में घरेलू गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति हेतु बिक्री केन्द्रों का विस्तार न होने के सम्बन्ध में श्रीमती अमृता रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

श्री प्रकाश पन्त–

[प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में मोटर मार्गों के विस्तार के साथ क्षेत्र के उपभोक्ताओं की मॉंग पर घरेलू गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति हेतु विस्तार पटल जिलाधिकारी की संस्तुति पर तेल कम्पनियो द्वारा खोले जाते है। वर्तमान मे तेल कम्पनी के स्थापित गैस एजेन्सी से खोले गये विस्तार पटल तक जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत परिवहन दरो के आधार पर गैस सिलेण्डरों का भाडा उपभोक्ता को वहन करना पडता है।

राज्य में वर्तमान समय मे घरेलू गैस वितरण हेतु 760 विस्तार पटल संचालित है एवं 55 विस्तार पटल प्रस्तावित है। जिनकी सूची निम्नांकित है–

क्र0 सं0	जनपद का नाम	गैस एजेन्सी के अतिरिक्त स्वीकृत विस्तार पटल	गैस एजेन्सी के अतिरिक्त प्रस्तावित विस्तार पटल
1	2	3	4
1.	उत्तरकाशी	76	10
2.	चमोली	81	22
3.	देहरादून	23	00

नोट:– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1	2	3	4
4.	टिहरी गढ़वाल	95	00
5.	पौड़ी गढ़वाल	318	05
6.	रूद्रप्रयाग	69	11
7.	हरिद्वार	01	00
8.	अल्मोड़ा	54	00
9.	पिथौरागढ़	18	02
10.	नैनीताल	00	00
11.	बागेश्वर	15	05
12.	चम्पावत	10	00
13.	ऊधमसिंह नगर	00	00
	योग	760	55

इस प्रकार राज्य में 13 जिलो में घरेलू गैस वितरण हेतु कुल 760 विस्तार पटल पूर्व से ही संचालित है। इसके अतिरिक्त कुल 55 विस्तार पटल राज्य के विभिन्न जिलो में प्रस्तावित हैं। विभिन्न गैस कम्पनियो की दिनॉक 21 जनवरी, 2011 को प्रकाशित विज्ञप्ति के आधार पर उत्तराखण्ड राज्य में अलग-अलग श्रेणियों के अन्तर्गत 57 राजीव गांधी ग्रामीण एल०पी०जी० वितरकों की नियुक्ति के प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं। जिसकी सूची संलग्न है।]

क्र०सं०	कम्पनी	स्थान का नाम	तहसील	जिला
1	2	3	4	5
1.	बी०पी०सी०	दिनेशपुर	गदरपुर	ऊधमसिंह नगर
2.	बी०पी०सी०	महुआ खेड़ा गंज	काशीपुर	ऊधमसिंह नगर
3.	बी०पी०सी०	लालपुर	किच्छा	ऊधमसिंह नगर
4.	बी०पी०सी०	नानकमत्ता	सितारगंज	ऊधमसिंह नगर
5.	बी०पी०सी०	शक्तिफार्म	सितारगंज	ऊधमसिंह नगर
6.	बी०पी०सी०	पीपलकोटी	चमोली	चमोली
7.	बी०पी०सी०	सुल्तानपुर आदमपुर	लक्सर	हरिद्वार
8.	बी०पी०सी०	खानपुर	लक्सर	हरिद्वार
9.	बी०पी०सी०	काशीरामपुर	कोटद्वार	पौड़ी
10.	बी०पी०सी०	सोनप्रयाग	ऊखीमठ	रुद्रप्रयाग
11.	बी०पी०सी०	नैनबाग	धनोल्टी	टिहरी गढ़वाल
12.	बी०पी०सी०	जोशीयाड़ा	भटवाड़ी	उत्तरकाशी
13.	एच०पी०सी०	बिझोली	रुड़की	हरिद्वार
14.	एच०पी०सी०	कठपुरिया पन्याली	हल्द्वानी	नैनीताल

1	2	3	4	5
15.	एच0पी0सी0	कोट	पौड़ी	पौड़ी
16.	एच0पी0सी0	बरा	किच्छा	ऊधमसिंह नगर
17.	आई0ओ0सी0	गोरखपुर चौक	सदर देहरादून	देहरादून
18.	आई0ओ0सी0	मेहूवालामाफी	सदर देहरादून	देहरादून
19.	आई0ओ0सी0	धौलीबाड़ी	सदर देहरादून	देहरादून
20.	आई0ओ0सी0	श्यामपुर	ऋषिकेश	देहरादून
21.	आई0ओ0सी0	मुण्डूवाला	विकासनगर	देहरादून
22.	आई0ओ0सी0	झाझरा	विकासनगर	देहरादून
23.	आई0ओ0सी0	धनपुरा	हरिद्वार	हरिद्वार
24.	आई0ओ0सी0	चुडियाला	रुड़की	हरिद्वार
25.	आई0ओ0सी0	लिब्बरहेड़ी	रुड़की	हरिद्वार
26.	आई0ओ0सी0	भौरी	रुड़की	हरिद्वार
27.	आई0ओ0सी0	लालपानी	कोटद्वार	पौड़ी
28.	आई0ओ0सी0	कलजीखाल	पौड़ी	पौड़ी
29.	आई0ओ0सी0	स्वर्गाश्रम	यमकेश्वर	पौड़ी
30.	आई0ओ0सी0	सिधसौड	जखोली	रुद्रप्रयाग
31.	आई0ओ0सी0	जसौली	रुद्रप्रयाग	रुद्रप्रयाग
32.	आई0ओ0सी0	पुनार	रुद्रप्रयाग	रुद्रप्रयाग
33.	आई0ओ0सी0	सन्दार	रुद्रप्रयाग	रुद्रप्रयाग
34.	आई0ओ0सी0	पौंठी	रुद्रप्रयाग	रुद्रप्रयाग
35.	आई0ओ0सी0	तल्ला	रुद्रप्रयाग	रुद्रप्रयाग
36.	आई0ओ0सी0	घेघर	रुद्रप्रयाग	रुद्रप्रयाग
37.	आई0ओ0सी0	ल्यूनखर	ऊखीमठ	रुद्रप्रयाग
38.	आई0ओ0सी0	रतूड़ा	रुद्रप्रयाग	रुद्रप्रयाग
39.	आई0ओ0सी0	भवाई	रुद्रप्रयाग	रुद्रप्रयाग
40.	आई0ओ0सी0	कुमारी	रुद्रप्रयाग	रुद्रप्रयाग
41.	आई0ओ0सी0	स्वारी गवास	रुद्रप्रयाग	रुद्रप्रयाग
42.	आई0ओ0सी0	नागला	ऊखीमठ	रुद्रप्रयाग
43.	आई0ओ0सी0	खेमरी	ऊखीमठ	रुद्रप्रयाग
44.	आई0ओ0सी0	गुप्तकाशी	ऊखीमठ	रुद्रप्रयाग
45.	आई0ओ0सी0	खरीया	ऊखीमठ	रुद्रप्रयाग
46.	आई0ओ0सी0	मेखण्डा	ऊखीमठ	रुद्रप्रयाग
47.	आई0ओ0सी0	कोटमा	ऊखीमठ	रुद्रप्रयाग
48.	आई0ओ0सी0	मक्कू	ऊखीमठ	रुद्रप्रयाग
49.	आई0ओ0सी0	जवारा	ऊखीमठ	रुद्रप्रयाग

1	2	3	4	5
50.	आई0ओ0सी0	जावारी	ऊखीमठ	रुद्रप्रयाग
51.	आई0ओ0सी0	गौर	ऊखीमठ	रुद्रप्रयाग
52.	आई0ओ0सी0	देवाली भानीग्राम	ऊखीमठ	रुद्रप्रयाग
53.	आई0ओ0सी0	रौलक	ऊखीमठ	रुद्रप्रयाग
54.	आई0ओ0सी0	नन्दगांव	जाखणीधार	टिहरी गढ़वाल
55.	आई0ओ0सी0	जवाहर नगर	किच्छा	ऊधमसिंह नगर
56.	आई0ओ0सी0	शान्तिपुरी	किच्छा	ऊधमसिंह नगर
57.	आई0ओ0सी0	मोरी	मोरी	उत्तरकाशी

जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट में वैकल्पिक ऊर्जा विभाग द्वारा निर्माणाधीन लघु जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब किये जाने के सम्बन्ध में श्री शेर सिंह गढ़िया, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

वैकल्पिक ऊर्जा मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह भण्डारी)–

[बागेश्वर जनपद के विकास खण्ड कपकोट में नव निर्माणाधीन लघु जल विद्युत परियोजनाएं गोगीना–2 एवं बाछम सितम्बर, 2005, लामाबगड़ फरवरी, 2006 में तथा बोरबलड़ा जनवरी, 2008 में स्वीकृत हुई हैं। लामाबगड़ एवं बाछम के निर्माण हेतु वन विभाग से मार्च, 2008 में अनुमति प्राप्त होने से इन योजनाओं का निर्माण कार्य विलम्ब से प्रारम्भ हुआ है।

वर्तमान में लामाबगड़ का निर्माण कार्य 100% पूर्ण हो चुका है, मशीनों की टैस्टिंग एवम् इससे जुड़े ग्रामों में विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत लाइनों का ऊर्जीकरण किया जा रहा है, शीघ्र ही विद्युत आपूर्ति प्रारम्भ हो जायेगी। बोरबलड़ा का 90%, गोगीना–2 का 80% एवं बाछम का 65% कार्य पूर्ण हो चुका है। इन परियोजनाओं का कार्य अक्टूबर, 2010 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित था परन्तु माह जुलाई, 2010 से सितम्बर, 2010 के मध्य दैवीय आपदा/अतिवृष्टि से सम्पर्क मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण इन योजनाओं हेतु मशीनों एवं उपकरणों की आपूर्ति नहीं की जा सकी अतः निर्धारित समय में योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण करने में विलम्ब हुआ है।

बोरबलड़ा एवं गोगीना का निर्माण कार्य एवं इन योजनाओं से जुड़े ग्रामों में विद्युत आपूर्ति माह मई, 2011 तक प्रारम्भ हो जायेगी तथा बाछम परियोजना को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग के क्षतिग्रस्त होने तथा आवागमन अभी भी प्रारम्भ न होने के कारण इस योजना का निर्माण माह सितम्बर, 2011 तक पूर्ण हो सकेगा।]

नोट:– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

टिहरी गढ़वाल मोटर आनर्स कारपोरेशन लिमिटेड की बसों को उत्तरकाशी से नगुण भवान सुवाखोली मसूरी नया मार्ग एवं पुराने मार्गों से वाया मसूरी देहरादून तक परमिट न दिये जाने से बस मालिकों, चालकों व परिचालकों के साथ ही जनता में उत्पन्न आक्रोश के सम्बन्ध में श्री केदार सिंह रावत, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 53 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री प्रकाश पन्त–

[उत्तरकाशी–नगुण–भवान–सुवाखोली–मसूरी–देहरादून मार्ग में से नगुण बैण्ड से भवान तक 36 किमी0 लम्बा नवनिर्मित मार्ग है। मार्ग निर्माण की सूचना प्राप्त होने के बाद इस मार्ग का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 30–12–2010 को सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, थत्यूड़ तथा सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) टिहरी द्वारा किया गया था। उक्त मार्ग पर कतिपय कमियां पायी गयी है जैसे पर्याप्त रॉक कटिंग न होना, रिटेनिंग वॉल न बना होना, ढाल अधिक होना, मलवा न हटाया जाना, कहीं–कहीं पर चौड़ाई कम होना आदि हैं। वर्तमान में यह मार्ग बस संचालन के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। मार्ग बस संचालन हेतु उपयुक्त न होने के कारण मामले को सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया। कार्यदायी संस्था को कमियां दूर करने के लिए अनुरोध किया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त मोटर मार्ग का निर्माण दिनांक 30–06–2011 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

इस मार्ग का मसूरी–देहरादून भाग अधिसूचित मार्ग है। अधिसूचित मार्ग पर केवल परिवहन निगम को वाहन संचालन की अनुमति है। मसूरी–देहरादून मार्ग पर परिवहन निगम की 39 बसों के 106 ट्रिप्स का संचालन प्रतिदिन निर्धारित है। अतः निजी संचालकों को इस मार्ग (मसूरी–देहरादून) पर परमिट नहीं दिये गये है।]

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए।

(इसके उपरान्त सदन की कार्यवाही 9 बजकर 10 मिनट पर अगले दिन 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

देहरादून,
दिनांक 24 मार्च, 2011

महेश चन्द्र,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा उत्तराखण्ड।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सूची 'क'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–08 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–40 पर)

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत वर्तमान में कुल 90 राजकीय उद्यान एवं पौधालय है, जिसमें से 21 राजकीय उद्यान/पौधालय निजी क्षेत्र में लीज पर दिये गये हैं तथा 69 राजकीय उद्यान/पौधालय विभाग द्वारा संचालित किये जा रहे हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :–

A–विभाग द्वारा संचालित राजकीय उद्यान/पौधालय :–

क्र० सं०	जनपद का नाम	संख्या	राजकीय उद्यान/पौधालय का नाम
1	2	3	4
1.	अल्मोडा	1	राजकीय उद्यान, चौबटिया
		2	राजकीय ड्रग फार्म, सोनी
		3	राजकीय पौधालय, शीतलाखेत
		4	राजकीय पौधालय, नौगॉव
		5	राजकीय पौधालय, पटोरिया (आलू हेतु)
		6	राजकीय पौधालय, गणानाथ
		7	राजकीय पौधालय, भैसोडी
		8	राजकीय पौधालय, गरूडाबॉज
		9	राजकीय उद्यान, दूनागिरी
2.	नैनीताल	1	राजकीय प्रजनन उद्यान, गडगडी
		2	राजकीय प्रजनन उद्यान, कालाढूंगी
		3	राजकीय प्रजनन उद्यान, रामनगर
		4	राजकीय प्रजनन उद्यान, सतबुगा
		5	राजकीय प्रजनन उद्यान, टम्यूडा
		6	राजकीय पौधालय, भीमताल
3.	पिथौरागढ	1	राजकीय प्रजनन उद्यान, डीडीहाट
		2	राजकीय प्रजनन उद्यान, बलुवाकोट
		3	राजकीय प्रजनन उद्यान, कनालीछीना
		4	राजकीय प्रजनन उद्यान, गंगोलीहाट
		5	राजकीय प्रजनन उद्यान, बेरीनाग
		6	राजकीय प्रजनन उद्यान, क्वीटी
		7	राजकीय प्रजनन उद्यान, विषाड
		8	राजकीय प्रजनन उद्यान, भटका
		9	राजकीय प्रजनन उद्यान, सानदेव
		10	राजकीय आलू प्रक्षेत्र, बलौती (आलू हेतु)
		11	राजकीय पौधालय, थल
		12	राजकीय पौधालय, तिकसेन

1	2	3	4
4.	बागेश्वर	1	राजकीय पौधालय, बागेश्वर
5.	चम्पावत	1	राजकीय पौधालय, पाटन
		2	राजकीय पौधालय, खतेडा
		3	राजकीय पौधालय, मुडियानी
		4	राजकीय सब्जी बीज उत्पादन प्रक्षेत्र, दिगालीचौड
		5	राजकीय पौधालय, चम्पावत
6.	ऊधमसिंह नगर	1	राजकीय पौधालय, काशीपुर
		2	राजकीय पौधालय, रुद्रपुर
		3	राजकीय पौधालय, सितारगंज
7.	पौडी	1	राजकीय प्रजनन उद्यान, खिर्सू
		2	राजकीय प्रजनन उद्यान, चमोली
		3	राजकीय प्रजनन उद्यान, पटेलिया
		4	राजकीय प्रजनन उद्यान, डाडादमराडा
		5	राजकीय प्रजनन उद्यान, कुम्भीचौड
		6	राजकीय उद्यान, चमेठा
8.	चमोली	1	राजकीय प्रजनन, थराली
		2	राजकीय प्रजनन, नारायणबगड
		3	राजकीय प्रजनन, कर्णप्रयाग
		4	राजकीय उद्यान, रामणी
		5	राजकीय उद्यान, पैतोली
		6	राजकीय उद्यान, सुभाई
		7	राजकीय उद्यान, सिगधार
		8	राजकीय उद्यान, गैरसैण
		9	राजकीय पौधालय, बच्छेर
		10	राजकीय आलू बीज उत्पादन प्रक्षेत्र कोटी (आलू हेतु)
		11	राजकीय उद्यान, तुणजी
9.	रुद्रप्रयाग	1	राजकीय आलू उत्पादन क्षेत्र, अगस्त्यमुनि
		2	राजकीय पौधालय, ऊखीमठ
		3	राजकीय पौधालय, स्यारी
		4	राजकीय पौधालय, चिरबटिया
10.	हरिद्वार	1	राजकीय औ0प्र0, सिकन्दरपुर
11.	देहरादून	1	राजकीय आलू उत्पादन प्रक्षेत्र, गंगालटरी (आलू हेतु)

1	2	3	4
		2	राजकीय उद्यान, सर्किट हाउस
		3	राजकीय उद्यान, बरौथा
		4	राजकीय उद्यान, ढकरानी
		5	राजकीय उद्यान, जौंगी मसूरी
12.	उत्तरकाशी	1	राजकीय आलू उत्पादन प्रक्षेत्र, हर्षिल
		2	राजकीय पौधालय, जरमोला
		3	राजकीय पौधालय, नौगॉव
13.	टिहरी	1	राजकीय प्रजनन उद्यान, धनोल्टी
		2	राजकीय उद्यान, मगरा
		3	राजकीय उद्यान, काणाताल
	कुल योग	69	

B–निजी क्षेत्रों को लीज पर दिये गये उद्यान/पौधालय :–

क्र0 सं0	जनपद का नाम	संख्या	राजकीय उद्यान/पौधालय का नाम
1	2	3	4
1.	अल्मोड़ा	1	राजकीय पौधालय, डोल
		2	राजकीय पौधालय, बिन्ता
2.	नैनीताल	1	राजकीय पौधालय, बमेठी
		2	राजकीय पौधालय, मनाघेर
		3	राजकीय आलू प्रक्षेत्र, सूपी
		4	राजकीय उद्यान, रामगढ़
3.	पिथौरागढ़	1	राजकीय उद्यान, वडालू
		2	राजकीय उद्यान, भट्यूड़ा
		3	राजकीय उद्यान, मूनाकोट
4.	चम्पावत	1	राजकीय उद्यान, गोश्नी
5.	बागेश्वर	1	राजकीय उद्यान, कर्मी
6.	रुद्रप्रयाग	1	राजकीय उद्यान, धिमतोली
7.	पौड़ी	1	राजकीय उद्यान, खाड्यूसैंण
		2	राजकीय उद्यान, खपरौली
8.	टिहरी	1	राजकीय उद्यान, बटवालधार
		2	राजकीय उद्यान, कौडिया
		3	राजकीय उद्यान, प्रतापनगर

1	2	3	4
9.	देहरादून	1	राजकीय उद्यान, चौसाल
10.	उत्तरकाशी	1	राजकीय उद्यान, रैथल
		2	राजकीय उद्यान, बाल्चा
		3	राजकीय उद्यान, धरौली
	कुल योग	21	

नत्थी 'ख'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या–10 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या–41 पर)

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र0 सं0	जनपद	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11	
		स्वीकृत धनराशि	व्यय धनराशि	स्वीकृत धनराशि	व्यय धनराशि	स्वीकृत धनराशि	व्यय धनराशि	स्वीकृत धनराशि	व्यय धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	चमोली	231.55	202.15	157.50	161.67	127.78	127.78	177.56	82.73
2.	रुद्रप्रयाग	170.21	156.66	124.00	105.96	41.90	40.81	66.99	35.23
3.	पौड़ी	237.39	167.73	167.50	149.46	177.30	113.87	194.81	40.47
4.	टिहरी	158.53	108.06	85.50	65.30	95.39	81.28	127.18	62.24
5.	उत्तरकाशी	225.10	208.75	217.00	217.12	110.90	83.70	128.44	42.32
6.	देहरादून	308.63	340.92	268.00	299.49	208.09	189.57	192.01	93.09
7.	हरिद्वार	375.10	356.06	148.00	148.00	237.99	231.99	184.92	71.38
8.	ऊधमसिंह नगर	167.31	154.87	148.50	133.98	202.66	172.00	225.92	70.73
9.	नैनीताल	225.27	216.58	169.50	168.35	135.08	121.48	151.63	71.25
10.	अल्मोड़ा	328.31	288.53	127.00	92.97	83.95	74.80	123.81	17.69
11.	बागेश्वर	106.86	43.60	98.50	81.90	64.57	59.53	56.71	26.50
12.	पिथौरागढ़	107.03	68.72	92.50	56.36	81.86	62.91	110.91	46.49
13.	चम्पावत	93.85	28.59	136.50	34.39	88.45	71.29	82.26	22.23
14.	नोडल अधिकारी (मुख्यालय)	112.80	106.52	60.00	52.27	44.09	108.52	376.85	125.38

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 37 विधान सभा/425–05–02–2013–200 पुस्तकें (कम्प्यूटर/रीजियो)।